भूमिका

● 'कुरआन परिचय' पर विहङ्गम दृष्टि ●

—□—

सर्गारम्भ में परब्रह्म परमेश्वर ने अपनी मानवी प्रजा के ज्ञान-विज्ञान और कल्याण हेतु अग्नि, वायु, आदित्य और अङ्गिरा नामक परम पवित्र ऋषियों के पवित्रात्माओं में समस्त विद्याओं के आदि स्रोत रूप ऋक्, यजुः— साम तथा अथर्व वेदों का प्रकाश किया। जिनके प्रचार एवं प्रसार द्वारा ही संसार में आध्यात्मिक उत्थान, व्यवहारिक सूझ-बूझ, वैज्ञानिक अविष्कार, भौतिक उन्नति एवं दार्शनिक ऊहापोह का प्रादुर्भाव हो पाया। वेदों के अद्भुत आलोक की दिव्य रश्मियों के प्रकाश में ही मनुज-सृष्टि ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरूषार्थ-चतुष्टय के दर्शन किये। विश्व की सम्पूर्ण संस्कृति, सभ्यता, आचार, विचार, संस्कार, व्यवहार आदि समस्त की अभिव्यक्ति वेद-प्रचार से ही देदिप्यमान हो सकी। वेदों के आधार पर ही आदि पुरूष महाराज मनु ने हिमगिरि के उतुङ्ग शिखर पर खड़े होकर अपने भुजदण्ड उठा कर सम्पूर्ण विश्व को आदेश दिया:— **एतद्देश्य प्रसूतस्य, सकाशादग्रजन्मनः।**

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याम् सर्व मानवाः॥

[मनु. २ २०]

अर्थात:— हे संसारवासियों! इस [भारत खण्ड] देश में उत्पन्न ब्राह्मणों के चरणों में बैठ कर अपने-अपने वर्णाश्रमों तथा परिस्थितियों के अनुरूप चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें।

ईश्वर-प्रदत्त उक्त वेद धर्म सहस्त्रों-लाखों सहस्त्राब्दियों की उथल

पुथल, अगणित क्रान्तियों और प्राकृतिक–परिवर्तनों के तदन्तर भी अपने शाश्वस्त सनातन रूप में अद्यावधि विद्यमान है, और धर्म-अर्थ-काम और मोक्ष के जिज्ञासुओ हेतु ज्योति–स्तम्भ का कार्य कर रहा है और निरन्तर प्रलय पर्यन्त ही नहीं, अपितु प्रत्युत्त भावी सृष्टियों में भी अखण्ड रूप से अपनी देदीप्यमान दैविक रश्मियों को अबोध गति से अजस्त्र प्रसारित करता रहेगा। जैसा कि युग प्रवर्तक महर्षि दयानन्द ने लिखा:—

सृष्टि–उत्पत्ति से लेकर ५ सहस्त्र वर्षों पूर्व समय पर्यन्त आर्यों का सर्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य था.....इसके साथ ही वैदिक धर्म का भी मानवीय मनोमस्तिष्क पर निष्कण्टक प्रभूत्व स्थापित रहा, किन्तु महाभारत युद्ध के अनन्तर मनुज जाति का दुर्भाग्योदय प्रारम्भ हुआ। आर्यों के आलस्य–प्रमाद–पारस्परिक ईर्ष्या–द्वेष और वाममार्ग इत्यादि दुराचार प्रिय, अन्धश्रद्धा प्रसार, नास्तिक, मानवता–विरोधी मत मतान्तरों के प्रचलन के फलस्वरूप मानव जाति का अधःपतन प्रारम्भ हो गया, जिसका बीजारोपण महर्षि दयानन्द सरस्वती के कथनानुसार महाभारतीय विनाशकारी ग्रह-कलह से १ सहस्त्र वर्षों पूर्व हो चुका था।

भारतेतर देशों में सैमेटिक सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। वैसे तो सैंकड़ों विभिन्न स्वरूप यत्र तत्र सर्वत्र दृष्टिगोचर होते हैं, किन्तु मुख्यतः तीन रूप विशेष परिगणित हैं। [१] हजरत मूसा के अनुयायी **यहूदी**, जो तौरेत और जबूर नामक पुस्तकों पर विश्वासी है [२] हजरत ईसा मसीह को ईश्वर का एकमात्र पुत्र और सम्पूर्ण संसार का एकमेव मुक्तिदाता उद्घोषकर्ता **ईसाई**, जिनकी पुस्तकें इन्जीलों के नये और प्राचीन अहदनामे हैं, और [३] हजरत मुहम्मद को अन्तिम सन्देशवाहक [रसूल] स्वीकारने वाले **मुसलमान** कुरआने मजीद अथवा फुर्कानें हमीद को ईश्वरीय पुस्तक [इल्हाम] होने की धारणा धारण किये आज भी बैठे हैं।

उक्त साम्प्रदायिक ग्रन्थों का वास्तविक स्वरूप क्या है ? इनमें वर्णित घटनाएँ, आदेश, सन्देश, आज्ञाएँ, प्रेरणाएँ एवं एतादृश अन्य

अन्याय बातें कहां तक सन्मार्ग–प्रदर्शक कही जा सकती है ? कहां तक मानव–आत्मा के उत्थान अथवा पतन का कारण बनने की सम्भावना रखती है ? कहां तक उद्धृत तथ्य सत्यता पर निर्धारित है ? इनमें उल्लेखित सन्दर्भ सनातन-शाश्वत प्राकृतिक नियमों एवं वैज्ञानिक तथ्यों के अनुकूल है अथवा प्रतिकूल ? मानवीय मस्तिष्क अथवा विकसित विवेक अकाट्य युक्तियुक्त प्रमाणों की कसौटी पर इनका गहन गम्भीर विश्लेषण कर इन्हें स्वीकार करने पर उद्यत हो भी सकता है, या नहीं ? यह कतिपय ऐसे प्रश्न अथवा जटिल समस्याएँ हैं, जिनका निराकरण न सन्तोषप्रद समाधान प्राप्त करना प्रत्येक सत्यान्वेषकप्रिय मनुष्य का जन्म-अधिकार है।

हम प्रतिदिन देखते हैं, कि जब कोई व्यक्ति दो पैसे का मृतिका पात्र क्रय करने हेतु कुम्भकार के यहां जाता है, तो उसे भी भलिभांति ठोक–बजा कर निरखता-परखता है, तब फिर धर्मधन के प्रत्येक जिज्ञासु, सत्य साधना के प्रत्येक साधक सत्यासत्य के प्रत्येक अन्वेषक, लोक–परलोक सुधारने के प्रत्येक अभिलाषी और धार्मिक अनुसन्धान के प्रत्येक विद्यार्थी हेतु यह नितान्त अनिवार्य है, कि किसी धर्म, मत, सम्प्रदाय अथवा पन्थ में प्रविष्ट होने से पूर्व, किसी भी नबी-रसूल-पैगम्बर अथवा मुक्तिदाता की उम्मत में प्रविष्टि से पूर्व, किसी ईश्वर--पुत्र अथवा खत-मुलमुर्सलीन [अन्तिम सन्देशवाहक] की शफ़ाअत [अनुशंसा] पर ईमान लाने से पूर्व उनकी इल्हामी [ईश्वरीय] पुस्तकों, ख़ुदाई कलामों, धार्मिक ग्रन्थों, पैगम्बरी नबव्वत, अनुशंसा के उद्घोषों–दावों और कथ्यों को भलिभांति परख लें, ताकि सत्यासत्य, विवेक–अविवेक, देवत्व--असुरत्व, सदाचार-दुराचार, ईमान-कुफ्र, वाहदत-शिर्क और अन्याय पारस्परिक अन्तर का परिज्ञान प्राप्त कर अपने स्थाई कल्याण हेतु सरल-सत्य और सीधे सन्मार्ग को ग्रहण करते हुए मानव-जीवन के परमश्रेष्ठ लक्ष्य बिन्दु स्वरूप पुरूषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका अधिकारी बन सके।

हमें सावधानी पूर्वक सचेतन स्थिति में स्मरण रहना चाहिये कि जगती तल पर, जो चतुर, चालाक, मायावी, छली और दम्भी दानव उत्पन्न होते हैं, तो वह जनसाधारण को अपने मायावी चक्रवात में लिप्त कर अपने स्वार्थमय क्रिया-कलापों से अपने अन्ध श्रद्धालु अनुयाईयों के मन और मस्तिष्कों पर मुहरें जड़ कर, नैत्रों पर मोटा आवरण आच्छादित कर, उनके तन, मन और धन पर प्रभूत्व स्थापित कर उनकी सादगी-सरलता-गुरूभक्ति अथवा मूर्खता का अनुचित लाभ उठाते हुए आयुपर्यन्त पराई सम्पत्ति पर ऐशोआराम करते हैं, और अपनी सन्तति के भविष्य हेतु भी आजीविका का पूर्ण प्रबन्ध कर निश्चिन्त हो जीवन व्यतीत करते हैं।

उदाहरणार्थ, अनेक व्यापारियों व्यवसायियों और दुकानदारों में पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेष और प्रतिस्पर्धा दिन-प्रतिदिन तीव्रतर होती रहती है। इसी भांति विश्व के विविध साम्प्रदायिक प्रवर्तक भी परस्पर वाग्युद्ध करते, अपने अनुयाईयों को युयुत्सु बनाते, धर्मयुद्ध अथवा जिहाद के नाम पर पृथ्वीमाता को रक्तरंजित होता देख कर मन ही मन अपनी राक्षसी दुष्प्रवृतियों की प्रत्यक्ष सफलता पर पैशाचिक गर्व अनुभव करते हैं। वस्तुस्थिति यह है:—

जो कोई होत भयो जग–सिआना।
तिन तिन अपनो पन्थ चलाना।
परम पुरूष किनहूँ नह पायो।
बैर बाद हँकार बढ़ामो।
पेड़–पात आपन ते जले।
प्रभू के पंथ न कोऊ चले।

दशम ग्रंथ, पृष्ठ ५५

अर्थात:— संसार में जो भी चतुर-चालाक मनुष्य होता है, वही अपने

पृथक मत पंथ और सम्प्रदाय प्रचलित करता है। उन पन्थ–प्रवर्तकों से परमात्मा-प्राप्ति तो नहीं हो पाती, अपितु पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, विरोध मतभेद और अहंकार इत्यादि कुप्रवृत्तियों की वृद्धि प्राप्त होती है। परिणामस्वरूप परस्पर क्लेश और लड़ाई-झगड़े के कारण पेड़-पत्ते समस्त दग्ध होकर भस्मीभूत हो जाते हैं, किन्तु [दुःख का विषय है] उन पंथाईयों-सम्प्रदायवादियों और मत-मतान्तरों के प्रवर्तकों में से कोई भी ईश्वरीय मार्ग का अनुकरणीय नहीं होता है।

इन्ही मदमत्त स्वार्थी मतवालों की कूटनीतियों और काली करतूतों से क्रूर और भीषण परिणामों को अनुभूत कर महर्षि दयानन्द ने अपने अमूल्य युग बोध ग्रन्थ 'सत्यार्थ प्रकाश' में लिखा है :—

..... मनुष्य जन्म का होना, सत्यासत्य का निर्णय करने-कराने हेतु है, न कि वाद विवाद, विरोध करने-कराने हेतु। इसी मत-मतान्तर के विवाद से जगत में जो अनिष्ट परिणाम हुए, होते हैं और होंगे उनको पक्षपातरहित विद्वजन जान सकते हैं। जब तक इस मनुष्य जाति में पारस्परिक मिथ्या मत मतान्तर का विरुद्धवाद न छूटेगा, तब तक अन्याय को आनन्द प्राप्त न होगा। यदि हम समस्त मनुष्य ईर्ष्या-द्वेष का परित्याग कर सत्यासत्य का निर्णय कर सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना कराना चाहें, तो हमारे हेतु यह असाध्य नहीं है। यह निश्चय है, कि इन सिद्धान्तों और विद्वानों के विरोध ने ही समस्त को विरोधजाल में फांस रखा है। यदि यह लोग अपने प्रयोजनों में न उलझ कर सार्वजनिक प्रयोजनों को सिद्ध करना चाहें, तो अभी मतैक्य हो जाए। ... ... सर्वशक्तिमान परमात्मा एकमत में प्रवृत होने का उत्साह समस्त मनुष्यों की आत्माओं में प्रवाहित करें।

अपने सद्गुरू महर्षि दयानन्द सरस्वती की इन्हीं उदात्त भावनाओं से अनुप्रेरित होकर अरबी-संस्कृत महाविद्यालय के भूतपूर्व आचार्य

पण्डित श्री देवप्रकाशजी ने अर्ध शताब्दी से अधिक दीर्घावधि के अपने गम्भीर स्वाध्याय, सतत चिन्तन और मनन तथा अविरल धार्मिक अनुसन्धान की दृढ़ भीत्ति पर आधारित, अकाट्य युक्तियों से सुसज्जित एवं पुष्कल प्रमाण-भण्डार से समन्वित अनेक अमूल्य ग्रन्थ रत्नों का सृजन किया है। उन समस्त में वृहत्तर स्थूल काय **'कुरआन परिचय' (तीन खण्डों में)** है। जिसका प्रथम खण्ड ६५२ पृष्ठों में, द्वितीय खण्ड ५१२ पृष्ठों में और तृतीय खण्ड ५२४ पृष्ठों में समाप्त हुआ है। इस विशाल महत्वपूर्ण ग्रंथ के आद्योपान्त अध्ययन, निष्पक्ष मनन और पूर्वाग्रहों से मुक्त मनोमस्तिष्क से अनुशीलनकर्ता चिन्तनशील प्रत्येक सज्जन को इस्लाम, इस्लामी साहित्य एवं इस्लामियत सम्बन्धी रंचमात्र भी ज्ञातव्य अज्ञात नहीं रह पाता है।

'कुरआन परिचय' प्रथम खण्ड में प्रायः निम्नांकित विषयों का विशद् वर्णन समाहित है:— कुरआन का अवतरण, सृष्टि रचना के पूर्व ही खुदा द्वारा लेखनी को आदेश देकर कुरआन का 'लौह महफूज' पर लेखन, कुरआन का शनैः-शनैः अवतरण, मक्की और मदिनी आयतों की गणना, सप्त आकाशों का अस्तित्व, कुरआनी आयतों के अवतरण का कारण, हज़रत मुहम्मद के जीवन काल में कुरआन का संकलन न होना, यत्किंचित लेख, वह भी बीबी हफ्सा के अधिकार में, हज़रत मुहम्मद के मरणोपरान्त हज़रत अबू बकर द्वारा अस्थियों-खजूर के पत्तों और भग्न मृतिका पात्रों के उपलब्ध खंडों पर से अथवा कारियों [कंठस्थ कर्ताओं] की ज़बानी श्रवण कर कुरआन का संकलन, हज़रत उस्मान द्वारा समस्त उपलब्ध तत्कालीन कुरआनों का होलीदहन, कुरआन में खुदा और मुहम्मद के अतिरिक्त उमर आदम और विविध पैगम्बरों तथा उनके विरोधियों, काफ़िरों, नर्कगामी व्यक्तियों, फ़रिश्तों, शैतान फ़िरऔन के जादूगरों इत्यादि की वाणी मिश्रण होना, हज़रत मुहम्मद के समकालीन अनेक नबियों का अस्तित्व और पैग़म्बरी का दावा तथा

उन पर आयतों का अवतरण, खुदा का सिंहासन उठाने वाले ८ फरिश्तें, कुरआन में ऐसी अज्ञात आयतों का अस्तित्व, जिनका अर्थ मात्र खुदा और रसूल को ज्ञात है, हज़रत मुहम्मद की पत्नियों और दासियों की कथाएं, हज़रत मुहम्मद के दत्तक पुत्र ज़ैद की रूपवती पत्नि का आयतों के बल पर तलाक और जिब्रील की उपस्थिति में आसमान पर उसका हज़रत मुहम्मद से विवाह, हूरों और गिल्मानों [अप्सराओं और सुन्दर किशोरों] एवं शराब--कबाब---शहद आदि का स्वर्गगामी मुसलमानों हेतु प्रलोभन, हजरत मुहम्मद जब पत्नि के साथ हमबिस्तर निद्रास्थिति में होते, तब खुदाई आयतों का अवतरण, और कयामत के दिन मुसलमानों के पर्वताकार पापों की क्षमा और इस्लाम के ३१३ सम्प्रदायों की सूचि इत्यादि विभिन्न विषयों पर पूर्णरूपेण प्रकाश डाला गया है।

इसी भांति **'कुरआन परिचय'** के द्वितीय खण्ड में कुरआन के प्रथम पारा की आयत क्रमांक १ से ८३ तक क्रमानुसार आयतें प्रस्तुत कर पण्डित श्री देवप्रकाश ने अद्भूत विश्लेष्ण शक्ति का परिचय दिया है। द्वितीय खण्ड के पृष्ठ-पृष्ठ पर आपकी प्रतिभा जाज्वल्यमान है, जिसकी आभा में उनका बुद्धि कौशल, गम्भीर स्वाध्याय, अकाट्य युक्तिसमूह और उनका पुष्कल प्रमाण भण्डार, मानो लेखन की पराकाष्ठा को छू गया है। कुरआनी आयतों को उद्धृत कर उन पर विविध तफ़ासीर लेखकों की ऊहापोह, हदीसों की प्रामाणिक कथा-कहानियों, मुस्लिम विद्वानों के अर्थ और व्याख्या निरूपण में पारस्परिक अन्तर-मतभेद और विरोधाभास आदि का विशद् वर्णन अपने अनूठे ढंग से प्रस्तुत कर तथाकथित खुदाई कलाम की वास्तविक समीक्षा की गई है। जिसे पढ़ कर सत्यान्वेषी विज्ञ पाठकों के सम्मुख वास्तविकता मूर्तरूप धारण कर स्वतः प्रकट हो उठती है। इसमें भी विविध विषयों पर पुष्कल प्रकाश डाला गया है।

उदाहरणार्थः—कुरआन में परिवर्तन, अलिफ़ लाम-मीम के अर्थ मात्र अल्लाह और रसूल को ज्ञात है, कुरआन अनेकों ने लिखे और नबव्वत के दावे किये, कुरआन के इस दावे को कईयों ने झूटलाया कि कुरआन सदृश्य एक भी आयत बना लाओ, मुख्तार अबू अबीद ने अपने पत्रों पर 'रसूलिल्लाह' लिखना प्रारम्भ किया, हीज़री १२५ के करीब सालह बिन तरीफ़ द्वारा नबव्वत की घोषणा और अपने आपको 'खतमुर्सल्लीन' (अन्तिम पैगम्बर) कहना, ईरान निवासी हुसेन बहाउल्ला द्वारा खुदा की ओर से आगमन की घोषणा, कि मैं रसूलों का शहन्शाह हूँ, कुरआन का समय अब बीत गया, कि मेरी पुस्तक 'अलबयान' (किताबे बयान) 'उम्मुल किताब' (पुस्तकों की मां) है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी द्वारा पैगम्बरी का दावा और स्वयं को 'मसीहे मौऊद' कहना, अल्लामा इनायतहुसेन मशरिकी की कुरआन पर सम्मति, आदि विभिन्न ७५ विषयों को सविस्तार वर्णित किया गया है।

इसी भांति 'कुरआन परिचय' के इस तृतीय खण्ड में द्वितीय खण्ड से आगे कुरआन पारा प्रथम की आयत क्रमांक ८४ से आयत क्रमांक १४२ तक सम्पूर्ण आयतों के अर्थ-उद्धरण-व्याख्याएं और अपनी ओर से सत्य-तथ्य को प्रस्तुत कर अल्लाह-रसूल-कुरआन और इस्लाम की वस्तु स्थिति को स्पष्टतः प्रगट कर प्रस्तुत किया गया है। इस तृतीय खण्ड में हज़रत अली, हज़रत हसन, हुसैन, यज़ीद, चार इमाम, शिया और इस्लाम के विभिन्न सम्प्रदाय, हल्लाज़ का कत्ल, अन्तिम पैगम्बर पर जादू, अस्मा बिन्ते मरवान अबू अफ़क और काब बिन असरफ की हत्या, कुरआन में उलट फेर, हज़रत इब्राहीम; सारा, हाजरा और ईस्माईल का वृतान्त, काबा क्यों कैसे किसलिए और किसने बनवाया व बनाया हजरे असबद और काबा निर्माण की पूर्ण

कथा और अन्याय विषयों सहित कुरआन में वर्णित जन्नत-दोजख और कयामत (स्वर्ग-नर्क और प्रलय) का वृतान्त वर्णित कर कर्मफल की गहन गम्भीर व्याख्या प्रस्तुत की गई है ।

पाठक बन्धुओं ! जैसा कि हमने प्रारम्भिक पंक्तियों में उल्लेख किया था, कि चतुर-चालाक व्यक्ति भोलेभाले जनसाधारण को अपने मायावी षडयंत्र में फांस कर उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिया करते हैं । यही स्थिति इस्लाम के प्रवर्तक की भी है । अरब के अशिक्षित और विवेकहीन लोगों के सन्मुख खाने-पीने, शराब-कवाब और सुन्दर हूरों-गिल्मानों के मनमोहक और आकर्षक प्रलोभन प्रस्तुत किये गये हैं । अरब के अनन्त मरुस्थल निवासी, अशिक्षित और अभावग्रस्त लोगों को सोने-चांदी, हीरे-मोती और संगमर्रमरी ईंटों से निर्मित भव्य प्रासादों और रत्नजड़ित मखमली रेशमी डेरों का प्रलोभन कोई साधारण प्रलोभन नहीं है ? इन्हीं स्वर्गीक वस्तुओं का प्रलोभन और नर्क का भीषण-भयंकर और भयावह आतंक और इस्लाम ग्रहण पर सबसे बढ़ कर अत्याचार-अनाचार-दुराचार-मांसाहार और अन्याय अनैतिक कर्मों आदि के महापापों से अल्लाह द्वारा क्षमा, कर्मफल से सुरक्षा और तत्पश्चात समस्त मुसलमानों को स्वर्ग, क्या कम प्रलोभन है ?

यदि पूर्व की पुरातन घटनाओं को विस्मृत भी कर दिया जाए, तो भी अभी वर्तमान में ही बांगला देश में भयंकर पाप, उपद्रव, नृशंस हत्याएँ, बलात्कार और भीषण बमबाजी आदि तो अभी गत वर्ष की ही घटना है । जिसे किसी भी स्थिति में कदापि विस्मृत नहीं किया जा सकता है । अन्ततः हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं, कि जब तक इस्लाम और इसकी शिक्षा को मानव जाति अपने हृदय पटल से मेट नहीं देती, तब तक शान्ति, सुरक्षा, सुख--चैन और कल्याण आदि शब्द मात्र शब्द-कोषों की शोभा ही हैं किन्तु मनुष्य सुख की नींद नहीं सो सकता है ।

अन्त में मैं आचार्य पण्डित देवप्रकाशजी को उनके इस घोर परिश्रम हेतु हार्दिक बधाई देते हुए, जन साधारण की ज्ञान वृद्धि हेतु इतने उत्तम ग्रंथ 'कुरआन परिचय' (खण्ड ३) लिखने हेतु आभार प्रदर्शित कर धन्यवाद करता हूँ, और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह पंडित श्री देवप्रकाशजी को स्वस्थ दीर्घ जीवन प्रदान करे ताकि उनके द्वारा ज्ञान-यज्ञ निरन्तर आहूतित और प्रज्वलित रहें।

२३ अक्तूबर १९७२ **पिण्डीदास ज्ञानी**

दुर्ग्याना, अमृतसर.

समावेश

"कुरआन परिचय" का यह तृतीय खण्ड है । इसके पूर्व खण्ड प्रथम और खण्ड द्वितीय प्रकाशित हो चुके हैं । कुरआन परिचय खण्ड द्वितीय में हम जो समग्र सामग्री प्रस्तुत करना चाहते थे, वह आकार-प्रकार की वृद्धि के कारण पूर्णरूपेण प्रस्तुत नहीं कर सके और इसी हेतु यह तृतीय खण्ड अब आपके हाथों में प्रस्तुत है ।

"कुरआन परिचय" के प्रथम खण्ड में हमने विशेषत: कुरआन का परिचायत्मक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए यह दर्शाने का, यथासम्भव और सामर्थ्यानुसार सद्प्रयास किया था, कि कुरआन और कुरआन में क्या है ? इसे शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवी पढ़ें और समझे तथा जन साधारण को भी यह समझाने का सद्प्रयास करें कि कुरआन और कुरआन में क्या है ?

"कुरआन परिचय" के द्वितीय खण्ड में कुरआन के पारा १ की : क्रमांक १ से ८३ तक की आयतों को प्रस्तुत कर उनके अर्थ और उत्पत्ति के कारणों पर, विश्व के लब्ध प्रतिष्ठित और इस्लाम के ख्यातिप्राप्त व्याख्याकारों-विचारकों-समीक्षकों और विद्वानों के माध्यम से सप्रमाणिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है । इसमें कुरआन की रहस्यात्मक शिक्षाओं और आदेशों के वास्तविक स्वरूप प्रकट किये गये है, ताकि कुरआन के पाठकगण उसका सही ढग से अनुसरण कर सके और उन शिक्षाओं और आदेशों का यथार्थ मनतव्य ग्रहण करने में सफलता प्राप्त कर वास्तविकता से परिचित हों ।

"कुरआन परिचय" तृतीय खण्ड में कुरआन के पारा १ की आयत क्रमांक ८४ से १४२ तक अर्थात सम्पूर्ण पारा १ की आयतें प्रस्तुत कर उनका सत्य व यथार्थ विवेचन प्रस्तुत किया गया है। कुरआन के पारा १ का हमने यथासम्भव संक्षिप्त ही विवेचन किया है, फिर भी उसका इतना व्यापक रूप इस हेतु हो गया है, कि इसके पाठक सही ढंग से इसे आत्मासात् कर सकें। और यह जान लें कि कुरआन में पारस्परिक विरोध-अन्तर और मतभेद कितने व्यापक रूप में उपस्थित हैं। जिसके परिणाम-स्वरूप जन साधारण दिग्भ्रमित हो सत्य से दूर ही रह जाता है और वास्तविकता को ग्रहण नहीं कर पाता है। यद्यपि इस्लाम एक ही खुदा को मानता है, किन्तु कुरआन में वर्णित खुदा का स्वरूप-व्यवहार और कृत्य ऐसे नहीं हैं कि उसे निराकार सृष्टि निर्माता—न्यायकारी और जगद्पालक ईश्वर स्वीकारा जा सके, क्यों कि कुरआन में खुदा हेतु स्थान-स्थान पर भयंकर क्रोध पक्षपात-प्रतिशोध और अनुचित क्रिया कलापों का वर्णन किया गया है। इस कारण कोई भी शान्तिप्रिय-सत्यान्वेषी और विवेक-शील मनुष्य ऐसी कुरआन को ईश्वरीय वाणी, और उसमें वर्णित खुदा को ईश्वर नहीं मानेगा ?

अतः मैं विश्वासपूर्वक यह कहता हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति अन्धविश्वास—अन्धश्रद्धा और पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर इस पुस्तक का आद्योपान्त अध्ययन करेगा, तो निश्चित ही मेरे विचारों का समर्थन करेगा। यही मेरी दृढ़ धारणा है।

—देवप्रकाश

आगे आयतें हैं:--

वा इज अखजना मीसाका बनी इस्राईला ला ताबोदूना इल्ल-ल्लाह वा बिल्वालेदैने ऐसानंव्वजिल्कुर्बा वल्यतामा वल्मसाकीने

वा कूलू लिन्नासे हुस्नुंव्व अकीमूस्सलाता वा आतुज्जकाता सुम्मा तबल्लैतुम् इल्ला कलीलम्मिन्कुम् वा अन्तुम्मोरेजून। वा इज अख-ज़ना मीसाकाकुम् ला तस्फ़ेकूना दिमाआकुम् वा ला तुख़रेजूना अन्फ़ुसकुम्मिन् दयारेकुम् सुम्मा अकरर्तुम् वा अन्तुम् तश्हदून्। सुम्मा अन्तुम् हाऊलाए तक़तूलूना अन्फ़सकुम् वा तुख़रेजूना। फ़रीक-म्मिन्कुम्मिन् दयारेहिम् तजाहरूना अलैहिम बिल्इस्मे वल्उदवान, वा इय्यांतूकुम् उसारा तफ़ादूहुम वा हुवा मुहर्रामुन् अलैकुम् इख़राजोहुम्, अफ़तोमेनूना बे बाजिल्किताबे वा तक़फ़ुरूना बे बाजिन फ़ मा जज़ाओ मय्यंफ़अलो ज़ालेका मिन्कुम् इल्ला ख़िज़्युन् फ़िल्हयातिद्दुनिया, वा यौमल्केयामते यूरद्दूना इला अशद्दिल्अज़ाब, वा मल्लाहो बेग़ाफ़ेलिन् अम्मा तामलून। ओलाए कल्लाज़ी नश्तरा वुल्हयातद्दुनिया बिल्आख़रते, फ़ ला युख़फ़्फ़ेफ़ो अन्हो-मुल्अज़ाबो व ला हुम् युन्सरून।

कुरआन पारा १ आयत ८४ से ८७

अर्थ:—और जब कि हम (खुदा) ने बनी इस्राईल से वचन लिया, कि खुदा के अतिरिक्त और किसी की भक्ति न करना, और माता-पिता, सगे-सम्बन्धियों, अनाथों तथा दीन-दुखियों से सद्-व्यवहार करना, और लोगों से भली बात कहना, और नमाज पर दृढ रहना तथा जकात (अनिवार्य दान) देना। फिर किञ्चित मनुष्यों के अतिरिक्त तुममें से अवज्ञाकारी होकर समस्त विमुख हो गये, और स्मरण करो, कि जब हम (खुदा) ने तुमसे वचन लिया, कि परस्पर रक्तपात न करना, और न अपने लोगों को देश से निष्कासित करना। फिर तुमने उपस्थित होकर प्रतिज्ञा कर ली। फिर तुम ही वही हो, जो कि अपने लोगों को कत्ल करते हो। और अपने एक समूह को घरों से निष्कासित कर देते हो। उन पर अपराध और बलात् चढ़ाई करते हो और यदि वही अन्य जातियों के बन्दी होकर तुम्हारे पास आते हैं, तो तुम बदला

(धन) देकर उनको छुड़ा लेते हो। इस स्थिति में कि उनका निष्कासन तुम पर हराम (वर्जित) था। फिर क्या तुम पुस्तक के एक भाग पर ईमान रखते हो और अन्य दूसरे भाग से नकारते हो। जो तुम में से ऐसा करें, उसके हेतु यही दण्ड है, कि दुनियाँ में निन्दा और अपमान को प्राप्त हो, और कयामत (प्रलय) के दिन कठोर दण्ड दिया जाये, और अल्लाह तुम्हारे कर्म से अनभिज्ञ नहीं है। यही लोग हैं, जिन्होंने परलोक के स्थान पर सांसारिक जीवन ग्रहण किया। न तो उनके संकट में न्यूनता होगी और न उनकी सहायता हेतु कोई पहुँचेगा।

तफसीर हक्कानी, पारा १ पृ. ४५

नाफ़ा, इब्ने आमर, अबू उमर, आसिम और याकूब ने 'ताबोदो' को 'ते' से पढ़ा है तथा शेष लोगों ने 'य' से पढ़ा हैं, जैसे–'याबोदो' और 'होसोना' को 'हुसैना' और 'हसना' पढ़ा है। कतिपयों ने 'ओसारा' को 'उसरा' पढ़ा है। 'नज़ाहरून' वास्तव में 'तत्ज़ाहेरून' था। एक 'ते' को लुप्त कर और द्वितीय 'ते' को 'जोय' से परिवर्तित कर घनाक्षर बना दिया गया जैसे-तत्ज़ाहेरून'।

तफसीर हक्कानी, पारा १ पृष्ठ ४६

इस आयत में प्रतिपादित की गई यह ८ प्रतिज्ञाएँ हैं, जिनको खुदा ने बनी इस्राईल के मध्य निश्चय किया और बनी इस्राईल ने भी इन्हें स्वीकार किया। ऐसे गठबन्धन तो खुदा बनी इस्राईल के साथ बारम्बार ही करता है, और फिर वह प्रत्येक समय वचनबद्ध होकर मुकर जाते हैं, और खुदा ! ऐसा जानते–समझते और देखते हुए भी बारम्बार उनसे वचनबद्धता करता है। खुदा को ऐसी जाति चाहिए, जो बारम्बार अपनी स्वयम् की प्रतिज्ञाओं से विमुख हो और खुदा उसे विस्मृत कर, उनसे प्रतिज्ञाएं लेता ही जाये।

क्या खुदा अन्तर्यामी होते हुए भी, उसे यह ज्ञात नहीं कि वह अपनी प्रतिज्ञा से विमुख हो जायेंगे ? या तो खुदा को स्मरण नहीं रहता अथवा कोई वनवासी–आदिवासी व्यक्ति है, जो कि यह सोचता हो, कि यह लोग अब न, अब सही हो जायेंगे । इससे स्पष्ट है कि यह खुदा (ईश्वर) जो बारम्बार बनी इस्राईल से प्रतिज्ञाएं और वचनबद्धता लेता है, यह विश्वकर्ता–सर्वशक्तिमान पालनकर्ता और सर्वान्तर्यामी परमेश्वर नहीं है । यह कोई और अन्य भूलक्कड़ और परोक्ष से अनभिज्ञ व्यक्ति है, जो कि अपने आपको खुदा के नाम पर उपस्थित कर रहा है ?

द्वितीय यह है, कि कुरआन में जो वर्णन आता है, वह मूसा के समकालीन बनी इस्राईल का विवरण है । हजरत मुहम्मद उनकी घटनाओं–कर्मों व बातों का उल्लेख कर अपने समकालीन बनी इस्राईलियों को लज्जित करने हेतु फटकार डालते हैं, अर्थात कि तुम सदैव से ही खुदा की अवहेलना करते चले आ रहे हो । इस लिए तुम विद्रोही और वचनभंगकर्ता हो । इस कारण तुम अब मुसलमान होने हेतु खुदा के वचन को कैसे पूर्ण कर सकते हो ? क्योंकि तुम प्रारम्भ से ही अवज्ञाकारी रहे हो ।

अब यहाँ पर उस किस्से को उद्धृत करते हैं । जिसे हजरत मुहम्मद ने ग्रहण कर अरबी भाषा में रूपायित कर कुरआन में आयतों के रूप में स्थापित कर दिया है । अब इसे देखिये:–

तू मुझे त्याग कर दूसरों को ईश्वर न मानना । तू अपने हेतु मूर्ति खोदकर न लाना ।..... तू उनको दण्डवत न करना, और न उनकी उपासना करना क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं, उनके पुत्रों–पोतों और परपौतों को भी पित्तरों का दण्ड दिया करता

हूँ..... तू अपने पिता और माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाये। तू खून न करना। तू व्यभिचार न करना। तू चोरी न करना।..... तू किसी के घर का लालच न करना।

'निर्गमन' अध्याय २० आयत ३-४-६-१२ से १५ और १७

तेरे देश में दरिद्र सदैव पाये जायेंगे, इसलिए तुझे मैं आज्ञा देता हूँ, कि तू अपने देश में दीन-दरिद्र बन्धुओं को अपना हाथ मुक्त करके अवश्य दान देना।

'व्यवस्था' अध्याय १५ आयत ११

तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना, और उसकी आज्ञाओं पर चलना, और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना।

'व्यवस्था' अध्याय १३ आयत ४

झूठी बात न फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना। बुराई करने हेतु न तो बहुतों के पीछे हो लेना, और न उनके पीछे फिर कर न्याय बिगाड़ने में साक्षी देना, और कंगाल के मुकद्दमे में उसका भी पक्ष न करना।.....झूठे मुकद्दमे से दूर रहना और निर्दोष तथा धार्मिक का घात न करना।

'निर्गमन' अध्याय १३ आयत १ से ३ और ७

तब मूसा ने सब लोगों के पास जाकर यहोवा की समस्त बातें और समस्त नियम सुना दिये। तब सब लोग एक स्वर से बोल उठे जितनी बातें यहोवा ने कही है, उन समस्त बातो को हम मानेंगे। 'निर्गमन' अध्याय २४ आयत ३

अगर तेरा भाई मोहताज हो और खाली हाथ हो, तो तुम उसकी सहायता करना, चाहे वह अपरिचित हो, चाहे यात्री हो।
'अहबार' अध्याय २५ आयत ३५

इसी प्रकार के और भी नियम व उपदेश, **'व्यवस्था'** **'गिनती'** और **'निर्गमन'** इत्यादि पुस्तकों में है। हज़रत मुहम्मद ने यहां से लेकर कुछ आगे–पीछे और कुछ पीछे–आगे तथा न्यूनाधिक कर इन्हें कुरआन की आयतों का रूप दे दिया है। इस कारण हम आप पाठकों को यह दर्शाते जा रहे हैं, कि आप इस विषय को भली प्रकार आत्मसात् कर लें, कि कुरआन का अवतरण अथवा निर्माण कैसे हुआ। कुरआन के व्यख्याकारों ने कुरआन के आधार पर जो दोष यहूदियों पर आरोपित किये हैं, वह निम्नानुसार है :—

१-- वह खुदा के साथ वचनबद्ध होकर उससे पलट (विमुख) जाते रहे।
२-- परस्पर युद्ध तथा एक-दूसरे को कत्ल करते रहे।
३-- हजरत मूसा की अवहेलना करते थे।
४-- वह अपने व्यक्तियों की बहिष्कृत करते रहे।
५-- माता-पिता के साथ उचित व्यवहार नही करते थे।
६-- बनुकुरीज़ा और बनी नज़ीर में परस्पर शत्रुता थी, जिससे वह परस्पर लड़ते रहते थे।

ऐसी उपरोक्त बातें तो प्रत्येक समुदाय या जाति में होती है किन्तु हम देखते हैं, कि ऐसे सर्वाधिक विवाद मुसलमानों में भी पाये जाते हैं। जैसे जब हज़रत मुहम्मद का अन्तिम समय आया तो आपने कहा:---

अनिब्ने अब्बास, काला लम्मा इश्तद्दबिन्नबिय्ये ..... वजअहू

कालातुनी बेकतांबिन, अकतबो लकुम किताबन ला तज़िल्लू बादहू। फ़काला उमर, इन्नन्नबिय्या ग़लबहुल्वजओ कितादुल्लाहे हसबोना, फ़ख़्तलफ़ू व कसरल्लुग़तो फ़काला कूमूअन्नी व ला यबग़ी इन्दिल्तनाज़ओ।

अर्थात:—जब नबी सल्लअम के दर्द में अधिकता हुई, तो फरमाया--मेरे पास किताब अर्थात कागज़ ले आओ, कि मैं तुम्हारे हेतु लिख दूं, कि मेरे पश्चात तुम गुमराह (पथभ्रष्ट) न हो जाओ।

हज़रत उमर ने कहा—हज़रत मुहम्मद पर पीड़ा की बहुलता है और हमारे पास खुदा की पुस्तक अर्थात कुरआन, जो हमारे हेतु पर्याप्त है। फिर लोगों में अत्यन्त मतभेद हो गया और आवाज़ें जोर से ऊँची हुई। हज़रत मुहम्मद ने फरमाया मेरे पास से चले जाओ। यहां झगड़ा नहीं चाहिये।

तज़रीदे बुखारी किताबुल्ईमान हदीस ९५ पृ०-४६

उक्त हदीस से प्रथम, तो यह ज्ञात होता है, कि जिस भांति बनी इस्राईल हज़रत मूसा की अवहेलना करते थे, ठीक उसी भांति हज़रत उमर ने भी हज़रत मुहम्मद की अवहेलना की।

द्वितीय यह ज्ञात होता है, कि हज़रत मुहम्मद के हृदय में अपने सहयोगियों हेतु कितना विश्वास था? इस विश्वास के सम्बन्ध में यह दूसरी हदीस भी दृष्टव्य है :—

अन् जरेर बिन अब्दुल्लाह इन्नन्नबिय्या। काला लहू फ़ी हज्ज़तिल्वदाए इस्तनशीतन्नासा फ़काला ला तरजेऊ बादी बुफ़्फ़ारन यज़रेबो बाज़ोकुम रिकाबा बाज़िन।

तजरीदे बुखारी किताबुल्ईमान हदीस १०१ पृ० ४७-४८

अर्थात:-ज़रीर से वर्णित है, कि नबी ने अन्तिम हज के दिन फरमाया-लोगों को चुप कराओ । फिर फरमाया-मेरे पश्चात काफ़िर न बन जाना कि एक-दूसरा, एक-दूसरे की गर्दन को काटे ।

(इस हदीस से आपको यह ज्ञात हो गया कि हज़रत मुहम्मद का अपने शिष्यों पर कितना विश्वास था ।

जब हज़रत मुहम्मद की मृत्यु हो गई, हज़रत उमर ने कहा-जो व्यक्ति यह बात कहेगा, कि हज़रत मुहम्मद मर गया, तो मैं उस का मस्तक काट लूंगा । वह आसमान पर उठाया गया है, जैसे हज़रत ईसा ।

हज़रत मुहम्मद के मरणोपरान्त अत्याधिक मुसलमानों ने ज़कात (अनिवार्य दान) देना बन्द कर दिया था । उनके ऊपर हजरत अबू बकर ने चढ़ाई की थी । (जैसा कि हम पूर्व में लिख चुके हैं ।) अबू बकर साफ़ैई; अबुलकासिम बग़वी और इब्ने असाकर ने लिखा है, कि हज़रत आयशा फरमाती है-रसूल्लिल्लाह के मरणोपरान्त लोगों में द्वेष उत्पन्न हो गया । अरब के लोग इस्लाम से विमुख हो गये और अन्सार पृथक हो गये ।

तारीख़ुल खुलफ़ा पृष्ठ ४७

पाठक बन्धुओं ! मुसलमानों के आपसी द्वेषभाव-मतभेद और पारस्परिक युद्धों के सम्बन्ध में मौलवी मुहम्मद बाकर नक़वी अपनी पुस्तक 'शीया कौन हैं और क्या है ? में पृष्ठ १६ पर लिखते है:-

यहां तक कि बनी सूफियान का शासन समाप्त हुआ और बनी मर्दान का शासन प्रारम्भ हुआ । जिसका प्रथम शासक अब्दुल मलिक था । अब्दुल मलिक ने जो-जो भयंकर अत्याचार

किये उनकी कौन गणना कर सकता है ? अब्दुल मलिक के ही आदेश से काबा पर मजनिक लगा कर पत्थर बरसाये और उसे (मक्का) भूमिसात् कर दिया। हरम (मक्का की मस्जिद) को आग लगा कर फूँक दिया। हरम में उपस्थित समस्त मुसलमानों को तलवार के घाट उतार दिया। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को मक्का की मस्जिद के भीतर खुदा के घर में और इब्राहीम के मुकाम के मध्य काट डाला।

इस्लाम का इतिहास

उपरोक्त वर्णनानुसार घटनाएँ तो इस्लाम के इतिहास में रोज़मर्रा की बात है। इस्लाम में सर्वाधिक प्रतिष्ठित ४ खलीफ़ा माने जाने हैं, जो कि हज़रत मुहम्मद के पश्चात शासक बने। जिनमें सर्व प्रथम अबा बकर सिद्दीक हुए। इनको किसी व्यक्ति ने भोजन में विष दे दिया था, परिणाम स्वरूप इनकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात हज़रत उमर खलीफा नियुक्त हुए, जिनकी मृत्यु निम्न प्रकार हुई:—

हज़रत उमर

अबू लो लो ने तलवार को ज़हर में बुझाया और नमाज़ पढ़नेवाली पंक्ति में खड़ा हो गया और हज़रत उमर को कत्ल कर दिया तथा उसके साथ १३ व्यक्ति और आहत हुए। जिनमें से ६ की मृत्यु हो गई। तारीखुल खुलफा पृष्ठ ६३

हज़रत उस्मान

हज़रत उमर की मृत्यु के पश्चात इस्लाम के तृतीय खलीफ़ा हज़रत उस्मान नियुक्त हुए उनकी समकालीन स्थिति और मृत्यु की घटना निम्न प्रकार है:—

उमर के मरणोपरान्त हज़रत उस्मान खलीफा हुए।

आपके समय में तो अत्याधिक विवाद फैल गये और सर्वसाधारण लोगों में हज़रत उस्मान के पदाधिकारियों के विरूद्ध विद्रोह व्याप्त हो गया। मिश्र से १ हजार अथवा ५०० या ७०० मनुष्य और इसके अतिरिक्त एक समुदाय बसराह और कुफ़ाह से मदीना आया और हज़रत उस्मान को पदच्युत करने का विचार किया तथा हज़रत उस्मान के मकान को घेर लिया एवँ ४० या ५० दिनों तक उनको घेराव में रखा। फिर हज़रत अली, हज़रत उस्मान के पास आये और कहा--लोग कहते हैं, कि मर्दान को मुन्शीगिरी के पद से पृथक कीजिये और अब्दुल्ला बिन अबी सराह को मिश्र के शासक--पद से हटाईये। हज़रत उस्मान ने यह बातें स्वीकार की और हज़रत अली ने लोगों को समझा कर हटा दिया। तत्पश्चात हज़रत उस्मान ने मुहम्मद बिन अबू बकर को मिश्र का शासक नियुक्त कर वहां भेजा। मार्ग में एक ऊँटनी सवार तीव्र गति से जा रहा था। उसकी तलाशी लेने पर हज़रत उस्मान की मुहुर लगी चिठ्ठी अब्दुल्ला को भेजी गई मिली। उसमें यह लिखा था, कि मुहम्मद बिन अबू बकर जो कुछ कहे, उसको न मानना और किसी बहाने से इसे कत्ल कर देना। मुहम्मद बिन अबू बकर इस पत्र को लेकर मदीना की ओर लौट आये। आकर हज़रत उस्मान से उस पत्र का हाल पूछा। उन्होंने कहा--यह मुहर यद्यपि मेरी है, और मेरे ही मुन्शी का पत्र है, किन्तु मैंने यह पत्र नहीं लिखवाया था। इस पर उन लोगों ने कहा--तू मर्दान को हमारे हवाले कर दे। इस बात को हज़रत उस्मान ने अस्वीकार कर दिया। इसलिए उन लोगों के हृदय उनकी ओर से विमुख हो गये।

'तारीख आसनकुफ़ी' में लिखा है, कि घेराव करनेवालों ने हज़रत उस्मान को तग किया और प्रत्येक दिशा से उसके घर में घुस पड़े। मुहम्मद बिन अबू बकर ने दौड़ कर उनकी दाढ़ी

पकड़ली और उनकी गर्दन में घाव कर दिया । फिर फ़नाना बिन बशर ने एक वार हज़रत उस्मान के मस्तक पर किया और सैरान बिन उमरान ने एक तलवार उनके मस्तक पर मारी । हज़रत उस्मान पीछे की ओर गिर पड़े । तत्पश्चात लोगों ने खण्ड-खण्ड कर दिये । (यह है इस्लाम के तृतीय खलीफा हज़रत उस्मान के साथ घटित घटना और कहानी)

तारीखे मज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १६१-६२

तारीखुल खुल्फ़ा पृष्ठ ११०-११ में और अज़ायेबुल कसस भाग २ पृष्ठ ३७४-७५ में लगभग ऐसा ही वर्णन है ।

पाठक बन्धुओं ! खुदा के रसूल और इस्लाम के प्रवर्तक हज़रत मुहम्मद की मृत्यु के पश्चात सर्वप्रथम हज़रत अबा बकर सिद्दीक खलीफा बन, जिनको भोजन में विष देकर मार डाला गया । इनके पश्चात हज़रत उमर द्वितीय खलीफ़ा नियुक्त हुए तो उन्हें नमाज़ के समय विषयुक्त तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया और तृतीय खलीफ़ा हज़रत उस्मान को लोगों ने, टुकड़े-टुकड़े कर मार डाला और अब चतुर्थ खलीफ़ा हज़रत अली की कथा प्रस्तुत है:-

आपका काल अत्यन्त ही द्वेषात्मक और विरोधात्मक था । हज़रत अली ने उस्मान के नियुक्त समस्त सूबों को पदच्यूत कर दिया । बीबी आयशा उन दिनों मदीना में नहीं थी । वह मक्का से हज कर लौट रही थी, कि तल्हा और जुबेर के कहने से पुनः मक्का लौट गई और मर्दान भी हज़रत उस्मान के रक्त-रंजित वस्त्र लेकर मक्का में पहुँच गए । उस्मान के कत्ल करनेवालों को मांगते थे और तल्हा-जुबैर व बीबी आयशा और समस्त अपदस्थ पदाधिकारी एकत्रित हो गये, और बसराह पर अधि-

कार कर लिया। उधर ९ हजार सेना एकत्रित कर हज़रत अली भी बसराह की ओर बढ़े। मुकाम ज़ल्ज़ा में, जो बसरांह से २ फरसग (६ मील) की दूरी पर है, युद्धारम्भ हुआ।

तारीखे मज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १५३

'अजायेबुल कसस' में लिखा है कि जेमल के युद्ध में दोनों ओर से मरने वालों की सख्या १० हजार थी।

अजायेबुल कसस भाग २ पृष्ठ ३७८

'तारीखुल खुल्फ़ा' में लिखा है, कि तल्हा और जुबैर भी मारे गये और मरनेवालों की संख्या "सलासता अशरा अल्फन" (१३ हज़ार) थी। तारीखुल खुलफ़ा (अरबी) पृष्ठ १२२

इसके पश्चात हज़रत मुआविया सेना लेकर आये और मुकाम सफीन में युद्धारम्भ हुआ। सफीन में ९० युद्ध हुए और ११० दिनों तक दोनों युद्धकर्ताओं का अड्डा वहाँ रहा ओर शाम की ओर के ४५ हजार व्यक्ति मारे गये। (यह संख्या मुआलिया के ओर की थी।) और अहले असक के २५ हजार व्यक्ति मारे गये।

अज़ायेबुल कसस भाग २ पृष्ठ ३७९

क्यों महोदय! यहूदी लोग तो आपस में लड़ते थे, और मुसलमान तो किञ्चित भी आपस में नहीं लडे? सत्य है न,)

हज़रत अली

अन्त में मुआविया की सेना ने कुरआन को नेज़ों पर ऊँचा किया, और अत्याधिक वार्तालाप के पश्चात युद्ध का निर्णय करने हेतु मध्यस्थ निश्चित हुए। इस विषय पर हजरत अली की सेना अत्याधिक बहुसंख्या में हज़रत अली से विमुख हो

गई और ६ हजार व्यक्ति अलग हो गये, यह 'ख्वारिज' नाम से पुकारे जाते हैं। इन्होंने अली का नाम मस्ती (अपराधी) रख दिया। तारीखे मजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ३०८

हजरत अली की मृत्यु ३ व्यक्तियों, अब्दुर्रहमान बिन मुल्जिम-अमरु बिन बकरतमीमी और बरक बिन अब्दुल्ला जिसको हजाज भी कहते हैं। इन्होने आपस में समझौता किया। इब्ने मुल्जिम ने कहा मैं अली के लिये पर्याप्त हूँ। बरक ने कहा-मैं मुआविया को कत्ल करूँ और अमरू बिन बकर बोला-मैं अमरू बिन आस से समझ लूँगा। यह आपस में प्रतिज्ञा हो गई। अब्दुर्रहमान बिन मुल्जिम दो और व्यक्तियों को साथ लेकर अली की हत्या हेतु तैयार हुआ। हजरत अली प्रातःकाल की नमाज हेतु पधार रहे थे। उनके ऊपर एक ने तलवार से प्रहार किया और इब्ने मुल्जिम ने हजरत अली के मस्तक पर एक चोट लगाई, जिससे वह शहीद हो गए।

अजायेबुल कसस भाग २ बा-२ फ-४

'तारीखुल खुल्फा में उपरोक्त विवरण से किञ्चित भिन्न विवरण है, जो कि निम्नानुसार है:-

काला काना अब्दुर्रहमान् मुल्जम मुरादी अश्शका इमरातुम्मिनल्ख्वारेजे युकालो लहा कत्ताम्। फ़न्कहहा व अस्दकहा सलासतुल्आलाफ़े विर्हमिन वा कतलो आलय्युन।

अर्थात:--अब्दुर्रहमान बिन मुल्जिम एक ख्वारिज स्त्री पर मोहित हो गया था, उसका नाम कत्ताम था। उसकी शादी की शर्त थी, कि ३ हजार दीनार (सोने के सिक्के) और अली का कत्ल। तारीखुल खुलफा (अरबी) पृष्ठ १२३

इसके आगे फ़रज़दक की ३ काव्य-पंक्तियां है, जिनका अर्थ भी उपरोक्तानुसार ही है। इससे ज्ञात होता है, कि उस समय मुसलमानों में कितनी भारी मात्रा में पारस्परिक द्वेष था। यदि इस बात को साक्षात्कार करना हो, तो हज़रत अली द्वारा रचित 'क़िताब नहजुल बलागत' का स्वाध्याय कीजिये। हज़रत अली के पश्चात हज़रत हसन खलीफा हुए। उनके हेतु लिखा है:-

हजरत हसन

इब्ने साज़ ने अली बिन हसन से वर्णन किया है, कि आप स्त्रियों को तलाक अधिक दिया करते थे। आपने ९० स्त्रियों से निकाह किया था। तारीखुल खुल्फा (उर्दू) पृ १३१

तारीखुल खुल्फा (अरबी) पृ. १३३

सन्देह होगा, कि कोई मुसलमान ४ स्त्रियों से अधिक के साथ निकाह नहीं कर सकता ? हज़रत हसन भी एक समय में ४ स्त्रियाँ ही रखते थे। एक को तलाक दे देते और उसके स्थान पर दूसरी कर लेते। फिर एक को तलाक देते और फिर एक कर लेते। इस प्रकार हमेंशा ४ स्त्रियां ही रहती थी। फिर हिज़री ४१ में मुआविया के पक्ष में आपने खिलाफ़त त्याग दी और अनुबन्ध (शर्त) यह रहा, कि जो कुछ हज़रत अली के समय में मदीना–हज़रत और अराक में चला आता है, उससे कुछ भी न लिया जायेगा और ऋण मुआविया चुका देगा। हज़रत हसन की मृत्यु की घटना इस प्रकार है:–

उसकी एक पत्नि ज्याआदाह बिन्ते अशअस बिन केस थी। यजीद बिन मुआविया ने गुप्त रीति से उससे कहा–यदि तू हसन को जहर देकर मार डाले, तो मैं तुझसे निकाह कर लूँगा। उसने हज़रत हसन को विष देकर मार डाला।

तारीखुल खुल्फ़ा (उर्दू पृष्ठ १३२

अज़ायेबुल कसस पृष्ठ ३८४ में है, कि ज़हर भी यज़ीद ने ही भेजा था। हज़रत हसन तो ख़िलाफ़त छोड़ गये थे, किन्तु फिर भी यज़ीद ने विष दिलवाकर उन्हें मरवा दिया। इधर मुआविया ने स्वयमेव ही अपने पुत्र यज़ीद को ख़लिफ़ा घोषित कर दिया अर्थात् मुआविया के पश्चात यज़ीद ख़लीफ़ा होगा।

हज़रत हुसैन

हज़रत हुसैन को कुफ़ाह--निवासियों ने अत्याधिक पत्र लिखे कि हम आपकी बैअत (शिष्यता) करेंगे अर्थात आपको ख़लीफ़ा बनायेंगे। जब १५० पत्रों के लगभग, जो कि प्रत्येक समूह और समुदाय के थे, हज़रत हुसैन के पास पहुँचे, तो उन्होंने मुस्लिम बिन अकील को कुफ़ाह भेजा। तब उन लोगों ने हज़रत हुसैन की बैअत अर्थात मरीज़ (शिष्य) होने हेतु १२ हजार ने, फिर १८ हजार ने, फिर ३० हजार ने शिष्य होने हेतु कहा। इस स्थिति को देख कर यज़ीद को सूचना दी गई। यज़ीद ने कुफ़ाह के पूर्व हाकिम नमान को अपदस्थ कर उस के स्थान पर अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को कुफ़ाह का अधिकारी नियुक्त कर दिया। इसने ज़ियाद ने कुफ़ाह में आकर सबको डराया और धमकाया तथा मुस्लिम को बन्दी कर कत्ल करवा दिया। मुस्लिम ने हज़रत हुसैन को पत्र भेज दिया था। उस पत्र के आधार पर हज़रत हुसैन ने मक्का से कुफ़ाह की ओर प्रस्थान किया। लोगों ने बहुत समझाया और ओर रोका, कि न जायें, किन्तु वह रुके नहीं और २२ व्यक्तियों को साथ लेकर मक्का से कुफ़ाह की ओर प्रस्थित हो गये। माग में मुस्लिम के कत्ल होने की सूचना प्राप्त हुई। इस पर लौटने का विचार किया किन्तु मुस्लिम के भाईयों ने कहा- हम तो नहीं लौटेंगे और बदला लेंगे। हज़रत हुसेन अराक की ओर चले यहां तक कि उस स्थान पर पहुँच गये, जो कुफ़ाह से दो मंजिल दूरी पर

था। वहां हुर्र बिन यज़ीद १ हज़ार शस्त्रधारी सेना लेकर पहुँच गया और हज़रत हुसैन को कर्बला के मैदान में ले गये। इब्ने ज़ियाद ने हज़रत हुसैन को मज़ीद की बैअत हेतु पत्र लिखा। हज़रत हुसैन ने अस्वीकार कर दिया। तब इब्ने साद को चढ़ाई कर हुसैन से युद्ध करने हेतु भेजा। २२ हजार सेना उसको दी। उन्होंने जहां से हज़रत हुसैन जल लाते थे, वह मार्ग बन्द कर दिया। इब्ने साद के साथ चढाई करने वाले वही लोग थे, जिन्होंने हज़रत हुसैन की बैअत (शिष्यता) करने हेतु लिखा था। तब हुसैन ने ज़ियाद को लिखा कि ३ बातों में से एक बात मान लो (१) मुझे मक्का की ओर लौट जाने दो, या (२) मैं अपना विचार और नगर की ओर करूँ, (३) अन्यथा मुझे मज़ीद के पास भेज दो। इब्ने साद ने कोई बात स्वीकृत न की और युद्धारम्भ कर दिया। यहां तक कि हज़रत हुसैन के समस्त साथी मारे गये और हज़रत हुसैन अकेले ही रह गये। तब एक ओर से शीमर ने और दूसरी ओर से सेना के लोगों ने हजरत हुसैन पर आक्रमण कर उन्हें मार दिया तथा छोटे--छोटे बच्चे भी शहीद कर दिये।

अजायेबुल कसस भाग २ पृष्ठ ३८८ से ९१

हज़रत हुसैन की स्थिति और उनकी मृत्यु की कहानी हमने इसलिए लिखी है, कि आप लोग इस बात को भलिभांति जान सकें कि जिस हुसैन को हज़रत मुहम्मद साहिब सबसे अत्याधिक स्नेह करते थे और हुसैन पंचतन में एक थे। उनको इस समय के मुसलमानों ने किस बुरी तरह और निदयतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया। इससे मुसलमानों के व्यवहार से परिचित हो सकते हैं, कि उन मुसलमानो के हृदयों में हज़रत मुहम्मद के प्रति कितना सम्मान और आदरभाव था ? वही लोग हुसैन की हत्या हेतु उद्यत हो गए जिन्होंने उन्हें पत्र लिखे थे। इन हज़रत

हुसैन की हत्या से भली प्रकार ज्ञात हो सकता है, कि उनके भीतर एक सत्ताप्राप्ति हेतु ही विचार था हजरत मुहम्मद की श्रेष्ठता और प्रेम उनके हृदयों में रचमात्र भी नहीं था, और यदि होता तो वह हज़रत के स्नेहपात्र हज़रत हुसैन के साथ कदापि ऐसा दुर्व्यवहार न करते, और जैसा कि उन्होंने फरमाया था कि मुझे यजीद के पास भेज दो, तो वह उन्हें बन्दी बना कर भी भेज सकते थे, किन्तु उन्होंने हज़रत मुहम्मद के सर्वाधिक प्रिय नवासा (नाती) की इतनी सी बात भी नहीं सुनी और उन्हें मार देना ही श्रेयस्कर समझा और उनकी हत्या कर दी। अब एक घटना यज़ीद, जिसे हज़रत मुवालिया ने इस्लाम का खलिफ़ा घोषित किया था, को निम्नानुसार है:—

हज़रत यज़ीद

हीज़री ६३ में यज़ीद को यह सूचना प्राप्त हुई कि मदीनावासियों ने मेरी खिलाफत को अस्वीकृत कर दिया हैं। यज़ीद ने एक विशाल सेना मदीना की ओर भेजी। यह युद्ध इब्ने ज़ुबेर के साथ अत्यन्त भयंकरता से किया गया, कि जिसका वर्णन करना भी कठिन है।

हसन कहते हैं—मदीनावासियों में कोई व्यक्ति ऐसा न था जो इस सेना के हाथों से सुरक्षित रहा हो। हज़रत मुहम्मद के अत्याधिक साथियों को और अन्य लोगों को कत्ल कर दिया गया। मदीना नगर को भी नष्ट किया गया। यज़ीद की सेना ने वहाँ की १ हजार बालाओं के साथ बलात्कार किया।

तारीखुल खुलफ़ा (उर्दू) पृष्ठ १४३
तारीखुल खुलफ़ा (अरबी) पृष्ठ १४६

यह मुसलमानों का प्रारम्भिक काल था और उस उपरोक्त घटना से उस समकालीन मुसलमानों की मनोवृति से भलि-

भांति परिचित हो सकते हैं। मदीना नगर और वहां की १ हजार लड़कियों के साथ ऐसा हीनतम कुकृत्य करना, यह मानवीय कर्म नहीं है ?

उक्त वर्णित मदीना की घटना को लक्ष्य में रखते हुए अभी गत दिनों वर्तमान में जो बंगला देश में घोर निन्दनीय घटनाएँ घटी हैं, वह इससे कोई अधिक नहीं कही जा सकती है ? क्योंकि मदीना में उस समय हज़रत मुहम्मद के मित्र—साथी और प्रतिष्ठित मुसलमान जन वहां पर उपस्थित थे और फिर मदीना नगर हेतु इस्लाम में कितना सम्मान था, कि आजकल भी भारतीय मुसलमान उच्चस्वरों में गाते नहीं अघाते हैं--"मेरे मौला ! बुला ले मदीना मुझे"। मदीना के सम्बन्ध में हज़रत मुहम्मद ने फरमाया:—

जिस व्यक्ति ने मदीना को भयभीत किया, खुदा उसको भयभीत करे और इस पर खुदा--मनुष्यों और फ़रिश्तों की फटकार होगी। तारीखु खुलफा (उर्दू) पृष्ठ १४३

उपरोक्त उद्धृण से आप मदीना के महत्व और प्रतिष्ठा से परिचित हो सकते हैं, किन्तु उस समय मुसलमानों में कितनी स्वार्थ लोलुपता थी:--

जब हज़रत हुसैन को कत्ल किया, तो उसका मस्तक ढाल पर रख कर अब्दुल्ला बिन ज़ियाद के सन्मुख कुफाह के महल में उपस्थित किया गया। उसी महल में कुछ समय पश्चात इब्ने ज़ियाद का मस्तक मुख़्तार बिन उबेद के सन्मुख उपस्थित किया गया। फिर उसी महल में मुख़्तार का मस्तक मसअब बिन ज़ुबेर के समक्ष लाया गया, और फिर उसी महल में मसअब का मस्तक अब्दुल मलिक के सामने रखा गया।

तारीखुल खुलफा (उर्दू) पृष्ठ १४२

इस्लाम का सम्पूर्ण इतिहास ऐसी ही वीभत्स और रक्त-रंजित अनगिन घटनाओं से ओतप्रोत है। उस सम्पूर्ण इतिहास को यहां लिखना हमारी इस पुस्तक का कतई विषय नहीं है। उस इतिहास की एक झलक मात्र यहां इसलिए दिखाई गई है, कि कुरआन की आयतों ने जो दोषारोपण यहूदियों पर किये थे, तो मुसलमान भी उनसे चार कदम आगे और भी अत्याधिक दोषी हैं। उन्होंने भी वही समस्त कर्म और कृत्य किये हैं, जो कि यहूदी करते थे। जैसा कि आपने उपरोक्त वर्णन में देख लिया होगा। यहूदियों पर यह भी दोष था, कि वह एकमत नहीं हैं; किन्तु हम मात्र किञ्चित उदाहरण इस्लाम-सम्बन्धित लिखते हैं, कि यह भी कोई यहूदियों से कम नहीं है। यथा:—

हसन बसरी ने विद्या में अत्याधिक ख्याति प्राप्त की और उसके शिष्य बढ़ने लगे। सबके समक्ष उसका एक विषय में विरोध किया'। वह लोग मौतज़ेला कहलाये। मौतज़ेला खुदा के गुणों को अस्वीकार करते हैं, इसलिए उनका मोअत्तला भी कहते हैं। किताब मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १५

इसी मौतज़ेला सम्प्रदाय से एक अशअरी नामक मत निकला, वह खुदा के गुणों को अनादि मानते थे और यह कहते थे, कि उनके गुण न तो अनजान हैं, और न गैरजान हैं अर्थात खुदा के अस्तित्व में वही खुदा है, और न कोई उसके अतिरिक्त अन्य, और यह भी मानते थे, कि अल्लाह हमेशा अर्श (सिंहासन) पर हैं। तारीखल मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १७

इनमें पारस्परिक विरोध और मतभेद उत्पन्न होकर इनके अनेक सम्प्रदाय और मज़हब हो गये।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ २४

अहले सुन्नत आम तौर से ४ मार्गों को मानते हैं। वह ४ इमामों के हैं और दूसरे लोग सूफियान सूरी के मजहब को।

प्रथम इमाम

ताजुल मुकल्लल में लिखा है—फज बिन बस्कुक सरकशी ने, जिसका उपनाम नासिर है। हीजरी ७५१ में उत्पन्न हुआ था। चारों मुसल्ले बैतुल हरम में स्थापित किये हैं अर्थात मक्का में नमाज पढ़ने के स्थान स्थापित किये हैं, और चारों सम्प्रदायों में प्रथम इमाम अबू हनीफा नौमान बिन साबित है। यह हीजरी ८० में उत्पन्न हुए। नौमान नाम था, अबू हनीफा कुनीयत (उपनाम) था, और लकब (जिसमें विशेष सद्गुण पाये जायें) इमाम आजम था।... .....पहली बार कुफाह में अजीज बिन उमर बिन हबीरा ने, जो मर्दान हमार की ओर से कुफाह का सूबा था, उनको इस पद को अर्थात कजात ग्रहण न करने हेतु और उनके अस्वीकृत करने पर उनको १०० कौड़े इस भाँति लगवाये, कि १० दिनों तक १० कौड़े प्रतिदिन लगाये जायें।

दूसरी बार बग़दाद के खलीफा ने उनके हेतु कजात का पद निश्चित किया। इमाम ने अस्वीकार कर दिया, तो ३० कौड़े लगवाये (कुछ कहते हैं कि १०० कौड़े लगवाये) और बन्दी बना लिये गये। बन्दी खाने में ही हीजरी १५० में मर गये।

तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ २६–२७

द्वितीय इमाम

द्वितीय इमाम मालिक अबू अब्दुल्ला बिन अन्स बिन मालिक बिन आमर हैं। हीजरी ९३ में मदीना में उत्पन्न हुए। कहते हैं, कि इन्होंने अत्याधिक निर्धनता में विद्या पढ़ी। आपने

मकान की छत की कड़ियाँ बेच कर पुस्तकें खरीदी। इमाम मालिक से किसी ने प्रश्न किया–कुरआन मखलूक है या गैरमख़लूक ? अर्थात कुरआन उत्पन्न हुआ है या अनादि है ? इमाम साहिब ने फरमाया–इस जन्दीक (काफ़िर–बेईमान) को मार डाजो कि इसके कथ्य से अत्यन्त फ़ितने उत्पन्न होंगे। इमाम मालिक मदीना में ही रहे और हीजरी १७९ में उनका स्वर्गवास हो गया।

इमाम मालिक को खलीफा मन्सूर ने धोका देने हेतु एक व्यक्ति को उनके पास भेजा, कि यह मसअला उनसे पूछो। उन्होंने लोगों के सन्मुख स्पष्ट वर्णन किया--जिस पर प्रभाव डाल कर तलाक दिलवा दी जाये, तो यह तलाक वास्तव में तलाक नहीं होता। मन्सूर ने उनको कोड़ों से पिटवाया।

तारीख मुजाहेदुल इस्लाम पृष्ठ ३० से ३२

तृतीय इमाम

तृतीय इमाम साफ़ेई अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन ईहश आदि। यह हीजरी १५० में मनी अकलान नामक स्थान में उत्पन्न हुए। इमाम मालिक के शिष्य बने और उन्हीं से पढ़ते रहे। तत्पश्चात मिश्र चले गये और वहीं पर ५४ वर्ष की आयु में उनका देहान्त हो गया।

चतुर्थ इमाम

चतुर्थ इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल सैबानी हैं वह बग़दाद में हीजरी १६४ में उत्पन्न हुए थे। इमाम सापेई से फ़िका (स्मृति) और उसूल की विद्या ग्रहण की। इमाम अहमद का मज़हब यह है, कि कुरआन ग़ैरमखलूक (अनादि) है। मौतज़ोला की शक्ति और अत्याधिक सम्पर्कता के कारण हीजरी

२२० के रमज़ान माह में मोतसीम अब्बासी के समय २६ कौड़े लगवाये गय और बन्दी किये गये, ताकि अपने इस विचार से विपरीत हो जायें किन्तु वह अपने सिद्धान्तों के विपरीत न हुए। आपने अधिकतम हदीसें लिखी हैं।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ३३-३४

उपरोक्तानुसार इन चारों इमामों के सिद्धांतों पर लोग चलते हैं। इन्हें अहले सुन्नत बल जमाअत कहा जाता है। इमाम अबू हनीफ़ा का मत है, इमाम अहमद के सदृश्य हैं, किन्तु तनिक सा मतभेद भी है, और इमाम शाफेई का मत, इमाम अहमद के मत के विरूद्ध है। १२५ मसअले (विषय) उसूले मसाएल में से ऐसे हैं कि उनमें इमाम अहमद, इमाम अबू हनीफ़ा के साथ एक-मत हैं और इमाम शाफेई के साथ विरोध है।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ३५

हमारी इस पुस्तक में इतना स्थान नहीं है, कि हम इन सबके सम्पूर्ण सिद्धान्तों को लिपिबद्ध कर विस्तृत चर्चा करे। हम तो यहां मात्र कह रहे हैं, कि इस्लाम में यह साम्प्रदायिकता कैसे उत्पन्न हुई है।

अहले सुन्नत के विचार हनफ़ी, मालिकी, शाफेई व हम्बली शाखा के विश्वास से हैं, और उसूल की दृष्टि से अहले सुन्नत तीन जत्थों पर अवलम्बित है अर्थात अहले सन्नत के विश्वास की दृष्टि से ३ सम्प्रदाय हैं। प्रथम अशअरी, द्वितीय मातरीदी और तृतीय हम्बली। तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ३७

इब्ने तैमिय्याह और अबुलहसन अशअरी खुदा को अर्श (सिंहासन) पर मानते थे और कब्रों की ज्यारत (दर्शन) को

मना करते थे । ग़ौस-कुतुब और ख़िज़र की सत्ता को अस्वीकार करते थे। (यह मुस्लिम सन्तों के नाम हैं ।)

तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ३६

इन सम्प्रदायों के अधिकतम विस्तृत सिद्धान्त हैं, किन्तु हम विशेष मान्यताओं को संक्षिप्त में प्रस्तुत कर रहे हैं:—

मातरीदीया का कथन है-समस्त ख़ैर और शर, नफ़ा और नुकसान खुदा के कज़ा और कदर से है ।

तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ५३

खुदा का दर्शन सम्भव हैं, किन्तु स्वर्ग प्रवेश के पूर्व नहीं। स्वर्ग में जाने के पश्चात मुसलमान अल्लाह के दर्शन से प्रतिष्ठित हो सकता है । तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ५८

कुरआन का अमल करना प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है । जिनकी पुस्तकें कुरआन के अतिरिक्त उतरी हैं, वह समस्त निरस्त हैं । तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ६०

किरामन-कातेबीन, जो दो फरिश्ते कन्धों पर भले और बुरे कर्मों के लेखन हेतु रखे गये हैं, वह सत्य हैं मृत्यु के समय यमदूत का जीव को पकड़ लेना मानते हैं । कब्र की पीड़ा बदकारों और काफ़िरों के हेतु हैं और उत्तम पदार्थ भक्तों और सेवकों के हेतु सत्य हैं, और मुनकीर और नकीर के प्रश्न भी सत्य हैं अर्थात मुनकीर और नकीर दो फ़रिश्ते हैं, जो कब्र में आकर प्रश्नोत्तर करते हैं । उनका रूप अत्यन्त भयकर, आंख नीली और पीली हैं । कब्र में शव के समीप आते हैं और प्रश्न करते हैं । और अज़ाब (संकट) जीव और शरीर दोनों को होता है। और

मरणोपरान्त कब्रों से जीवित होकर निकलना भी सत्य है। कर्मों का तौल भी सत्य है। कर्मों के तौल से अभिप्राय कर्मपत्रों का तौल होगा।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ६२-६३

हौज़े कौसर (अमृत-ताल) भी सत्य है। पुल सेरात भी सत्य है। (पुल सेरात अर्थात अल्लाह नर्क की पीठ पर बाल (केश) से भी सूक्ष्म और तलवार की धार से भी तेज़ एक पुल (सेतु) बनायेगा) और सिफ़ारिश पैग़म्बरों-विद्वानों और नेक लोगों की, अपराधियों हेतु सत्य है। स्वर्ग नर्क दोनों ही सत्य हैं।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ६४

दज्जाल (क़यामत के पूर्व धर्म का शत्रु) और दाबातुल अर्ज़ (एक विचित्र पशु है, जो भूमि से निकलेगा) याजूज और माजूज (एक जाति है, जिसे सिकन्दर ज़ुलकरनैन ने पहाड़ों में रोक रखा था) का आक्रमण करना भी सत्य है। हज़रत ईसा का मुसलमानों की सहायतार्थ आसमान से उतरना भी सत्य है। आसमानों का फट जाना और कागज़ों की भांति लिपट जाना और तारों का गिर पड़ना और इस्राफ़ील (नरसिंगा) का पहली बार फूंकना, इसमें सब कुछ नष्ट हो जायेगा और दूसरी बार नरसिंगा फूँकने से समस्त लोग जीवित हो उठेंगे, यह भी सत्य है। और खुदा के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का नष्ट हो जाना सत्य है। ईमान की न्यूनाधिकता नहीं होगी। तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृ. ६५-६६

ईमान पाँच प्रकार के हैं-(१) ईमान मतबू-फरिश्तों का (२) ईमान मासूम-पैग़म्बरों का ईमान (३) ईमान मक़बूर-मुसलमानों का ईमान (४) ईमान मौक़ूफ़ कुमार्गियों का ईमान, और (५) ईमान मरदूद-मुनाफ़िकों का ईमान हैं। कबीरा (भयंकर अप-

राध करना) मुसलमानों को ईमान से नहीं निकालता अर्थात बड़े--बड़े अपराध मुसलमान को काफ़िर नहीं बनाते । बड़े--बड़े अपराधी मुसलमान सदैव हेतु नर्क में नहीं रहेंगे । खुदा की अपनी कृपा और दया से व हज़रत मुहम्मद की सिफ़ारिश से स्वर्ग में प्रविष्ट हो जायेंगे । जिसने बड़े-बड़े अपराधों से तौबा (पश्चाताप) की है, उसे छोटे अपराध (सगीरा) हेतु भी तौबा करना आवश्यक है । तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ६८-६९

हज़रत ईसा, हज़रत मुहम्मद के अनुयाई होकर उतरेंगे । हज़रत मुहम्मद की नबव्वत समस्त पैग़म्बरों में सर्वश्रेष्ठ है ।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ७१

जिस-जिस पैग़म्बर से कोई भूल हुई है, क्षमा कर दी गई । तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ७३

हज़रत मुहम्मद को मेराज (खुदा से भेंट हेतु नभयात्रा) जागृत स्थिति में तन और आत्मा दोनों से, मक्का से मस्जिद अक्सा तक और वहां से आसमान तक, फिर जहाँ तक खुदा ने चाहा सत्य है । मक्का से मस्जिद अक्सा तक जाना तो कुरआन से प्रमाणित है । इसको नकारना कुफ़र है, और आसमान के तख्तों (स्थलों) से गुज़रने, में प्रमाण विख्यात हदीसें हैं । उनका नकारना गुमराह और फ़ासिक (पथभ्रष्ट--कुकर्मी) होना है ।

हज़रत मुहम्मद की शरीअत, समस्त शरीअतों का संकलन है और उसका दीन (धर्म) समस्त दीनों को निरस्त करने वाला है । उनके साथी (सहाबा) समस्त उम्मत (समुदाय) से बढ़ कर हैं । और चारों खलीफ़ा समस्त सहाबा से श्रेष्ठ हैं ।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ७४

हज़रत हसन अपनी इच्छा से खिलाफ़त से पृथक हुए। यह सन्धि इमाम हसन की खुदा को स्वीकृत थी और मुआविया इस्लाम के प्रथम शासक थे। हदीस में जो आया है, कि अत्याचारी शासक से मुँह न मोड़ना चाहिये। इस स्थिति में कि उसका शासन निर्विरोध स्थापित हो चुका है।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ. ७६

बड़े-बड़े सहाबा (हज़रत मुहम्मद के मित्र और साथी) अपराधों से सुरक्षित थे, किन्तु कतिपय सहाबा ने मद्यपान किया, तो हज़रत मुहम्मद ने उन पर हज़ जारी की और माअज़ अस्लमी ने व्यभिचार किया, तो उस पर पथराव किया गया।

हज़रत आदम के लिये खुदा ने कहा-उसने नाफ़रमानी की और गुमराह हो गया (**व असा आदमो रब्बेही फ़ग़वा** । कुरआन) यह होते हुए आदम को अपराधी और पथभ्रष्ट कहना, कुफ़र है। (वाह हज़रत ! जब कुरआन पढ़ोगे, तो क्या करोगे ? उसमें तो स्पष्टतः है कि आदम ने अपराध किया और पथभ्रष्ट हो गया)..... ।

तारीखुल मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ७७

बहशी ने हज़रत हमज़ा को कत्ल किया और जब वह मुसलमान हो गया तो फटकार का अधिकारी न रहा, और अपराध क्षमा हो गया। अपराधी मुसलमान को बुरा कहने से जिव्हा को रोकना चाहिये। तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ७८

शिया के पीछे नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं। औलिया के चमत्कार सत्य हैं। तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ८०

और पैगम्बरों का अनुसरण करना, ठीक अल्लाह का अनुसरण करना है। तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ८१

यह मुख्य-मुख्य सिद्धांत अहले सुन्नत (मातरीदीया) के वर्णित किये गये हैं । आगे शिया सम्प्रदाय का वर्णन करते हैं । उसके २२ सम्प्रदाय (फ़िरके) कहे गये हैं ।

शिया बातनीया कहते हैं, कि 'किताब दा सुन्नत' से वज़ू नमाज़-रोज़ा-ज़कात-हज़-स्वर्ग-नर्क और कयामत इत्यादि जो कुछ लिखे गये हैं, वह प्रत्यक्ष पर निर्भर नहीं है । इन सब के अर्थ और भी हैं, जो अर्थ शब्दकोष (लुग़ाद) से जाने जाते हैं, वह वर्णनकर्ता की मुराद नही है । उदाहरणार्थ हज़ से तात्पर्य इमाम के पास पहुँचना है । रोज़े से तात्पर्य मज़हब को गुप्त रखना है और नमाज़ से तात्पर्य इमाम की आज्ञापालन इत्यादि ।

'मिसबाहुल हिदायत' में लिखा है, कि सूफियाह के साथ मिथ्या समन्वय रखनेवाली एक जमाअत है, जो बातनीया और मुबाहिया कहलाते हैं । यह कहते हैं, कि आज्ञापालन आम लोगों हेतु हैं । जो वस्तु की प्रत्यक्ष बातों के अतिरिक्त कुछ नही समझते और सूक्ष्म बातों तथा यथार्थ व गुप्त बातों से अपरिचित हैं । विशेष तथा परीक्षवेत्ता की बुद्धि श्रेष्ठ होती है । उनके हेतु प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष बातोंकी बाधा आवश्यक नही है । इसलिए उन्होंने कहा है, कि कुरआन और हदीस के अर्थ यह नहीं कि जो शब्दों से समझे जाते हैं, अपितु कुरआन अल्लाह और रसूल व उनके मित्र के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता । उदाहरणार्थ 'अक़ीमुस्सलाता' का यह अर्थ नहीं कि नमाज़ पढो । नमाज़ मुनाजात (ख़ुदा को उपस्थित मानकर प्रार्थना करना) है । अल्लाह तआला से हृदय की उपस्थिति के साथ होना और यह उट-बैठ करना मात्र व्यर्थ है । रोज़े का यथार्थ यह है, कि धन का मोह (प्रेम) एकदम त्याग देवें और हज्ज का असल है, कि अल्लाह की ओर तथा मुनाजात का अर्थ है, कि अल्लाह में ध्यान स्थिर करना ।

लेखक लिखता है, कि यह समस्त मुलहिदाना (अधार्मिक) विचार है, अपितु नबी की इससे तकज़ीब (मिथ्या होना) होती है। तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ८२

मातरीदी विद्वान कहते हैं, कि नेक कभी बुरा और बुरा कभी नेक हो जाता है।

अशअरीया की सम्मति है, कि नेक मां के उदर से ही नेक होता है और बुरा भी मां के उदर से ही बुरा होता है। अर्थात नेकी और बुराई यह दोनों इन्सान के भाग्य में उसकी उत्पात्त के पूर्व ही निश्चित हो जाती है।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ९४

ज़ाहरीया..... यह लोग कुरआन और हदीस की प्रत्यक्ष स्पष्ट बातो के अनुसार कर्म करते हैं। ताबील (प्रत्यक्ष से अतिरिक्त अन्य अर्थ) से नितान्त अस्वीकृत है।

मोतज़ेला..... इनका कथन है, कि कबीरा गुनाह (महा पाप) करनेवाले न मोमिन है और न काफिर, अपितु वह ईमान और कुफ़र के मध्य में है। इस्लाम की आज्ञाओं से परे होने के कारण उसे मोतज़ेला कहते हैं। मोतज़ेला जितने अहुलहसन से पूर्व गुज़रे वह अहले सुन्नत को काफिर इसलिए कहते है, कि अहले सुन्नत अल्लाह हेतु सफ़ात (विशिष्ट गुण) प्रमाणित करते हैं। अहले सुन्नत कहते हैं, कि मनुष्य के कर्मों का कर्ता अल्लाह है।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृ. १११

समस्त मोतज़ेला इस बिषय पर एकमत हैं, कि अल्लाह के कर्म और आज्ञाएं मोअत्तल (निलम्बित) है। सृष्टि की नेक आवश्यकताओं के साथ और कहते हैं, कि अल्लाह की वाणी अक्षर और वाणी की तरकीबसे है, और सीमित है अनादि नहीं

और कुरआन को मख़लूक़ (उत्पन्न हुआ) कहते हैं और उनके निकट अल्लाह की रज़ामन्दी और नाराज़ी अल्लाह का गुण नहीं हो सकते क्योंकि अल्लाह हेतु विचार परिवर्तित नहीं होते।

तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ११२

मोतज़ेला के निकट मनुष्य अपने कर्मों का स्वयम् कर्ता है। इसलिए उन कर्मों का फल ठीक-ठीक खुदा पर निर्भर है। कहते हैं, कि नेक कर्म खुदा के इरादे से होते हैं और कुफ़र व अपराध करना मनुष्य के अपने हाथ में हैं।

तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ११३

अर्श (सिंहासन) से मुराद तात्पर्य) मुल्क (देश) से है और कुर्सी से तात्पर्य इल्म् (विद्या है) है। कब्र के अज़ाब (दुख) और शवाब (सुख) और मुन्कीर-नकीर (कब्र में प्रश्नकर्ता फरिश्ते) को नहीं मानते। क़यामत के चिन्हों से असहमत हैं। याजूज व माजूज और दज्जाल के स्वरूप को नहीं मानते और कहते हैं, कि कुरआन में जो कर्म तोलने और तराज़ू का वर्णन है, उसका तात्पर्य है, कि पूरा-पूरा न्याय किया जायेगा। उससे तराज़ू अभिप्राय नहीं। तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ११५-१६

मोतज़ेला यह भी कहते हैं, कि अल्लाह ने किसी से भी वार्तालाप नहीं किया। न आदम से, न नूह से, न इब्राहीम से, न मूसा से, न ईसा से और न हज़रत मुहम्मद से ही तथा न जिब्राईल से, न मीकाईल से, न ईस्राफील और न अर्श के उठाने वाले फरिश्तों से भी। तारीख मुजाहेबुल इस्लाम ११७-१८

मोतज़ेला के भी अत्यन्त सम्प्रदाय हो गये हैं और उनमें से भी परस्पर एक-दूसरे को काफिर कहते है। मोतज़ेला का एक सम्प्रदाय जाफ़रिया नामक है। उसका मत है, कि यदि कोई

पुरुष किसी पुरुष के हाथ, किसी स्त्री के पास सन्देश भेज कर उससे विवाह करना चाहे, फिर वह स्त्री उसके पास आये और पुरुष उससे बिना विवाह के सम्भोग करे, तो उस पर कोई हद नहीं आती। हद का अर्थ दण्ड है। और यह सम्भोग उसके साथ विवाह ही ठहरेगा।

मजदारीया कहते हैं, कि अल्लाह जबर व जुल्म पर कादिर है अर्थात बलात् और अत्याचार करने पर। इससे उसकी अलवहीयत में कुछ बट्टा (कलंक) नहीं लगता और उसकी विश्वसनीयता पर समर्थ हो सकती है। कुरआन की फसाहत और बलागत लोगों को आजिज (आधिन) नहीं कर सकती अपितु वह वह इससे बढ कर वाणी ला सकते हैं, अर्थात जो कुरआन को अनादि कहते थे, उनको काफ़िर समझता था। इस कुरआन के विषय में अत्याधिक अत्याचार किये गये और कहता है, कि जो अल्लाह को आंखों से देखने योग्य समझता है, वह काफ़िर है, इत्यादि। तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १३३

हशामिया भाग्य में किसी भी कर्म का होना निश्चित अल्लाह की ओर से नहीं मानता है। यहां तक कि इस बात को भी नहीं मानता है, कि अल्लाह ने मुसलमानों के हृदय में प्रेम दिया है, और वह मुसलमानों हेतु ईमान को मित्र रखता है। खुदा ने काफिरों को गुमराह किया है। कुरआन में जो आयतें इस सम्बन्ध में आई हैं, उनका विरोधी था। वह इस बात को भी नहीं मानता कि मूसा हेतु दरिया फट गया और उसकी लाठी सांप बन गई। हजरत ईसा ने मृतकों को जीवित किये और हजरत मुहम्मद ने चांद के टुकड़े किये, वह इस बात को नहीं मानता था। वह इस बात को मानता था, कि शैतान, मनुष्य में प्रवेश नहीं करता। वह तो बाहर से भ्रम डालता है। उस भ्रम को

अल्लाह इसने आदम के हृदय में पहुँचा देता है। यह भी कथन था कि स्वर्ग और नर्क इस समय नहीं है, क्योंकि इस समय उनका कोई लाभ नहीं.....इत्यादि।

तारीख मुजाहेदुल इस्लाम पृष्ठ १३४-३५

हाबतिया कयामत के दिन खुदा को देखने वाली हदीस के सम्बन्ध में कहता था, कि सृष्टि के दो खुदा हैं। एक उत्पन्न-कर्ता वह अनादि है। द्वितीय उत्पन्न है, जो कि ईसा बिन मरीयम है। मसीह को खुदा का पुत्र समझता था। कयामत के दिन मनुष्यों का हिसाब-किताब ईसा (मसीह) करेगा। जो कहा गया है, कि क्या कयामत के दिन खुदा को देखोगे? इसका अभिप्राय हजरत ईसा से है। उसका कथन था, कि पशुओं-पक्षियों-कीड़ों मकोड़ों यहां तक कि मच्छर-मक्खियों में भी पैगम्बर होते हैं। पुनर्जन्म को मानता था और हलूल (खुदा का प्रविष्ट होना) को मानता था और कहता था, कि अल्लाह की आत्मा ने इमामों में प्रवेश किया है। हजरत मुहम्मद के बहु विवाह करने पर तान (निन्दा) करता था।

हबसीया.....पुनर्जन्म को मानते हैं। कहते हैं, कि अल्लाह ने इस संसार के अतिरिक्त एक और ससार में पशुओं को युवा और बुद्धिमान उत्पन्न किया था, और अत्याधिक उत्तम पदार्थ उनको प्रदान किये थे, और उनको विद्याएँ भी सिखाई थी। आज्ञाकारियो को स्वर्ग मे और अवज्ञाकारियों को नर्क में भेज दिया। तारीखे मजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १३५-३६

मोअम्मरीया..... यह कहते थे, कि [illegible] ही जाननेवाला कर्ता और स्वतन्त्र है। यह भी मानते थे, कि [illegible] ने शरीर के अतिरिक्त और कुछ उत्पन्न नहीं किया [illegible] पृथ्वी

जल-वायु आदि का उत्पन्नकर्ता अल्लाह नहीं, और वह यह भी कहता था, कि कुरआन शरीर का कम है, अल्लाह का नहीं, क्योंकि यह अक्षर और वाणी से सम्बन्धित है, और अक्षर और वाणी शरीर से उत्पन्न होते हैं। अल्लाह का विचार किसी वस्तु हेतु खुदा के अतिरिक्त और मखलूक के अतिरिक्त होता है, और अल्लाह तआला को अपने नफ्स (निजत्व) का ज्ञान नहीं है अन्यथा आलम व मालूम में एकयता अनिवार्य होती, जो कि वर्जित है। अल्लाह तआला अनादि नहीं है, इसलिए कि शब्द सामायिक सीमा में आ जाते हैं।

सालहीया.....वह इस बात को उचित मानता है, कि मूर्दे को विद्या-शक्ति-विचार-सुनने-देखने की शक्ति प्राप्त है।

खबातीया.....उनका विश्वास था, कि अभाव भी वस्तु है और वह अभाव में एक शरीर है। उनके निकट बंदा अपने कर्मों हेतु स्वतन्त्र है। इसमें खुदा की सहायता का मोहताज नहीं। खुदा का विचार स्वयम् खुदा के कर्मों हेतु कर्ता है और बन्दों के कर्मों हेतु आज्ञा है, कि लोग कहते थे कि खुदा को जो सुनने और देखनेवाला कहते हैं, उसका यह अर्थ है कि वह सूनी और देखी गई को जानने वाला है, और जो कहते हैं, कि खुदा अपने आपको या दूसरे को देखता है, उसका भी यही अर्थ है, कि वह उन्हें जानता है।

तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ २३७-३८

जहाजिया-सम्प्रदाय का प्रवर्तक जहज अत्याधिक विद्वान था। उसका कथन है, कि मनुष्य सदैव हेतु नर्क में न रहेंगे। अल्लाह किसी को नर्क में प्रविष्ट न करेगा, अपितु अग्नि उसको स्वयंमेव ही खींच लेगी, और शारीरिक परमाणुओं-द्रव्यों का अभाव होना असम्भव है। यह द्रव्य परिवर्तित होते रहते हैं और

प्राकृतिक्त तत्व अपनी स्थिति में शेष रहते हैं। उदाहरणार्थ जब मनुष्य मिट्टी (वीर्य) से बनता है और पुत्र, पिता के वीर्य से उत्पन्न होता है। जिस तत्व में वीर्य का अंश था, वह अंश उससे परे होकर पशु या मनुष्य की आकृति में उत्पन्न होता है।

तारीख मज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १३९

काबीयाह.....यह इस बात को मानते थे, कि अल्लाह न अपने आपको और न दूसरों को देखता है, अपितु उसका देखना और सुनना उसकी विद्या की ओर माने जाते हैं अर्थात उसकी जानकारी की ओर सहमति है।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १४०

जबानीया.....इसका कथन है कि अल्लाह स्त्रियों को गर्भ रखवाता है, और शिशु उत्पन्न करता है। माता के उदर में वीर्य ठहरने का कारण वही है। खुदाई वाणी अक्षर और स्वर से संयुक्त है। वह उसे इसी शरीर में उत्पन्न कर देता है, और ऐसी वाणी का कर्ता वही है। बन्दा (मनुष्य) अपने कर्मों में स्वतन्त्र है। भलाई--बुराई समस्त उसी के अधिकार में है। महापापों का कर्ता न मुसलमान है, न काफिर अपितु फ़ासिक है। महापापों का कर्ता यदि तौबा के बिना मर जाये तो वह सदैव नर्क में ही पड़ा रहेगा। यह वली लोगों के चमत्कारों को नहीं मानता था। तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १४२-४३

बहशमिय्याह.... इसने मोतज़ेला से अत्याधिक विषयों में विरोधाभास करते हुए नूतन अन्वेषण किया है। अबू हासम ने अभाव पदार्थों का होना माना है और कहा है, कि पदार्थ अपनी उत्पत्ति से पूर्व एक प्रकार का प्रमाण अपने संसार में रखते हैं कि अनुपस्थित हैं और न उपस्थित हैं। कहता था, कि चेग-

म्बरों से जानबूझ कर छोटे अपराध होना सम्भव हैं। खुदा की वाणी एक भाषा है। वह स्वर और हलन्त अक्षरों और स्वरयुक्त अक्षरों से, और वाणी और अक्षर की सीमितता खुदा की जात स्वयम् नहीं। खुदा से वार्तालाप करने से यह तात्पर्य है, कि खुदा ने शरीरों में कथ्य निर्मित किया है और यह बात नहीं की वाणी उसके स्वत्व में स्थित है। उसके विश्वास में जंगी तुर्क और हिन्दू इस बात की शक्ति रखते हैं, कि वह ऐसा कुरआन ला सके।

तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १४७

सन्बीया .. ....इसका कथन है, कि भलाई अल्लाह की ओर से है, और बुराई मनुष्य की ओर से है।

वारदीया.....इसका कथन है, कि मुसलमान नर्क में नहीं जायेंगे। मात्र उनका गुजरना नर्क पर होगा और जो व्यक्ति नर्क में जायेगा, वह फिर उससे बाहर नहीं निकलेगा।

सम्बीयाह.....इस हेतु लिखा है, कि यह व्यक्ति काफ़िरों से भी बढ़ कर था। इसने कुफ़र में अनेक पुस्तकें लिखी है, उनमें से "ज़मुर्दा" में कुरआन के सम्बन्ध में लिखा है, कि अक्तम बिन सैफ़ी की वाणी में वह वस्तु देखी है, जो "**इन्ना आतैना कल्कौसर**" (कुरआन की आयत) से कई गुणा श्रेष्ठ-तम है। तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १४९

शिया सम्प्रदाय

जब हज़रत मुहम्मद साहिब ने १३ दिनों अस्वस्थ रह कर ६५ वर्ष की आयु में सोमवार १२ रबीउल अव्वल हीजरी ११ को इस संसार से इन्तकाल(देहान्त)फरमाया, तो खिलाफ़त का विवाद उत्पन्न हो गया। अन्सार जाति ने यह ठहराया कि इमाम हम

में से रहेगा और एक इमाम मुहाज़रीन (जिन्होंने देश छोड़ा था) का होगा। तब वहां सकीफा के चौतरें पर हज़रत उमर और अबू बकर भी पहुँच गये। उमर ने कहा–हज़रत मुहम्मद की आज्ञा है, कि इमाम कुरैश में से होना चाहिये। हज़रत उमर ने प्रथम हज़रत अबू बकर से बैअत की, अर्थात उसे खलीफ़ा माना। पश्चात अबू उबेदा ने बैअत की। इस पर अबू बकर खलीफ़ा हो गये। हज़रत अली बैअत के समय सकीफ़ा में उपस्थित न थे। हज़रत के कफ़न–दफ़न की व्यवस्था कर रहे थे।

दूसरा विवाद, उद्यान फिदक की मालिकी का दावा बीबी फ़ातिमा ने किया, तो अबू बकर सिद्दीक ने यह कह कर दावा निरस्त कर दिया कि पैग़म्बर की सम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। जो उसने छोड़ा है, वह समस्त सार्वजनिक दान हैं। इसमें बनी हासम के मध्य किञ्चित झगड़ा उत्पन्न हो गया। जब हज़रत उस्मान के पश्चात हज़रत अली खलीफा हुए, तो मुख़लेसीन (एक सम्प्रदाय) शीया ने कहा–समस्त मुसलमानों को उनका अनुयाई होना अनिवार्य है, और मुआवीया व उसकी सेना को राज्यद्रोही और अपराधी मानते थे, और कहते थे, कि इस समय के समस्त लोगों से हज़रत अली श्रेष्ठ हैं। तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १५६

जो लोग हज़रत अली के साथ रहते थे। उनकी खिलाफ़त के सहायक थे। उनकी ओर से बलिदान भी करते थे। उनका लकब (उपनाम) शिया हुआ, अर्थात उनको शीया कहा गया। प्रथम शीया सम्प्रदाय का नाम "मोख़लेसीन" हुआ। यह सम्प्रदाय हज़रत अली को हज़रत मुहम्मद के अन्य साथियों से उच्च कहता था।

शिया का द्वितीय सम्प्रदाय "तफ़ज़ीलीयाह" का मज़हब

था, कि हजरत अली और उनकी सन्तान ही खिलाफ़त के अधिकारी हैं और समस्त विषयों म 'माखलेसीन' सम्प्रदाय के साथ एकमत थे।

तृतीय सम्प्रदाय **'तबराईयाह'** जिसको **'सब्बीया'** भी कहते हैं। यह लोग समस्त सहाबों (हज़रत मुहम्मद के साथियों) को अत्याचारी–विश्वासघाती अर्थात काफ़िर और मुनाफिक कहने लगे और बीबी आयशा तल्हा व ज़ुबेर को भी लानतान करने लगे। तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १५७-५८

ग़लातशीया.....यह इब्ने सबाह के शिष्य हैं और उसकी शिक्षा के कारण अली को ईश्वर मानने लगे, कि अल्लाह ने अली के भीतर हलूल (किसी में इस भांति समाहित हो जाना कि दोनों एक ही हो जाये) किया और जब यह सूचना अली को प्राप्त हुई, तो उन्होंने **'ग़लातशीया'** के कुछ लोगों को अग्नि में जला दिया। इब्ने सबाह से ही **'ग़लातशीया'** के समस्त मत उत्पन्न हुए हैं।

तबराईयाह–ग़लात और जेदीया इत्यादि ने भी अपना लकब शिया मान लिया। इनका कहना था, कि हज़रत रसूल ने प्रमाण कर दिया कि मेरे पश्चात हज़रत अली इमाम हैं और मुसलमान हजरत अली से बैअत न करने के कारण मुर्तद हो गये अर्थात मजहब से विमुख हो गये, और समस्त सहाबा तबर्रा (बुरा कहते हैं, और यह कहते हैं कि इमाम को जाईज़ (वैध) है अर्थात अनिवार्य है; कि तकिया की व्यवस्था में (विवशता के समय) कह दे कि मैं इमाम नहीं हूँ। मनुष्य के शरीर कयामत से पूर्व भी संसार में लौट आते हैं, किन्तु कतिपय ग़लातशिया मृतकों के जीवित होने और हिसाब से असहमत हैं, और उनके विश्वास में इमाम को संसार और धर्म की समस्त बातों का ज्ञान होता है। यहां तक

कि वह कङ्करों और वृक्षों के पत्ते तक भी जानता है, और उसमें से अधिकांश कहते हैं कि जिसने हज़रत अली से युद्ध किया, वह काफ़िर है, और सायंकाल ही नमाज़ सूर्यास्त के बाद उस समय तक न पढ़ना चाहिये, कि जब तक सितारे न चमक जायें।

शीयों का परस्पर अत्याधिक मतभेद हैं, और इस विरोधाभास के कारण अधिकाधिक निर्मित हो गये हैं। एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय को काफ़िर कहता है। (यह १४ सम्प्रदाय हैं) किन्तु मुख्तः ५ सम्प्रदाय हैं (१) ग़लात (२) वेसानिया (३) ईस्माईलिया (४) ज़ैदीयाह और (५) इमामीयाह। इनका यह सिद्धांत सर्वसम्मत है, कि पैग़म्बरों और इमामों में ख़ुदा प्रविष्ट होता है, अर्थात पैग़म्बर और इमाम ख़ुदा है।

तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृ. १५८-५९

ग़लात

ग़लात के विभिन्न सम्प्रदाय हैं:--

(१) **सबाईयाह**--यह अब्दुल्ला बिन वाहब बिन सबाह के अनुयाई हैं। यह हीज़री २३ में बसराह गया। वहां एक जत्था इसका मरीज़ (शिष्य) हो गया। यह व्यक्ति रजअत सिद्धांत का प्रवर्तक है। रजअत कहते हैं मरणोपरान्त किसी मनुष्य का पुनः ससार में लौटना। इनका मत था, कि हज़रत मुहम्मद इमामत हेतु हज़रत अली को उत्तराधिकार दे गये हैं। हज़रत उस्मान की ख़िलाफत उचित नही है। इसने कहा—तुम लोग खड़े होकर अपने अमीर पर तान (निन्दा) करो। लोगों को अपनी ओर मिलाओ। उसने अपनी ओर से स्थान--स्थान पर अनेक प्रचारक भेजे। उन्होने गुप्त रूप से लोगों को अपने पक्ष मे लेना प्रारम्भ किया और एक सामुहिक असन्तोष हज़रत उस्मान की ख़िलाफत और उसके पदाधिकारियों के विरुद्ध व्याप्त हो गया। यहां तक कि

मिश्र देश में १ हज़ार ७०० या ५०० व्यक्तियों का एक दल बसराह और कुफाह से मदीना में आया, जो कि हज़रत उस्मान को पदच्यूत करने का विचार रखता था। तत्पश्चात उन्होंने उत्पात प्रारम्भ कर हज़रत उस्मान के गृह को घेर लिया। यह घेराव ४०-५० दिनों तक रहा। उनका यह भी कथन था, कि हज़रत अली पुनः संसार में आयेंगे। वह हजरत अली के कत्ल पर विश्वास नहीं करते थे और उनको जीवित बताता था। कहता था, कि शैतान हज़रत अली की आकृति पर हो गया था, उसे इब्ने मुल्जिम ने मारा है, और कहता था, कि वह बादल में आते हैं, कड़क उनकी वाणी है और बिजली उनका कोड़ा है। वह निश्चित ही भूमि पर उतर कर पृथ्वी को न्याय से भर देंगे। जैसी कि यह अत्याचार से भर गई है। सबाईयाह कड़क (मेघगर्जन) सुनते हैं, तो **'अस्सलामु अलैका'** अथवा **'अमीरल मौमेनीन'** कहते हैं।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १६१--६२

(२) **कामलीयाह**--यह सम्प्रदाय अबू कामिल से सम्बन्धित है। यह व्यक्ति समस्त सहाबा (हज़रत मुहम्मद के साथी) को काफ़िर कहता था। इसलिए इन्होंने हज़रत अली से बैअत (शिष्यता) नहीं की और यह हज़रत अली को भी काफ़िर कहता था। इसलिए कि वह साद्बों से न लड़े। यह पुनर्जन्म को मानता था और यह भी कहता था, कि इमाम अल्लाह का नूर है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है, तथा यह भी सम्भव है कि यह नूर (प्रकाश) एक व्यक्ति में इमामत हो और दूसरे व्यक्ति में नबव्वत हो जाए। यह कहता था, कि खुदा की आत्मा ने प्रथम आदम में और तत्पश्चात समस्त पैगम्बरों में प्रवेश किया। इसके निकट काफ़िर का भी इमाम होना और उसमें भी

खुदा की आत्मा का प्रविष्ट होना वैध है। इसलिए कि हज़रत अली को काफ़िर कहना था और फिर उनमें खुदाई आत्मा का प्रवेश और उनकी इमामत को भी मानना था।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १६२

(६) **मुगीशीया**–इसका विश्वास था, कि अल्लाह एक मनुष्य है। उसके मस्तक पर नूर का ताज (प्रकाश का मुकुट) है। यह विश्वास भी था, कि अल्लाह प्रत्येक गृह में है, और अल्लाह ने जब सृष्टि उत्पन्न करना चाहा तो मनुष्य के कर्मों को अपनी उँगलियों से लिखा। तत्पश्चात उनके दोषों के कारण क्रोधित हुआ तो अल्लाह को पसीना छूटा। उस पसीने से दो दरिया एकत्रित हो गये। एक मीठा और एक कड़ुवा। तत्पश्चात अल्लाह तआला ने मीठे दरिया में झाँका, तो उसका प्रतिबिम्ब दृष्टिगोचर हुआ। खुदा ने तनिक सा प्रतिबिम्ब उस दरिया से निकाल कर सूर्य और चन्द्र का निर्माण किया और शेष को नष्ट कर दिया। इसलिए कि कोई दूसरा उसका साथी शेष न रहे। फिर मीठे दरिया से मुसलमान उत्पन्न किये और कड़ुवे दरिया से काफ़िर उत्पन्न किये।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १६३

(४) **बनानीया**–इसका विश्वास था, कि अल्लाह हजरत अली से एकाकार हो गया। तत्पश्चात अली के बाद मुहम्मद बिन हनफ़ीया के साथ और फिर उनके पुत्र अबू हासम अब्दुल्ला बिन मुहम्मद के साथ। और अल्लाह मनुष्य की आकृति पर है तथा उसके मुँह के अतिरिक्त समस्त अंग नाशवान हैं। कुरआन की आयत **'कुल्लो शैइन हालेकुन इल्ला वजहाहू'** अर्थात समस्त वस्तुएँ नाशवान हैं, किन्तु अल्लाह का मुँह नहीं यह मनुष्य के

पुनर्जन्म और पुनर्आगमन (रजअत) को मानता था। इसलिए खालिज बिन अब्दुल्ला न इनका कत्ल करवा दिये।

तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृ १६४-६५

(५) जनाहीयाह–यह पुनजन्म को मानता था और यह भी स्वीकारता था, कि खुदा की आत्मा पैगम्बरों में प्रविष्ट हुई। हजरत अली, हजरत हसन और हुसैन इत्यादि में। इस मत का यह सिद्धान्त है, कि शराब पीना, मुर्दा (मांस) खाना, व्यभिचार करना और मुहारिम (मां–बहिन और बेटी आदि) से निकाह करना हलाल (वैध) है। यह कयामत को नहीं मानते और कहते थे, अब्दुल्लाह इरफीहान के देश में किसी पहाड़ के भीतर जीवित है और निकट भविष्य में ही निकलने वाले है।

तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १६५-६६

(६) मन्सूरीयाह–यह इस बात को मानता था, कि पैगम्बर क्यामत के दिन तक आते रहेंगे तथा हजरत मुहम्मद अन्तिम पैगम्बर नहीं है, और इसका सिद्धान्त था, कि स्वर्ग से तात्पर्य वह मनुष्य है जिसकी मित्रता अनिवार्य है और वह ईमान है, जैसे हजरत अली और उनकी सन्तान एव नक से तात्पर्य वह मनुष्य है, जिसकी शत्रुता अनिवार्य है, जैसे हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और मुआवीया। कुरआन में अनिवार्य कर्तव्य है उनसे हजरत अली और उनकी सन्तान अभिप्रेत है।

मन्सूरीयाह का यह सिद्धांत है, कि जो व्यक्ति ऐसे ४० व्यक्तियों को कत्ल कर डाले, जो हमारे धार्मिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल हो, तो वह स्वर्ग में प्रविष्ट होगा। यह लोग मनुष्यों की सम्पत्ति हलाल जानते हैं। यह भी कहते हैं, कि जिब्राईल ने खुदाई सन्देश पहुँचाने में भूल की है।

तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १६६–६७

(७) **खताबीयाह**–यह लोग अबुलख़ताब को माननेवाले हैं। इसके आधीन ५० सम्प्रदाय हैं। समस्त इस बात पर एकमत हैं, कि इमाम जैसे हज़रत अली और उनकी सन्तान यह समस्त पैगम्बर हैं। प्रत्येक उम्मत (समुदाय) के हेतु दो रसूल होना अनिवार्य है, एक नातिक और दोयम सामीत। हज़रत मुहम्मद नातिक और हज़रत अली सामीत थे। अली के पश्चात इमाम ज़ाफ़र सादिक बिन मुहम्मद बाकर नबी थे, इत्यादि।

इनका कथन यहां तक है, कि इमाम अल्लाह है और इमाम हसन व हुसैन अल्लाह के पुत्र हैं। इमाम सादिक भी अल्लाह हैं और वह यह नहीं, जिन्हें लोग देखते हैं, अपितु जब वह इस सृष्टि में आते हैं, तो मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं। उनका कथन हैं, कि इमाम समस्त कार्यों को जानते हैं, जो कि कयामत तक होने वाले हैं। अल्लाह नबव्वत और इमामत से नूर है और संसार कभी इस नूर (प्रकाश) से रिक्त नहीं रहता है।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १६७-६८

(८) **मुअम्मरीयाह**–इनका विचार है कि अबुलखताब के पश्चात मुअम्मीर नबी हैं, जोकि अन्तिम नबी हैं। इनका सिद्धान्त हैं, कि सृष्टि नष्ट न होगी। स्वर्ग ससार की श्रेष्ठता और भलाई है, जो मनुष्यों को पहुँचती है, और नर्क इसका विपरीत है। इनके निकट मद्यपान–व्यभिचार और समस्त कुकर्म, हलाल और मुबाह (वैध और उचित) है। इनका मज़हब नमाज़ का त्याग करता है और पुनर्जन्म को मानता है, तथा कहता है कि लोग मरते नहीं अपितु उनकी आत्माएँ दूसरों में चली जाती है।

(९) **बज़ीग़ीयाह**--इनका कथन है, प्रत्येक मुसलमान को वही (ईश्वरीय दूत) आती है। इनका सिद्धान्त है, कि बज़ीग के

भक्त मरते नहीं है, अपितु उन्हें 'आलमे मल्कुते' (ब्रह्मलोक) में पहुँचा दिया जाता है। बज़ीग़ीया कहते हैं, कि अल्लाह ने ज़ाफर सादिक में प्रवेश किया है और वह अल्लाह से पूर्ण है।

तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १६८-६९

(१०) **मफ़ज़लीयाह**--इनका कथन है, कि अली का खुदा के साथ वही सम्बन्ध है, जो कि मसीह (ईसा) का खुदा के साथ है। पैग़म्बरी समाप्त नहीं होती, अपितु जिसको 'आलमे लाहूत' (ईश्वर का निवास स्थान) कहते हैं, के साथ जिसका सम्बन्ध हो गया, वही नबी है, और यदि पथभ्रष्टों को शिक्षित करना स्वीकार लिया, तो रसूल है, और यह भी कहते हैं कि इमाम ज़ाफर बिन मुहम्मद खुदा है। खुदा का मर्तबा (पद) को आलमे लाहूत कहते हैं। मर्तबा सफाते खुदा को ज़बरूत कहते हैं और मतबा खुदा के नामों को मलकूत कहते है, और नाजूस नाम है जिस्मों की दुनिया का। तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १६९-७०

(११) **ग़राबीयाह**–ग़राब अरबी भाषा में कौए को कहते हैं। इन लोगों का विश्वास यह था, कि हज़रत अली की और हज़रत मुहम्मद की सूरतों (आकृति) में अत्याधिक साम्य था। जैसा कि एक कौए से दूसरे कौए का होता है। यह रूप दोनों का एक समान था। इसलिए जिब्रील भूल गये। अल्लाह ने उनको अली के पास भेजा था और वह अन्तर न जान सके और भूल कर मुहम्मद के पास चले गए। यह लोग अपनी परिभाषा मे जिब्रील का दाढ़ीवाला कहते हैं और उस पर फटकार (धिक्कार) डालते हैं।

(१२) **ज़बाबीयाह**–इनका यह विश्वास है, कि हज़रत मुहम्मद नबी हैं और हज़रत अली खुदा हैं। इस नबी और खुदा

में एकरूपता थी । हज़रत मुहम्मद से हज़रत अली इस भांति एक रूप थे जिस भांति मक्खी से मक्खी होती है । अरबी भाषा में ज़बाब मक्खी को कहते हैं। इस हेतु इसका नाम ज़बाबीयाह हो गया ।

(१३) ज़मीयाह–इनका विश्वास है, कि हज़रत अली खुदा है, और हज़रत मुहम्मद की निन्दा करते हैं । इनका कथन है, कि हज़रत अली ने उनको अपने सहायक के रूप में भेजा था, ताकि लोगों को हज़रत अली की ओर आमन्त्रित करें, किन्तु हज़रत मुहम्मद ने अपने हेतु नबव्वत का दावा किया और लोगो को स्वयम् की ओर आमंत्रित करने लगे और हज़रत अली को अपनी पुत्री देकर इस बात पर सहमत कर लिया ।

(१४) अलीयायह–यह लोग हजरत अली को खुदा मानते है और हज़रत अली को हज़रत मुहम्मद से श्रेष्ठ बताते हैं । इनका यह कथन है, कि हज़रत मुहम्मद ने हज़रत अली से बैअत (शिष्यता) की थी और उनकी आज्ञापालन स्वीकार कर ली थी । अलीयायह यह भी कहते हैं, कि हज़रत अली और हज़रत मुहम्मद दोनों खुदा थे, किन्तु इनके भी दो मत हो गये । एक मत मुहम्मद को और दूसरा मत अली को उत्तम बताता था । इन दोनों समदायों का नाम 'अस्नीनीयाह' है । क्योंकि यह हजरत मुहम्मद की निन्दा 'ज़मीयाह' की भांति नहीं करते, अपितु हज़रत मुहम्मद और अली दोनों को ही खुदा समझते थे । कतिपय इनमें ऐसे भी हैं, जो कि हज़रत मुहम्मद, हजरत अली बीवी, फ़ातिमा, इमामहुसेन और इमामहसन को भी खुदा कहते हैं । इनका कथन है, कि यह पांचों एक हैं । इन समस्त में आत्मा समान रूप में उतरी है ।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १७०-७१

(१५) **खमशीयाह** अथवा **मखमयाह** यह लोग हज़रत अली को खुदा मानते और बीबी फ़ातिमा को पुल्लिंग सम्बोधन से पुकारते हैं। जैसे--फतिमा के स्थान पर फ़ातम कहते हैं।

यह कहते हैं, कि हज़रत मुहम्मद की कोई विशेष सत्ता नहीं है, अपितु यह हज़रत अली के बन्दे [भक्त] हैं और हज़रत अली रब्ब [ईश्वर] हैं। यह पुनर्जन्म को मानते हैं। सुलेमान की रसालत को अस्वीकार किया है। वह एक पक्षी बन गया। जिसे अलीयाह कहते हैं।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १७१-७२

(१६) **गमामीयाह**--इनका विश्वास हैं, कि खुदा का असली स्थान आसमान है। वह वसन्त ऋतु में मेघ के आवरण मे फूलवारियों और उद्यानों की सैर हेतु भूमि की ओर उतरता है और संसार की परिक्रमा करता है, तत्पश्चात आसमान पर चढ़ जाता है। फल--फूल, मेवा, धान और हरियाली एवं वसन्त ऋतु का प्रभाव यह समस्त उसी के कारण से होता है। इनका मत हैं, कि अल्लाह हेतु कोई विशेष स्थान नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे और फिर वहीं रहता है।

(१७) **उमवीयाह**--इनका विश्वास है, कि हज़रत अल हज़रत मुहम्मद की नबव्वत में सम्मिलित थे।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १७३

(१८) **रज़ामीयाह**--इनका मत है, कि अबू मुस्लिम मरूज़ी में खुदा ने प्रवेश किया है। यह लोग मोहर्रमात [माँ बहिन--बेटी आदि] को हलाल मानते थे अर्थात जिन स्त्रियों से विवाह वर्जित है, उनसे विवाह करना वैध और उचित समझते

थे और अनिवार्य कर्तव्यों को त्याग दिया था । जैसा कि नमाज़–रोजा–ज़कात–हज़ इत्यादि ।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १७४

(१९) **अज़ाकरीमाह** अथवा **सलमगानीया**--इनका मत है, कि अल्लाह की आत्मा ने सर्वप्रथम आदम में प्रवेश किया, तत्पश्चात शीस में और उसके पश्चात पैगम्बरों–इमामों में, और यहां तक कि हसन बिन अली अस्करी में प्रवेश किया । हसन ने एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम 'हासिद--सादसा'[1] है । इसमें व्यभिचार और अन्य कुकर्मों को वैध कर दिया है । फिर हसन ने एक नया मत प्रचलित किया । जिसका आधार पुनर्जन्म और मनुष्य में खुदा का प्रवेश होने के सम्बन्ध में था । ७ आदम और ७ संसार को मानता था । हज़रत मुहम्मद से हज़रत अबू बकर और हज़रत अली से हज़रत मुआवीया को श्रेष्ठ कहता था । अल्लाह ने आदम को उत्पन्न कर उसमें प्रवेश किया और फिर शैतान को उत्पन्न कर उसमें प्रवेश किया ।

यह भी कथन है, कि हज़रत अली ने हज़रत मुहम्मद को लोगों की ओर भेजा । और कहते हैं, कि नमाज़–रोज़ा इत्यादि की आवश्यकता नहीं फिर लिखा, कि हिकमत का तकाज़ा है कि मनुष्यों पर स्त्रियों का गुप्त स्थान मुबाह कर उनका परीक्षा करनी चाहिये । मनुष्यों हतु उचित है कि अपने स्नेहियों--मित्रों और पुत्रों की पत्नियों से सम्भोग कर ले किन्तु शर्त यह हैं, कि दोनों का मज़हब एक हो ।

और कहते हैं, कि विद्वान मनुष्य अपने से न्यून स्तर्‌ाम के साथ सम्भोग करे, तो यह बात उसके हेतु उचित है, ताकि वह अपने नूर का वजूद उसमें प्रविष्ट करे ।

(२०) **सलमग़ानीया**–अबू ज़ाफ़र सलमग़ानी हीज़री ३४२ में बगदाद आया। यह खुदा होने का दावा करता था और अपने शिष्यों को कहता था, कि मैं मृतकों को जीवित करता हूँ। बगदाद के सहस्रों मनुष्य उसके शिष्य हो गये और अत्यन्त बड़े बड़े पुरुषों ने उसका मज़हब ग्रहण किया। जब उसने अधिक जोर पकड़ा तो ख़लीफा की आज्ञा से इब्ने अबीऔन सलमग़ानी को कत्ल कर अग्नि में जला दिया।

तारीख़ मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १७७ से ७९

(२१) **इसहाकीयाह**–इनका कथन है, कि समस्त वस्तुएँ उचित हैं, अर्थात प्रयोग में लेने हेतु हैं। हज़रत अली, हजरत महम्मद के साथ नबव्वत सांझी है और भूमि कभी पैग़म्बर से रिक्त नहीं रहती। हज़रत मुहम्मद अन्तिम नबी नहीं है और अल्लाह इमामों के साथ समन्वित हो गया।

(२२) **नसीरीयाह**--इसका कथन है, कि अल्लाह अली बिन मुहम्मद, अस्करी है। इसका यह भी कथन है, कि अल्लाह अली के साथ समन्वित हो गया। यह पुनर्जन्म को मानता था। इसने मुहारिम [मां–बहिन और पुत्री आदि] को हलाल कर दिया था और जिन स्त्रियों के साथ विवाह उचित नहीं था, उनके साथ उचित कर दिया था।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १७९–८०

(२३) **उलवीयाह**--यह कहते हैं, कि जो कुरआन अब विख्यात है, वह अल्लाह की वाणी नहीं है। इसलिए कि इसमें अत्याधिक न्यूनाधिकता कर दी गई। इसका कहना है, कि उस्मान ने सबको दूर कर दिया। यह बहुत बड़ा विद्वान था और उसके मुकाबिले में दूसरा कुरआन बना लिया तथा मूल कुरआन को

जला दिया। यह सम्प्रदाय कुरआन को जहाँ पाता है, वहां उसको जला देता है।

इसका मत है, कि अली ने अपने पंचभौतिक तन को सूर्य से मिला दिया। अब वह सूर्य है। इनके निकट किसी प्राणी को मारना उचित नहीं और मांस आहार योग्य नही। कहते हैं, कि खुदा ने माँसाहार मना कर दिया है और कुरआन में जो कुछ पशुओं को मार कर खाने की आज्ञा है, उससे तात्पर्य तीनों खलीफ़ा और उनके अनुयायी हैं। (तीनों खलीफ़ा अबू बकर, उमर, उस्मान और शेष उनके अनुयायी) और कहते हैं कि शैतान सांप और मोर इन्हीं तीनों को कहते हैं। मूर्तियों को तोडना और पूजना इन्हीं तीनों का अभिप्रेत है। यह मत पुर्नजन्म स्वीकारता है।

(२४) **मकनाआयाह**—इसका मत था, कि इमाम हुसैन के पश्चात खुदा मकना है। मकना इस्माईली सम्प्रदाय का था किन्तु खुदाई का दावा करने से ग़लात हो गया। फ़लसफा [दर्शन] में बेमिसाल था।

कहते हैं, कि इसने पारा इत्यादि से एक चन्द्रमा निर्मित किया था। यह चन्द्रमा सांयकाल कुए से निकलता और आसमान पर प्रकाशित हो जाता तथा आकाश में दो चन्द्रमा दृष्टिगोचर होते थे। यह प्रातः काल डूब जाता। दो माह तक यह चन्द्रमा चढ़ता और डूबता रहा। यह नबव्वत का दावा करता था और अपने आपको खुदा ठहराता था। अत्याधिक कुरूप था और पुर्नजन्म को मानता था। अबू मुस्लिम को हज़रत मुहम्मद से श्रेष्ठतम ठहराता था। एक आंख में तीर लगने से काना भी हो गया था। इस दोष को छुपाने हेतु इसने स्वर्ण का एक मुंह

तैयार करवाया था। जिसे अपने मुँह पर लगाये रहता था। इसके शिष्य इसको सज्दा करते थे। एक युद्ध में घिर गया और जब बचाव का कोई मार्ग न दिखा तो कहा, कि जिसको स्वर्ग में जाना हो, वह मेरे साथ अग्नि में जल जाये। इस भाँति जितने लोग उस घेरे में थे, वह समस्त जल गये और जब सेना भीतर प्रविष्ट हुई तो वहां कुछ न पाया।

तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १८३ से ८९

(२५) बसलमीयाह—इनका मत था, कि आदम की आत्मा उस्मान में प्रविष्ट हुई थी। यह पुनर्जन्म को मानता था।

तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १९०—९१

(२६) केसानीयाह—यह कुल ७ सम्प्रदाय हैं। इसमें मुहम्मद बिन हन्फ़ीया की इमामत को मानना समस्त में हैं। यह हज़रत हुसैन का प्रतिशोध लेने हेतु खड़ा हुआ किन्तु सफल न हुआ। केसान हज़रत इमाम हसन की इमामत को नहीं मानता है। इनका मत है, कि हज़रत अली के पश्चात मुहम्मद बिन हन्फ़ीया इमाम हैं। इसलिए कि हज़रत अली ने जमल और सिफ़ीन से युद्ध में निशान [ध्वज] उनके हाथों में दिया था। इमाम हसन ने मुआवीया से सन्धि कर ली थी। इस कारण इमामत की योग्यता से गिर गये थे।

तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १९२—९३

(२७) मुख़्तारीयाह—यह लोग मुख़्तार बिन उबैद बिन मसऊद सक़फ़ी के अनुयायी हैं। हीजरी ६६ में हज़रत हुसैन के हत्यारों से प्रतिशोध लेने हेतु उद्यत हुए और कूफ़ाह पर प्रभुत्व पाया। इनने हुसैन को मारनेवाले सबको क़त्ल किया। इस घटना में शाम देश के ७० हज़ार व्यक्ति मारे गये और एक कुर्सी

की प्रतिष्ठा और आदर कराने लगा। कहता था, कि यह कुर्सी हज़रत अली की है। उसका नाम ताबूते सकीना रख दिया।

इतिहास में लिखा है कि यह कुर्सी तूफेल बिन ज़्यादह एक तेल विक्रेता की दूकान से उठा लाया था, हज़रत अली की न थी। फिर कहने लगा–मुझे परोक्ष का ज्ञान है और जिब्रील मेरे पास आते हैं, और अल्लाह पाक के लिये दो हाथ प्रमाणित करता था, और कहता था, कि मुझमें अल्लाह ने प्रवेश किया है। कुफ़र की इन्हीं बातों के कारण हीज़री ६७ में मसअब के हाथों घाव खाकर मारा गया। यह मुख्तार अत्याधिक महान विद्वान और महत्वशाली व्यक्ति था। (इसने एक कुरआन भी बनाया था। तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १९४

(२८) **करीबीयाह**–यह लोग हज़रत अली के पश्चात मोहम्मद हन्फ़ीया को इमाम मानते हैं। इन लोगों की धारणा है, कि मोहम्मद बिन हन्फ़ीया जीवित है, और वह मदीना के निकट रजवी पहाड़ में अपने ४० साथियों सहित भूमिगत हैं। उनके समीप दो चश्में (एक जलस्रोत और एक शहद स्रोत) बहने लग गये। इमाम मुन्तज़ीर और मेहन्दीमऊद वहीं है। वह जब प्रकट होंगे तो सारा संसार न्याय से भर देंगे।

(२९) **इसहाकीयाह**–इनका मत है, कि इमामत मोहम्मद बिन हन्फ़ीया के मरणोपरान्त उनके पुत्र अबू हासम अब्दुल्ला की ओर मुन्तकील (स्थानान्तरित) हो गई।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १९५-९६

(३०) **हरबीयाह**--जो कन्दीया के नाम से भी विख्यात है। यह लोग अब्दुल्ला बिन हरब कन्दी के अनुयाई हैं। कहते हैं, कि अबू हासम की आत्मा ने अब्दुल्ला में प्रवेश किया था। इनका

मत यह है, कि आत्माएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जन्म लेती है, और आत्मा को सुख-दुख पुनर्जन्म व शरीर परिवर्तन के द्वारा होता है। कहता था, कि हज़रत ईसा की आत्मा ने मुझमें प्रवेश किया है, और खुदाई व नबव्वत का दावा करता था। कहता था, कि मुझे परोक्ष का ज्ञान है। उसके शिष्य उसकी भक्ति करते थे और कयामत को नही मानते थे। ससार में ही सुख--दुख भोगने हेतु पुनर्जन्म होता रहता है। कुरआन में जो आया है, जो लोग ईमान लाये और नेक कर्म किये अल्लाह उनको मित्र रखता है। इस आयत की अब्दुल्ला इस भांति व्याख्या करता, कि जो मनुष्य इमाम तक पहुँच गया और उसे पहिचान लिया, उनसे समस्त शरा की आज्ञाएँ दूर हो जाती है। जो चाहे खाये, उन पर कोई अपराध नहीं है।

अब्दुल्ला खुरासान में मर गया। उसके साथी कहने लगे वह मरा नहीं, जीवित है। कतिपय कहने लगे--उसकी आत्मा ने इस्हाक बिन ज़ैद बिन हारस अन्सारी में प्रवेश किया है।

(३१) **हारसीयाह**--हारसीयाह कहते हैं--आनन्द से जीवन व्यतीत करना चाहिये। उन्होंने समस्त मोहर्रमात [मां--बहिन पुत्री आदि] को मुबाह [उचित] कर दिया अर्थात जिन स्त्रियों से विवाह करना हराम [अवैध] था, उनसे विवाह कर लेना।

(३२) **अब्बासीयाह**--यह लोग कहते हैं, कि अबू हासम बिन मोहम्मद हन्फ़ीया के पश्चात इमामत हजरत अली के घराने से निकल गई और अब्बास की सन्तान से सम्बन्धित हो गई।

(३३) **हसानीयाह**--यह हसन सराज के साथी हैं। इनका

कथन हैं, कि इमाम चार हैं। इमाम अली, इमाम हुसैन, इमाम हसन और इमाम मोहम्मद बिन हन्फ़ीया।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृ. १९७ से १९९

(३४) **इस्माईलीयाह**—यह भी इमाम के मरणोपरान्त उसके संसार में लौट आने को मानते हैं। यह पुनर्जन्म को माननेवाले हैं।

इस्माईलीयाह कहते हैं, कि खुदा के एक अंश ने इमामों में प्रवेश किया है। इनका यह भी कथन है, कि अल्लाह कर्ता नहीं है। वह जब किसी वस्तु को पसन्द करता है, तो वह उसके समक्ष उपस्थित हो जाती है। जैसे—सूर्य से किरण। अल्लाह साहिब ईरादा [विचारों का मालिक] नहीं हैं; अपितु जो कुछ उनसे प्रकट होता है, वह उसको स्वाभाविक सत्ता को अनिवार्य है, जैसे-अग्नि में ताप।

(३५) **बाबकीयाह**—यह बाबक का मत है। इसके भी अत्याधिक शिष्य हो गये। पुनर्जन्म और अबाहत होना मानता था। इसके साथियों को खुर्मियाह भी कहते है। इसका मज़हब यह था, कि अपनी मां-बहिन और पुत्री के साथ विवाह करने का अधिकार है। इसलिये इसने अपने दीन (धर्म) का नाम खुर्रम रखा। इसने माँ--बहिन और बेटी इत्यादि को हलाल (वैध) कर दिया। इसलिए इसके मत को हिरमीयाह भी कहते हैं।

(३६) **हिरमीयाह**—यह पूनर्जन्म को मानते हैं। कहते थे, कि पशुओं की आत्मा पशुओं के अतिरिक्त अन्य में भी चली जाती है। बाबक ने यह दावा किया, कि जावेदान बिन सहल की आत्मा मुझमें प्रविष्ट हुई हैं।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ २००/१

(३७) **मुबारकीयाह**--हीजरी १५९ में हुआ। इसे केरामता भी कहते हैं।

(३८) **मेमुनीयाह**–इसका यह सिद्धांत था, कि कुरआन और हदीस के जाहिर ईमानों पर अमल करना है। कयामत और जज़ा–सज़ा (कर्मफल का दण्ड) का मुन्कीर था। इसने ही सर्वप्रथम बातनी ढंग निकाला। कहता था, कि कुरआन और हदीस की गुप्त आज्ञाओं पर अमल करना चाहिये, उनके प्रत्यक्ष पर नहीं। इसी कारण इस मत को बातनीयाह भी कहा करते हैं। इस मत ने रयाज़ को अपना उत्तराधिकारी रखा और अराक की ओर भेजा। उसने बातनीयाह मज़हब की एक पुस्तक प्रकाशित की। उसका नाम 'बयान' रखा। रयाज़ ने इस पुस्तक में नमाज़–रोज़ा–वज़ू–हज़–ज़कात आदि आज्ञाओं की मुआफी दे दी, और उस किताब में लिखा है, कि जो कुछ आम लोगों ने समझा, वह मिथ्या है। उस समय बातनीयाह मत की बहुसंख्या हो गई थी।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ २०२/३

(३९) **ज़लफ़ीयाह**--इसका मत है, कि जो कुछ कुरआन और हदीस में नमाज़–रोज़ा–हज़–वज़ू और ज़कात इत्यादि का वर्णन है। यह समस्त वस्तुएं उनके धात्विक अर्थों पर निर्भर हैं। कयामत (प्रलय) और स्वर्ग--नर्क को नहीं मानता था।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ २०३

(४०) **कर्मतीयाह**–इब्ने खल्दुन ने लिखा है, कि कर्मताह का प्रारम्भ इस प्रकार हुआ, कि कुफ़ाह निवासी एक व्यक्ति हीजरी २७८ में उत्पन्न हुआ। वह अत्यन्त सयमी और नेक विख्यात था। उसे कर्मता इसलिए कहते थे, कि वह एक बैल

पर सवारी करता था। फिर्का करमतीयाह जिससे सम्बन्धित हैं। इसका नाम हमदान बिन कर्मता है.....इत्यादि।

वह कहता था, कि मैं वही हूँ, जिसकी शुभ सूचना अहमद बिन मोहम्मद बिन हन्फ़ीया ने दी थी। वह एक लेख लाया था। जिसमें बिस्मिल्लाह के पीछे यह लिखा था, कि नसर बिन उस्मान नसराना गांव का निवासी है, और वह मसीह का प्रचारक है, तथा वह मसीह ईसा है। वही ईसा कलमा है, और वही मेहन्दी है, और वह यसीह अहमद बिन मोहम्मद बिन हन्फ़ीया है। वही जिब्रील हैं और मसीह मनुष्य के रूप में बन गया .....इत्यादि। नमाज की ४ रकआतें अर्थात २ रकआतें सूर्योदय से पूर्व और २ रकआतें सूर्यास्त के पूर्व पढ़ना चाहिये और बांग प्रत्येक नमाज में इस भांति देना चाहिये, कि इसमें आदम ईसा--नूह--इब्राहिम--मुहम्मद और अहमद बिन मोहम्मद का नाम था, और किबला बैतुल मुकद्दस की ओर है। नमाज और उसके पढ़ने का ढग उसका अपना था और जुम्मा (शुक्रवार) सोमवार के दिन था। उस दिन कोई कार्य न करना चाहिये। आगे यों पढ़नी चाहिये। वह सूरत लिखी है, जो "**अल्हम्दो लिल्लाह**" से प्रारम्भ होकर "**अलीमूल हलीम**" पर सम्पूर्ण होती हैं। लम्बी होने के कारण हमने उसे सम्पूर्ण नहीं लिखी। इस सूरत का अर्थ इस प्रकार है। और खुदा से नाजिल (उतरी) हैं, "सब स्तुतिएँ अल्लाह के हेतु सिद्ध है। उसके कलमें (कथ्य) और अपने नामसहित वह महान और शक्तिदाता है। अपन मित्रों से तू कह दे, कि चांद का समय लोगो हेतु स्थित हैं। इससे वर्षों--महिनों और दिनों की अवधि ज्ञात हुई है, और चन्द्रमा का अप्रत्यक्ष आन्तरिक मेरे मित्रों हेतु हैं। ऐसे मित्र जिन्होनें मेरे भक्तों को मेरा माग दिखलाया है, और ऐ बुद्धिमानों ! तुम मुझ

से भय खाओ, और मैं (खुदा) वह हूँ कि मुझ से मेरे किसी कार्य के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं किया जायेगा, और मैं ज्ञाता हूँ, सहनशील हूँ, और वह मैं हूँ, कि अपने बन्दों (भक्तों) को कष्ट देता हूँ और अपनी सृष्टि की परीक्षा करता हूँ। जो सन्तोष करेगा मेरे कष्ट और मेरा प्रेम और मेरे अधिकार पर उसे मैं (खुदा) स्वर्ग में प्रविष्ट करूँगा। और सदैव उसी में रखूँगा। जिसने मेरी आज्ञाओं को भंग किया और मेरे (खुदा के) रसूलों को झुठलाया, उसको मैं सदैव नर्क के संकट में रखूँगा, और मैंने अपनी आज्ञाओं को रसूलों की जिव्हा से प्रकट कर दिया है। मैं वह हूँ: कि जो विद्रोह करेगा, मैं उसको गिरा दूँगा और ऐसे अभिमानी को जलील कर दूँगा। वह मनुष्य बुरा है, जो अपने कर्म पर हठ करें और अपनी मूर्खता पर दृढ़ रहे, और यह बात कहे–मैं इस कार्य पर दृढ़ रहूँगा।"

यह कर्मता की खुदाई इल्हामी (ईश्वरीय ज्ञान) भाषा है। इसमें भी वही रंग है, जो कुरआन में है। कर्मता ने अपना नाम कायम बिल हक अर्थात सत्य पर स्थिर रहने वाला रखा था। कर्मता ने सर्वप्रथम वनवासियों को अपना शिष्य बनाया और इसमें मानने वालों की संख्या बढ़ने लगी। इसके अनुयायी अपने कथन को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। यह लोग हराम (वर्जित) वस्तुओं को हलाल (वैध) जानते हैं। यह नबीज (जौ की शराब) को हलाल बताते थे और स्त्री सम्भोग के पश्चात स्नान करना अनिवार्य नहीं है। हराम पक्षियों का शिकार हलाल कहते थे। पारसियों के दिनों में इन्होंने रोज़ा रखना निश्चित किया था।

सनआर्ब यमन में एक कर्मती अली बिन फ़ज़ल प्रविष्ट हुआ। वह नबव्वत का दावा करता था। इसकी सभा में एक

व्यक्ति पुकार कर कहता–'अशहदो अन्ना अली इब्ने फ़ज़ल रसूलिल्लाह' अर्थात मैं साक्ष्य देता हूँ, कि अली बिन फ़ज़ल अल्लाह का रसूल है। इसने अपने मित्रों हेतु मद्यपान और पुत्रियों के साथ विवाह करना मुबाह (वैध) कर दिया था। जब किसी को पत्र लिखता, तो इस प्रकार प्रारम्भ करता, कि यह पत्र है, भूमि को फैलाने और हांकनेवाले, और पर्वतों को डिगाने और ठहराने वाले अली बिन फ़ज़ल के नाम से अमुक बन्दे (भक्त) के नाम। इसने अपने मज़हब में समस्त वर्जित वस्तुओं को उचित (हलाल) कर दिया था। हीज़री ३०२ में इसे किसी ने विष देकर मार डाला।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ २०५ से ७

हल्लाज का कत्ल

हीज़री ३०१ में खलीफ़ा मुक्तदर अब्बासी के समय में हुसैन हल्लाज़ को क़त्ल कर दिया गया, यह कर्मती था। हजारों मनुष्यों के सन्मुख १ हज़ार कोड़े लगवाये गये, तत्पश्चात हाथ पैर और मस्तक काट कर शरीर जला दिया और राख बजला दरिया में डाल दी। तत्पश्चात भी कर्मता का प्रभाव बढ़ता गया।

हीज़री ३१६ में कर्मती ने एक मकान निर्माण करवाया। जिसका नाम 'दारुल हीकरत' रखा। दो वर्षों में इसका अत्यधिक उत्पात बढ़ गया और अधिकतर नगर उसके अधिकृत हो गये तथा शिष्यों में भी वृद्धि हो गई। उसने मुसलमानों को ऐसे कष्ट पहुँचाये, कि सबके हृदयों में उसका आतंक छा गया। खिलाफ़त (सत्ता) की ओर से कई बार सेनाएँ गई और पराजित होकर लौटी। यहां तक स्थिति हो गई, कि हज करना भी कर्मता

के आंतक से बन्द हो गया, और मक्का निवासी नगर त्याग कर इधर-उधर भाग गये ।

....उसी दिन अबू ताहर कर्मती भी मक्का में पहुँच गया, और हाजियों को मक्का में कत्ल कर दिया, तथा शवों को ज़मज़म के कुएँ में डाल दिया । 'हजरे असवद' (चूमने का पत्थर) को गुर्ज़ मार कर तोड़ दिया और काबा की दीवार से पृथक कर दिया । अबू ताहर कर्मती ११ दिनों वहां रहा और 'हजरे असवद' अपने साथ ले गया । २० वर्षों तक 'हजरे असवद' उसके अधिकार में रहा । यहां तक कि ५० हजार दीनार (सोने के सिक्के) उसके प्रतिकार में देने हेतु प्रस्तुत किये, किन्तु उसने देने से अस्वीकृत कर दिया ।

तारीख़ुल खुलफ़ा (उर्दू) पृष्ठ २५५-५६
तारीखुल खुलफा (अरबी) पृष्ठ २६६

(४१) **बरकईयाह**-इसके अनुयायी मृत्यु से लौटने और शरा की आज्ञाओं के मुन्कीर हैं । कुरआनी आयतों की तावील [स्पष्टीकरण] करते है और कतिपय पैग़म्बरों की नबव्वत से इन्कार भी करते हैं तथा उन पर फटकार [धिक्कार] डालना अनिवार्य समझते है ।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ २११

(४२) **ज़बानीयाह**-तृतीय शताब्दी से अबू सईज जनाबी हज के मौसम में अत्याधिक सेना लेकर चढ़ आया और ३ हजार हाजियों को कत्ल कर दिया । तत्पश्चात एक सेवक के हाथों हमाम में मारा गया । उसका पुत्र अबू ताहर सुलेमान, उसका स्थानापन्न हुआ । तहरान का सम्पूण दश उसके अधिकार में आ गया । हीजरी ३१५ में कुफ़ाह पर आक्रमण किया और खलीफ़ा

मुक्तदर अब्बासी को परास्त कर उसे लूट लिया। इसका कथन था, कि कयामत आदि की समस्त बातें मिथ्या किस्से हैं, और शरा की आज्ञाओं पर अमल न करना चाहिये, अपितु ऐसे मनुष्य का कत्ल करना अनिवार्य है।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ २१२-१३

(४३) **मेहदूयाह**–यह अब्दुल्ला को इमाम मानते थे। मेहदूयाह का मत था, कि अब्दुल्ला मेहदी मऊद हैं। अब्दुल्लाह ने अपना लकब (उपनाम) मेहदीबिल्ला रखा। हीज़री ३२४ तक सम्पूर्ण अफ्रीका और पश्चिम का अधिकारी हो चुका था। अफ्रीका में समुद्र तट पर एक नगर बसाया और उसका नाम "मेहदीयाह" रखा और अपनी राजधानी बनाया। इसने मद्य और व्यभिचार को हलाल (वैध) कर लिया था।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ. २१८

(४४) **नज़ारीयाह**–इसका **'मस्तकीयाह'** और **'शकतीयाह'** भी नाम हैं। इसका मत है, कि इमाम को यह भी अधिकार है, कि जिस संकट या समस्त संकटों को मनुष्यों से दूर कर दें। यह भी सम्मति है, कि इमाम एक बार किसी बात को वसीयत कर दे, और फिर उसके विरूद्ध कहे, तो प्रथम बात को ही माननी चाहिये।

नज़ारीयाह कहते हैं, कि संसार अनादि है और काल भी अनादि है, तथा आत्माओं का पुनर्जन्म होता है। वह कहते हैं, कि मनुष्यों का पुनर्आगमन आ मा से है, शारीरिक नहीं और स्वर्ग नर्क भौतिक नहीं है, सार्थक वस्तु हैं। इनका मत यह भी है, कि प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु उसकी कयामत है या उसके हेतु प्रलय है।

(४५) सबईयाह -यह नाम इसलिए है, कि यह शरीअत को पहुँचाने वाले ६ रसूल ही मानते हैं। आदम-नूह-इब्राहीम मूसा-ईसा-मुहम्मद और मेंहदी। दो रसूलों के मध्य ७ इमाम होते हैं, जो एक रसूल की आज्ञाओं को पूर्ण करते हैं। जब तक कि दूसरा रसूल आये।

तारीखुल मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ २३४-३५

(४६) खोजे--यह एक इस्माईली सम्प्रदाय हैं। बम्बई मद्रास आदि में विस्तृत है। 'प्रीचिंग आफ इस्लाम' लेखक आर्नल्ड, पृष्ठ २२५ पर लिखा है, कि पीर सदरदीन आज से ४०० वर्षों पूर्व सिन्ध में आये थे और इस्माईलीयाह मत रखते थे। इस व्यक्ति ने अपना एक हिन्दू नाम रखा हुआ था और हिन्दू धर्म की तुलनानुसार एक पुस्तक भी बनाई थी। जिसका नाम 'दस अवतार' रखा था, और इस पुस्तक में हजरत अली को १० वां अवतार माना था। खोजो ने इस पुस्तक को ईश्वरीय पुस्तक माना था और मृत्यु समय वह पुस्तक सदैव नेकी (शबाब) हेतु पढ़ते हैं। इस पुस्तक में उसने हज़रत मुहम्मद को ब्रह्मा, हज़रत अली को विष्णु और हज़ारत आदम को शिव कहा है। सर्वप्रथम पीर सदरदीन के शिष्य सिन्ध के ऊपर के ग्रामों और कस्बों में हुए। उसने कच्छ में भी जाकर इस्लाम विस्तृत किया और वहां से उसके सिद्धान्त दक्षिण की ओर गुजरात व बम्बई तक विस्तृत हो गये।

पीर सदरदीन सर्वप्रथम इस्लामी प्रचारक नहीं है। इसके पूर्व (कुछ शताब्दीयों पूर्व) इस्माईलियों में से एक व्यक्ति अलमूत से भेजा गया था और वह गुजरात में पहुँचा। वहां गुजरात में सिद्धराज का शासन था। ईस्वी सन् १०९४ से ११४३ तक इसका शासन काल रहा। इस इस्माईलो ने अपना हिन्दू नाम

रखा और मुसलमानों से कहा—मेरा असली नाम सआदत है। इस व्यक्ति ने कुनबी-खार्या और कोली आदि निम्न हिन्दू जातियों को मुसलमान बनाया। अब खोजों के मज़हबी पेशवा (धार्मिक आगेवान) सुलतान मुहम्मदशाह बिन सैयदअली शाह हैं। इनका नेता विख्यात आगाखां सैयद हसनशाह ईरान से निकल कर बम्बई में आकर रहा था।

(४७) **जारूदीयाह** तथा **सरमुदीयाह**-इनका कथन है कि हज़रत मुहम्मद साहिब ने हज़रत अली हेतु खलीफा होने को कहा था। जो स्मृति चिन्ह उन्होने बताये थी, वह हज़रत अली में थी। हज़रत मुहम्मद के मरणोपरान्त हज़रत अबू बकर को खलीफा बना कर रसूल के प्रतिकूल कार्य किया है।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ २६३

(४८) **ज़कीनीयाह**—यह तल्हा--ज़ुबेर और बीबी आयशा को काफिर और अन्य सहाबा को बुरा कहते हैं।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ २६४

(४९) **सुलेमानीयाह** अथवा **ज़लैलीयाह**---सुलेमान का कथन है, कि लोग हज़रत अली की बैअत (शिष्यता) त्यागने से काफ़िर नहीं हुए अपितु दोषी हुए हैं। यह तल्हा--मुआवीया और बीबी आयशा को, हज़रत अली के साथ युद्ध करने के कारण, काफ़िर मानते हैं। हज़रत उस्मान को भी काफ़िर कहते हैं।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ २६५

(५०) **नईमीयाह**--हज़रत उस्मान को काफ़िर कहते हैं, और शेष को भलाई से याद करते हैं।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ २७६

(५१) **जसमीयाह**–यह अल्लाह को तनधारी मानते हैं। उसके अंग-प्रत्यग भी स्वीकारते हैं।

(५२) **हकमीयाह**–इसे हशमीयाह भी कहते हैं। इनका कथन है कि निर्माता और निर्मित के मध्य सम्पृकतता आवश्यक है। यह स्वीकारते हैं, कि अल्लाह सीमित और रजत खण्ड की भाँति सफेद है। तथा प्रत्येक ओर से प्रकाश्य और आलोकित है। मनुष्य आकृति पर लम्बा--चौड़ा और विशाल है। उसका कद ७ बालिश्त है। वह खड़ा होता, बैठता--उठता तथा चलता फिरता हैं।.....और अर्श (सिंहासन) पर रहता है। यह इस बात को भी स्वीकारते हैं, कि अल्लाह रक्त और मांस-युक्त है। हसाम कहता है, कि अल्लाह का विचार एक हरकत है, जो न उसकी ऐन (निजी) है और न गैर (पराई) है, और अल्लाह को वस्तुओं को ज्ञान उनकी उत्पत्ति के पश्चात होता है। उसका ज्ञान न आदि है और न अनादि है। पवित्रता उसका गुण है, जो कि न अनादि है और न उत्पन्न हुई है। यह सम्प्रदाय हीज़री १९० में उत्पन्न हुआ था।

तारीख़ मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ २७४ से ७६

(५३) **ज़वाईकीयाह**--इनका कथन है, कि अल्लाह मनुष्य की आकृति पर है। उसका ऊपर का अर्धांग रिक्त और नीचे का अर्धांग ठोस है। अल्लाह के मस्तक के केश काले हैं। वह माँस और रक्तरहित है। एक आलोकित प्रकाश (नूर) है। उसके पांच प्राण मनुष्य सदृश्य हैं। हाथ--पैर, आंखे--मुँह और कान समस्त रखता है किन्तु गुप्तेन्द्रिय और दाढ़ी नही है।

(५४) **ज़रारीयाह**–यह सम्प्रदाय कहता है, कि अल्लाह के गुण एकदेशी हैं, और गुणप्राप्ति के पूर्व अल्लाह को ज्ञान न

था। न सुनता था, न देखता था और न कर्ता था। यहां तक कि यह समस्त अपने हेतु प्राप्त किये।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ २७६

(५५) **यूनसीयाह**--इनका मत है, कि अल्लाह सिंहासन पर है, जिसको फरिश्तों ने उठा रखा है, और उसकी शक्ति फरिश्तों की शक्ति से अधिक है।

(५६) **नमानीयाह**—यह सम्प्रदाय **'शैतानीयाह'** के नाम से भी विख्यात है। इसका मत यह है, कि वस्तुओं के उत्पन्न करने से पूर्व अल्लाह को उनका ज्ञान नहीं होता। यह अल्लाह को तनरहित एक नूर (प्रकाश) समझता था और इस बात को भी मानता था, कि अल्लाह मानवाकृति रखता है। यह भी स्वीकारता है, कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में आकर उत्पन्न होता है।

(५७) **तफ़्वीदीयाह**—इनका कथन है, कि अल्लाह ने हज़रत मुहम्मद को उत्पन्न कर संसार को उत्पन्न करने और भाग्य करने को, उनके सुपुर्द कर दिया। जो वस्तु संसार में हैं, उनके हेतु हलाल (वैध) कर दी। सम्पूर्ण संसार उन्हीं का उत्पन्न किया हुआ है। इनमें से कतिपयों का कथन है, कि इमामो के सुपुर्द कर दिया। जब मेघ देखते हैं, तो सलाम करते हैं। इनका विचार है, कि इसमें अली है।

(५८) **बदाईयाह**—इनका कथन है, कि यह बात अल्लाह हेतु वैध है, कि किसी वस्तु का विचार करे और फिर उससे लज्जित हो जाये। इस हेतु कि वह वस्तु उस पर प्रकट हो जो पूर्व में प्रकट नहीं थी। जिस भाँति मनुष्य के विचार परिवर्तित होते हैं, कि तीनों खलीफ़ा के सम्बन्ध में भी ऐसा ही हुआ है,

कि अल्लाह उन्हें खलीफ़ा बना कर लज्जित हुआ और जितनी आयतें उनसे सम्बन्धित उतारी, वह समस्त उसके लज्जा का कारण बनी। तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ २७८

(५९) **तनासुखीयाह**–इनका मत है, कि आत्माओं का पुनर्जन्म होता है। कतिपय कहते हैं, कि जब मरणोपरांत आत्माएँ संसार में आती है, तो बकरी के शिशु में प्रविष्ट होती है। तत्पश्चात इससे भी निकृष्ट वस्तु में चली जाती है। इसी भाँति गिरते-गिरते गन्दगी के कीड़ों में चली जाती है। यह अन्तिम शरीर उनको प्राप्त होता है, अपितु यहाँ तक होता हैं, कि आत्मा लोहे-मिट्टी और कच्चे बर्तनों में चली जाती है और अग्नि में पकने इत्यादि में रखे जाने से संकट पाती है। जिस भाँति आत्मा के अपराध होते हैं, उसी भांति उसे संकट रहता है।

(६०) **मुख्तीयाह**--इनका मत है, कि जिब्रील चूक गये।

(६१) **रजयीयाह**--इनका कथन है, कि हज़रत अली शीघ्र ही संसार में आने वाले हैं और अपने शत्रुओं से प्रतिशोध लेंगे। कतिपय कहते हैं, कि रजयीयाह की यह सम्मति है, कि हज़रत अली मेघ में हैं और कयामत से पूर्व वह ससार में आयेंगे, और कड़क (मेघ-गर्जन) उनके घोड़े का स्वर है, और दामिनी उस घोड़े के नाल की अग्नि है।

(६२) **मुनखशीयाह**–इमाम मेहदी की प्रतिक्षा करते हैं।

(६३) **अब्दीयाह**–कहते हैं, कि हज़रत अली नबव्वत में हज़रत मुहम्मद के साँझीदार हैं।

तारीख मज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ३०२

(६४) लाशीयाह–यह तल्हा-ज़ुबैर-मुआवीया और बीबी आयशा पर फटकार डालते हैं ।

(६५) मुत्तराज़ीयाह--इनका कथन है, कि मुस्लिम बादशाह पर आक्रमण वैध है ।

(६६) ख़्वारिजायाह-सर्वप्रथम जो हज़रत अली पर चढ़ाई कर पृथक हो गये और अनिश्चित शब्द कहे । जब हीज़री २७ मे मुआवीया और हज़रत अली की सेनाओं सफ़ीन नामक स्थान पर युद्ध हुआ, तो मुआवीया की सेना के हृदय हज़रत अली की तलवार से आतंकित हो गये । उस समय उन्होंने कुरआन को नेज़ों पर रख कर उच्च स्वर से कहलवाया, कि यह खुदाई वाणी तुम्हारे और हमारे मध्य है । उस समय मुहअर बिन कदकी, तमीमी और ज़ुबेद बिन हुसैन ताई २० हजार तलवार बाजों सहित हज़रत अली की सेवा में आये और एक जमात कुरआन पाठकों की भी आई । जो उसके पश्चात ख़्वारिज कहलाये, उनके साथ थे । उन्होंने निवेदन किया कि आपको ज्ञात है कि हमने हज़रत उस्मान को इसलिए क़त्ल कियाथा, कि वह अल्लाहकी वाणी के अनुसार कार्य नही करते थे । जब शामनिवासी आपसे प्रार्थना करते हैं, कि अल्लाह की पुस्तकानुसार निर्णय कर लिया जाये तो उनकी सम्मति स्वीकारना चाहिये, अन्यथा आपको भी उसी भाँति क़त्ल कर देंगे अथवा शत्रु के हवाले कर देंगे । हज़रत अली ने उत्तर दिया–तुम अपनी सच्चाई से शत्रुओं के साथ युद्ध करते जाओ । यह कार्य उन्होने तुम्हे धोखा देने हेतु किया है । मैं उनसे इस बात का अधिक अधिकारी हूँ, कि अल्लाह की पुस्तकानुसार आदेश प्रसारित करूं । मुआविया अमरू बिन आस और इब्ने अबी मोईत आदि ऐसे दीनदार (धार्मिक) और कुरआन के आज्ञाकारी नहीं हैं । मैं उनको भलि-भांति जानता

हूं। यह षड्यन्त्र उन्होंने इसलिए खड़ा किया है, कि हमारे हाथों से मुक्ति प्राप्त करें, किन्तु उन लोगों ने हज़रत अली की आज्ञा स्वीकार नहीं की। अशअस बिन कैस ने हज़रत अली से कहा—आपकी सम्पूर्ण सेना कुरआन की आज्ञा पर आकांक्षा रखती है। जो बात मुआविया ने प्रस्तुत की है, उससे समस्त सहमत हैं। मुझे आज्ञा हो, कि मैं मुआविया के पास पहुँच कर उसकी हार्दिक भावना ज्ञात करूँ। हज़रत अली ने उससे कहा--तेरी इच्छा ! वह मुआविया के पास गया और पूछा—तुमने किसलिए कुरआन उठाया ? मुआविया ने कहा--मैं यह चाहता हूँ, कि एक व्यक्ति मेरी ओर से और एक व्यक्ति हज़रत अली की ओर से मध्यस्थ निश्चित हो और वह जो अल्लाह की पुस्तकानुसार निर्णय कर दें, उस पर हम दोनों अमल करें। तत्पश्चात शामवासियों ने कहा--हम अपनी ओर से अमरू बिन आस को मध्यस्थ करते हैं। असअश बिन कैस और कुरआनपाठकों ने कहा—हजरत अली की ओर से अबू मूसा अशअरी निश्चित हो। हज़रत अली ने कहा--मैं अबू मूसा को इस योग्य नहीं समझता हूँ, क्योंकि कई महिनों तक वह मेरे अवज्ञाकारी रहे हैं और लोगों को मेरी ओर आने से रोकते थे। यदि मध्यस्थ होना आवश्यक है, तो अब्दुल्ला बिन अब्बास को मेरी ओर से निश्चित करना चाहिये। अराफियों ने उत्तर दिया--वह आपके निकटवर्ती सम्बन्धी सगे है, कोई अन्य व्यक्ति होना चाहिये। हज़रत अली ने कहा-मालिक अस्तर को निश्चित करो। असअश ने कहा-यह सम्पूर्ण उत्पात, तो उसी का उत्पन्न किया हुआ है। वह घोड़ा दौड़ाना और युद्ध करना जानते है। वह कुरआनानुसार क्या मध्यस्था करेंगे ? उन लोगों ने हज़रत अली को विवश कर दिया, कि वह अबू मूसा को मध्यस्थ स्वीकारें। पंचनामा लिखा गया। पंचनामा सफर १३ हिज़री २७ को लिखा गया। इस अनुबन्ध पत्र को शाम की सेना में जा

कर सुना दिया, तो वह प्रसन्न हो गये। तत्पश्चात अराक की सेना में सुनाया गया। जहां ४ हजार व्यक्ति हज़रत अली के खड़े थे, तो सादान और ज़ादान उस अनुबन्ध पत्र को सुन कर क्रोधित हो गये और कहने लगे-हकम और हुकूमत (शासक और शासन) अल्लाह हेतु हैं। यह कह कर म्यान से तलवारें निकाल कर शाम की सेना में घुस गये और वहाँ युद्ध करते-करते मारे गये। तत्पश्चात अशअस कबीला मूराद के पास आया और वह अनुबन्ध पत्र सुनाया तो उस कबीले (समूह) के सरदारों ने अधिक नापसन्द किया और कहने लगे-"ला हकमा इल्लिल्लाह बा लौ करें हल् मुशरेकुन्" अर्थात यह कोई मध्यस्थ नहीं है, किन्तु अल्लाह। यद्यपि मुशरिक बुरा माने। तत्पश्चात वह अली की सम्पूर्ण सेना में गया। समस्त ने अस्वीकार किया। फिर एक युवक निकला और शाम के लश्कर (सेना) में घुस पड़ा और वहां फिर अराक की सेना में आया और लड़ा एवं पुकार-पुकार कर कहता जाता था, कि ऐ लोगों! जैसे मैं मुआविया से विमुख हूँ, उसी भांति हज़रत अली से भी विमुख हूँ, और मारा गया। उसके पश्चात असअश हज़रत अली के पास आया और कहा--सम्पूर्ण सेना ने अनुबन्ध पत्र को स्वीकार लिया है, किन्तु किञ्चित लोगों ने नहीं स्वीकारा है। यह वार्ता हो ही रही थी कि वहां अधिकतर लोग एकत्रित हो गये और उन्होंने कहा-ऐ अली! तुम भी तौबा (पश्चाताप) करो, पुनः उसी भांति मुआविया से युद्धारम्भ कर दो। यह लोग वही हैं, जो ख़वारिज़ कहलाये। जब उनकी बात को हजरत अली ने नहीं स्वीकारी तो यह ६ हजार की सेना अली से विद्रोही होकर हरोरा के समीप कूफा से २ मील की दूरी पर ठहर गई और उन्होंने अपना अमीर शीन बिन रबी को बना लिया और हज़रत अली का नाम मुस्ती अर्थात अपराधी रख दिया। हज़रत अली ने उनको अत्याधिक समझाया किन्तु

वह नहीं माने । तत्पश्चात उन समस्त ने अब्दुल्ला बिन वहाब, जो महान नेक था । उसकी बैअत (शिष्यता) कर ली । यह समस्त मिल कर १२ हज़ार व्यक्ति हो गये । फिर यह लोग नेहरवान जो बग़दाद और दजला के मध्य हैं, चले गये । जो मुसलमान उनको मिलता, उसे मार डालते और उनकी सम्पत्ति लूट लेते । वहां पर अली की ओर से अब्दुल्ला बिन ज़न्नाद सूवा थे, उ को भी कत्ल कर दिया । हज़रत अली ने मुआविया से युद्ध हेतु शाम पर चढ़ाई कर रहे थे, कि आपको सूचना प्राप्त हुई कि ख़्वारिज़ देश में उत्पात मचा रहे हैं । मुसलमानों को जहाँ पाते हैं, मार डालते हैं । उनका विचार यह है, कि हज़रत अली शाम को चले जायें, तो हम कूफ़ा को लूट लें । हज़रत अली ने शाम का विचार स्थगित कर ख़्वारिज़ का पीछा किया और नेहरवान पहूँच कर ख़्वारिज़ को अत्याधिक समझाया, तो ८ हजार व्यक्ति मान गये और शेष ४ हजार नहीं माने । हज़रत अली ने उनसे युद्ध किया और २ हजार ६०० लोगों को मार डाला तथा शेष समस्त भाग गये । यह उन्हीं लोगों की सन्तान हैं, जो ख़्वारिज़ कहलाते है । तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ३०९ से ३१०

यह ख़्वारिज़ लोग जिन मुसलमानों ने आपस में परस्पर युद्ध किये । जैसे,–तल्हा, ज़ुबैर, हज़रत उस्मान, अली, मुआविया और अमरू बिन आस को काफ़िर कहते है । 'नवाशयाह' भी यही मानते है, और हजरत अली और उनकी सन्तति से द्वेष रखते हैं ।

तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ३१२

ख़्वारिज़ के अत्याधिक सम्प्रदाय हैं । यह हज़रत अली और उनकी सन्तति के विशेष शत्रु हैं । इस्लाम के और भी अत्याधिक सम्प्रदाय हैं । पुस्तक के आकार-प्रकार की वृद्धि के

भय से हम उन्हें यहां नहीं लिख रहे हैं। इस विषय पर तो एक बृहदाकार ग्रन्थ लिखा जा सकता है। यहां पर इस्लाम के मात्र किञ्चित सम्प्रदायों का वर्णन है जो उदाहरण के आधार पर लिखे गये हैं। हमारा विषय यह है कि कुरआन और उसके व्याख्याकारों ने जो दोष यहूदियों पर आरोपित किये है, वह उनसे बढ़ कर इस्लाम में हैं। इस बात से आपको यह ज्ञान हो जायेगा कि इस्लाम के वृक्ष में कैसे फल लगे हैं। कुरआन के सम्बन्ध में जो लिख रहे हैं, यह उसी शिक्षा का फल है कि ऐसे कड़वे फल हैं, जो कि संसार की शान्ति हेतु अत्याधिक घातक हैं।

इस विषय को यहीं छोड़ कर हम अपने मूल विषय को प्रारम्भ करते हैं। जिन आयतों को हम ऊपर लिख चुके हैं, उनके अर्थ तो हम लिख चुके हैं किन्तु व्याख्या अब लिख रहे हैं। ताकि आप तात्पर्य उचित रूप में समझ सकें।

तफसीर मज़हरी में व्याख्या इस प्रकार है:—और उस समय को स्मरण करो, जब हमने बनी इस्राईल से वचन लिया कि खुदा के अतिरिक्त किसी की भक्ति न करना और यह वचन-बद्धता तौरात के अन्तर्गत हुई है। आयत में 'ताबुदौना' शब्द आया है। इब्ने कसीर और कसाई ने 'याबोदोना' पढ़ा है, और माता-पिता और सम्बन्धियों-अनाथों एवं दुखियों से सद्व्यवहार करना।

इब्ने अब्बास सईद बिन जुबेर और अन्य व्याख्याकार कहते हैं, कि हज़रत मुहम्मद की शान में सत्य बात करो, और नमाज़ पढ़ते रहो, ज़कात देते रहो। तत्पश्चात तनिक व्यक्तियों के अतिरिक्त तुम समस्त विमुख हो गए, और तुम लोग हो भी विमुख होने वाले, अर्थात तुम्हारा तो स्वभाव ही वचन करके

विमुख हो जाना है। फिर तुम्हारे पूर्वज वचन कर विमुख हो गए।

दूसरी भाषा इस प्रकार है, कि और वह समय स्मरण करो जब हमने तुमसे वचन लिया कि परस्पर रक्तपात न करना और न अपने लोगों को नगरों से निष्कासित करना। तुमने इस वचन की प्रतिज्ञा ली और तुम इस बात के साक्षी हो। अथवा यह अर्थ होगा कि तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसा अनुबन्ध किया था और फिर तुम वही हो कि परस्पर रक्तपात करते थे, और एक सम्प्रदाय को देश से निष्कासित कर देते हो और दूसरों की सहायता कर रहे हो और वही लोग दूसरों के बन्दी होकर आये, तो उनका प्रतिकार देकर उन्हें मुक्त करा लेते हो।

सद्दी ने फरमाया कि अल्लाह ने तौरात में बनी इस्राईल से वचन लिया था, कि परस्पर एक-दूसरे को कत्ल न करना एवं बनी इस्राईल में से कहीं भी दास-दासी मिले तो उन्हें क्रय कर स्वतन्त्र कर दें। उसका किस्सा यह है कि बनी कुरेज़ा ओस्क के और बनी नज़ीर परस्पर युद्ध करते थे और जब एक-दूसरे पर प्रभूत्व प्राप्त कर लेते तो उनके घरों को नष्ट कर देते और उन्हें देश से निष्कासित कर देते थे, किन्तु किसी और स्थान पर दोनों सम्प्रदायों में से कोई व्यक्ति बन्दी हो जाता, तो दोनों सम्प्रदाय मिल कर उसका प्रतिकार देकर मुक्त करा लेते। इस पर अरबी लोग उन्हें बुरा कहते, तो वह उत्तर देते, कि अल्लाह की आज्ञा है।

अल्लाह ने उनको तीन आदेश दिये थे (१) परस्पर रक्तपात न करना। २) किसी को देश से निष्कासित न करना और (३) एक-दूसरे का सहायक रहना, इत्यादि।

तारीख मज़हरी पारा १ पृष्ठ १५२ से ५७

आयत के अर्थों में निम्न बातों पर दृष्टिपात कीजिये, कि खुदा इस्राईल से वचन-बद्धता करता रहा। अल्लाह को वचन-बद्धता करने की क्या आवश्यकता थी ? यह खुदा का कार्य नहीं। वचनबद्धता करने वाले परस्पर मनुष्य होते है, खुदा नहीं हो सकता, और फिर मात्र बनी इस्राईल से ही वचनबद्धता करता रहा और किसी जाति या सम्प्रदाय से नहीं ? यह खुदा भी ऐसा परोक्ष अनभिज्ञ है, कि बारम्बार इस्राईल से वचनबद्धता करता रहा और वह बारम्बार उसकी अवज्ञा कर वचन भग करते रहे और तत्पश्चात भी खुदा को यह सूझ न पड़ी कि ऐसे अवज्ञा-कारियों से वचनबद्धता न करना चाहिये और फिर भी खुदा उनसे वचनबद्धता करता रहा, और बनी इस्राईल भी ऐसे पार-पूर्ण रहे कि खुदा की एक भी आज्ञा का पालन न किया। यहाँ तक उनसे वचन पूर्ण कराने हेतु खुदा ने उन पर पहाड़ लटका दिया, उन्होंने उसकी भी चिन्ता नहीं की। फिर है, कि परस्पर न लड़ना, तो क्या इस्लाम परस्पर नहीं लडा ? हम इस्लाम के पारस्परिक युद्ध के कतिपय उदाहरण लिख चुके है।

जो बातें बनी इस्राईल हेतु लिखी गई हैं, वह तो एतिहासिक मात्र हैं, उनका ईश्वरीय ज्ञान से क्या सम्बन्ध है ? जबकि बनी इस्राईल का सम्पूर्ण वृतान्त तौरात में उपलब्ध है और वहां से पठन किया जा सकता है। तौरात का अरबी में अनुवाद किया जा सकता था, फिर अरबी में खुदा के नाम से विख्यात करने की क्या आवश्यकता थी ? और यह भी कहा गया कि तुम्हारे पूर्वज वचन से विमुख हो गये और तुम उन्हीं की सन्तान हो। यह कोई अनिवार्य नहीं कि पूर्वज विमुख हो गये थे तो यह भी विमुख हो जायेंगे। इतिहास साक्षी है, और प्रत्येक के अनुभव मे भी यह बात है, कि भले लोगों की सन्तान बुरी और बुरे लोगों की सन्तान

भली निकल जाती है। चोर की सन्तान साधु और साधु की सन्तानें चोर देखने में आती है। यदि पूर्वजों के प्रभाव से सन्तति भी वैसी ही होना अनिवार्य है, तो फिर एक व्यक्ति एक बार बुरा हुआ, तो उसकी सन्तान वंशानुगत बुरी ही होगी, किन्तु यह बात प्रत्यक्ष में सत्य नहीं है, और यह धारणा किसी भी विद्वान की सत्य नहीं हो सकती है। फिर परस्पर न लड़ने का वचन मात्र यहूदियों पर ही प्रमाणित नहीं होता, अपितु मुसलमानों पर भी प्रभावित है, तो फिर मुसलमान आपस में क्यों लड़ें ? इन्होंने तो परस्पर लड़ने में यहूदियों को भी मात दे दी कहने का अभिप्राय यह है, कि जो आरोप हज़रत मुहम्मद साहिब ने यहूदियों पर आरोपित किये, वह समस्त इस्लाम पर प्रभावित है। अतः वह समस्त आरोप जो कुरआन ने यहूदियों पर आरोपित किये हैं, वह इस्लाम पर भी आरोपित करना चाहिये ? आगे आयत है:—

वा लकद आतैना मूसल्केताबा वा कफ़्फ़ैना मिम्बाद्देही बर्रसुल्। वा आतैना ईसब्ना मर्यमल्बय्येनाते वा अय्यदनाहो बिरूहिल्कुदुस्। अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम्बेमा ला तहवा अन्फ़ुसकोमुस्तल्बर्तुम् फ़ फ़रीकन कज्जब्तुम व फरीकन तक्तोलून। वा कालू कुलूबुना गुल्फ़ बल्लानहो मुल्लाहो बेकुफ़्रेहिम् फ़ कलीलम्मा यौमेनून। कुरआन पारा १ आयत ८८–८९

अर्थ—और हम (खुदा) ने मूसा को किताब (तौरात) दी, और उसके पश्चात निरन्तर एक के पश्चात एक पैग़म्बर भेजते रहे, और फिर हमने मरियम के पुत्र ईसा को (नबव्वत के) स्पष्ट चमत्कार प्रदान किये, और हमने उसको प्रवित्रात्मा से समर्थन दिया, और जब कभी भी कोई ईश्वरीय दूत तुम्हारे पास ऐसे आदेश लाये जो तुम्हारे हृदय न चाहते, तब तुमने अस्वीकृत

करना प्रारम्भ कर दिया, और कुछ एक को हमने मिथ्या कहा और कुछ एक की निर्भय होकर हत्या कर दी, और वह (यहूदी) अभिमानपूर्वक कहते हैं कि हमारे हृदय सुरक्षित हैं, अपितु उनके कुफ्र के कारण उन पर ख़ुदा की फटकार है, और तुम तनिक ईमान रखते हो। तफ़सीर इब्ने कसीर पारा १ पृ. ४३–४४

व्याख्या:–अभी तक बनी इस्राईल को इस हठधर्मी और मूर्खतापूर्ण दावा, कि हम ४० दिनों अथवा ४० वर्षों से अधिक नर्क में कदापि नहीं रहेंगे। (इस विषय पर हम पूर्व में विस्तारसहित लिख आये हैं, कि जैसा यहूदी कहते हैं, उससे बढ़ कर इस्लाम भी ऐसा ही कहता है।) इसका पूर्व में पूर्ण समाधान नहीं हो सका था, क्योंकि वह प्रथम लेख को सुन कर कहते थे, कि हमारा पारस्परिक रक्तपात और देश निष्कासन पर जो शपथ और वचनभंगता करना यद्यपि महापाप है। .. .. और इसमें है कि इस प्रकार के बड़े-बड़े पाप हैं और अधर्मी हेतु नर्क यातना सदैव होना सर्वसम्मत है। उनकी इस बात को यहां पर निरस्त करता है, प्रथम तो उसका फ़ाजिर व फ़ासिक का संकट उस स्थिति में कट सकता है कि उसका फ़िस्क (अधर्म) कुफ्र के साथ सम्मिलित न हुआ हो तुम्हारे अधर्म के सदृश कि वह कुफ्र से सम्बन्धित है।.....किन्तु यह तो बताओ कि हमारे पैग़म्बरों पर ईमान न लाना और स्पष्ट रूप में झुटलाना और कुछ एक की जानबूझ कर हत्या करना कुफ्र है अथवा नहीं? और काफ़िर हेतु अज़ाब अनादि है। देखो हमने मूसा को तौरात प्रदान की, जिसमें हमारे वचन और वर्तव्य उल्लेखित हैं उनके साथ यह भी एक एहद (प्रतिज्ञा) था, कि जो ईश्वरीय दूत आते जायें उन पर ईमान लाते रहना और उनकी आज्ञापालन करना। फिर हमने मूसा के मरणोपरान्त मूसा की शरीअत की वह आज्ञाएँ, जो बनी इस्राईल के आलस्यवश लुप्त हो चुकी थीं

अथवा तौरात के ज्ञाताओं के कारण परिवर्तित हो चुकी थी, उनके (ठीक करने) हेतु निरन्तर दूत भेजे। जैसे यूशा-इल्यास और शमोईल इत्यादि और इतकी समाप्ति ईसा पर हुई। ईसा को कतिपय आदेश तौरात-विरूद्ध भी दिये गये थे और स्पष्ट चमत्कार दिये गये थे। जैसे मृतकों को जीवित करना और अंधों को आँखे देना, इत्यादि और हमने ईसा की पवित्रात्मासहित सहायता की थी, जिसके परिणामस्वरूप उसने तुम्हें विचित्र चमत्कार दर्शाये, किन्तु तुम्हारा व्यवहार ईश्वरीय दूतों के साथ प्रतिकूल और बुरा था। यहां तक कि तुमने एक समुदाय को नकारा और दूसरे की हत्या कर दी। यह व्यवहार तुमने उनके साथ इस कारण किया, कि तुम्हारी रूचि और सम्मति के विरूद्ध आदेश देते थे और तौरात की आज्ञाओं को तुम पर अनिवार्य करना चाहते थे।

तत्पश्चात खुदा यहूद की एक और मूर्खतापूर्ण बात अथवा जो कुरआन मजीद पर ईमान लाने और हज़रत मुहम्मद की आज्ञापालन करने से इन्होंने इस अन्तिम पैगम्बर मुहम्मद को निराश और हतोत्साह कर दिया, इस सम्बन्ध में थी और हज़रतकालीन यहूद जो यह कहते हैं कि हमारे हृदय आवरण में हैं, अर्थात हमारे हृदय के अतिरिक्त हम और अन्य किसी व्यक्ति की बात हमारे हृदय पर प्रभाव नहीं करती और हज़रत मुहम्मद को प्रभावशाली वक्तृतता किञ्चित भी हृदयंगम होती अपितु सर्वथा मिथ्या और कपोल कल्पित है।

तफ़सीर आज़मुत्तफासीर पारा १ पृष्ठ २१४-१५

हम विस्तारपूर्वक लिख आये हैं, जैसा कि यहूदी कहते हैं कि हम किञ्चित दिनों हेतु ही नर्क में रहेंगे किन्तु मुसलमान

इनसे भी बढ़ कर हैं। जैसा कि तज़रीदे बुखारी में लिखा:—

जो कोई कल्मा शहादत पढ़ेगा और उसको हृदय से सत्य स्वीकारेगा तो उस पर नर्काग्नि हराम (अवैध) कर दी जायेगी।

तज़रीदे बुखारी हदीस १०५ पृष्ठ ५१

मसीह (ईसा) द्वारा मृतकों को जीवित करने के सम्बन्ध मे चीफ जस्टिज़ जेकालयट चन्द्रनगर ने अपनी पुस्तक "भारत में बाइबिल" में लिखा है कि:-

यदि मसीह मृतक जीवित करता होता, तो कैसे हो सकता था, कि लोग उनके विचारों को नहीं स्वीकारते ? लोग तो उनके चरणों में अपना मस्तक धर देते। अतः यह चमत्कार मिथ्या है।

जिन लोगों ने विभिन्न सन्तों–महन्तों और अवतारों के इतिहास पढ़े हैं, उनको ज्ञात हैं कि ऐसे मृतकों को जीवित करने सम्बन्धी अन्य चमत्कार उनके इतिहास में अत्याधिक उपलब्ध हैं। हमने भी "इन्जीलों में परस्पर विरोधी कल्पनाएँ" नामक पुस्तक में गुजराती सन्त जलाराम के जीवन को लिखा है, जो कि ईसा मसीह से भी बढ़ कर हैं। लोगों को दिग्भ्रमित करने और भरमाने हेतु ऐसे विचार कई लोग लिखते ही रहते हैं जिनमें रंचमात्र भी सत्यता नहीं होती है।

उपरोक्त आयतों में लिखा है, कि हमने मूसा को पुस्तक दी और उसके पश्चात पैगम्बरों को भेजा, और हमने मरियम के पुत्र ईसा को चमत्कार दिये किन्तु कुरआन पारा २७ रकू ४/ २० की आयत ' वा लकद अर्सल्ना नूहन् ' आदि में मूसा का वर्णन नहीं है।

अब विवेकशील पाठक ! विचार करे कि कुरआन का यह क्रम क्या है ? और निम्नलिखित आयत भी देखें उपर्युक्त आयतों में यह भी है, कि हमने ईसा को भी पुस्तक दी। हम जो आयतें आगे प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको देखते हुए ईसा को पुस्तक देने की कोई आवश्यकता दृष्टिगोचर नहीं होती। जिस मार्ग पर ईसा चले, उसी मार्ग पर ही हज़रत मुहम्मद भी चले। जो आयत हम लिख रहे हैं, इससे आप अवश्य इस निर्णय पर पहुँचेगे कि मूसा के पश्चात हज़रत मुहम्मद को पुस्तक की आवश्यकता ही न थी। आयत :-

क़ाला या मूसा इन्निस्तफ़ैतोका अलन्नासे बिरेसाल्ती वा बिकलामी फ़रवुज़ मा आतैतोका वा कुम्मिनश्शाकेरीन्। वा कतब्नालहू मिन् कुल्ले शैइम्मोइज़ातुंव्व तफ़सीलल्ले कुल्ले शैयइन। फ़ख़ुज़्हाबे कुव्वा तिंव्वामुर कौम का या ख़ौज़ू बे अहसने हा सावरीकुम् दा रल्फ़ा-सेकीन।

कुरआन पारा ९ रकू १७/७ (एराफ़)

अर्थः-अल्लाह ने कहा-ऐ मूसा ! निसन्देह मैंने लोगों पर तुझको अपनी पैग़म्बरी और अपने साथ वार्तालाप करने के कारण श्रेष्ठता प्रदान की है। और तुझे निर्वाचित कर लिया है, और मैंने तुझे (तौरात) दिया है, उसको ले और धन्यवाद कर। और हमने इसके (तौरात) हेतु पट्टीयों पर प्रत्येक प्रकार की शिक्षा और (आज्ञाओं में से) प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में विस्तृत लिख दिया है। तू इसको शक्तिसहित पकड़ और अपनी जाति को आज्ञा कर कि वह इनमें से अच्छी आज्ञाओं को धारण करें। निकट भविष्य में तुझको अवज्ञाओं का घर दिखाऊँगा।

अब कुरआन की इस आयत में लिखा है, कि इस पुस्तक में, जो तौरात है। प्रत्येक भाँति की शिक्षा और कुल वस्तुओं की सम्पूर्ण जानकारी लिखी गई है। इस स्थिति में इसके पश्चात और किसी पुस्तक की आवश्यकता नही है, क्योंकि इसमें सम्पूर्ण शिक्षा और समस्त वस्तु सम्बन्धी ज्ञान निहित है, मुसलमान जिस भाँति कुरआन को खुदाई पुस्तक मानते हैं, उसी भांति तौरात को भी मानते हैं। जब कुरआन के सम्बन्ध में इनका यह सिद्धान्त है, जैसा कि स्वयं कुरआन में कहा गया है, कि हमने ही इस कुरआन को उतारा है, और हम पर इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व है। इसी भाँति 'तौरात' भी खुदाई वाणी मानी जाती है। इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व भी खुदा पर ही होना चाहिये ?

ईसा के भक्तों ने उसके नाम से अपनी पुस्तक 'इन्जील' प्रस्तुत कर विश्व में उत्पात की नींव रखी। तत्पश्चात हज़रत मुहम्मद ने यही बात प्रस्तुत की, कि मेरी पुस्तक 'कुरआन' खुदाई पुस्तक है। हज़रत मुहम्मद की इस घोषणा से सम्पूर्ण विश्व में शत्रुता और द्वेष का बीजारोपण हो गया। जो कि ईसाईयों-यहूदियों और मुसलमानों में तब से लेकर आज तक वैमनस्य व्याप्त है, और परिणामस्वरुप युद्ध-हत्याएँ-उत्पात और लूटमार की घटनाओं से ओतप्रोत रक्तरंजित इतिहास भरे पड़े हैं। जो कि इन दोनों हज़रतों ईसा और मुहम्मद के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। यदि यही पुस्तक ऐसी होती कि जिसका दोनों समर्थन करते तो लाखों करोड़ों निर्दोषों की हत्याओं-युद्ध-आक्रमण और लूटमार से विश्व का इतिहास रक्तरंजित नही होता और विश्व के लोग शाँतिपूर्वक एक ही सिद्धांतानुसार अपना जीवनयापन करते।

पाठकों से सानुरोध आग्रह है कि वह गम्भीरतापूर्वक हज़रत ईसा और हज़रत मुहम्मद की इन उपजों पर विचार अवश्य करें और इस सत्य को समझें कि यदि हज़रत ईसा हज़रत मुहम्मद के पृथक सिद्धांत न होते तो ससार शान्ति से निर्वाह करता और कोई विवाद न उत्पन्न होता। यही कारण है कि इस विवादाग्रस्त उपद्रव को लक्ष्य में रखते हुए स्वयँ ही यह प्रतिबन्ध कर दिया, कि मेरे पश्चात कोई पैगम्बर नहीं होगा और न कोई पुस्तक ही आयेगी। जो इन्जील आज उपलब्ध हैं, वह ईसा के मरणोपरान्त कई वर्षों के पश्चात इतिहास के रूप में ईसा के भक्तों ने लिखी। ईसा के समय तो इन पुस्तकों नाम तक भी नहीं था। फिर जो इन्जील खुदा ने ईसा को दी, वह कौन सी है और कहां है ? जिस भांति मूसा की पुस्तक की कथाओं को कुरआन में विभिन्न स्थानों पर अंकित किया गया है। इसी भांति इन्जील की कौन सी कथा या कहानी कुरआन में है ? और जब कुरआन में आता है, **'वा कफ्फैना बेईसब्ने मरियम वा आतैनाहुम इन्जील'** अर्थात हज़रत मूसा के पश्चात ईसा को इन्जील दी। क्या जिस समय यह आयत उतरी कही जाती है, क्या उस समय इन्जील उपलब्ध थी ? जिसे खुदा ने ईसा को दी थी। यदि यह उपलब्ध इन्जील जो हमारे वर्तमान में सन्मुख है, यह खुदा की दी हुई नहीं थी, तो कुरआन में क्यों नहीं लिखा गया कि यह इन्जील वह नहीं है, जो मैंने ईसा को दी। वर्तमान में अनेक मुसलमान विद्वानों ने इस विषय पर पुस्तकें लिखी है। हम एक विद्वान शेख अल्लामा अबू मोहम्मद अब्दुलहक हक्कानी देहलवी की अपनी पुस्तक **अल्बेआन इल्मुल कुरआन** पृष्ठ २०१ से २३५ तक में विस्तारसहित लिखा हैं, जिसका संक्षिप्त हम यहां दे रहे हैं। इन्होंने लिखा कि:-

यह असली तौरात नहीं है। यह नये समय की यह पुस्तकें

हैं। इन्जील मत्ती जिसे हज़रत ईसा के मरणोपरान्त मत्ती हवारी ने ईसा की उत्पत्ति से मरणपर्यन्त के समाचारों को ऐतिहासिक ढंग से संकलित कर लिया। इसी प्रकार दूसरी इन्जील मरकस की लिखी हुई है। इसमें भी आरम्भ से लेकर अन्त तक मसीह की घटी घटनाएँ और सुनी सुनाई बातों का वर्णन किया है, क्योंकि मरकस हवारी नहीं था। लूका की इन्जील, यह भी हज-रत ईसा का इतिहास ही है, जिसे लोगों से सुन--सुन कर लिखा गया है। वह क्या अपितु उसका गुरु पोलुश भी हवारी न था। वह अपनी पुस्तक के प्रारम्भ में ही स्वीकारता है और अधिकांश लोगों ने कमर कसी कि उन कार्यों को जो यथार्थ में हमारे मध्य हुए हैं, वर्णित करें। जिस भांति उन्होंने आरम्भ से देखनेवाले और सेवा करने वाले थे, उन्होंने हमसे वर्णित किया है। मैंने भी उचित समझा कि सबको प्रारम्भ से भलिभाँति जानकारी प्राप्त कर के तेरे हेतु ऐ क्यूफन्स ! शृंखलाबद्ध लिखूँ। (इसमें तो स्पष्ट वर्णित है कि मैं इतिहास लिख रहा हूँ।) चौथा यहून्ना ने हज़रत ईसा का सम्पूर्ण वृतान्त आदि से अन्त तक लिखा है। जिसका अन्तिम पद यह है, कि "और भी बहुत से कार्य हैं, जो ईसा ने किये और यदि वह समस्त लिखे जाते तो मैं विचारता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वह सन्सार में न समाती।" इन्जीलों का निर्माणकाल इस प्रकार लिखा है, कि मत्ती की इन्जील २७ से ६४ तक। दूसरी मरकस इन्जील ५६ से ६४ तक। तीसरी लूका कृत ५३ से ६४ तक और चौथी यहून्ना कृत इन्जील ६८ से ९७ तक सुनाई और सुनी गई।

इल्मुल कुरआन पृष्ठ ३०३

तफसीर हक्कानी भाग ३ पृष्ठ १२६ से ४०

जब इंजीलें ईसा के मरणोपरान्त लिखी गई और इन्जील

नाम से विख्यात हो गई, तो फिर हज़रत मुहम्मद को ख़ुदा ने यह क्यों नहीं कहा, कि यह इन्जीले वह नहीं है, जो मैंने ईसा को दी थी ।

यदि यह कुरआन ख़ुदाई वाणी होती, तो इन्जील विषयक यह अवश्य होता, कि यह वह इन्जील नहीं है । इन्जील और तौरात के विषय में कुरआन में जो बारम्बार लिखा गया है कि वह ख़ुदा की ओर से है, ताकि ईसाई और यहूदियों पर यह प्रभाव हो सके कि हज़रत मुहम्मद हमारी पुस्तकों को ख़ुदाई वाणी स्वीकारते हैं और हमारे पैगम्बरों को भी मानते हैं । यह इस्लाम विस्तारने का एक सुगम मार्ग था अर्थात् ईसाई और यहूदी इस बात से प्रभावित और प्रेरित होकर मुसलमान हो जायें और इस बात को अगली आयतों में वर्णित भी की गई है, जो निम्नानुसार हैं:—

वा लम्मा जाआहुम् केताबुम्मिन् इन्दिल्लाहे मुसद्दे कुल्लेमा मआहुम् । वा कानू मिन् कब्लो यस्तफ़्तेहूना अलल्लाज़ीना कफ़रू । फ़लम्मा जाआहुम्मा अरफू कफ़रू बेही फ़लानतुल्लाहे अलल्काफ़ेरीन । बेसमशतरौबेही अन्फ़सहुम अंय्यकफ़ोरू बेमा अन्ज़लल्लाहो बग़यन अंय्युनज़्ज़ेलल्लाहो मिन् फ़ज़्लेही अला मंय्यशाओं मिन् इबादेही फ़बाऊ बेगज़बिन् अला ग़ज़ब् । वा लिल्काफ़ेरीना अज़ाबुम्मोहीन् । कुरआन पारा १ आयत ९०-९१

अर्थ:—जब अल्लाह के पास से उनके पास पुस्तक आई, जो सत्य करने वाली है, उस वस्तु के हेतु उनके साथ है । और इससे पूर्व विजय मानते उन लोगों पर जो काफ़िर थे । फिर जब आया इनके पास, जो कुछ पहचानता था उसके साथ काफ़िर हुए । फिर अल्लाह की फटकार है काफ़िरों पर । जो कुछ उन्होंने मोल लिया वह बुरा है । उसके प्रतिकूल अपने प्राणों के यह कि कुफ्र

बुरे इस वस्तु के साथ कि अल्लाह ने उतारी, अवज्ञाकारी होकर कि उतारे खुदा अपनी महत्ता से अपने बन्दों में से जिस पर चाहे। फिर आया साथ रोष के ऊपर रोष के, और काफिरों हेतु संकट है अनादर करनेवाला।

आज़मृत्तफासीर पारा १ पृष्ठ २१६

व्याख्या:-जब उन यहूदियों हेतु खुदा की ओर से एक ऐसी पुस्तक आई जिसमें मूसा के मत के सिद्धांतों का समर्थन है, और जो काफ़िरों व मुशरिकों के मुकाबिले में यहूदियों हेतु न्याय की साक्षी के तुल्य है, अर्थात कुरआन मजीद। तो उसको भी मानने से इन्कारी (विमुख) हो गये और मजे की बात यह है कि तौरात की शुभ सूचनानुसार वह व्यवस्था अध्याय १८ में जिसे व्याख्याकार ने प्रमाण दिया है। वह इस प्रकार है:-

खुदावन्द खुदा ! तेरे हेतु तेरे ही बन्धुओं में से मेरे सदृश्य एक नबी भेजेगा, तो उसकी ओर कान धरना (इसमें तो यह है कि बनी इस्राईल में से एक मनुष्य होगा, उस पर कान धरना। यह उद्धरण उस आयत की भाँति नहीं होता क्योंकि वहां बनी इस्राईल में से नबी होना लिखा है, किन्तु हज़रत मुहम्मद तो बनी इस्राईल में से नहीं थे।) और अन्य नबियों की पुस्तकों जैसे समोईल व हीज़्कील व दानीयाल के, एक नबी अन्तिम समय में आने वाले हेतु यहूदी प्रतिज्ञा कर रहे थे (समोईल और हिज़्कील में भी हज़रत मुहम्मद हेतु कुछ नहीं) कि जिस पर विरोधियों के मुकाबिले में अपनी उन्नति और विजयकाल को अवलम्बित कर रखा था, और मदीनावासी यहूदी बनी असद्र और गत्फान आदि परिवार अरबों से जब पराजित हो विवश होते थे, तो अपने विद्वानों की शिक्षानुसार यह प्रार्थना करते थें, ऐ खुदा ! हमको अन्तिम समय के नबी और कुरआन मजीद की

बरकत से हमारे शत्रुओं पर हमको विजय प्राप्त करा। इसका वर्णन हाकिम और बैहकी ने किया।

इसी भांति इमाम अहमद और तिब्रानी सलमाह बिन केस से वर्णित किया, कि हमारी बस्ती अब्दुल अशहल में एक यहूदी रहता था। उसने हमसे कयामत के फल और सॉकट का वर्णन किया, तो हमने उससे पूछा, तो उसने कहा–निकट भविष्य में मक्का और चमन की ओर एक नबी आयेगा, वह इस बात को प्रमाणित करेगा। हमने पूछा–वह कब प्रकट होगा ? उसने मेरी ओर दृष्टि कर के कहा–यदि यह बालक अपनी पूरी उम्र तक जीवित रहेगा, तो उसे देख लेगा। सलमाह कहते हैं, कि किञ्चित दिनों पश्चात ही मुहम्मद की सूचना विख्यात हुई, किन्तु जब हम मदीना में आये तो हमने उस यहूदी से कहा–अब तू उन पर ईमान क्यों नहीं लाता उसने कहा--यह वह व्यक्ति नही है। जब वह नबी प्रकट हुए तो समस्त गुणों को जानकर भी विमुख हो गये। विमुखों पर खुदा की फटकार है।

तफ़सीर हक्कानी भाग १ पृष्ठ ४८–४९

इन आयतों का सक्षिप्त अभिप्राय यह है, कि जब हज़रत मुहम्मद और कुरआन इन यहूदियों के पास आये, जिसकी वह प्रतिक्षा कर रहे थे कि वह उनको मानने से विमुख हो गये। इसलिए कि उनका यह विचार था, कि अन्तिम नबी बनी इस्राईल में होगा। जब अन्तिम नबी कुरैश में से हुआ तो उन्होंने कहा–यह वह नहीं हैं। जब यहूदी मुसलमान न हुए तो उन पर फटकार भेजी गई और कहा गया--इनका गनतव्य नर्क है। इसलिए कि वह मुसलमान नही हुए।

जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि इतना विस्तृत मूसा का

वर्णन और बनी इस्राईल की वास्तविकता को वर्णन करने का अभिप्राय यह है कि इन आयतों से यह विदित हो गया कि हज़रत मुहम्मद यह चाहते थे कि वह हज़रत मूसा की स्तुति और बनी इस्राईल के विषय में जो विचार व्यक्त किये जा रहे हैं, उनको सुनकर वह मुसलमान हो जायेंगे, किन्तु जब वह मुसलमान न हुए तो अप्रसन्न होकर इन पर फटकार भी डाल दी और उनको नर्क भी दिखा दिया, और यह भी कह दिया कि काफ़िरों हेतु अत्याधिक घोर संकट उनका अनादर करने वाला है। जिन दो आयतों को हमने ऊपर लिखा है, उनसे हज़रत मुहम्मद का अभिप्राय स्पष्ट हो गया है, कि वह इसी हेतु उनकी स्तुति कर रहे थे कि वह मुसलमान हो जायें। इन उपरोक्त दो आयतों के साथ आगामी तीन आयतों का सम्बन्ध है। अतः उनको भी लिख कर अपनी सम्मति और इनके प्रतिकूल कुरआन में जो अन्य आयतों में है, उन्हे लिखेंगे। आगामी तीन आयतें:-

वा इज़ा कीला लहुम आमेनू बेमा अन्ज़लल्लाहो कालू नोमेनो बेमा उन्जिला अलैना वा यक्फुरूना बेमा वराअहू। वा होवल्ह-क्को मुसद्दे कल्लेमा मअहुम् कुल फलेमा तक्तालूना अम्बोया अल्लाहे मिन् कब्लो इन् कुन्तुम्मोमेनीन। व लकद जाआकु-म्मूसा बिल्बय्येनाते सुम्मत्तख़ज़्तो मुल्इज्ला मिम्बादेही व अन्तुम जालेमून। वा इज़अरबज़ना मीसाककुम् व रफाना फौककोमुत्तूर ख़ुज़ू मा आतेनाकुम बे कुव्वतिंव्वस्मऊ कालू समेना वा असैना वइरबू फ़ी कुलूबेहिमुल्इज्ला बेकुफ़रेहिम् कुल बेसमा यामुरोकुम् बेही ईमानोकुम् इन् कुन्तुम्मोमेनीन्।

कुरआन पारा १ आयत ९२-९३ व ९४

अर्थः—अब जब कहा जाता है यहूदियों से कि ईमान लाओ उस वस्तु पर जो उतारी है खुदा ने अर्थात इन्जील और कुरआन को, कहते हैं- हम ईमान लाये हैं उस वस्तु पर, जो हम पर उतारी गई है अर्थात तौरात। और वह काफिर हुए हैं उस वस्तु के साथ जो उनकी पुस्तक से अतिरिक्त है, अर्थात इन्जील और कुरआन जो सत्य और उचित है और सत्य करनेवाला है उस पुस्तक को जो उनके साथ है, और इस स्थान पर तो तौरात के साथ भी यहूद का कुफ्र अनिवार्य हो जाता है। इसलिए कि उस वस्तु के सदृश्य हो तो कुफ्र हो जायेगा। ऐ मुहम्मद! कह दो इस बात के उत्तर में, जो वह यह बात कहते हैं कि हम तौरात पर ईमान रखते हैं, तो फिर अल्लाह के दूतों की हत्या क्यों करते थे। इसके पूर्व तुम यदि तौरात पर ईमान रखते होते और निसन्देह तुम्हारे पास मूसा आया और उचित स्मृति चिन्हों (चमत्कारों) और सत्य सन्देशों के साथ कि आज्ञाएँ पट्टी चौकोर है। क्योंकि तौरात पट्टियों पर लिखित उतरी थी। फिर तुमने बछड़े को पूज्य बनाया, जब कि मूसा तूर पर गये हुए थे और तुम अपने प्राणों पर अत्याचारकर्ता हो और स्मरण करो जब हमने तुमसे प्रतिज्ञाएं ली और उठाया हमने तुम्हारे ऊपर तूर पर्वत। यह तूर पर्वत फिलिस्तीनी पर्वतों में से है, और जो कुछ हमने तौरात से तुम्हें दिया और दृढ़ता से उसका पालन करो। प्रत्यक्ष में तुमने कह दिया कि हमने सुना और स्वीकार किया और अपने हृदय से स्वीकार न किया और अवज्ञा की अर्थात् तुमने कह दिया कि हमने सुना किन्तु हृदय से अवज्ञा की। और उनके हृदयों में बछड़े का प्रेम जमाया गया। ऐ मुहम्मद! इनसे कह दो कि यह अत्याधिक बुरी वस्तु है जो कुछ आज्ञा करता है तुमको तुम्हारा ईमान और वह वस्तु है जो कुफ्र हजरत मुहम्मद और

कुरआन के साथ । यदि तुम खुदा को मानने वाले हो ।

तफसीर कादरी भाग १ पृष्ठ २२-२३

इन आयतों की व्याख्या इब्ने कसीर ने इस प्रकार की है:—

जब इन्हें (यहुदियों और ईसाईयो को) कुरआन और अन्तिम नबी पर ईमान लाने हेतु कहा जाता है, तो कहते हैं— हमें तो तौरात और इन्जील पर ईमान लाना ही पर्याप्त है । इस पर अल्लाह फरमाता है-यह इस बात में भी मिथ्या हैं, क्योंकि कुरआन तो इनकी पुस्तकों का समर्थन करनेवाला है और स्वय उनकी पुस्तकों में भी हजरत मुहम्मद की तस्दीक उपस्थित है। जैसे कुरआन में है कि यह पुस्तक वाले तुमको इस भाँति जानते हैं कि जिस भाँति कोई अपनी सन्तान को पहचानता है । इस कारण आपके अस्वीकार से तौरात और इन्जील पर भी आपका ईमान न रहा । इस तर्क को उपस्थित कर अब दूसरा तर्क उपस्थित किया जाता है कि तौरात और इन्जील पर तुम्हारा ईमान है, फिर पूर्व पैगम्बरों का समर्थन और आज्ञापालन करते हुए नई शरीअत और नई पुस्तक आये बिना तुमने उन पैगम्बरों को क्यों कत्ल कर दिया ? इससे जाना गया कि तुम्हारा ईमान न तो उस पुस्तक पर है और न किसी और बात पर। तुम तो अपनी ईच्छा के बन्दे और मन के दास हो । फिर कहा मूसा से तुमने बहुत चमत्कार देखे तूफान का आना टिड्डियों और मेढकों के उपद्रव और रक्तपात आदि मूसा की राय से चमत्कार की रीति से प्रकट हुए । लाठी का सर्प बनना और हाथ का चाँद की सदृश्य आलोकित होना, समुद्र को चीर देना व जल को पाषाण सदृश्य बना देना तथा मेघों की छाँह कर देना, मदिरा व खाद्य पदार्थों को उतारना और पत्थर से जलस्रोत उत्पन्न कर देना बड़े-बड़े चमत्कार जो उनकी पैगम्बरी और

खुदा की एकता हेतु स्पष्ट उदाहरण थे। यह समस्त बातें तुमने आँखों से प्रत्यक्ष देखी किन्तु उधर मूसा तूर पर गया और इधर तुमने बछडे को खुदा बना लिया। अब तुम बताओ कि तौरात और खुदा पर तुम्हारा ईमान कहां रहा ? क्या यह बदकारियाँ नहीं है ? तुम्हें ज़ालिम बनानेवाली बातें नहीं है ? और फिर जब कहा उन्हे तो होंश आया और लज्जित हुए तब अपनी पथभ्रष्टता को अनुभव करने लगे, और उस समय तुमने कहा– ऐ खुदा ! यदि तू हम पर दया न करेगा और हमारी भूलों को क्षमा न करेगा तो हम हानि उठाने वालो में से हो जायेंगे। (यहाँ तूर पर्वत का वर्णन दुबारा आया इस पर हम पूर्व में लिख चुके हैं) तूर पर्वत के मस्तक पर आने से तुमने प्रतिज्ञा की किन्तु जब तुम्हारे मस्तक से हट गया तो तुम पुनः अस्वीकारी हो गए।..... ....

बछड़े का मोह उनके हृदय में व्याप्त हो गया, जैसा कि हदीस में है, कि किसी वस्तु का मोह मनुष्य को अन्धा और बहरा बना देता है। हजरत मूसा ने उस बछड़े को खण्ड–खण्ड कर जला दिया और उसकी भस्म वायु में उड़ा कर समुद्र में डाल दी। उस जल को बनी इस्राईल ने पी लिया। इस कारण उनके हार्दिक सम्बन्ध उस मिथ्या खुदा से बना रहा। उनका यह विश्वास मस्तक पर पर्वत लाकर मार देने के भय से भी पृथक न हुआ।

दूसरी आयत का अर्थ यह है, कि तुम ईमान का दावा किस भांति करते हो और अपने ईमान पर दृष्टिपात न कर बारम्बार प्रतिज्ञा–भग करना व बारम्बार कुफ्र करने को तुम विस्मृत हो गए हो। मूसा के सन्मुख तुमने कुफ्र किया, उनके पश्चात् आनेवाले पैगम्बरों से भी तुमने विद्रोह किया। यहां तक कि

समस्त पैग़म्बरों से सर्वाधिक श्रेष्ठ अन्तिम नबी हज़रत मुहम्मद की नबव्वत को भी न स्वीकारा, जो सबसे बड़ा कुफ्र है।

तफसीर इब्ने कसीर पारा १ पृष्ठ ४६-४७

हज़रत मुहम्मद के समकालीन जो यहूदी थे, उन पर यह समस्त दोषारोपण किया जा रहा है किन्तु यह लोग तो मूसा काल में नहीं थे और इस्लाम पुनर्जन्म को स्वीकारता नहीं है, तो फिर सहस्रों वर्षों पूर्व के दोष इन लोगों पर आरोपित करना सर्वथा अन्याय है, क्योंकि इन्होंने तो दोष किये ही नहीं, फिर पूर्वजों के दोष इन पर इस हेतु आरोपित किये गये हैं कि यह उनकी सन्तति होने से किसी को दोषित मान लेना नितान्त अनुचित है।

पांचों आयतों पर एक दृष्टि

उक्त वर्णित पाँचों आयतों की प्रथम आयत में है, कि हमने मूसा को पुस्तक दी। मूसा की पुस्तक का वर्णन कुरआन में बारम्बार विभिन्न स्थानों पर आया है। एक ही विषयक आयतों का बारम्बार विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न प्रकार से कुरआन में आना इस बात को प्रत्यक्ष स्पष्ट करती है, कि ऐसी वाणी खुदाई (ईश्वरीय) नहीं हो सकती है। समस्त व्याख्याकारों ने बनी इस्राईल के इस मनतव्य को, कि हम नर्क में जायंगे भी तो किञ्चित दिनों हेतु और पुनः वहां से निकल आयेंगे। इस मनतव्य का विरोध कुरआन ने किया है, किन्तु हमने भलिभांति यह दिखा दिया है, कि इस्लाम भी यही स्वीकारता है, अपितु इनसे भी अधिकतम, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से न्याय संगत सम्भव नहीं है, क्योंकि ऐसा ही कथन बनी इस्राईल का भी है। इसलिए इन दोनों के यह कथन मिथ्या विश्वास और अन्धश्रद्धा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक और महादोष

यहूदियों पर पैगम्बरों की हत्याएँ करने का है। जबकि यदि खुदा न चाहता तो यहूदी उनकी हत्या कैसे कर सकते थे ? हम कहते हैं कि मुसलमान स्वयँ अपने अन्तर में झांक कर देखें कि स्वयँ उन्होंने ही अपने सर्वश्रेष्ठ और प्रतिष्ठित विद्वानों के साथ कौन सी कमी की है ? हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली तथा हज़रत हुसैन की हत्याएँ आदि क्या पैगम्बरों की हत्याओं से न्यून अपराध है ?

फिर आयत में यह है, कि हज़रत मुहम्मद के समकालीन बनी इस्राईल जब काफ़िरों से तंग आते, तो कैसे यह बात कि ऐ खुदा ! जिस रसूल के आने का वादा है, उसको शीघ्र भेजने की कृपा कर ताकि हम इन अरबवासियों का प्रतिकार कर सकें। तत्पश्चात जब हज़रत मुहम्मद आये तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा—यह वह पैगम्बर नहीं है, जिसकी हम प्रतिज्ञा कर रहे थे। यहूदी भी इस्लाम को सत्य धर्म नहीं स्वीकारते थे और न कुरआन को खुदाई पुस्तक ही समझते थे। इनका विचार था, कि अब जो नबी आयेगा वह बनी इस्राईल में से आयेगा। इस पर हज़रत मुहम्मद ने अप्रसन्न होकर उन्हें काफ़िर कह दिया और अत्याधिक दोषारोपण किये, जो उनके पूर्वजों ने किये या न किये हों ?

फिर आयत में यह वर्णन है, कि जब बनी इस्राईल से कहा जाता है, कि मुसलमान हो जाओ और कुरआन पर ईमान लाओ, तो वह कहते हैं, कि हम उस पर ईमान लाये हुए हैं, जो हम पर खुदा ने उतारा हुआ है, अर्थात तौरात पर। इस पर उन लोगों को कहा गया—यदि तुम तौरात पर ईमान रखते हो तो अपने पैग़म्बरों की हत्या क्यों की ? हम पूछते हैं कि हज़रत मुहम्मद के समकालीन किस बनी इस्राईल ने पैगम्बर की हत्या

की ? जब उन्होंने हत्या की ही नहीं, तो फिर इन पर ऐसा दोषारोपण करना कहां तक सत्याचरण व न्यायसंगत है ? क्या निर्दोषों पर किसी का दोषारोपण करना खुदा का कार्य हो सकता है ? सहस्रों वर्षों पूर्व के दोष इन लोगों पर थोपे गए। अत ऐसा अन्याय और मिथ्याचरणकर्ता खुदा नहीं हो सकता है, किन्तु हम कहते हैं, कि हज़रत मुहम्मद को क्या ज्ञात था कि मेरी उम्मत (समुदाय) भी ऐसे ही कृत्य करेगी ? हज़रत मुहम्मद के पश्चात किसी पैगम्बर का होना, तो स्वयं इस्लाम ने भी स्वीकार न किया, किन्तु जिन लोगों को मुसलमानों ने कत्ल किये हैं, वह उन पैगम्बरों से किसी भी भांति न्यून नहीं थे। ऐसा ही मिथ्यापूर्ण दोष बछड़े की पूजा का भी है। हज़रत मुहम्मद के समकालीन किस बनी इस्राईल ने बछड़े की पूजा की ? जब तक यह सिद्ध न हो, तब तक उन पर यह दोषारोपण नहीं किया जा सकता और फिर बछड़े के पूजकों ने पश्चात्ताप भी कर लिया था तथा अत्याधिक बछड़ापूजक कत्ल भी कर दिये गये थे, तो क्या तौबा के पश्चात भी वह अपराध उनसे दूर न हुआ ? और वह दोष उनकी सन्तानों पर परम्परा से आरोपित होता ही जा रहा है ? बाईबिल में तो लिखा है, कि मूसा के भाई हारून ने बछड़ा बना कर दिया जिसकी पूजा उन लोगों ने की, किन्तु कुरआन ने हारून पर आवरण डाल दिया और सामरी पर इसका दोषारोपण कर दिया।

फिर आयत में है, कि हमने तुम पर पर्वत उठाया। इस विषय पर तो हम सविस्तार लिख चुके हैं कि यह कलंक (पर्वत उठाना) कुरआन ने खुदा पर लगाया है। इसने खुदा और स्वयं कुरआन की महत्ता और प्रतिष्ठा को नष्ट-भ्रष्ट कर धूल धूसरित कर दिया है, और इसके साथ यह भी विचारणीय है, कि खुदा

के पर्वत उठाने पर उस समय बनी इस्राईल ने स्वीकार लिया किन्तु जब पर्वत हटा लिया गया, तो बनी इस्राईल पुनः ज्यों के त्यों हो गये। क्या खुदा इससे अनभिज्ञ था, कि यह लोग न स्वीकारेंगे ? तो फिर यह निरर्थक और अर्थहीन कार्य खुदा ने क्यों किया ? क्या ऐसे कार्य करना खुदा के स्वाभावानुकूल है ? फिर इन लोगों पर मिथ्या दोषारोपण करना, कि तुम्हारे मस्तकों पर पर्वत उठाया गया, कहां तक न्यायसंगत है ? क्या कोई मुसलमान इस बात को सिद्ध कर सकता है, कि हज़रत मुहम्मद के समकालीन किस बनी इस्राईल के मस्तक पर पर्वत उठाया गया था ? जब ऐसा न हुआ, तो फिर उन पर मिथ्या दोषारोपण करना खुदा का कार्य किस भांति कहा जा सकता है ? खुदा तो बिना पहाड़ उठाये ही अन्तर्यामी होने के कारण उनके हृदय परिवर्तित कर सकता है। खुदा को डराने-धमकाने और आतंकित करने की आवश्यकता नहीं, और जिस ग्रन्थ या पुस्तक में ऐसी अनर्गल बाते हों वह खुदाई वाणी नहीं हो सकती है। यह बनी इस्राईल भी अत्याधिक सजग और सावधान निकले कि पर्वत के भय से खुदा को भी भ्रमित कर दिया कि हमें सब स्वीकार है, और जब वह पर्वत पृथक हो गया तो खुदा को अँगूठा दिखा दिया।

यदि कोई इस भाँति छल या आतंकित कर किसी मनुष्य से कोई व्यक्ति कोई बात मनवा ले, तो यहाँ कोई भी न्यायाधीश उसके पक्ष में निर्णय न देगा। व्याख्याकारों ने भी इनकी अत्याधिक लम्बी-चौड़ी व्याख्याएँ की है। यह सम्पूर्ण कथा, जिसका आयतों में वर्णन किया गया है, कि बनी इस्राईल मुसलमान नहीं हुए, यह बड़े अपराधी है, इत्यादि।

हमारा प्रश्न है, कि क्या बनी इस्राईल का मुसलमान न होना क्या उनके अधिकार में था ? हम इस विषय पर सविस्तार पूर्व में भी लिख चुके है, कि किसी का मुसलमान होना उस मनुष्य के वश में नहीं, अपितु खुदा के अधिकार में है। एक आयत प्रस्तुत है:—

वा लौ शाआ रब्बोका ल आमना मन फिल्अर्जे कुल्लोहुम जमीआ। अफा अन्ता तकरहुन्ना सा, हत्ता यकूनो मौमेनीन्। वा मा काना लेनफ्सिन् अन्नोमेनो इल्ला बे इज़्निल्लाह्।

कुरआन पारा ११ रकू १०/१५

अर्थ:—यदि आपका खुदा चाहता, तो समस्त सृष्टि निवासी लोग मुसलमान हो जाते। सो (जब यह बात है) क्या आप लोगों पर बलात् कर सकते हैं, कि वह मुसलमान हो जायें, किन्तु स्थिति यह है कि किसी व्यक्ति का मुसलमान होना बिना खुदा की आज्ञा के सम्भव नहीं और अल्लाह निर्बुद्धि लोगों पर (कुफ्र की) गन्दगी डाल देता है। तफसीर इब्ने कसीर पारा ११ पृष्ठ ७६

अब इसकी व्याख्या देखिए:—

पवित्र अल्लाह फरमाता है, कि ऐ मुहम्मद ! यदि अल्लाह चाहता, तो समस्त मुसलमान हो जाते, किन्तु अल्लाह जो कुछ करता है उसमें रहस्य होता है। खुदा की इच्छा होती, तो समस्त एक ही विचार के (लोग) होते, किन्तु लोग विभिन्न सम्मतियाँ रखते है। उचित सम्मति पर वह है जिन पर अल्लाह की कृपा है, और इनका स्वभाव ही ऐसा बनाया है। (और) खुदा की यह बात पूर्ण होकर रहेगी कि मैं नर्क को मनुष्यों और जिन्नों से भर दूँगा (या भरूँगा) यदि समस्त सन्मार्ग पर होते, तो ईमान क्या

व्यर्थ की बात हो कर न रह जाता ? अल्लाह फरमाता है, कि क्या तुम विवश कर के उन्हें मुसलमान बनाना चाहते हो, न यह तुम पर अनिवार्य है और न तुम्हारे हेतु उचित है, और अल्लाह जिसे चाहे पथभ्रष्ट करे और जिसे चाहे सन्मार्ग पर लायें। तुम उन पर शोक कर के अपना हृदय न जलाओ। इस कारण कि वह मुसलमान नहीं हो रहे हैं। क्या तुम अपना आत्मघात करोगे। तुम अपनी शक्ति से किसी को सन्मार्ग पर नहीं ला सकते। तुम्हारा कार्य तो मात्र उनको सत्य का सन्देश पहुँचा देना है, फिर उनका हेतु हमसे है, तुम केवल शिक्षा कर दो, समझा दो। उसके पश्चात तुम्हारा कोई उत्तरदायित्व नहीं हैं। यह आयतें इस बात को सम्पुष्ट करती है, कि अलाह ही वास्तविक कर्ता है। कोई भी खुदा की इच्छा के बिना ईमान नहीं ला सकता। खुदा की इच्छा के बिना बुद्धि से कार्य न लेनेवाले पथभ्रष्ट कर दिये जाते हैं। अल्लाह सन्मार्ग दिखाने के सम्बन्ध में न्याय पर है।

तफसीर इब्ने कसीर पारा ११ पृष्ठ ७६

इस आयत की व्याख्या में स्पष्ट वर्णन कर दिया गया है, कि अल्लाह जिसे चाहे शिक्षा दे और चाहे जिसे पथभ्रष्ट करें। यदि सबको सन्मार्ग पर ले आयें, तो फिर जैसे ऊपर व्याख्या में कहा गया है, कि खुदा ने कहा नर्क को जिन्नों और मनुष्य से भरूँगा। वह कैसे भरेगा। कुरआन अन्यत्र भी है, **'ल अमल अन्न जह-न्नमा मिन्ल्जिन्नते वन्नासे अजमईन'** अर्थात जिन्नों मैं और मनुष्यों से नर्क को भरूँगा। यदि समस्त लोग सन्मार्ग को ग्रहण कर लें, तो फिर नर्क कैसी भरेगी। व्याख्याकार ने इसी हेतु वर्णन किया है, कि सबको शिक्षा क्यों नहीं करता ? वह वास्तविक कर्ता है, और उसकी इच्छा के बिना कोई ईमान नहीं ला सकता। वह अल्लाह शिक्षा करे या न करें। इन दोनों स्थितियों में वह न्याय

पर है। कोई बुद्धिहीन मनुष्य ही ऐसे व्यक्ति या तत्व को खुदा स्वीकारने हेतु उद्यत हो सकता है, जो बिना किसी कारण मात्र अपनी इच्छा से चाहे जिसे पथभ्रष्ट कर दे और चाहे जिसे सन्मार्ग दिखा दें।

कुरआन में ऐसी और भी अत्याधिक आयतें है, जिनसे यह ज्ञात होता है, कि ईमान लाना या पथभ्रष्ट होना मनुष्य के अधिकार की बात नहीं है। हम उन्हे पूर्व में लिख चुके हैं, तो फिर बनी इस्राईल को मुसलमान न होने पर क्यों बुरा कहा जाता हैं? जो बात उनके अधिकार से बाहर है। जब एक ओर बनी इस्राईल को मुसलमान न होने पर बुरे और निकृष्ट कहना, यह आयतें है, और दूसरी ओर यह आयतें हैं, कि ईमान लाना अथवा न लाना उनके अधिकार में नहीं अपितु खुदा के अधिकार में हैं, तो फिर इन दो प्रकार की आयतों में कैसे समन्वय हो सकता है। दोनों प्रकार की जो पारस्परिक मतभेद और विरोधाभासित आयते हैं। इन्हें कैसे माना जा सकता है? आगे एक और छोटी सी आयत प्रस्तुत है, जिससे विषय और भी स्पष्ट हो जायेगा। आयतः–

व लम् इन्नल्लाहा यहूलो बैनल्मए व कल्बेही।

कुरआन पारा ६ रकू ३/१७

तफसीर इब्ने कसीर में इस आयत की व्याख्याः—

ज्ञान रखो कि अल्लाह मनुष्य और मनुष्य के हृदय के मध्य समन्वित है।

इब्ने अब्बास कहते हैं, कि वह हाइल (स्थित) है मौमिन और कुफ्र के मध्य, और काफ़िर तथा ईमान के मध्य कि मौमिन को कुफ्र नहीं करने देता है, और काफ़िर को ईमान नहीं लाने देता है।

मुजाहिद कहते हैं, कि वह इस भाँति हाइल है, कि काफ़िर को समझने नहीं देता।

सद्दी कहते हैं, कि कोई भी इस बात की शक्ति नहीं रखता कि उस (अल्लाह) की आज्ञा के बिना ईमान लाये या कुफ्र करे।

कतादा कहते हैं, कि यह आयत उस आयत जैसी है, कि वह खुदा तुम्हारी जीवन नाड़ी से भी अधिक निकट है, और अत्याधिक हदीसें इस सदृश्य है।

अन्स बिन मालिक से वर्णन है, कि आप (हज़रत मुहम्मद) फरमाया करते थे, कि ऐ हृदयों को परिवर्तन करने वाले! मेरे हृदय को अपने धर्म पर दृढ़ रख, तो हमने कहा—या रसूलिल्लाह! हम आप पर तथा कुरआन पर ईमान ला चुके हैं। क्या आपको हम पर कोई शंका है? फरमाया—हाँ, क्योंकि क्या भरोसा तुम विमुख हो जाओ, क्योंकि लोंगो के हृदय अल्लाह की दो उँगलियों के मध्य है। यदि खुदा उसको सीधा रखना चाहे तो वह सीधा रहता है, यदि चाहे बिगाड़ दे, तो वह बिगड़ जाता है, और फरमाया - तराज़ू खुदा के हाथ में हैं, चाहे हल्का (भारहीन) करे चाहे भारी।

उम्मे सलमा कहती हैं, कि मैंने कहा—या रसूल्लिल्लाह! क्या हृदय परिवर्तित हो जाते हैं? फरमाया—हां, खुदा यदि चाहे तो मनुष्य के हृदय को सीधा और दृढ़ रहने दे। यदि वह चाहे तो टेढ़ा (वक्र) कर दे, इसलिए हम प्रार्थना करते है, कि **'रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना'** अर्थात ऐ हमारे ईश्वर! टेढ़े न कर हमारे हृदयों को।

अभी तो ऊपर आया है, कि खुदा ईमानदार को काफ़िर

नहीं होने देता और यह प्रार्थना इसके विरूद्ध कैसे आ गई ? हमने दोनों प्रकार लिपिबद्ध कर दिये हैं, ताकि आप कुरआन की लेखन एवं कथ्य शैली को भलिभांति समझ ले कि पारस्परिक कितना मतभेद और विरोधाभास है ।

आयत में जो यहूदियों को ईमान लाने हेतु कहा गया, हमने इस विषय में अन्य आयतों के माध्यम से प्रमाणित कर दिया, कि ईमान लाना उनके वश में नहीं, अपितु खुदा के अधिकार में हैं, तो इस कारण यह आयतें व्यर्थ और अर्थहीन है, इसलिए कि वह ईमान नहीं ला सकते । आगामी आयतें:--

कुल् इन् कानत् लकोमुद्दारूल्आखेरतो इन्दल्लाहे खालिस तुम्मिन दुनिन्नासे फ़तमन्ना वुल्मौता इन् कुन्तुम् स्वादेकीन् । वा लंय्यतमन्नौ हो अबदम्बिमा कद्दमत ऐदीहिम वल्लाहो अलीमुम्बिज्ज़ालेमीन् । वा ल तजेदन्नाहुम् अह् रसन्नासे अला हयात्, वा मिन्-ल्लज़ीना अश्रकू यवद्दो अहदहुम लौ यो अम्मरो अलफ़ा सनत्, वा मा हुवा बे मोजहज़ेहेही मिनल्अज़ाबे अंय्यो अम्मर वल्लाहो बसीरूम्बेमा यामलून् ।

कुरआन पारा १ रकू ११/११ आयत ९५ से ९७

एक अन्य आयत किञ्चित अन्तर के साथ मृत्यु की इच्छाकर्ता यहूदियों हेतु कुरआन में और है । जैसे:--

कुल् या अय्यो हल्लाज़ीना हादू इन् ज़अम्तुम् अन्नाकुम् औलेयाओलिल्लाहो मिन् दूनिन्नासे फ़तमन्नवुल्मौता इन् कुन्तुम स्वादेकीन् व ला यतमन्नौनहू अबदम्बिमा कद्दमत् ऐदीहिम वल्लाहो अलीमुम्बिज़्ज़ालेमीन् ।

कुरआन पारा २८ रकू १/११ (जुमाह)

अभी यहूदियों का ही वर्णन चल रहा है। यह एक विचित्र प्रकार की आयतें हैं। आप पढ़–सुन कर विस्मित रह जायेंगे, कि क्या ऐसी बात भी कोई सत्यता परखने हेतु प्रस्तुत कर सकता है ? पारा १ की आयतों के अर्थ:--

ऐ मुहम्मद ! यहूदियों के इस अनुचित विचार के प्रत्युत्तर में कह दो, कि तुम्हारे विचार में यदि तुम्हारे ही हेतु परलोक का गृह अर्थात स्वर्ग के श्रेष्ठ पदार्थों का अधिकार और लोगों के अतिरिक्त विशेषकर आप हेतु ही हैं, तो तुम मृत्यु की कामना करो। यदि तुम सच्चे हो, इस बात के सम्बन्ध में कि स्वर्ग हेतु मात्र तुम्हारा ही अधिकार है। इस कारण कि मृत्यु के बिना वहां स्वर्ग में न पहुँच सकोगे। उस सच्चे मित्र को मिलने की तृष्णा के चिन्हों में से एक पहिचान मृत्यु की कामना है, और यहूद लोग कदापि मृत्यु की इच्छा न करेंगे। इस कारण से, कि जो कर्म उन्होंने किये हैं, ईश्वरीय दूतों की हत्या तथा हज़रत मुहम्मद की अवहेलना, और अल्लाह ज्ञाता है अत्याचारियों और झूठों का (और एक बात वह है) कि अवश्य ही तू और लोगों की अपेक्षा यहूदियों को सांसारिक जीवन हेतु अत्याधिक लोभी और मोही पाओगे, और मुशरिकों से मित्रता रखते हैं, एक उनमें से मजूस को, कि आयु दी जाये उनको हजार वर्ष की। ऐसे ही मजूस जब परस्पर मिलते हैं, तो कहते हैं–हजार वर्ष तक जीवित रहो, और नहीं है, कि कोई छुड़ानेवाला उनका हो कोई, यह कि आयु दी जाये उनको दीर्घायु, और खुदा दर्शक है उस कर्म का जो यहूद और मजूस इत्यादि करते हैं।

तफसीर कादरी भाग १ पृष्ठ २२--२३

पारा २८ की आयत का अर्थ:—

और यदि यह लोग कहें, कि हम इस स्थिति में होते हुए

भी अल्लाह के विशेष स्वीकृत हैं, तो आप (हज़रत मुहम्मद) उनसे कह दीजिये, कि ऐ यहूद ! यदि तुम्हारा यह दावा उचित है, कि हम अन्यों के अतिरिक्त अल्लाह के स्वीकृत हैं और प्रिय हैं, तो इस दावे को प्रमाणित करने हेतु मृत्यु की कामना करके दिखाओ (अर्थात मर कर दिखाओ) और यह यहूद कभी भी मृत्यु कामना न करेंगे। उन कुकृत्यों के कारण जो इन्होंने किये हैं और परलोक हेतु भेजे हैं, और अल्लाह अत्याचारियों को भलिभाँति जानता है।

तफसीर इब्ने कसीर पारा २८ रकू १/११ (जुमाह)

पारा १ की आयतों की व्याख्या:—

और बातों के साथ यहूद का यह भी एक मिथ्या विश्वास था, कि स्वर्ग मात्र हमारे हेतु है। इसलिए हम कह सकते हैं, कि तौरात के पश्चात कोई तौरात सदृश्य पुस्तक और मूसा के पश्चात फिर कोई ऐसा नबी नहीं आया कि हम उसके अनुयाई हो जायें। इस कारण हम तौरात और मूसा के अतिरिक्त अन्य पैग़म्बरों व पुस्तकों को असली नहीं समझते और उनको अस्वीकार करते हैं। यह विचार उनका प्रत्येक हेतु उचित नहीं, अपितु विषतुल्य है। अल्लाह उनके इस गलत मनतव्य को अपनी पुस्तक कुरआन में इस भाँति गलत ठहराता है, कि उनसे कहो— यदि तुमको इस बात का पूर्ण विश्वास है, कि परलोक के गृह में हमारा ही भाग (अर्थात स्वर्ग प्राप्ति में) है, तो तुमको आवश्यक है, कि तुम मृत्यु कामना करो, कि इस भाँति स्वर्ग में अपने मनतव्य को प्राप्त करो। इस कारण, कि जिनको वहाँ के श्रेष्ठ पदार्थों की प्राप्ति का पूर्ण विश्वास या आध्यात्मिक साक्षात्कार हो जाता है, वह उसका अत्यन्त जिज्ञासु होकर उसकी सीढ़ी मृत्यु की कामना करता है।..... ....यह लोग घोर सन्सारी

हैं और उनका यह दावा मात्र ज़बानी जमा खर्च है। वह अपने कुकर्मों के कारण अपने परिणाम को भलिभांति अपने हृदय में समझ रहे हैं। इस कारण वह किसी भी प्रकार मरने की इच्छा न करेंगे, क्योंकि यह सन्सार में जीवित रहने के अत्याधिक लोभी है।

तफसीर हक्कानी पारा १ पृष्ठ ५१-५२

तफसीर मज़हरी में इतना और विशेष है:—

यदि यह यहूदी मृत्यु-कामना करते, तो उसी समय प्रत्येक व्यक्ति उनमें से अपने ही अपने गले के थूक या पानी से उनका अपना गला घुट जाता और पृथ्वी पर एक भी यहूदी शेष न रहता। समस्त मौत के घाट उतर जाते, कोई जीवित न रहता। तफसीर मज़हरी भाग १ पारा १ पृष्ठ १६७

पारा २८ की आयत की व्याख्या:-

ऐ यहूदियों ! यदि तुम विश्वास करते हो कि अरब और अजम में से जो लोग ईमान लाये हैं, उनमें से तुम ही खुदा के मित्र हो, तो मृत्यु की कामना करो। यदि तुम सच्चे हो इस बात में, कि तुम ही खुदा के सखा हो, ताकि उन उत्तम स्थानों को प्राप्त करो, जो खुदा ने अपने मित्रों हेतु निर्मित तथा निश्चित किये हैं, और स्थिति यह है कि यहूदी कदापि मृत्यु- कामना नहीं करेंगे। इस कारण, कि जो कर्म उनके हाथों ने आगे भेजे हैं (अर्थात कुकर्म) जैसे तौरात में परिवर्तन करना और हज़रत मुहम्मद की स्तुति में उलट- फेर इत्यादि, और वह इस बात को जानते हैं, कि मरणोपरान्त घोर संकट में जकड़े जायेंगे और अल्लाह अत्याचारियों को जानने वाला है।

तफसीर कादरी पारा २८ पृष्ठ ५४०-४१

अब देखिये–कुरआन ने यहूदियों की सत्यता परखने हेतु जो कसौटी निर्धारित की वह किस भाँति अनुपयुक्त-अव्यवहारिक युक्तिशून्य और सृष्टि नियम के प्रतिकूल तथा बेढंगी होकर ईश्वरीय व्यवस्था के विरूद्ध है। ईश्वर ने मनुष्यों को आयु इसलिए नहीं दी, कि वह इस जीवन की समाप्ति हेतु प्रार्थना या कामना करे।

हमारा कथन है, कि हज़रत मुहम्मद साहिब ने अपने कई साथियों व मित्रों को स्वर्गागमन हेतु शुभ सूचनाएँ प्रेषित की थी और किसी किसी को तो हूर तक को स्वर्ग में दर्शाया था किन्तु हज़रत मुहम्मद के किसी साथी या मित्र ने न तो मृत्यु की कामना की थी और न हज़रत मुहम्मद साहिब ने ही अपने उन मित्रों या साथियों से कभी कहा, कि तुम मृत्यु को प्राप्त कर शीघ्र स्वर्ग तथा वहाँ के श्रेष्ठ पदार्थों को ग्रहण करने का प्रयत्न करो, अपितु यह स्वर्ग प्राप्ति की बात मात्र यहूदियों को ही कही गई। यदि यह कसौटी उपर्युक्त थी, तो जिन मुसलमानों हेतु हज़रत मुहम्मद को पूर्ण विश्वास हो गया था, कि यह स्वर्ग को निश्चित ही जायेंगे, उनको भी यह स्मरण कराना चाहिये था, कि स्वर्ग को शीघ्र प्राप्त करने हेतु स्वर्ग की सीढ़ी मृत्यु को प्राप्त करो।

क्या जिस खुदा (ईश्वर) ने मनुष्य को अपनी अगाध कृपा और स्नेह से जीवन प्रदान किया। : क्या कभी वह यह कह सकता है, कि स्वर्ग–प्राप्ति हेतु शीघ्र मृत्यु को ग्रहण करो। अतः यह समस्त कल्पित बातें मात्र हैं। कुरआन के भाष्यकारों ने हदीसों के आधार पर जों मिथ्या विश्वास विस्तारित किया है, उसे पढ़ कर आश्चर्य होता है। इन भाष्यकारों ने भिन्न–भिन्न स्थान पर

मुसलमानों को अन्धश्रद्धा में जकड़ने के अनगिनत प्रयत्न किये हैं।

जैसा,कि यदि मदीना निवासी चन्द यहूदी मृत्यु की कामना करते तो सम्पूर्ण पृथ्वी के यहूदी मौत के घाट उतर जाते।

मुआलेमुत्तन्ज़ीर पृष्ठ ३९

तफसीर इब्ने कसीर भाग १ पृष्ठ ४६

अब यह कितनी असम्भव बात है, कि मदीना के किञ्चित यहूदियों द्वारा मात्र मृत्यु की कामना करने से सम्पूर्ण संसार के यहूदी मर जाते ? इसी भाँति यहूदियों के मस्तक पर पहाड़ उठा कर छाते की भाँति स्थिर करना, कहा है-यह उपरोक्त बात से भी सर्वथा असम्भव है, कि खुदा ऐसे मनुष्यों के ऊपर पहाड़ स्थित करे, जो उस पर्वत के हटते ही तत्क्षण पूर्ववत अवज्ञाकारी बन जायें। क्या खुदा ऐसा कर सकता है ? यदि ऐसा करे, तो उसे अल्पज्ञ मानना होगा। तीसरी बात, कि यहूदियों के इस कथन पर, कि मूसा के अतिरिक्त कोई पैगम्बर और तौरात के अतिरिक्त किसी अन्य पुस्तक को हम प्रमाणिक नहीं स्वीकारते। हज़रत मुहम्मद ने खुदा की भाषा में इस प्रकार उत्तर दिया :—

यदि तुम्हीं स्वर्ग के अधिकारी हो तो तुमको मृत्यु की कामना करना चाहिये। तफसीर आजमुत्तफासीर पृष्ठ २२३

यह उस समय की बात, अर्थात हज़रत मुहम्मद के समय के यहूदियों से कही गई, जब कि इन लोगों का नामोनिशान भी नहीं था। यदि यह अभियोग विश्व के किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये तो कोई भी न्यायाधीश इस आरोप को स्वीकार नहीं करेगा।

अब इन आयतों की कथा समाप्त कर आगामी आयतें प्रस्तुत करते हैं क्यों कि इसमें भली-भांति यह स्पष्ट हो गया है कि यह आयतें खुदाई वाणी नहीं हो सकती है। आगामी आयतें:–

कुल् मन् काना अदुवल्ले जिब्रीला फ़ इन्नहू नज्जलहू अला कल्बिका ब इज़्निल्लाहे मुसद्दे कल्लेमा बैना यदैहे वा हो-देंव्वबुश्रा लिल्मौमेनीन। मन् काना अदुव्वल्लिल्लाहे वा मला-एकतेही वा रूसूलेही वा जिब्रीला वा मीकाला फ़ इन्नलाहा अदूव्वुल्लिल काफ़ेरीन्। वा लकद् अन्ज़ल्ना एलैका आयाति-म्बय्येनातिन् वा मा यक्फ़ुरोबेहा इल्लल फासेकून्।

कुरआन पारा १ रकू १२/१२ आयत ९८ से १००

अर्थ:– (ऐ मुहम्मद) कह दो, जो कोई शत्रु है जिब्रील का, निसन्देह उसने उतारा है इस (कुरआन) को तेरे (मुहम्मद के) हृदय पर अल्लाह की आज्ञासहित सत्य प्रमाणित करने वाला है, उस पदार्थ को जो उसके पूर्व है और शिक्षाप्रद एवँ शुभसूचक है ईमान वालों के हेतु। जो कोई शत्रु है अल्लाह हेतु और उसके फरिश्तों के तथा उसके पैगम्बरों के, जिब्रील व मेकाईल के निस न्देह अल्लाह शत्रु है। काफ़िरों हेतु, और अवश्य ही उतारी है, हमने तेरी ओर प्रत्यक्ष निशानियां। कुफ्र नहीं करते उसके साथ किन्तु बदकार।

आजमुत्तफ़ासीर भाग १ पृष्ठ २२५

इन आयतों के उतरने के विषय में विभिन्न विचार हैं। वर्णित किया गया है, कि एक यहूदी पैग़म्बर मुहम्मद को मिला और उसने कहा–यह जिब्रील, जिसका वर्णन तुम्हारे पैग़म्बर करते हैं, यह हमारा शत्रु है। तत्काल उमर ने उसको ऊपर की

आयत कही। हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं–इससे ज्ञात हुआ कि यह आयत हज़रत उमर की जिंव्हा पर उतरी।

तफसीर मज़हरी पारा १ पृष्ठ १७५

हज़रत अन्स से वर्णित है, कि अब्दुल्ला बिन सलाम (मुसलमान होने से पूर्व) ने हज़रत मुहम्मद के आगमन की शुभ सूचना सुनी, तो उसने हज़रत साहिब से तीन प्रश्न पूछे (१) प्रलय की निशानियों में सर्व प्रथम निशानी कौन सी है ? (२) सर्व प्रथम स्वर्ग वालों का भोजन क्या होगा ? और (३) शिशु किसी समय पिता की आकृति पर और किसी समय माता की आकृति पर होता है, इसका क्या कारण है ? हज़रत मुहम्मद ने कहा–इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मुझे अभी–अभी जिब्रील न बताये हैं। इस पर अब्दुल्ला बिन सलाम ने जिब्रील का नाम सुनकर कहा–यह तो यहूद का शत्रु है, तो आपने तत्काल ही यह आयत (जिसे हमने ऊपर लिखी है) पढ़ी।

शैख़ इब्ने हज़र कहते हैं–भाषा–शैली से यह ज्ञात होता है कि हजरत मुहम्मद ने यह (उपरोक्त लिखित) आयत यहूदियों के मिथ्या विचारों को दूर करने हेतु पढ़ी। इससे यह अनिवार्य नहीं ....कि उसी समय इसी घटना विशेष में यह आयत उतरी हो, और यही कथन उचित है। इससे ज्ञात हो गया कि जिस भांति हज़रत मुहम्मद ने यह आयत बना कर पढ़ दी, इसी भाँति सम्पूर्ण कुरआन भी बनाया

इब्ने अब्बास ने वर्णन किया है--यहूदी रसूलिल्लाह की सेवा में उपस्थित हुए और कहा--अबुलकासिम हम आपसे पाँच बातें पूछते हैं, यदि आपने उनके उत्तर दे दिये, तो हम आपको नबी मानेंगे। खुदा की और से आपका साथी कौन हैं ? हज़रत

ने कहा--जिब्रील । जिब्रील का नाम सुनते ही उसने कहा--वह जो युद्ध में कत्ल करने और हम पर अज़ाब (संकट) लेकर उतरता था । वह हमारा शत्रु है, यदि आप मेकाईल कहते, कि जो रहमत (कृपा) और वर्षा को लेकर आसमान से उतरे थे, तो उचित होता ।

अल्लामा बग़वी ने अब्बास से वर्णित किया, कि यहूद विद्वानों में से एक विद्वान अब्दुल्ला बिन सूर्या ने हज़रत मुहम्मद से पूछा–आपके पास कौन सा फरिश्ता आसमान से आता है ? हज़रत ने कहा जिब्रील । उसने कहा--यह तो हमारा शत्रु है, यदि मेकाईल होता, तो निसन्देह हम आप पर ईमान ले आते .....इत्यादि ।

तफसीर मज़हरी पारा १ पृष्ठ १७५--७६

जिब्रील–

जिब्रील शब्द की वास्तविकता—'जीबर' सर्यानी भाषा में अधिकार शून्य मनुष्य को कहते हैं । 'ईल, खुदा के अर्थ में आता है। फिर इस शब्द में १३ लुगत (धातु) आई है अर्थात १३ प्रकार प्रयुक्त होता है किन्तु चार प्रसिद्ध है । जैसे–जबईल–-जब्रील–जब्राइल और जब्रील ।

आजमुत्तफ़ासीर भाग १ पृष्ठ २२५

अब देखिये, कि आयत के उतरने में भी मतभेद हैं और साथ ही विभिन्न मत भी । इससे स्पष्ट हो जाता है, कि मुसलमान ऐसी बातों पर एकमत न हो सके ।

व्याख्या:–खुदा इन आयतों में यहूदियों की अत्यन्त मूर्खता और

बुद्धिहीनता का वर्णन करता है। जिसका विवरण इस प्रकार है। जब हज़रत मुहम्मद हिजरत कर मदीना आये, तो यहूदियों के एक पक्ष ने अपने विद्वान अब्दुल्ला बिन सूर्या को हज़रत मुहम्मद के पास भेजा। उसने कतिपय प्रश्न किये--हमें अपने स्वप्न का विवरण बताईये, हम अपनी पुस्तक के विवरण के साथ उसे मिलावेंगे ? हज़रत ने उत्तर दिया--स्वप्न (निद्रारिक्ति) में यद्यपि मेरी आंखे सोती है, किन्तु हृदय जागता हैं। अब्दुल्ला ने कहा--ठीक है। (अरे भाई ! हृदय तो सभी के जागते हैं।) अन्तिम प्रश्न यह था, जो ज़िब्रील के सम्बन्ध में था। उसने कहा-यह तो हमारा शत्रु है। क्योंकि इसने बख्ते नसीर को बचा कर समस्त बनी इस्राईल का नाश करा दिया.....इत्यादि। तत्पश्चात .....इनकी इस धारणा का खुदा ने इन शब्दों में उत्तर दिया-ऐ हमारे सखा ! (मुहम्मद) यहूदियों से कह दो, कि जो कोई अपने मिथ्या विश्वास में जिब्रील को अपना शत्रु समझता है, तो वह इस रोष में मर जाए, क्योंकि जिब्रील हमारे रसूलों में से एक विश्वस्त रसूल है। वह जो कुछ करता है, खुदा के आदेश से करता है। उसी ने आप (मुहम्मद) के हृदय पर यह कुरआन अंकित किया है, जो तौरात अन्य खुदाई वाणी का, जो नबियों पर उतरी उसको प्रमाणित करता है, और हजरत जिब्रील की उतारी हुई पुस्तक (कुरआन) को न मानना, पूर्व की पुस्तकों को भी अस्वीकार करना है.....(यह कितना अनुचित तर्क है, कि जो पुस्तक दूसरी पुस्तक को प्रमाणित करती हो, उसके न मानने से दूसरी पुस्तक भी अप्रमाणित हो जाती है। मानना तो उस पुस्तक का आवश्यक है, जिसको वह प्रमाणित करती है। मानना उसका आवश्यक नहीं जो किसी पुस्तक का समर्थन करती है, क्यों कि सैंकड़ों और सहस्त्रों मनुष्यों ने उस दूसरी

पुस्तक का समर्थन किया है। इसलिए जिन पुस्तकों का समर्थन किया गया है, उसका मानना आवश्यक हो जाता है, न कि जिन पुस्तकों ने समर्थन किया है.....और वह यहूदी उस बात को नहीं समझते कि जिस भाँति एक पैग़म्बर पर ईमान लाने से समस्त पग़म्बरों पर ईमान लाना अनिवार्य हो जाता है। इसी भाँति एक रसूलों को शत्रु ठहराने से समस्त रसूलों की शत्रुता आवश्यक हो जाती है। (यह भी वैसा ही तर्क है, जैसाकि ऊपर दिया गया है। जो उसको रसूल ही नहीं मानते हैं. तो उन पर मानना कैसे आवश्यक हो जायेगा ?) यह ज्ञात हो कि यहाँ पर खुदा ने कुरआन के तीन सदगुण बताये हैं, (१) उसको प्रमाणित करनेवाला जो उसके सन्मुख हैं। (२) शिक्षा दायक है, और (३) शुभसँवाद दाता है मुसलमानों हेतु , क्यों कि जो वाणी दूसरे से सुनी जाती है, उसको प्रमाणित करने हेतु तीन वस्तुओं में से एक अवश्य हुआ करती है। (१) यह कि उस वाणी का श्रोता ऐसा हो कि जो कुछ उसके पूर्वज कह गये हैं, उस पर हार्दिक विश्वास रखता हो। यहां तक कि उसके पूर्वजों के अनुकूल यदि कोई मनुष्य कहता है, तो तत्काल उसे स्वीकार कर लेता है, और उसके प्रतिकूल बात हो तो उसके हृदय में नहीं जमती। यद्यपि वह पूर्णतः ठोस और बुद्धियुक्त तर्कों से उसे क्यों न प्रमाणित किया जाये। इसी बात का संकेत आयत में किया गया है।

(२) उस वाणी का श्रोता सत्यान्वेषी और तर्क को मानने वाला हो। यदि तर्क के आधार पर कोई बात सिद्ध की जाती है, तो उसे स्वीकार कर लेता है, अन्यथा अस्वीकार कर देता है। इसी की ओर हिदायत (शिक्षा) शब्द का संकेत किया गया है।

(३) उस वाणी का श्रोता भ्रमयुक्त और कठोर विचार वाला हो। जैसे बच्चे और स्त्रियाँ, जिनके निकट वही वस्तुएँ

स्वीकार योग्य होती है, जो स्वार्थपूर्ति और कष्टों को दूर करने वाली किन्तु निर्बल हो। इसी की ओर आयत में संकेत शुभसँवाद शब्द मुसलमानों हेतु है।

कुरआन में इन तीनों गुणों को एक स्थान पर संकलित कर के उसकी ओर संकेत किया गया है। जब यह तीनों बातें कुरआन को प्रणाम स्वीकारने को उपस्थित है, तत्पश्चात भी उसका समर्थन न करना और उसे खुदा की वाणी न समझना अत्यन्त मूर्खता और बुद्धिहीनता है, और इसके अतिरिक्त शत्रु की लाई हुई वाणी उस कारण न स्वीकारना, कि वह हमारा शत्रु है, कोई दृढ़ तर्क नहीं है। जिब्रील से शत्रुता करना वास्तव में खुदा से ही शत्रुता करना है, क्योंकि वह जो लाते हैं वह खुदा के आदेश से ही लाते हैं। इसलिए जो कोई खुदा, उसके रसूलों और फरिश्तों विशेष कर जिब्रील व मेकाईल का शत्रु है, तो खुदा उसका शत्रु है। ..... खुदा अपने रसूल को धैर्य प्रदान करने हेतु आदेश देता हैं, कि ऐ मुहम्मद ! हमने तुम पर स्पष्ट और उजागर निशानियाँ तथा चमत्कार उतारे हैं। उनका अस्वीकार अधर्मी और झूठों के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। आपके सम कालीन यहूदी जो इस बात को जानबूझ कर भी अस्वीकार करते हैं, तो यह इनके अधर्मी होने का साक्षात प्रमाण है।

आजमुत्तफासीर भाग १ पृष्ठ २२६-२७

इन दोनों आयतों में निम्नलिखित बातें हैं:-

(१) जो कोई जिब्रील का शत्रु है।

(२) उसने यह कुरआन अल्लाह की आज्ञा से आपके हृदय में अंकित किया है।

(३) जो वाणी कुरआन से पूर्व तौरात व इन्जील आदि से उनको सत्य कहते हैं।

(४) हिदायत (शिक्षा) और शुभसूचना हैं मुसलमानों हेतु।

(५) जो अल्लाह का शत्रु है, और उसके फरिश्तों और रसूलों का, और जिब्रील व मेकाईल का।

(६) अवश्य ही अल्लाह काफिरों का शत्रु है।

यह ६ बातें आयतों में हैं। अब प्रथम यह कि जो कोई जिब्रील का शत्रु है, इत्यादि। इस शत्रुता का कारण बताने हेतु यहूदियों ने कुछ कारण दिये हैं। हमको ज्ञात हुआ कि बैतुल मुकद्दस एक व्यक्ति के हाथों नष्ट होगा। उसका नाम बख्ते नसर था। हमने एक व्यक्ति को भेजा कि वह बख्ते नसर को समाप्त कर दे। वह उस समय एक निर्धन सा लड़का था। वह बाबल में रहता था, हमारा व्यक्ति हत्या हेतु पहुँचा वो जिब्रील ने उसकी सहायता की और हमारे व्यक्ति को उससे अलग कर दिया। यहाँ तक कि बख्ते नसर बड़ा हो गया और उसने बैतुल मुकद्दस का विनाश कर दिया।

तफसीर मज़हरी पारा १ पृष्ठ १७६

इस बात का कोई समाधान कुरआन ने नहीं किया। द्वितीय बात यह, कि कुरआन को हज़रत मुहम्मद के हृदय में जिब्रील ने अंकित किया। यह बात नितान्त मिथ्या है। कुरआन हज़रत मुहम्मद के पास कैसे पहुँचा यह हम "कुरआन परिचय" के प्रथम खण्ड में विस्तारपूर्वक लिख चुके हैं, कि किस-किस भांति कुरआन हज़रत मुहम्मद के पास पहुँचा। इसका तात्पर्य यह न समझना कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं, कि कुरआन अल्लाह की ओर से हज़रत मुहम्मद को

प्राप्त हुआ या होता रहा। हम तो यह मानते हैं कि कुरआन हज़रत मुहम्मद की, स्वयँ की ही रचना है। यद्यपि हम प्रथम खण्ड में लिख चुके हैं, तो भी इस बात का वर्णन यहाँ आ गया है, इसलिए कुछ संक्षेप में यहां भी लिख देते हैं। इल्हाम कहते हैं, किसी होने वाली घटना को खुदा किसी के हृदय में उतारे, किन्तु कुरआन कैसे हज़रत मुहम्मद के पास पहुँचा, उसे आगे लिखते हैं:—

बीबी आयशा से वर्णित है रसूल्लिल्लाह पर सर्व प्रथम सत्य स्वप्नों द्वारा वही (ईश्वरीय माध्यम) स्वप्नावस्था में आती थी। तत्पश्चात आपको एकान्तवास अच्छा लगने लगा। आप हिरा पर्वत की गुफा में चले गये। वहाँ आपके पास फरिश्ता आया और उसने आकर हज़रत मुहम्मद को कहा-पढ़। हज़रत मुहम्मद ने कहा—मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तब फरिश्ते ने मुझे पकड़ कर दबोचा यहां तक कि मै पसीना-पसीना हो गया। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और फिर पकड़ा और कहा-पढ़। फिर मैंने वही उत्तर दिया-मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर उसने मुझे दबोचा। तीन बार ऐसा ही किया। यहाँ तक कि मैं परेशान हो गया फिर मुझे पढ़ाया 'इकरा बेइस्मे नब्बेकल्लाजी खलक, (अर्थात इस भांति कुरआन पढ़ाया, हृदय में अंकित नहीं किया)

तफ़सीर इत्तोकान (ऊर्दू) भाग १ पृष्ठ ५६-५७

यह है, कुरआन की प्रथम वही, यहाँ भी जिब्रील ने देहाती और पुरातन अध्यापक की भांति हज़रत मुहम्मद को खूब दबोच- दबोच कर पढ़ाया। ऐसा ही वर्णन सही बुखारी अध्याय 'वही' की कैफियत पृष्ठ ७ में भी है।

अल्लामा सियूती ने लिखा है, कि मुस्लिम विद्वानों ने 'वही' की अत्याधिक स्थितियाँ लिखी है, जैसे:--

(१) फ़रिश्ता उनके पास घन्टे की आवाज की झनकार की भांति लाता था और यह 'वही' आप पर अत्यन्त कठोर गुज़रती थी।

(२) हृदय में खुदा की वाणी की आत्मा फूँकी जाती थी।

(३) कभी फरिश्ता मनुष्याकृति में आता था, और हज़रत मुहम्मद को खुदा की वाणी सुनाता था।

(४) फरिश्ता स्वप्नावस्था में आपके पास आता था।

(५) खुदा स्वयं जागृतावस्था में अपने रसूल के साथ वार्ता करता यह मेहराज (नभयात्रा) की घटना है।

तफसीर इत्तेकान भाग १ पृष्ठ ११७--१८

इसी बात का वर्णन तफसीर इत्तेकान के भाग १ पृष्ठ ५६ में भी है।

फिर यह भी लिखा है, कि बकर की अन्तिम आयतें एक खज़ाने के नीचेसे मुझे दी गई। तफसीर इत्तिकान भाग १ पृष्ठ १००

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है, कि मेहराज की रात्रि को हज़रत को यह आयतें खुदा ने प्रदान की है। इससे जिब्रील का कोई सम्बन्ध नहीं है। जो कुरआन आसमाने दुनिया पर लाया गया था, उसमें यह सूरतें नहीं हो सकती।

तज़रीदे बुखारी में है, कि हज़रत भोजन कर रहे थे, उस समय वही हुई जब कि हड्डी हज़रत के हाथ में ही थी।

तज़रीदे बुखारी भाग २ पृष्ठ २९०

तज़रीदे बुखारी में यह भी लिखा है, कि जब जिब्रील हज़रत के पास आते, तो आप कान लगाकर सुनते और जिब्रील के चले जाने के पश्चात उसी प्रकार पढ़ते।

तज़रीदे बुखारी भाग १ पृष्ठ ११

हम इस विषय पर अधिक लिखना नहीं चाहते क्यों कि प्रथम खण्ड में हम इस विषय पर विस्तारपूर्वक लिख चुके है, और यह बात सर्वथा निर्विवाद है, कि सम्पूर्ण कुरआन हज़रत मुहम्मद के हृदय में प्रविष्ट नहीं किया गया और कोई मुसलमान भी इस बात को यहीं मानता कि सम्पूर्ण कुरआन हज़रत मुहम्मद के हृदय में डाला गया। अभी हमने कतिपय उदाहरण कुरआन सम्बन्धी कि हज़रत मुहम्मद तक कैसे पहुँचा लिखे हैं, किन्तु इतने प्रमाण होने पर भी आयत में यह कहा गया कि जिब्रील ने हज़रत मुहम्मद के हृदय में कुरआन प्रविष्ट किया यह सर्वथा मिथ्या है। प्रथम सूरत ही हज़रत मुहम्मद को मसल -दबोच कर पढ़ाई गई। इससे सिद्ध है, कि सम्पूर्ण कुरआन हज़रत मुहम्मद के हृदय में नहीं डाला गया।

द्वितीय यह कि पूर्वागत पुस्तकों को सत्य और प्रमाणिक कहती है, उसको अस्वीकार करना पूर्वगत पुस्तकों को भी अस्वीकृत करना है। हमने इस विषय को भी पूर्व में ही लिख दिया है, कि जो पुस्तक अन्य किसी दूसरी पुस्तक को सत्य मानती है, उस को तो सत्य स्वीकारना अनिवार्य है, परन्तु जो पुस्तक सत्य मानती है, उस पुस्तक को भी सत्य स्वीकारना अनिवार्य नहीं है। फिर यदि दोनों ही पुस्तके ऐसी है, जो खुदा की ओर से प्रमाणित नहीं हो सकती है तो उन दोनों में से किसी एक को भी स्वीकारना

उचित नहीं है । ऐसी स्थिति में यदि किसी एक पुस्तक के लेखक ने दूसरी पुस्तक को सत्य स्वीकारा है, तो निश्चय ही वह उसके स्वार्थ की बात है । इसी पुस्तक में हमने कहा है, कि मुस्लिम विद्वान भी यह स्वीकारते हैं कि जो इंजील खुदा ने ईसा को दी थी वह यह नहीं है, तथा तौरात को भी बख्ते नसर ने जला दिया था और उसके पश्चात जो निर्मित की गई उसमें भी बनी इस्राईल ने परिवर्तन-संशोधन और परिवर्धन कर दिया । अत: जिस पुस्तक की विद्यमान स्थिति उसके मूल स्वरूपानुसार न रही, तो उसको सत्य व प्रमाणिक कहना किसीभी प्रकार उचित नहीं है। उनके हेतु यही था, कि जो पुस्तकें हमने पूर्व में दी थी वह यह नहीं है, अपितु यह न कह कर यह कहा गया कि यह पुस्तकें तौरात और इंजील भी खुदा की ओर से है । किन्तु इन वर्तमान इंजीलों और तौरात को भी मुस्लिम विद्वान खुदा की ओर से नहीं स्वीकारते ।

आयत में आगे यह है, कि यह पुस्तक हिदायत (शिक्षा) देने वाली और मुसलमलनों हेतु शुभ सूचना है । यदि यह कुरआन सार्वभौमिक होती तो इसमें यह लिखा होता कि यह पुस्तक सम्पूर्ण ससार हेतु हिदायतदाता और शुभ सूचनादायक है, किन्तु मात्र मुसलमानों हेतु ही हिदायत और शुभ सूचना लिखना यह स्पष्ट ही सम्प्रदाय विशेष की पोषक है । हम इस विषय पर पूर्व में भी कह चुके हैं, कि खुदा (ईश्वर) की कोई भी पुस्तक किसी भी सम्प्रदाय विशेष हेतु नहीं हो सकती है । जिस भाँति खुदा द्वारा उत्पादित और निर्मित समस्त वस्तुएँ जैसे-धरती, गगन, सूर्य, चन्द्र, जल, वायु और मिट्टी इत्यादि सृष्टि के समस्त प्राणियों के लिये समान है । इसी भांति ही ईश्वरीय पुस्तक भी किसी सम्प्रदाय विशेष के हेतु न होकर सृष्टि के समस्त मनुष्यों हेतु हिदायत और शुभ सूचनादायक होनी चाहिये थी, किन्तु यह

कुरआन केवल परहेज़गारों को शिक्षा देता है और परहेज़गार मुसलमान के अतिरिक्त कोई हो ही नहीं सकता ? जैसा कि हम पूर्व में लिख चुके हैं। जो पुस्तक पथभ्रष्ट और दिग्भ्रमित लोगों को सन्मार्ग पर नहीं ला सकती है, वह पुस्तक कदापि खुदा अर्थात ईश्वर की ओर से नहीं हो सकती है । इसलिए हमने कुरआन की प्रथम आयत पर विस्तृत चर्चा की है, वहां देख लें।

आयत में पांचवी बात हैं, कि जो फरिश्तों–रसूलों, जिब्रील और मेकाईल का शत्रु है, खुदा उनका शत्रु है । इस आयत मे यहा पर खुदा को भी शत्रुओं की पंक्ति में खड़ा कर दिया गया । शत्रु और शत्रुता क्यों और कैसे उत्पन्न होते हैं ? और उनका प्रभाव क्या और कैसा होता है ? इसको भी समझना आवश्यक है। शत्रुता द्वेष–स्वार्थ और मान-अपमान इत्यादि सांसारिक काम-क्रोध मोह और लोभ से उत्पन्न होती है। यदि खुदा के हृदय में भी उक्त विषय माने जायें को वह अल्पज्ञ और साधारण हो जायेगा। ईश्वर (खुदा) को तो समदृष्टि-सर्वज्ञ हितचिन्तक दयालु कृपानिधान-आश्रयदाता और जगतपालक माना गया है। ऐसे खुदा में किसी भी भाँति काम–क्रोध–मोह-लोभ–घृणा तथा द्वेषभाव नहीं माने जाते। यदि ऐसा माना जाये तो फिर वह जगतपालक नहीं माना जा सकता ? कुरआन में खुदा सम्बन्धी ऐसी बातें लिख कर खुदा को अत्याधिक कुख्यात और लांछित कर दिया गया है। यदि यह कुरआन खुदाई वाणी होता तो उस में खुदा (स्वयँ) की इस भाँति क्रोधी--द्वेषी–प्रतिशोधी -पहाड़ उठानेवाला और सूदखोरों को युद्ध हेतु ललकारने वाला न कहता और जो लोग ईश्वर के गुण–कर्म और प्रकृति को स्वीकारते हैं, वह लोग ऐसा दोषारोपण खुदा पर नहीं कर सकते। यह कुर-

आन लेखक कोई ऐसा व्यक्ति है, जो ईश्वर के गुण–कर्म–प्रकृति तथा स्वरूप से सर्वथा अनभिज्ञ है।

आयत में यह भी हैं, कि हमने तेरी ओर स्पष्ट चमत्कार उतारे और उनके साथ नहीं कुफ़र करते मगर बदकार। कुरआन को न मानने वालो को काफ़िर या बदकार कहना अत्याधिक हीनतम और असभ्य तथा बाजरू ढंग की भाषा अर्थात गाली मात्र है। कुरआन रचयिता का यह कथन कि जो कुरआन को खुदाई वाणी नहीं स्वीकारता वह बदकार है। मनुष्यों में परस्पर मतभेद–अन्तर और विरोधाभास होते हैं, और यह होने के विभिन्न कारण भी, किन्तु किसी से मतैक्य न होने पर किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को बदकार कहना, मनुष्यता और व्यवहारिकता पर एक घोर कलंक और निन्दनीय बात है। कोई भी सभ्य और भला व्यक्ति ऐसा कुशब्द प्रयोग नहीं कर सकता ?

हम पूर्व में लिख आये हैं, कि परमात्मा (खुदा) ही लोगों को नेक और बदकार (भले और बुरे) बनाता है। खुदा पर यह अत्यन्त घोर लाँछन है, जिसको देखते हुए कुरआन के वास्तविक निर्माता-लेखक या रचनाकार का यथार्थ स्वरूप सन्मुख आ जाता है। इसी भांति और भी पैगम्बरी के दावेदार मुसलमानों ने कहा है। उनमें से एक मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादयानी हैं, ने कहा :—

'जो मुझ पर ईमान नहीं लाता वह बाजारू स्त्रियों की सन्तान है।' कितने कठोर और हीनतम शब्द है। माताओं पर कितना बुरा लांछन लगाया है, यह इस वाक्य से ही स्पष्ट है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादयानी भी अपनी वाणी को खुदाई वाणी ही कहता था।

पाठक ! स्वयँ सोचें और निर्णय करें कि क्या ऐसी वीभत्स और हीनतम वाणी को खुदाई वाणी समझा जा सकता है ? और खुदा स्वीकारा जा सकता ? और उसको जो कहता है, कि मेरी वाणी खुदाई वाणीहै, क्या भला मनुष्य कहा जा सकताहै? करोड़ों मनुष्य ऐसे विचारों को मानते हैं और मानते जा रहे है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने ऐसे ही मनुष्यों को अन्धश्रद्धाओं और मिथ्याविश्वासों से मुक्त कराने हेतु आर्य समाज की स्थापनाकी। जिसके सिद्धान्तों-आदर्शों और नियमों का पालन करते हुए हम अँधकार-अविद्या- कुश्रृद्धा और मिथ्या विश्वासों में ग्रस्त मनुष्यों को सत्य और विद्या के प्रकाश में लाने का सतत सुप्रयास कर रहे हैं। इन आयतों पर हम पर्याप्त लिख चुके हैं, और अब प्रस्तुत हैं अगली आयतें :-

अव कुल्लमा आहदू अहदन्नबजहू फ़रीकुम्मिनहुम्। बल अक्सरो-हुम् ला योमेनून्। वा लम्मा जाआहुम् रूसूलुम्मिन् इन्दिल्लाहे मुसद्दे कुल्ले मा मआहुम् नबजा फ़रीकुम्मेनल्लाज़ीना, ऊतुल्केताबा किताबुल्लाहे वराआ ज़ुहूरेहिम् हअन्नहुम् ला यालमून्।

कुरआन पारा १ आयत १०१-२

अर्थ:-जब कभी कोई प्रतिज्ञा करते हैं, उनमें से एक समुदाय ने प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, फेंक दिया, अपितु उनमें से तो अत्याधिक लोग ईमान ही नहीं रखते, और जब उनके पास खुदा की ओर से रसूल (ईसा या मुहम्मद) आया, जो उनकी पुस्तक को सत्य बतानेवालाहै, तो उसमें से एक समुदाय ने उस अल्लाहकी पुस्तक को पीछे डाल दिया, मानों कि वह कुछ जानते ही नहीं।

व्याख्या:—आयतों को यह लोग अस्वीकार करते हैं और प्रतिज्ञा करते है, और प्रतिज्ञा यह है, कि हम (यहूद) उन पर ईमान ले आएँगे।

तफसीर मज़हरी पारा १ पृष्ठ १७८-७९

हम कहते हैं, कि हज़रत मुहम्मद के समकालीन यहूद कब प्रतिज्ञा ली गई ? यदि नहीं ली गई, तो फिर २ हजार ५०० वर्षों पूर्व की बात को इनके मस्तक पर क्यों थोपी जाती है ? यदि यह प्रतिज्ञा पैग़म्बरों से ली गई है, तो नितान्त निरर्थक है, क्योंकि हज़रत मुहम्मद के पश्चात कोई पैग़म्बर होगा ही नहीं। प्रतिज्ञायुक्त जो आयत बताई जाती है, वह इस प्रकार है:—
'वा इज़ अख़ज़ल्लाहो मीसाकन्नबी ज़ीना' से लेकर **फ़उला येका-होमूल् फासेकून'** तक (कुरआन पारा ३ रकू २।१६ सूरत आले इमरान) इस आयत का अर्थ है, "जब अल्लाह ने नबियों से प्रतिज्ञा ली, कि जो कुछ मैंने तुमको पुस्तक और विद्या दी, फिर आये तुम्हारे पास कोई रसूल कि सत्य बताये जो पुस्तक तुम्हारे पास है उसको, तो उस पर ईमान लायेंगे और उसकी सहायता करेंगे, और फरमाया, कि तुमने प्रतिज्ञा इस शर्त पर की है, और कहा तुमने--हमने प्रतिज्ञा की तो तुम साक्षी रहो और मैं (ख़ुदा) भी तुम्हारे साथ साक्षी हूं। और फिर जो कोई इस प्रतिज्ञा से विमुख हो जाये, तो वही लोग अवज्ञाकारी हैं।

तफसीर मुवाहेबुर्रहमान पारा ३ पृष्ठ २४३

संक्षेप में व्याख्या इस प्रकार है:—

यह प्रतिज्ञा प्रारम्भिक काल में ली गई, जब कि उत्पत्ति-काल की सत्ता भी न थी।.....यह प्रतिज्ञा इस भांति ली गई कि अल्लाह ने आदम की पीठ से उसकी समस्त सन्तति को निकाला।

इमाम राजी ने कहा—यह प्रतिज्ञा, वह है जो उनकी बुद्धि में स्थिर हो, कि अल्लाह की आज्ञापालन करना अनिवार्य है। (लम्मा शब्द कहीं-कहीं लिम्मा भी आता है) पुस्तक और हिकमत से तात्पर्य हज़रत मुहम्मद से है अर्थात फिर आये तुम्हारे पास ऐसा रसूल जो पुस्तक तुम्हारे पास है उसको सत्य प्रमाणित करनेवाला है। (उस पर ईमान लाना)

इब्ने अब्बास से वर्णित किया गया है, कि अल्लाह ने किसी नबी को नहीं भेजा किन्तु उनसे प्रतिज्ञा इस बात की ली, कि जब मैं हज़रत मुहम्मद को पैग़म्बर बना कर भेजूं और उस समय तुम जीवित हो, तो अवश्य ही हजरत मुहम्मद पर ईमान लाना और उसकी सहायता करना। अर्थात पैग़म्बरों को पुस्तक देकर शपथ ली कि जब पैग़म्बर आए तो तुम अवश्य उस (मुहम्मद) पर ईमान लाना (यदि तुम उसका समय पाओ) रही यह बात कि इन पैग़म्बरों की उम्मत को यह आज्ञा किस भाँति है ? तो उत्तर दे दिया—उनकी उम्मत का, ऊपर दी गई आज्ञानुसार पालन करना, प्रथम कर्तव्य माना जायेगा····· क्यों कि जब नबी के जीवित होने पर नबी को ईमान लाने की आज्ञा है, तो उसकी उम्मत (समुदाय) को भी अवश्य ही इस आज्ञा का पालन करना अनिवार्य हैं।··· और यह भी स्पष्ट है कि यह प्रतिज्ञा विशेषतः हज़रत मुहम्मद हेतु ली गई थी। जैसा कि हज़रत अली, इब्ने अब्बास, कतादा और सहीह कहते हैं :—

सबके पश्चात हज़रत मुहम्मद अन्तिम नबी है, तो आपके हेतु समस्त नबिओं से वचन लिया गया था और इस बातको विभिन्न कथनों से सम्पुष्टि किया गया है।

तफसीर मुवाहेबुर्रहमान पारा ३ पृष्ठ २४४ से ४६

हज़रत मुहम्मद साहिब हेतु प्रतिज्ञा लेने के सम्बन्ध में कुरआन के समस्त भाष्यकारों ने लिखा है।

तफसीर मज़हरी पारा १ पृष्ठ १७९, तफसीर मुआले-मुत्तन्जील पारा ३ पृष्ठ १६९।

वा हाज़ा कौलो इब्ने अब्बास, वा काला अलय्युब्ने अली तालिब, लम् यब्असल्लाहो नबिय्यन आदमा, वा मिम्बादेही, वा इल्ला अख़ज़ा अलैहिल्अहदो फ़ी अमरे मुहम्मदीन् ।

अर्थात:—आदम से लेकर जितने भी नबी उनके पश्चात हुए सबसे खुदा ने हज़रत मुहम्मद हेतु वचन लिया 'वा अय्योमेनू बे मुहम्मद सल्लिल्लाह' अर्थात वह और उनकी उम्मत सब हज़रत मुहम्मद पर ईमान लायेंगे।

तफसीर मुआलेमुत्तन्जील पारा ३ पृष्ठ १६९

इसी भाँति तफसीर कादरी में है, कि स्मरण करो तुम ऐ मुहम्मद ! कि जब खुदा ने पैग़म्बरों से वचन और प्रतिज्ञा ली और पैग़म्बरों की उम्मतें प्रतिज्ञा लेने में पैग़म्बरों के अधीन है, और यह अत्याधिक महान प्रतिज्ञा है, जो खुदा ने समस्त पैगम्बरों से ली, कि तुम और तुम्हारी उम्मतें हज़रत मुहम्मद पर ईमान लाएँ। प्रतिज्ञा का वर्णन इस प्रकार है कि जो कुछ मैं तुम्हें पुस्तकें दूँ फिर उनकी समझ से फिर तुम्हारे पास रसूल आए जो मुहम्मद सल्लअम है। जो तुम्मारे पास पुस्तक है उसे सत्य करने वाला है, को उस पर अवश्य ईमान लाना।

तफसीर कादरी पारा ३ पृष्ठ ११६

इसी प्रकार तफसीर कुरआनुल अज़ीम पृष्ठ ३५ पर भी किताब और हिकमत से, और वह हज़रत मुहम्मद हैं। उन पर ईमान लाने की आज्ञा का वर्णन है।

आज़मुत्तफासीर में है, कि उस समय को स्मरण रखना चाहिये जब कि खुदा ने समस्त नबियों से प्रतिज्ञा ली। पैग़म्बरों की प्रतिज्ञा में उनकी उम्मतों की भी प्रतिज्ञा आ गई। यह अत्यन्त महान प्रतिज्ञा का वर्णन है। खुदा ने समस्त आत्माओं के समक्ष में नबियो से यह अनुबन्ध लिया कि तुम और तुम्हारी उम्मतें अन्तिम पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद साहिब पर ईमान लाना।

आजमुत्तफासीर पारा ३ पृ० ४०

पैग़मबरों की प्रतिज्ञा में उनकी उम्मतों की प्रतिज्ञा भी आ गई, तो वह हज़रत मुहम्मद पर ईमान लाएंगे।

तफसीर बैज़ावी पृष्ठ ७१

तफसीर फैज़ी में है, कि और बात यह है कि जब उन्होंने खुदा से ईमान और इस्लाम पर वचनबद्धता की, तो उनमें से एक समुदाय ने उस वचन को फेंक दिया।

आजमुत्तफासीर पृष्ठ २२९

जलालैन ने यही लिखा, कि हज़रत मुहम्मद पर ही ईमान लाने का वचन था।

तफसीर जलालैन पारा ३ पृष्ठ ५५

अल्लाह ने प्रत्येक नबी से वचन लिया, कि उसके जीवन में यदि अल्लाह अपने नबी हज़रत मुहम्मद को भेजे, तो उस पर

अनिवार्य है। कि वह हज़रत मुहम्मद पर ईमान लाए और उसकी सहायता करें।

तफसीर इब्बे कसीर पारा ३ पृष्ठ ७६

हमने इस आयत पर कुरआन के विभिन्न व्याख्याकारों के उद्धरण लिखे हैं, कि यह वचन उस समय लिये गये कि अभी पार्थिव जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ था। वचन पैग़म्बरों से लिया। क्या वचन लिया (१) जब तुम्हारे पास कोई रसूल आए, जो सत्य प्रमाणित करे उसको जो तुम्हारे पास है। अर्थात जो पुस्तकें आदि आपको दी गई है, तो उस पर ईमान लाना और उसकी सहायता करना।

(२) इस पर अनुबन्ध किया समस्त नबियों ने कि हम इस प्रतिज्ञा का पालन करेंगे।

(३) और जो कोई इस वचन से विमुख हो वह बदकार होगा। यह जो प्रतिज्ञा पैग़म्बरों से ली, यह किस भाँति अव्यवहारिक है। इस पर विचार करने से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है, कि ऐसी अन्य असिद्ध आयत रचना खुदा का कार्य नहीं है, क्योंकि जब यह बात निश्चित है, कि हज़रत मुहम्मद अन्तिम पैग़म्बर हैं और उनके पश्चात कोई पैग़म्बर नहीं आएगा और न कोई उनके समकालीन अन्य दूसरा पैग़म्बर होगा, तो फिर हज़रत मुहम्मद के पश्चात पैग़म्बर होगा ही नहीं, और न होगा तो फिर पैग़म्बरों से अन्य असिद्ध बात हेतु प्रतिज्ञा करना क्या अर्थ रखता है ? जब खुदा के ज्ञान में हज़रत मुहम्मद अन्तिम पैग़म्बर हैं, तो फिर वह खुदा कैसे पैग़म्बरों से वचन ले सकता है, कि तुम हज़रत मुहम्मद पर ईमान लाना ?

यह आयत तो किसी ऐसे व्यक्ति की रचना लगती है, कि जिसने स्वयँ अपने स्वार्थ हेतु ऐसी असम्भव और दूरूह बात प्रस्तुत कर मनुष्यों को अपने षडयत्र में फाँसने का दुष्प्रयास किया है। इस आयत में मुहम्मद साहिब को समस्त नबियों से सर्वोच्च पद दिया गया और सबको उन पर ईमान लाने की प्रतिज्ञा में बद्ध किया गया है। हज़रत मुहम्मद को अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने हेतु खुदा की ओर से यह आदेश तो प्राप्त हो गया कि मुहम्मद पर ईमान लाना, और जो ईमान नहीं लाएगा वह बद-कार (बुरा) होगा, उनको यह विचार जाने क्यों नहीं आया, जब कि वह अपने आपको स्वयँ अन्तिम पैग़म्बर घोषित करते थे, इस स्थिति में जब हज़रत मुहम्मद के पश्चात कोई भी पैग़म्बर आने वाला ही नहीं है, तो फिर इस बात पर वचन लेना, कि हज़रत मुहम्मद पर ईमान लाना कैसे सिद्ध हो सकता है? इससे यह आयत सर्वथा व्यर्थ और अर्थहीन है, क्योंकि जिस आयत की आज्ञा कार्य-रूप में परिणित होना असम्भव है। ऐसी स्थिति में आयत रचने की आवश्यकता ही क्या थी ? क्या यही कि इससे हज़रत मुहम्मद की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो ? चाहे वह कार्य सम्पन्न हो या न हो ? अर्थात कोई रसूल या नबी हज़रत मुहम्मद पर ईमान लाए मात्र आज्ञा ही पर्याप्त है। शेष रहा उन पैग़म्बरों की उम्मतों का हज़रत मुहम्मद पर ईमान लाना ? प्रथम तो किसी नबी की उम्मत ने यह प्रतिज्ञा ही नहीं की और द्वितीय जब उनका कोई पैगम्बर हज़रत मुहम्मद पर ईमान लाये बिना ही पैग़म्बर माना गया और कोई हज़रत मुहम्मद पर ईमान नहीं लाया, तो फिर किसी पैग़म्बर की उम्मत पर भी आवश्यक न होगा कि वह हज़रत मुहम्मद पर ईमान लाए ? जब हज़रत मुहम्मद पर ईमान न लाने के कारण उनकी पैगम्बरी में कोई न्यूनता नहीं आई, तो उनकी उम्मतें भी उनकी आज्ञाओं का पालन कर

अपना कर्तव्य पूर्ण कर सकती है। इस आयत ने तो पूर्णतः स्पष्ट कर दिया कि ऐसी अर्थहीन औरअसिद्ध आयत क्या कभी ईश्वरीय वाणी हो सकती है? यह तो किसी खुदा के वास्तविक स्वरूप से अज्ञात व्यक्ति की ही अपनी कल्पना मात्र है।

अब जैसे पैग़म्बरों से प्रतिज्ञा लेने की बात असिद्ध है, वैसे ही दूसरी बात भी है कि जो तुम्हारी पुस्तक को सत्य कहे उस पर ईमान ले आना। इस पर हम पूर्व में लिख चुके हैं कि उनके सत्य स्वीकारने का क्या अर्थ है? जब कि उनका सत्य स्वीकारना मात्र कुरआन को सत्य मानने और उस पर ईमान लाने हेतु है। जब कुरआन की शिक्षा को ही, स्वीकारना है, तो फिर उनको सत्य स्वीकारना है, तो फिर उनको सत्य स्वीकारो, तो भी बात वही है, और असत्य मानो तो भी वही बात है। परिणाम असत्य और सत्य दोनों का एक ही समान है। यह बात कैसी अनर्गल है, कि संसार में जितने भी मनुष्य होने वाले हैं, उन समस्त को आदम की पीठ से निकाल कर उनसे वचन ले लेना कैसा असंभव है। क्या आदम की पीठ में समस्त आत्माएँ समाहित थी और सृष्टि में आयत असंख्य मनुष्यों की आत्माएं एक आदम की पीठ में कैसे समा गई? यह तो पूर्णतः एक गप्प मात्र है, जिसके सम्बन्ध में हम पूर्व में ही लिख चुके हैं।

इस आयत के विषय में तो हम पूर्णतः यह प्रमाणित कर चुके है, कि इस आयत की आज्ञा का न तो पालन हुआ है और न हो ही सकता है। यह सर्वथा असिद्ध है। अतः यह समस्त अनर्गल और अर्थहीन आयत को समाप्त कर आगे बढ़ते हैं। आयत :—

वत्तबऊ मा तत्लुश्शयातीनो अला मुल्के सुलैमाना, वा मा कफ़रा

सुलैमानो, वा ला किन्नश्शयातीना कफ़रू यो अल्लेमूनन्नासस्से-हर, वा मा उन्ज़ेला अलल्मलकैनें बे बाबेला हारूता वा मारूत, वा मा युअल्लेमाने मिन् अहदिन हत्ता यकूला इन्नमा नहनो फ़ित्नतुन फ़ ला तक्फ़ुर, फ़यतअल्लमूना मिन्हुमा मा यो फर्रेकूना बैही बैनल्मएं वा ज़ोजेही, वा मा हुम बिज़ारीना बे ही मिन् अहदिन् इल्ला बे इज़्निल्लाह, वा मा यत अल्लमूना मा यो ज़ुर्रों हुम वा ला यन्फ़ओहुम्, वा लकद अलेमू लमनिश्तराहो मा लहू फ़िल्आख़ेरते मिन् ख़लाक वलबेसा मा शरौबेही अन्फ़सहुम लौ कानू यालमून।

कुरआन पारा १ रंकू १२।१२ आयत १०३

अर्थः– और (यहूद) अनुगामी हो गए उस वस्तु के जिसको शैतान सूलेमान के शासन काल में पढ़ते थे, और सूलेमान ने तो कुफ्र नहीं किया अपितु शैतानों ने कुफ्र किया, जो लोगों को जादू (तन्त्र) सिखाया करते थे, और अनुसरण करने लगे उस वस्तु का जो बाबल नगर में हारूत और मारूत दो फ़रिश्तों पर उतरी थी, और वह किसी को न सिखाते थे, जब तक कि यह न कह देते कि हम तो मात्र परीक्षण हेतु हैं। तू काफिर न बन और उनसे जो लोग वह बातें सीखते थे, जिनसे पत्नि-पति में विच्छेद उत्पन्न करें। यहाँ तक कि वह किसी को खुदा की आज्ञा के बिना दुख नहीं पहुँचा सकते थे, और यहूदी उनसे वह वस्तु सीखते थे, जो उनको कष्ट देती थी और वह यह भी जानते थे कि जिसने जादू को क्रय किया उसके हेतु प्रलय में कुछ भाग नहीं, और जो उन्होंने अपने प्राणों के हेतु क्रय किया वह अत्याधिक बुरा है। क्या अच्छा होता, कि वह जानते।

तफसीर हक्कानी पारा १ पृष्ठ ५५

व्याख्या:-प्रथम वर्णन हुआ था, कि यह यहूदी जो आज खुदा की पुस्तक को मानने का दावा और मूसा की शरीअत के निरस्तीकरण को नहीं मानते ऐसे अधर्मी और अवज्ञाकारी लोग हैं, जिन्होंने पवित्र तौरात को खुदा की वाणी स्वीकार कर भी पीछे डाल दिया। अब आदेश होता है, कि क्या ही अच्छा होता कि यह लोग इसी पर बस करते किन्तु यह लोग खुदा की वाणी को त्याग कर जादू सीखने लग गए और जादू की खोज में धर्म और संसार को हार बैठे। जादू तो पूर्व में भी था किन्तु अधिक प्रचलन हज़रत सूलेमान के शासन काल में ही हुआ। जैसा कि लिखा है, कि हज़रत सूलेमान की पुरानी आदत थी, कि जब कभी शौच हेतु जाता या किसी पत्नि से सम्भोग करने की इच्छा करता तो अपनी अंगूठी ज़रयाह नामक पत्नि को दे जाता और कार्य समाप्ति के पश्चात उसे पुनः लेकर पहिन लेता। जब खुदा तआला ने उसको अजमाना (परीक्षण) चाहा, तो आप यथाक्रम एक दिन शौच को जाते समय अपनी अंगूठी ज़रयाह को दे गया। तनिक समय भी व्यतीत न हुआ था, कि एक शैतान सूलेमान के रूप में ज़रयाह के पास आया और वह अंगूठी उतार कर पहिन ली, तो समस्त (मनुष्य और शैतान) उसके अधीन हो गए। इधर जब हज़रत सूलेमान ने आकर ज़रयाह से अंगूठी मांगी, तो आपको बिठा कर कहने लगी-तू सूलेमान काहे को है। इससे आप समझ गए, कि मैं अवश्य ही किसी संकट में ग्रस्त होने वाला हूं और खुदा की ओर से मेरी परीक्षा की गई है। इन्हीं दिनों शैतानों ने कुफ्र और जादू को लिपिबद्ध कर संकलित किया और गुप्त रीति से सूलेमान के सिंहासन के नीचे दबा दिया। जब सूलेमान का देहान्त हो गया, तो उसके सिंहासन के नीचे से वह जादू का संकलन निकाल कर कहने लगे--सूलेमान इन्हीं वस्तुओं के कारण से हम पर प्रभूत्व रखते थे और मनुष्य,

जिन्न और जंगली पशु इत्यादि भी इसी के कारण उनके अधीन थे। उस समय के लोगों ने इस कारण से सूलेमान को बुरा-भला कहा और कुफ्र का फतवा लगाया।

इब्ने जरीर, इब्ने अब्बास और अन्यों ने कहा, कि शैतान आसमानों पर जाकर कुछ समाचार उड़ा लेते थे और वह ज्योतिषियों और धर्मगुरूओं को बता देते थे। जब यह सूचनाएं उनके कार्यालयों में एकत्रित हो गई, तो सूलेमान ने उन्हें लेकर एक सन्दूक में डाल कर उसको ताला लगा कर अपने सिंहासन के नीचे दबा दिया। सूलेमान के मरणोपरान्त शैतान ने उसके सिंहासन के नीचे से वह सन्दूक निकाल कर कहा--हजरत सूलेमान का शासन इन्हीं चमत्कारों और जादूओं के कारण था। तब बनी इस्राईल तौरात को त्याग कर जादू और तमाशा आदि की बातों में संलग्न हो गए। जब हजरत मुहम्मद हुए तो उन्होंने सूलेमान के रहस्य को प्रकट किया, तो यहूदी कहने लगे--देखो यह सत्य और असत्य को मिला-जुला कर वर्णन करता है, और सूलेमान को पैग़म्बर बताता है, किन्तु यह सूलेमान एक ऐसा जादूगर था, जो जादू के बल से वायु पर सवार हुआ करता था। खुदा ने हजरत सूलेमान को इस दोष से मुक्त करने हेतु फरमाया--सूलेमान कदापि काफ़िर नहीं था, अपितु नबी था और शैतान उसके समय में स्वयं ही कुफ्र करते और जादू सीखा कर विनाश की ओर ले जाते तथा कुफ्र में उलझा देते थे। फिर यहूदियों ने उस जादू की खोज पर ही अन्त नहीं किया अपितु बाबल नगर में दो फ़रिश्तों हारूत और मारूत आवरण विद्या और विभिन्न प्रकार के खेलों का प्रदर्शन करते थे, उसकी शिक्षा भी प्राप्त करने लगे। चालाकीपूर्ण बातों को ग्रहण कर धार्मिक विद्या का पूर्णतः बिनाश कर डाला। यहूदी सर्वप्रथम जादू सीख कर हजरत सूलेमान की ओर इंगित कर कहते हैं--हमको जादू

उन्हीं से प्राप्त हुआ है और उनको जो जिन्नों और मनुष्यों पर प्रभूत्व प्राप्त था, वह इसी कारण था। खुदा ने उनको इस दोष से मुक्त करने हेतु फरमाया कि सूलेमान का उससे कोई सम्बन्ध नहीं था। यह तो उसके समय में शैतानों ने प्रारम्भ किया था। हारूत व मारूत से जादू आया, यह दो फरिश्ते बाबल नगर में मनुष्याकृति में रहा करते थे। उनको जादू के रहस्य भली प्रकार ज्ञात थे जो उनसे सीखने जाते, उनको प्रथम ना कह देते, किन्तु अनुरोध करने पर सीखा देते। जादू क्या है ? इस हेतु लिखा कि मनुष्य को सृष्टि नियम के विरूद्ध विचित्र कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। उसे जादू कहते हैं। जादू ८ प्रकार के होते हैं, इत्यादि।

आगे लिखा है, कि जादू का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य हुआ करता है। यहूदी मुलज़िम ने हज़रत मुहम्मद पर जादू कर दिया था। जिसका यह प्रभाव हुआ कि आप एक अर्वाध तक सख्त अस्वस्थ रहे और जो कार्य उनसे कार्यान्वित न होते, तो उसे होना ही विचारते। उदाहरणार्थ आप यह विचार कर लेते कि मैं स्त्री के समीप आ चुका हूं, किन्तु अभी तक वह उसके पास न आये होते।

अन्तिम पैग़म्बर और जादू

इसका विस्तृत विवरण सही बुख़ारी में हज़रत आयशा से वर्णित है। रही हारूत व मारूत की कथा, इसमें भी मुस्लिम विद्वानों में घोर मतभेद है। प्राथमिक विद्वानों का यह मत है, कि यह फरिश्ते थे, जो मनुष्यों की परीक्षा हेतु आसमान से उतरे थे।

इब्ने जुरेर, इब्ने अबी हातम और हाकम तथा अन्य कुरआन के भाष्यकारों ने एवं व्याख्याकारों के सिरमौर हज़रत इब्ने अब्बास व मुसलमानों के अमीर हजरत अली व हज़रत

अब्दुल्ला बिन उमर आदि से यह वर्णन है, कि हज़रत इदरीस के काल में जब मनुष्यों से असीम उत्पात, और असत्य इत्यादि बुराईयाँ करने में आती थी, तो आसमानी फरिश्तों ने मनुष्यों की निन्दा और बुराई करना प्रारम्भ की। खुदा ने फरिश्तों से कहा-मनुष्यों की उत्पत्ति कामात्मक और क्रोधी प्रकृति से समन्वित है। इसी कारण वह अपराध करते हैं। यदि तुमको भी मैं वही स्वभाव और अन्य कर्म करने की शक्ति दे दूँ, तो तुमसे भी ऐसे ही अपराध अवश्यमेव होंगे। फरिश्तों ने कहा-ऐ पालनहार ! हम काम और क्रोध की अपवित्रता में भी लिप्त हो जायें, तो भी तेरे पाप की अपवित्रता से हमारा पवित्र दामन पाप में लिप्त न होगा। खुदा ने फरमाया-अच्छा अपनों में से दो फरिश्तों को चुन लो (कई स्थानों पर तीन भी लिखे हैं।) ताकि उनको इस बात की वास्तविकता ज्ञातव्य हेतु भूमि पर भेजूँ। फरिश्तों ने हारूत व मारूत जो सदाचार और सदगुणों में सर्वश्रेष्ठ थे, चयन कर लिये। खुदा ने उनमें काम शक्ति और क्रोध उत्पन्न कर फरमाया-तुम भूमि पर जाओ और मेरी सत्य आज्ञाएँ मनुष्यों में प्रसारित करो। इन दोनों ने भूमि पर आकर शुभ कर्मों का प्रचार-प्रसार प्रारम्भ कर दिया। एक मास पश्चात ज़ौहरा नामक एक स्त्री, जो सुन्दर स्त्रियों में भी सर्वोच्च सुन्दरी और विख्यात थी। वह उत्तम से उत्तम वेशभूषा और मोहक आभूषण धारण कर उनके पास आई। उसको देखते ही दोनों फरिश्तें उसकी सुन्दरता पर मोहित हो गए और उससे व्याभिचार करना चाहा। उस स्त्री ने कहा-प्रथम तो मेरा पति अति स्वाभिमानी है। यदि मुझे तुम्हारे समीप उठते-बैठते भी देखेगा, तो तत्काल कत्ल कर देगा। द्वितीय यह, कि मेरा तुम्हारा मार्ग एक नहीं है। तुमको चाहिए कि प्रथम मेरे पति को कत्ल कर दो और फिर मूर्ति को सजदा करो। तब अपनी ईच्छा का प्राप्त करोगे। उन्होंने कहा

–खुदा की रक्षा हो, शिर्क और कत्ल दोनों ही अत्याधिक हीन वस्तु हैं, हम यह कदापि नहीं करेंगे। यह सुनकर ज़ौहरा अपने घर गई। इधर इन दोनों के हृदय उसके प्रेम से आतुर और आसक्त थे। वह ज़ौहरा के घर पहुँचे। उसने उनको अतिथि के रूप में बिठाया और शराब का प्याला रख कर कहा–अब मैं तुम्हें अधिकार देती हूँ, कि या तो इस मूर्ति को नमन करो या मेरे पति की हत्या कर दो या यह मद्यपान कर लो या मुझे इस्में आज़म (इच्छा पूर्ण मंत्र) बता दो। इन दोनों ने सर्वाधिक सुगम मार्ग मद्यपान करना ही समझा और पी गये। जब नशे में मदमस्त हो गए, तो मूर्ति को सजदा किया और उसके पति की हत्या भी कर दी तथा इस्में आज़म (इच्छा पूर्ति मंत्र) भी सीखा दिया। इस्मे आज़म सीख कर वह स्त्री आसमन पर चली गई। ईधर जब उन का नशा उतरा, तो शोक और लज्जा से हाथ मलने लगे और घोर दुखी होकर मस्तक पीट कर कहने लगे–ओ... हो, हमें क्या हुआ ? दुख है, कि हम कैसे घोर अपराधों में लिप्त हो गए। अब हमारे इस असाध्य रोग का उपचार असम्भव है और हृदय के घाव का भरना कठिन ज्ञात होता है। इसी मध्य खुदा का आदेश आया-तुम्हें अधिकार दिया जाता है, चाहे कयामत के दुख और संकट को अपने हेतु चुन लो, चाहे सन्सार का कष्ट सह लो। उन दोनों ने संसारिक कष्ट को नाशवान समझ कर धारण कर लिया और इसके हेतु वह दोनों उनकें अपराध के दण्डस्वरूप बाबल नगर के कूप में उलटे लटके हैं और अग्नि–यातना सह रहे हैं।

यद्यपि इन प्राथमिक विद्वानों ने विश्वस्त व्याख्या के आधार पर इस कहानी को अत्याधिक उद्धरणों और विभिन्न मार्गों से अत्यन्त विस्तृत और व्याख्यासहित वर्णित किया है, किन्तु कतिपय व्यख्याकारों ने जो समकालीन है, जैसे इमाम राजी और बैज़ावी इत्यादि ने इस कहानी को अस्वीकृत कर कहा–

हारूत और मारूत बाबल नगर में दो महान भले और दयावान मनुष्य थे, और इसीलिए उनको फरिश्ते कहते थे। उन पर जादू उतारने का यह अर्थ है, कि वह तंत्रविद्या में महान योग्यता रखते थे।.....

.....अन्त में व्याख्याकार ने अपनी सम्मति लिखी है, कि इस कहानी में जो वर्णित है, उस पर विचार करने और खोज करने पर यह विश्वास होता है, कि इस कहानी में कुछ न कुछ यथार्थ अवश्य है।

तफसीर आज़मुत्तफासीर पारा १ पृष्ठ २३१ से ३५

तफसीर मोहम्मदी में भी इस कहानी को वर्णित करते हुए यह भी लिखा है, कि अभिप्राय यह है, कि हारूत और मारूत की यह कहानी ताबेईन (आज्ञाकारी) में से भी अधिकांश लोगों ने वर्णित की है। जैसे–मुजाहिद-सद्दी-हसन-बसरी कतादा-अबू आलिया--ज़ौहरी--रबी बिन अन्स--मकातल--इब्ने हबान आदि और पूर्व व पश्चात के व्याख्याकारों ने भी अपनी अपनी तफसीरों में इसे लिखा है और आगे चल कर प्रत्यक्ष चक्षुदर्शी साक्षी भी इन फरिश्तों के कुए में लटकने और जादू सम्बन्धी दी है।

(इस व्याख्याकार ने इस कहानी का अत्याधिक विस्तृत वर्णन किया है) तफसीर मोहम्मदी पारा १ पृष्ठ १२५ से ३४

तफसीर इब्ने कसीर में है कि यहूदियों ने अस्वीकार करते हुए कहा–हमने कोई प्रतिज्ञा हज़रत मुहम्मद पर ईमान लाने हेतु नहीं की और इब्ने सूर्या कतबीनी ने कहा, कि अब कोई ऐसी वस्तु नहीं लाये कि जिसे हम पहिचान लें और न आपके पास ऐसी कोई प्रसिद्ध युक्तियाँ ही हैं।

.....हज़रत मुहम्मद पर यहूदियों ने जादू किया जिसकी सूचना आपको खुदा ने दी और उनका प्रभाव दूर हुआ तथा आपका स्वास्थ्य ठीक हुआ। इस पर आयत उतारी है।

(तफसीर इब्ने कसीर में इस कहानी को विस्तृत वर्णित किया गया है, और लगभग वही है, जो हमने संक्षिप्त में ऊपर लिखी है।)

तफसीर इब्ने कसीर पारा १ पृष्ठ ५२ से ६१

तफसीर मज़हरी में भी यह कहानी इसी भांति है, और लिखा है, कि हारूत व मारूत के साथ इसराईल भी था किन्तु वह खुदा से प्रार्थना कर पुनः आसमान को चला गया।

तफसीर मज़हरी पारा १ पृष्ठ १८६–८७

तफसीर कादरी में यह कहानी पारा १ पृष्ठ २४ और २५ पर है, और आगे हज़रत सूलेमान के काफ़िर होने की बात है, जिसे यहूद ने कहा और कुरआन ने उसका खण्डन किया और कहा—सूलेमान काफ़िर और जादूगर नहीं था, अपितु वह पैग़म्बर था (किन्तु जब हम बाइबिल देखते हैं, तो वहाँ बाइबिल की सम्मति कुरआन–विरुद्ध है।) वहां लिखा है :--

पर राजा सूलेमान फिरऔन की बेटी और बहुतेरी अन्य दूसरी स्त्रियों से जो मोकाबी-आमोनी-एदोमी-सीदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा वह उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, कि तुम उनके मध्य न जाना और न वह तुम्हारे मध्य आने पाये। वह तुम्हारा हृदय अपने देवताओं की ओर निसन्देह फेरेंगीं। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया और उसके ७०० रानियां और ३०० रखेलियां हो

गई और उसकी इन स्त्रियों ने उसका हृदय भ्रमित कर दिया, सो जब सूलेमान वृद्ध हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका हृदय पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका हृदय अपने पिता दाऊद की भाँति अपने खुदा की ओर पूर्णतः न रहा। सूलेमान तो सीदोनियों की अश्तोरेत नामक देवी और अम्मोनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला और सूलेमान ने वह किया जो यहोवा के लेखे में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता की भांति अनुसरण न किया और सूलेमान ने यरूशेलम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोश और अम्मोनियों के मोलेक नामक घृणित देवताओं हेतु एक-एक भव्य भवन निर्माण कराये और अपनी समस्त बिरानी स्त्रियों के हेतु भी जो अपने-अपने देवताओं को धूप जलाती और बलि चढ़ाती थी, उसने ऐसा ही किया। सो यहोवा ने सूलेमान पर कोप किया, क्योंकि उसका हृदय इस्राएलियों के खुदा यहोवा से विमुख हो गया जिसने दो बार उसको दर्शन दिया था, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी, कि पराये देवताओं के पीछे न हो लेना तो भी सूलेमान ने यहोवा की आज्ञा न मानी, और यहोवा ने सूलेमान से कहा कि तुझ से जो ऐसा ही कार्य हुआ है और मेरी वचनबद्धता भंग की और मेरी वाणी और दी हुई विधि का तूने पालन नहीं किया। इस कारण मैं शासन तुझसे अवश्य छीन कर तेरे एक सेवक को दूँगा।

राजा १ अध्याय ११ आयत १ से १२

फिर आगे लिखा है, कि खुदा ने अत्याधिक लोगों को सूलेमान के विरूद्ध उकसाया। बाइबिल के इस स्पष्ट वर्णन से, कुरआन का वर्णन सर्वथा प्रतिकूल है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि सूलेमान भ्रमित -पथभ्रष्ट और मूर्तिपूजक था।

हमने जो ऊपर दो आयतें लिखी हैं, उसमें जो प्रतिज्ञा ली गई वह बनी इस्राईल जाति से नहीं अपितु पैग़म्बरों से ली गई और कुरआन के अनुसार हज़रत मुहम्मद अन्तिम पैग़म्बर थे। इस कारण उनके पश्चात कोई पैग़म्बर आ ही नहीं सकता था, इसलिए नबियों से जो खुदा ने प्रतिज्ञा ली वह पूर्णतः अप्राप्य थी। यह उस समय के यहूदियों को उभारने का एक षडयंत्र प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त हज़रत मुहम्मद और अन्य नबियों के सिद्धान्तों में धरती-आकाश का अन्तराल है, यदि अन्य समस्त रसूलों को हज़रत मुहम्मद पर ईमान लाना अनिवार्य था, तो उसका दूसरा मार्ग भी हो सकता था ? और वह मार्ग यह, कि जो सिद्धान्त ईसलाम के हज़रत मुहम्मद ने प्रतिपादित किये, वही सिद्धान्त उन पैग़म्बरों के भी होने चाहिये थे, किन्तु न तो कोई पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद पर ईमान लाया और न ही उनके सिद्धान्त हज़रत मुहम्मद के अनुकूल ही थे।

अतः आयत की बात नितान्त मिथ्या है। द्वितीय प्रतिज्ञा जो खुदा ने ली वह सम्पूर्ण सृष्टि में उत्पन्न होने वाली आत्माओं से ली थी और कहा था-'अलस्तो बेरब्बेकुम' क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूं, तो समस्त आत्माओं ने कहा कालूबला' हाँ तू ही हमारा खुदा है, और फिर जो यह प्रतिज्ञा आत्माओं से ली गई वह संसार में आने पर किसी को स्मरण भी न रही, तो फिर इस प्रतिज्ञा का भी क्या अर्थ रहा। निरर्थक रही। यह आयत भी पूर्णतः व्यर्थ है।

इसके आगे फिर यह कहा, कि सूलेमान ने कुफ्र नहीं किया, किन्तु बाइबिल का उद्धरण हम उपर लिख चुके हैं, कि सूलेमान ने कुफ्र किया। कुरआन बाइबिल को खुदाई पुस्तक स्वी-

कारता है और स्वयं को भी। फिर इन दोनों पुस्तकों में किसको सत्य व प्रमाणिक माने ?

इसके आगे लिखा है, कि शैतान जादू सीखते थे, तो हम पूछते हैं, कि क्या हारूत व मारूत नहीं सीखते थे ? इसी आयत में स्पष्ट है, कि प्रथम एक बार वह निषेध करते थे, कि मत सीखो, किन्तु फिर अनुग्रह के पश्चात सीखा देते थे, तो इससे भी स्पष्ट हो गया कि हारूत व मारूत की कहानी भी वैचित्र्यता लिये हुए है। यदि वह मनुष्य का रूप धर कर संसार में आये थे, जैसा कि व्याख्या में कहा गया है, तो उनको बाबल नगर के कुए में लटकाया गया है, तो वह उलटे लटके हुए किसी को दृष्टि गोचर क्यों नहीं होते ? आगे सूलेमान की अंगूठी का वर्णन हैं। यह अंगूठी तो अलाउद्दीन के चिराग और अली बाबा के खुल जा सम-सम से भी अत्याधिक शक्तिशाली प्रतीत होती है। एक शैतान ने आकर अंगूठी पहिन ली, बस फिर क्या था ? तत्क्षण समस्त मनुष्यों और जिन्नों का शासक बन गया और हज़रत सूलेमान पूर्णतः शासन से पृथक हो गए व उस शैतान का मुँह देखने लगे और सूलेमान की पत्नि ने भी उसे फटकार दिया, कि तू सूलेमान काहे का है। यह है कुरआन के खुदा की परीक्षा पद्धति ?

पाठकों को इन दोनों प्रतिज्ञाओं के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए कि इन दोनों का अन्ततः उद्देश्य क्या है ? पैग़म्बरों की प्रतिज्ञा का, तो यह तात्पर्य प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है, कि हज़रत मुहम्मद अन्य लोगों को यह कह कर, कि तुम्हारे पैग़म्बरों से खुदा ने प्रतिज्ञा ले रखी है, कि वह मुझ पर ईमान लाएँ और इससे यह बात भी प्रमाणित हो जाती है, कि उनको माननेवाली उम्मतें भी मुझ पर ईमान ले आएँ। यह एक मन-

गढ़न्त कल्पना इस हेतु की गई कि लोगों पर प्रभाव डाल कर उन्हें प्रेरित कर मुसलमान बनाया जाये। ऐसी बातों को स्वीकारते हुए मुसलमान लोग असम्भव बातों पर भी विश्वास करने के अभ्यस्त हो गये। जितनी कहानियां इन आयतों में कही गई और कुरआन के भाष्यकारों ने उन कहानियों का वर्णन किया। यद्यपि यह समस्त कहानियां मिथ्या है, किन्तु इनमें हारूत व मारूत की कहानी तो पूर्णतः कपोल कल्पित मात्र है। इस हारूत व मारूत की कहानी में फरिश्ते खुदा की बात का विश्वास करते नहीं ज्ञात होते, इसलिए उनको अनुभव कराने हेतु मनुष्य की शक्तियों को देकर मनुष्याकृति में ही संसार में भेजा गया। हारूत व मारूत का सम्पूर्ण किस्सा यदि 'अलिफ-लैला' में गुम्फित कर दिया जावे तो पूर्णतः उसकी कहानियों के साथ उसका एक अंग बन जाये और कोई यह जान न पाये कि यह कुरआन की कहानी है, या अलिफ लैला की है ?

इन आयतों की व्याख्या में एक बात यह भी आ गई है, कि यहूदियों ने हज़रत मुहम्मद पर भी जादू कर दिया था और उससे वह असाध्य रोगी रहे, और ऐसी बातें समझने लग जाते थे, कि जिसको उन्होंने कभी किया ही न हो, कि मैं यह कर चुका हूँ। इसका स्पष्ट अर्थ है, कि हज़रत मुहम्मद और उनकी उम्मत भी जादू-टोने को मानती है, जो एक मिथ्या बात है, और द्वितीय बात यह कि जब हज़रत मुहम्मद स्वयं ही, जो समस्त नबियों में श्रेष्ठ और अन्तिम पैग़म्बर है, जादू का शिकार हो गए और उससे घोर पीड़ित भी रहे। न जाने उस समय उनका खुदा कहां सो रहा या क्या कर रहा था, कि उसने हज़रत मुहम्मद, जो उसका विशेष सखा था, को यह बात न बताई कि तुझ पर जादूई आक्रमण हो रहा है, और जादू करते समय

जादू करने वालों को भी खुदा ने न रोका और तमाशा देखता रहा ? वास्तव में ज्ञात यह होता है, कि हज़रत को अधिक ज्वर हो गया था और उसी के परिणामस्वरूप वह कुछ बातें ऐसी करते रहे होंगे, जैसा कि लिखा है, कि वह न हुई बात को भी, हो चुकी है समझने लगते थे। ऐसी और भी विभिन्न बातें करते होंगे, तो इन बातों का जन साधारण पर कोई कुप्रभाव न पड़े कि अन्तिम पैग़म्बर होते हुए ऐसी बातें करते हैं, तो इसको यहूदियों के मस्तक पर मढ़ कर जादू करने की कथा गढ़ ली गई तथा इसमें भी कोई सत्यता व यथार्थ लेशमात्र भी नहीं हैं।

लेखक अत्याधिक वर्षों तक आदिवासी भील क्षेत्र में रहा है। आज भी भीलों में जादू-टोना, जिन्न-भूत, चुड़ैल-डाकिनी आदि की मिथ्या किंवदन्तियां प्रचलित हैं। उनका एक क्रिया जिसे 'हांडी' कहते हैं। इस क्रिया को साधने से शत्रु को मारना विख्यात है। ऐसी अनेक विभिन्न क्रियात्मक गाथाएँ उन आदिवासी अशिक्षित भीलों में अत्याधिक रूप से प्रचलित है। ऐसी ही मिथ्या और भ्रमात्मक कहानियां इस्लाम भी मानता है और ऐसी सारहीन व निरर्थक बातों को स्वीकार करते हुए विश्व में मिथ्याविश्वास और अन्धश्रद्धा को विस्तारित कर रहा है। इस बात का विचार न करना चाहिये कि साधारण लोग ही ऐसी बातें स्वीकारते हैं, किन्तु मै अत्याधिक अनुरोधपूर्वक आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि चोट के विख्यात विद्वान और ज्ञानी-ध्यानी भी ठीक इसी भांति की बातों पर ही विश्वास और श्रद्धा कर रहे हैं। हो सकता है, कि इस अन्धविश्वास को स्वीकारने में उनमें परस्पर किञ्चित मतभेद और विरोधाभास हो किन्तु यह भी इनसे मुक्त नहीं है।

हमने उपर्युक्त वर्णित आयत के सम्बन्ध में बड़े-बड़े भाष्यकारों का समुचित अभिप्राय लिख दिया है। इस पर अभी और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है, किन्तु हमें विश्वास है, कि पाठकवृन्द ! इतने से ही पूर्णतः समझ जायेंगे कि यह समस्त गाथाएँ अन्धविश्वास और मिथ्या धारणाओं के प्रज्वलित उदाहरण है। अब प्रथम जिस भाँति यहूदियों के सम्बन्ध में लिखा गया है, और उन पर ऐसे दोषारोपण किये गये हैं, कि जो अत्यन्त ही निकृष्ट और घृणित है : इतनी निन्दा और प्रताड़ना के पश्चात अब आगामी आयतों में उन्हें यह परामर्श दिया गया है, कि यहूद अपनी पतितावस्था को सुधारने हेतु क्या करें और मुसलमानों को भी कहा गया है, कि जो शब्द द्विअर्थी हो उनका प्रयोग न किया करें। आगामी आयतें:—

वा लौ अन्नहुम आमनू वत्तकौ लम् सूबतुम्मिन् इन्दिल्लाहे खैरन लौ कानू यालमून्। या अय्यो हल्लज़ीना आमनो ला तकुलु राएना वा कूलुन्ज़ीना बस्मऊ। वा लिल्काफ़ेरीना अज़ाबुन् अलीम्। मा यवद्दुल्ज़ीना कफ़रू मिन् अहलिल्किताबे वा लल्मुशरेकीना अंय्योनज़्ज़ला अलैकुम्मिन् खैरिम्मिन् रब्बेकुम् वल्लाहो यख़्तस्सो बे रहमतेही मंय्यशाओ वल्लाहो ज़ुल्फ़ज़िलिल्अज़ीम्।

कुरआन पारा १ रकू १३।१३ आयत १०४ से ६

अर्थः—और यदि वह (यहूद) ईमान लाते और संयमी बनते तो अवश्य ही खुदा के यहां, उनके हेतु फल अति उत्तम था। काश, अच्छा होता, कि यदि उनको ज्ञान होता। आप मुसलमानों हज़रत मुहम्मद को रायना न कहो और अन्ज़ुर्ना कहो तथा सारांश यह, कि काफ़िरों हेतु संकट-दाता अज़ाब है।

पुस्तकवाले काफ़िर और मुशरिक नहीं चाहते, कि तुम्हारे खुदा की ओर से कोई भली बात उतरे, तो अल्लाह अपनी कृपा से जिसको चाहता है, विशेष करता है और अल्लाह महान कृपालु है।

तफसीर हक्कानी पारा १ पृष्ठ ५८

हम पूर्व में लिख चुके हैं, कि यहूदियों की जो विस्तृत निन्दा की गई उसके परिणामस्वरूप यह उपाय प्रस्तुत है, कि इस स्थिति में यहूदी क्या करें ? उनकी निन्दा और बदनामी कैसे दूर हो सकती है। यह इन आयतों की व्याख्या में स्पष्ट किया गया है, आप भी देखिये। व्याख्या:—

यद्यपि यहूदी खुदा की पुस्तक और शरीअत से किनारा कर विचित्र भांति के दलदल में लिप्त हो चुके हैं। इस पर भी तौबा और अपनी उन्नति व भलाई हेतु उनके लिये द्वार खुला है। यदि अब भी वह कुरआन पर ईमान लाकर मायावी खेलों और जादूगरी व अन्य दुष्ट बातों से बचे, और हज़रत मुहम्मद की भक्ति में रत हो जाएँ, तो खुदा की ओर से ऐसा उत्तम फल प्राप्त हो, जो उनको इस जादू के द्वारा प्राप्त धन-पद और प्रतिष्ठा से भी अत्याधिक श्रेष्ठ और उत्कृष्ट होगे, अपितु लोक और परलोक में श्रेष्ठ पद का दायक होगा। क्या अच्छा हो, कि उन्हें इस बात का ज्ञान होता, कि साँसारिक लाभ से परलोक का फल अत्याधिक अच्छा होता है। (बस, यही बात कहने का उद्देश्य, एकमात्र यह था कि तुम मुसलमान हो जाओ, तो तुम्हारी समस्त बुराईयाँ—बदनामी—निन्दा और हीनता समाप्त हो सकती है।) जिस भांति यह यहूदी खुदा की पवित्र और श्रेष्ठ पुस्तकों से जी चुरा कर जादू और उस बछड़े की भांति

विवादों में पड़ कर पतित हुए। इसी भाँति अपनी स्वाभाविक चालाकी से वृद्धजनों से वाणी (चर्चा) करते समय द्विअर्थी भाषा का प्रयोग किया, जिनसे पृथक भास हुआ और निकृष्टता भी पाई। इस द्विअर्थी भाषा के भी कर्ता हुए।

इसका विवरण यह है, कि जब यहूदियों को हज़रत मुहम्मद से वार्ता करने की आवश्यकता होती तो 'रायना' शब्द का प्रयोग करते, जिसका प्रत्यक्ष में पूजा और प्रतिष्ठा के अर्थ हैं, और अप्रत्यक्ष में घृणा और निन्दा से तात्पर्य होता, क्योंकि (रायना का) स्पष्ट अर्थ यह था, कि हमारी ओर ध्यान दीजिए और आदेश तथा आज्ञा कीजिए, किन्तु यहूदी शब्दकोष में 'रायना' का अर्थ अहंकारी होता है, जिसका तात्पर्य चरवाहा-मूर्ख और अभिमानी होता है। यह यहूदी हज़रत मुहम्मद के हेतु यह द्विअर्थी शब्द का प्रयोग किया करते थे। उनके देखा देखी सीधे-सादे मुसलमान भी, जो उस शब्द के अर्थ से अनभिज्ञ थे, यदा-कदा हज़रत मुहम्मद से चर्चा करते समय 'रायना' सम्बोधित कर दिया करते थे। यहाँ तक; कि एक दिन साद बिन मुआज़ यहूदियों से यह शब्द सुन कर अत्यन्त क्रोधित हुए और कहा-यदि मैं तुम्हारे मुख से पुनः यह शब्द सुनूँगा तो अवश्य ही एक-एक की गर्दन उड़ा दूँगा। यहूदियों ने कहा-आप हम पर इतने क्यों अप्रसन्न होते हो, मुसलमान भी तो हज़रत मुहम्मद के हेतु इसी शब्द (रायना) का प्रयोग करते हैं। इस पर साद बिन मुआज़ अप्रसन्न हो, हज़रत मुहम्मद के पास पहुँचे। उस समय ख़ुदा ने आयत उतारी-ऐ ईमान वालों? तुम हमारे पैग़म्बर हेतु 'रायना' शब्द प्रयोग न किया करो। एक तो यह शब्द ही बुरा है और दूसरे यहूदी लोग तुम्हारी बात को प्रमाण सिद्ध कर हमारे पैग़म्बर हेतु यही शब्द कहते हैं और अपनी शरारत के कारण निकृष्ट अर्थ करते

हैं। यदि आपको कभी हजरत मुहम्मद को अपनी ओर आकर्षित करने की आवश्यकता पड़े तो 'रायना' शब्द के स्थान पर 'उन्जुर्ना' शब्द कहा करो। क्योंकि यह प्रत्यक्ष है, कि पैगम्बर की निन्दा और घृणा करना कुफ्र है और काफिरों हेतु संकट है। इस बात के पश्चात पुस्तकवालों और मुशरिकों की कठोरता और शत्रुता का वर्णन किया जाता है, कि ऐ मुसलमानों! तुमको तो इन लोगों के आचार-विचार से घृणा और प्रेम भंग होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का परस्पर सम्बन्ध न रहे, क्योंकि यह मन्दभागी तुम्हारे साक्षात शत्रु हैं। खुदा की ओर से जो नेकी (कुरआन और वही) तुम पर उतरती, वह उनको भली ज्ञात नहीं होती है। यहूद तो इस बात पर ईर्ष्यालू है, कि नबव्वत और वही बनी इस्त्राईल में क्यों न रही? और हज़रत इस्माईल की सन्तान में क्यों परिवर्तित हो गई? मुशरिकों को इस बात पर शत्रुता है, कि वलीर बिन मुगीरा या नईम कफ़की आदि प्रतिष्ठित कुरैशियों को पैग़म्बरी का मुकुट क्यों न पहिनाया गया? मुहम्मद बिन अब्दुल्ला इस उत्तम देन और कुरासहित क्यों विशिष्ट हुआ? उनका यह द्वेष विशेष कर उनकी मूर्खता है। क्योंकि खुदा कुछ इनका आज्ञा पालक नहीं है। वह सर्वशक्तिमान है। अपने भक्तों में से जिसे वह चाहता है, वही और पुस्तक प्रदान कर प्रतिष्ठित करता है यद्यपि साधारण दर्शक की दृष्टि में वह भक्त वही और पुस्तक की योग्यता व शक्ति न रखता हो। क्योंकि खुदा की कृपा अत्याधिक महान है। वह जिसे चाहता है अपनी महत्ता और कृपा से पैग़म्बरी प्रदान करता है।

आज़मुत्तफासीर भाग १ पृष्ठ २३६ से ३८

इन आयतों में प्रथम तो यहूदियों को प्रेरणा दी गई है, कि वह मुसलमान हो जाएँ, तो उनको श्रेष्ठ प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाएगी। द्वितीय, 'रायना' शब्द का प्रयोग व व्यवहार निषेध

किया गया है और उसके स्थान पर 'उन्ज़ुर्ना' का प्रयोग करना कहा गया है। यह भी कहा गया है, कि कुरैश कहते हैं कि मुख्य मुख्य प्रतिष्ठित व्यक्ति विद्यमान है, उनको पैग़म्बरी न देकर मुहम्मद को पैग़म्बरी क्यों दी गई ? इसका उत्तर दिया गया है, कि खुदा स्वतन्त्र कर्ता है, जिसको वह चाहे पैग़म्बरी दे।

पाठक बन्धुओं ! इन आयतों में कौन सी विशेषता और श्रेष्ठता है ? जिसके हेतु 'इल्हाम' की आवश्यकता पड़ी। आयतों का मुख्य लक्ष्य तो एक मात्र यही है, कि यहूदियों को मुसलमान हो जाना चाहिए। यह बात तो हजरत मुहम्मद उनको प्रतिदिन कहा करते ही थे। द्वितीय यह है, कि 'रायना' न कह कर 'उन्ज़ुर्ना' कहा करो। यह बात तो स्वयँ हज़रत मुहम्मद भी कह सकते थे। इस हेतु खुदा को आयतें भेजने की क्या आवश्यकता थी, और फिर एक ही नहीं अपितु दो-दो आयतें उतारी। एक आयत तो आप पारा १ में पढ़ ही चुके हैं और द्वितीय आयत कुरआन के पारा ५ रकू ७।४ में है। वह आयत 'यकुलूना समेना' से प्रारम्भ होती। जिसका अर्थ इस प्रकार है :-

'वह कहते हैं, कि हमने तेरा कथन सुना और तेरी आज्ञा की अवज्ञा की।, 'तयस्सर' में लिखा है, कि प्रकट में तो वह कहते थे, कि हमने तेरी आज्ञाओं को स्वीकारा और अप्रकट में कहते थे, कि हमने अवज्ञा की। वास्तव में बात यह है, कि उनका जिव्हा कहती थी, कि हमने सुना और उनकी स्थिति असैना (अवज्ञा) के सहित बन्धित थी। अर्थात् अवज्ञा को हमने और फिर द्विअर्थी शब्द कहते थे एक स्तुतिमय और द्वितीय निन्दात्मक। कुछ लोगों ने कहा है, कि यहूद 'रायना' के एन को जोर से पढ़ते थे। जिसका अर्थ यह होता है, कि ऐ हमारे चरवाहे ! अर्थात् हज़रत मुहम्मद को भेड़-बकरी चरानेसहित निकृष्ट शब्द से

सम्बोधित करते थे और प्रकट में बड़प्पन और प्रतिष्ठा की ओर इंगित करते थे। कहने का अभिप्राय यह है, कि इस यत्किञ्चित बात हेतु कि 'रायना' न कहा करो और 'उन्ज़ुर्ना' कहा करो। जिसके हेतु खुदा ने आयत उतारी थी। इस बात को तो स्वयंमेव हज़रत मुहम्मद साहिब भी कह सकते थे। इस स्थिति में आयत पूर्णतः निरर्थक उतारी गई है। जादू की बात इस भांति कही गई है।

बैहकी ने दलाईल में और इब्ने मरदूया ने बीबी आयशा से वर्णित किया है, कि एक यहूदी ने रसूलिल्लाह पर जादू किया। एक तांत में ११ गांठे लगा कर तांत को कुएं के भीतर पत्थर के नीचे दबा दिया। इससे आप अस्वस्थ हो गए, कुरआन की अतिम दो सूरतें उतारी गई तथा जिब्रील ने जादू का स्थान भी दर्शा दिया। हजरत मुहम्मद ने हजरत अली को भेजा। वह उस जादूई तांत को लाये। आपने दोनों सूरतें उस पर पढ़ी। ज्यों ही एक आयत पढ़ते थे, त्यों ही एक गाँठ खुल जाती थी और रोग में न्यूनता होती जाती थी। उद्धरण में लिखा है, कि आप इस दुख में ६ माह तक ग्रस्त रहे और ३ रात्रि तो अत्याधिक कष्ट-पूर्ण व्यतीत हुई। अन्ततः यह कुरआन की अन्तिम दोनों सूरतें अवतरित (नाज़िल) हुई।

देखिये, जादू के इस प्रभाव को इस्लाम यहाँ तक स्वीकारता है, कि हज़रत मुहम्मद तक इस जादू के प्रभाव से ६ मास तक रोगग्रस्त रहे और ३ रात्रियाँ अत्याधिक पीड़ादायक व्यतीत की, और रोग शैय्या पर पड़े रहे तथा खुदा तआला तमाशा देखता रहा और अपने विशेष कृपापात्र भक्त को यह तक नहीं बताया, कि तुम पर जादू हो गया। यह एक ऐसा मिथ्या विश्वास और भ्रम है, कि जिसने लाखों निर्दोष नारियों को मृत्यु की भेंट

चढ़ा दिया है । आज भी आदिवासी भील क्षेत्र में ऐसीं स्त्रियों को डायन या चुड़ैल कह कर, कि यह शिशुओं का हृदय निकाल लेती है, खा जाती है, को अनगिनत संख्या में ऐसी स्त्रियों को फाँसी पर लटका दिया जाता है या विभिन्न भाँति से यातनाएँ दे देकर उनके प्राण ले लिये जाते हैं और उनके सन्मुख कोई कानून नहीं होता । एक ही बात है, कि किसी ने कहा--यह डायन या चुड़ैल है । बस, बिना कुछ जांच-पड़ताल किये उसे फांसी पर लटका दिया या अन्य किसी भांति उसके प्राण हर लिये । यह तो भील है, किन्तु यह ईसाई मत, जो अपने आपको सभ्य-शिक्षित और सुसंस्कृत कहता है । इसने जितनी स्त्रियों को फांसी पर लटकाया उसकी निन्दा करना भी असम्भव है । इस विषय में 'इसाईयत का विषवृक्ष' नामक पुस्तक में श्री ओमप्रकाश आर्य ने सविस्तार प्रमाणसहित लिखा है । यह जादूई सिद्धान्त महाभारत काल के तत्पश्चात इतना विस्तृत हो गया था, कि प्रत्येक रोग (जादू) के नाम से ही सम्बोधित किया जाता था । वर्तमान काल में भी मुल्ला--मौलवी--फकीर--साधु और औघड़ गन्डे-ताबीज़ और धागे आदि बना कर लोगों को पथभ्रष्ट एवं दिग्भ्रमित करते हैं, और पैसे भी बटोरते हैं । साथ ही भोले-भाले लोगों को कुमार्गी बनाते हैं । स्वार्थी लोग किस भांति इस जादू के मिथ्या विश्वास और भ्रम को जन साधारण के मन और मस्तिष्क में स्थायी बनाते हैं । अस्तु इन आयतों का भी हमने भली प्रकार आपको दिग्दर्शित कर दर्शा दिया है । अब इनके आगे नासिख् व मन्सूख अर्थात निरस्तकर्ता और निरस्त आयतें है । इनमें कतिपय आयतें तो तो ऐसी है, कि जो कुरआन से पृथक कर दी गई है और अनेक आयतें ऐसी है, जो कुरआन में रखी गई है, किन्तु उनके अर्थों का उपयोग और व्यवहार नहीं किया जाता

अपितु मात्र उनका पाठ ही पूण्य प्राप्ति का कारण माना जाता है, और वह इसी हेतु कुरआन में रखी भी गई है किन्तु है वह भी निरस्त ही।

यह एक ऐसा विषय है, जिस पर प्रत्येक दृष्टि से विचार करने पर विचारक–चिन्तक और सत्यान्वेषी इस परिणाम पर पहुँचता है कि सामायिकि दृष्टिकोण से यह आयतें लोगों के सन्मुख प्रस्तुत की गई थीं, किन्तु जब यह अनुभव हुआ कि इनका तो कुप्रभाव हो रहा है, औरभविष्य में भी होगा। इसलिए खुदा के नाम पर इन आयतों को निरस्त कर दिया गया है और इन निरस्त आयतों के स्थान पर नई आयतों को रच कर स्थापित कर दिया, जिन्हें नासिख् कहते हैं।

यह एक ऐसा भ्रान्तिपूर्ण विषय है, कि कोई ऐसा मनुष्य जो नाखिख् (निरस्तकर्ता) और मन्सूख़ (निरस्त) आयतों के विषय में यह नहीं जानता, कि कौन सी आयत निरस्त है और किस आयत ने उसे निरस्त किया है। वह अवश्यमेव भ्रम का शिकार हो कर धोखा पाता ही है। क्योंकि पूर्वकाल की आयतें, जब कि हज़रतमुहम्मद के साथ कोई मित्र-साथी-संगाति या सहयोगी नहीं था, कही गई वह अत्याधिक नम्र और मनुष्य मात्र हेतु हितकारी हैं, किन्तु जब हज़रत मुहम्मद के साथियों-संगातियों और अनुयाईयों की संख्या में वृद्धि हो गई और उनके हाथों में तेग (तलवार) आ गई, तो उन्होंने उन समस्त पूर्वकालिक आयतों को खुदा के नाम पर निरस्त कर दिया।

इस विषय पर हमने 'कुरआन परिचय' प्रथम खण्ड में विस्तारपूर्वक लिखा है। कोई भी मुस्लिम विद्वान इस बात को अस्वीकृत नहीं कर सकता, कि कुरआन में नासिख् (निरस्तकर्ता) और मनसूख (निरस्त) नहीं है। यद्यपि यत्किञ्चित आयतों के

सम्बन्ध में पारस्परिक अन्तर–मतभेद और विरोधाभास है। नासिख् (निरस्तकर्ता) मन्सूख् (निरस्त) क्या होता हैं ? इसका दिग्दर्शन कुरआन ने स्वयँमेव ही अपनी निम्नांकित आयतो में कर दिया है। आयतें:–

मा नन्सखो मिन आयतिन औ नुन्सेहानाते बे खैरिम्मिन्हा औ मिस्लेहा अलम् तालम् इन्नल्लाहा अला कुल्ले शयइन कदीर। अलम् तालम् इन्नल्लाहा लहू मुल्कस्समावाते वल्अर्ज़े वा मा ल कुम्मिन दुनिल्लाहे।

कुरआन पारा १ रकू १३/१३ आयत १०७–८

अर्थ:– जो आयतों में से हम निरस्त कर देते हैं, या विस्मृत करा देते हैं, तो हम लाते हैं उन आयतों से उत्तम आयतें या उनके सदृश्य, क्या नहीं जाना तुमने यह, कि अल्लाह इस वस्तु पर शक्ति शाली और कर्ता है। क्या नहीं जाना तुमने, कि अल्लाह हेतु शासन आसमान और धरती का, और तुम्हारे हेतु उसके अतिरिक्त और कोई मित्र व सहायक नहीं हैं।

इस आयत में दो शब्द (१)नस्ख् और (२)आयत, विचारणीय हैं। हम प्रथम 'नस्ख्' को देखते हैं। नस्ख् का एक अर्थ तो नकल और तहवील से है। अर्थात् किसी की प्रतिलिपि करना अथवा किसी वस्तु को दूसरे को हस्तान्तरित करना और दोयम अर्थ यह है, कि किसी वस्तु को विनष्ट अथवा मिथ्या कर देना। इस आयत में यही अभिप्रेत है। इस दूसरे अर्थ को कोषकार दो प्रकार दर्शाते हैं। प्रथम यह, कि किसी वस्तु को विनष्ट और मिथ्या कर अन्य वस्तु को उसके स्थानापन्न करना। अतएव सूर्य छांव के प्रभाव को नष्ट कर स्वयँ उसके स्थानापन्न हो जाता। लोकोक्ति में कहते हैं:—

'न सल्लतश्शमसुज्जिलो' अर्थात सूर्य ने छांव को मेट दिया है, और यही अर्थ इस 'मा नन्सखो' आयत का है। द्वितीय यह है, कि किसी वस्तु को बिना उसके स्थानापन्न के मिटाया और बातिल (मिथ्या) कर दिया जाये जैसे-"नसल्लतर्रीहलअसरा" अर्थात वायु ने चिन्हों को भी नष्ट कर दिया और आयत:-'फ़यन्सख़ुलल्लाहो मा यूलकिश्शैतानो' अर्थात अल्लाह शैतान द्वारा मिश्रित आयत को नष्ट कर देता है।

आज़मुत्तफासीर भाग १ पृष्ठ २३९

अब 'द्वितीय' शब्द आयत को देखते हैं। आयत का प्रसिद्ध अर्थ प्रकट चिन्ह। किन्तु 'ताजुल उरूश' में आयत का अर्थ रसालत अथवा खुदाई सन्देश है। जैसे 'वल्लाज़ीना कफरू वा कज्जाबू बे आयातेना' अर्थात और जो मनुष्य हमारी आयतों का निषेध करते और नकारते हैं। यहाँ कुरआनी आयतों की ओर संकेत है। सूरत यासीन में हैं, 'वा मा तातियाहुम मिन् आयतिन् मिन आयाते रब्बेहिम् इल्ला कानू अन्हा मोरेज़ीन् अर्थात कोई उनके रब्ब (ईश्वर) की आयतों में से उनके पास नहीं आती किन्तु उससे विमुख होते हैं।

इब्ने कसीर ने लिखा है, इब्ने अब्बास कहते हैं-नस्ख् का अर्थ परिवर्तन है।

मुजाहिद कहते है-मिटाना अर्थ है। जो लिखने में शेष रहती है और आदेश परिवर्तित हो जाता है। इब्ने मसऊद के शिष्य और अबू आलिया एवं मोहम्मद बिन काब भी ऐसा ही कहते हैं।

जोहाक़ कहते हैं- भूला देना अर्थ है।
अताह कहते हैं- त्याग देना अर्थ है।

सद्दी कहते हैं- उठा लेना, अर्थ है। जैसे आयत- **'अश्शैखो वश्शैखातो इज़ा ज़निया फ़र्ज़ूहुमा'** अर्थात व्यामिचारिणी स्त्री और व्याभिचारी पुरूष को पथराव कर दिया जाए। यह आयत कुरआन से निकाल दी गई है। दूसरी आयत:-

लौ काना ले इब्ने आदमा वादेयाने मिन् जहबिन् लब्तग़ा लहुमा सालेसन्।

अर्थात्:-यदि मनुष्य को दो वन शयन हेतु दिये जावे, तब भी वह तीसरे की खोज में रहेगा। यह आयत कुरआन से निकालदी गई।

इमाम इब्ने जुरेर का कथन है, कि आदेशों में परिवर्तन हमको दिया करते हैं। जैसे-हराम को हलाल और हलाल को हराम। उचित को अनुचित और अनुचित को उचित इत्यादि। वर्जित कार्यों में नस्ख् होता है, किन्तु जो सूचनाएँ दी गई हैं, घटनाएँ वर्णन कीगई हैं उनमें निरस्त और परिवर्तन नहीं होता। एक आदेश के स्थान पर दुसरा आदेश होता है। इस कारण उसको नस्ख कहते हैं।

तफसीर इब्ने कसीर पारा १ पृष्ठ ६३

(**मा नन्सखो**) जो निरस्त कर देते हैं हम किसी आयत को.....सत्य बात यह है, कि अल्लाह की पुस्तक में नस्ख (निरस्तकर्ता) यत्किञ्चित प्रकार से आया है। एक तो किसी आयत के पढ़ने के समय अन्त का वर्णन करना और आदेश का अपनी स्थिति पर शेष रहना। जैसे रज्म (पथराव) की आयत का पाठ निरस्त हो और आदेश शेष है। (आयत एक ऊपर लिख दी गई है) अथवा आदेश को अन्तिम स्थिति वर्णन करना, और आयत के पढ़ने का, जैसी वह है शेष रहना। जैसे परिवारिक जनों हेतु वसीयत करने की आयत और वह आयत जिसमें मृतक

की अवधि (शादी करने की) एक वर्ष आई और अथवा पठन और उसकी आज्ञा दोनों की वास्तविकता वर्णन करना। जैसा कि कहते हैं, सूरत अहज़ाब, सूरत बकर के सदृश्य विस्तृत थी, उसके अधिकतर अंशों का पाठ और आदेश दोनों उठा दिये गये। तत्पश्चात जानना चाहिए कि जिस आयत की आज्ञा निरस्त हो, उसकी दो जातिएँ हैं। एक यह कि इस निरस्त आज्ञा के स्थान पर दूसरी आज्ञा स्थानापन्न हो। जैसे–अपने पारिवारिक जनों हेतु वसीयत करना। उत्तराधिकार वाली आयत से निरस्त हो गया और एक वर्ष, मृतक की पत्नि की निकाह अवधि, ४ मास और १० दिन की अवधि से निरस्त हो गई। दोयम जाति यह है, कि दूसरी आज्ञा स्थानापन्न न हो जैसे–स्त्रियों की परीक्षा करने की आज्ञा आरम्भ में थी। तत्पश्चात निरस्त हो गई, और निरस्त होना विधि और निषेध पर भी प्रभावित होता है। समाचारों में नहीं होता। मुस्लिम विद्वानों के बहुमत ने 'नन्सेखो' को 'नन्सखा' पढ़ा है, और इब्ने आमर ने 'नून्नसेखो' पढ़ा है और 'नून से हा' को इब्ने कसीर और अबू उमर ने ,नन्सहा पढ़ा है तथा शेष ने 'नूनसेहा पढा है। इस स्थिति में यह अर्थ होगा, कि हम आपके हृदय से किसी आयत को मेट देते हैं।

अबू इमाम: बिन सहल बिन हनीफ़ से उद्धरण है, कि रसूल के कतिपय सहाबा (मित्र) नमाज हेतु रात्रि में खड़े हुए और एक सूरत पढ़नी चाही. तो वह सूरत स्मरण न आई। प्रातः काल ही इन लोगों ने रसूलिल्लाह से पूछा। हुजूर ने फरमाया–इस सूरत का पढ़ना व आदेश दोनों उठा लिये गये हैं।

तफ़सीर मज़हरी भाग १ पृष्ठ १९२–९३

इसकी पुष्टि सूरते आला से भी होती है:--

"सनुकरिउका फला तन्सा इल्लामाशाअल्लाह" अर्थात

शीघ्र ही निश्चयपूर्वक हम तुझे पढ़ायेंगे, जिसे तुम भूलोगे नहीं, किन्तु जिसे ईश्वर भूलाना चाहेगा, वह भूल जाएगा।

जमहूर (बहुसंख्यक मुस्लिम विधान) अनुसार इससे तात्पर्य कुरआन का वह भाग है, जिसका पढ़ना भी और आदेश भी निरस्त हो गए।

तफ़सीर मज़हरी पारा ३० (आला) पृष्ठ ३८०

'नाते बेखैरिम् मिन्हा' अर्थात लाते हैं, हम उससे उत्तम। अर्थात जब कोई आयत निरस्त करते हैं और मिटा देते हैं, तो लाभ या कार्य की सरलता पुण्य की अधिक्यता में उससे अच्छी आयत उतारते हैं, अथवा समान नेकीयुक्त आयत उतारते हैं। क्या तुझे ज्ञात नहीं कि अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर शक्तिशाली है तथा धरती और आसमान का शासन उसी अल्लाह के हेतु है।

तफसीर मज़हरी भाग १ पृष्ठ १९२-९३

अब इन आयतों की सरल व्याख्या पढ़िये, जिससे आयत अवतरण का कारण भी ज्ञात हो जाएगा और अभिप्राय भी ज्ञातव्य होगा। लिखा है:-

यहूदी अपनी स्वाभाविक उपद्रवी प्रकृति से मुसलमानों को परेशानी में डालने के उद्देश्य से एक अनर्गल शका यह भी किया करते थे, कि यदि खुदा के पवित्र दरबार से तुम पर खैर औ बरकत (कुरआन और वही) उतरता है, तो फिर उसमें परिवर्तन और उसे मिटाने के क्या कारण हैं ? देखो, कुरआन जिसको तुम खुदाई पुस्तक (वाणी) कहते हो, उसके आदेश निरन्तर निरस्त होते जा रहे हैं। यदि प्रथमादेश तुम्हारे पक्ष में उत्तम प्रभू-प्रसाद था, तो द्वितीयादेश का उपद्रव और कुप्रभाव अवश्य होना चाहिए। और यदि द्वितीयादेश भला और

लाभप्रद प्रमाणित हो, तो प्रथमादेश अवश्य ही निकृष्ट ठहरेगा। वाक्य को खुदा की ओर से होने की उद्घोषणाकर्ता होकर स्वयँ भी पुण्य प्राप्ति हेतु उसको पढ़ते थे और अपने अनुयाईयों को भी पढ़ने की प्रेरणा देते थे, और फिर स्वयँ ही यत्किञ्चित समय व्यतीत होने के पश्चात उसे विस्मृत कर देते हो । वह नेक आज्ञा जिसके पढ़ने से नेकी प्राप्ति की आशा की जाती थी। उसे क्यों निरस्त कर दिया गया ? खुदा ने उनके इस मिथ्या संदेह को इस आयत में इस भाँति दूर किया है–ऐ यहूदियों ! प्रथम, तो आदेशों के नष्ट करने सम्बन्धी, जो खुदा की नीति और सामयिकता थी, तुम उससे पूर्णतः अनभिज्ञ हो। द्वितीय, नष्ट करने में बुराई, भलाई से और भलाई, बुराई से जैसा कि तुम्हारा विचार है, परिवर्तित नहीं होती, और यह नासिख़ (निरस्तकर्ता) और मन्सूख़ (निरस्त) दोनों कार्य भलाई और बरकत हेतु हुआ करते हैं। क्योंकि हम जिस कुरआन की आयत को सांसारिक परिस्थितियों के अनुसार या सामायिकी गति-विधि को देख कर समाप्त करते या उसके आदेश को स्थगित करने हेतु हज़रत मुहम्मद और अन्य कुरआन-पाठकों के हृदय से विस्मृत कर देते हैं, तो उस नष्ट हुई आयत के स्थान पर अच्छी और उत्तम आयत, जिसमें सृष्टि के हेतु सर्वथा सरलता प्रतीत होती है, उसे लाते हैं। जैसे १० काफ़िरों के साथ एक गाज़ी (धर्मयोद्धा) की तुलना समाप्त कर दो काफ़िरों के साथ निश्चित कर देना।

(बहुत अच्छा कहा, लोगों की आंखों में धूल झोंक कर अन्धा बनाना तो आपके बाएँ हाथ का कार्य है। क्या खुदा को पूर्व में इस बात का ज्ञान न था, कि एक मुसलमान १० व्यक्तियों से युद्ध न कर सकेगा ? तो फिर यह आज्ञा क्यों प्रसारित की गई ? जिससे खुदा की अल्पज्ञता और अनुभवहीनता सिद्ध होती है।)

दूसरा उदाहरण दिया गया, कि लाभ और नेकी उस जैसी हो। जैसे बैतुल मुकद्दस की ओर मुँह कर के नमाज़ पढ़ने की आज्ञा को परिवर्तित कर काबा को किब्ला निश्चित कर देना (अर्थात काबा की ओर मुँह कर नमाज़ पढ़ना) इस कारण दोनों प्रकार की नासिख् और मन्सूख आयतों में प्रत्येक दृष्टि से भलाई व सुविधा प्रमाणित होती है। क्या तुम बुद्धि और विचार युक्त दूर दर्शक और युक्ति-युक्त ऐनक लगा कर दृष्टि नहीं करते, कि प्रत्येक क्षण और प्रत्येक समय भांति-भांति की घटनाओं और विभिन्न प्रकार की विचित्रताओं को प्रकट करते हैं। जैसे मृत्यु प्राप्तकर्ता रोग को निरोगता, भूखमरी को अन्न निर्बल को भक्ति, शासक को सन्यासी, प्रतिष्ठा को अनादर और अन्धकार को प्रकाश आदि के साथ परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात वह परमात्मा स्वतन्त्रकर्ता होने से प्रदान करता है। अतः नस्ख को अस्वीकार करना ऐसा है, जैसे हमारी शक्ति का निषेध करना।

हम यह पूछते हैं, कि क्या खुदा को यह ज्ञान न था, कि १० काफ़िरों से १ मुसलमान युद्ध न कर सकेगा। यह निर्बलता पश्चात समझ में आई, और जो अनुचित आदेश पूर्व में दिया था, उसे वापिस लेकर यह कहना पड़ा, कि २ काफ़िरों से १ मुसलमान मुकाबिला करे। यह तो अपनी भूल को स्वीकार कर उसमें संशोधन करना, है, न कि आदेश में सरलता और भलाई लाना है।

इसी भांति बैतुल मुकद्दस की ओर मुँह कर के नमाज़ पढ़ने का तात्पर्य यहूदियों को अपने फन्दे में फँसाना मात्र था, किन्तु जब यहूदी किसी भाँति भी न माने, तो फिर मक्का की ओर मुँह कर के नमाज़ पढ़ने का आदेश दे दिया। इस बात का

स्पष्ट उद्देश्य यही है, कि हज़रत मुहम्मद की स्वार्थ पूर्ति न हुई, तो इस कारण काबा परिवर्तित कर दिया। फिर व्याख्याकार लिखता है:-

जिस सर्वसत्तासम्पन्न कर्ता हेतु समस्त आसमानों और धरती का साम्राज्य हो और जिसके अतिरिक्त कोई और तुम्हारा सहायक तथा सहयोगी भी न हो, तो क्या उसको इतना भी अधिकार नहीं, कि जिस आदेश को जब चाहे और जैसे चाहे परिवर्तित कर दे।

मौलाना साहिब ! क्या अपने विधि-विधान पर अटल रहना उसकी शक्ति हेतु क्या बाधक है ? मौलाना साहिब, प्रतिकूल बात कहते हैं, क्योंकि अपने विधि--विधान पर अडिग रहना ही विधान निर्माता की शक्ति को प्रमाणित करता है, न कि जो अपने विधान को परिवर्तित कर देता है। विधान परिवर्तनकर्ता अन्तर्यामी और सर्वशक्तिमान नहीं कहला सकता। आदेश परिवर्तन का अर्थ, यह है कि उसमें कोई निर्बलता थी। जैसा कि खुदा ने आयत में मुसलमानों से कहा:--

हमने तुम्हारी दुर्बलता को जान लिया है। इस कारण तुम १० के स्थान पर २ से ही युद्ध कर सकोगे।

भला, जिस व्यक्ति को इतनी दुर्बलता के पश्चात भी अनुभव न हो, उसको कोई भी सर्वसत्तासम्पन्न और सर्वशक्तिमान नहीं कह सकता ? आपके कथ्य से तो यह अभिप्राय प्रकट होता है, कि परमात्मा सर्वसत्ता सम्पन्न कर्ता है चाहे किसी नेक व्यक्ति को नर्क में डाल दे और चाहे किसी अत्याचारी और अनाचारी व दुष्ट व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान दे और अनुग्रहित कर दे। चाहे अत्याचारी को नेक और नेक को अत्याचारी बना दे। यदि

सर्वसत्ता सम्पन्न शक्तिवान का यही अर्थ है, तो ऐसे खुदा का विश्व में कौन विश्वास करेगा? जो अपने स्वयँ के ही विधान पर दृढ़ नहीं रह सकता ?

मुसलमानों में से अधिकांश प्रारम्भ से लेकर आज तक इस विषय में एकमत है, कि आदेशों में परिवर्तन बुद्धिपूर्वक जानना और सुनना घटित होता है। कतिपय ऐसे व्यक्तियों के अतिरिक्त जिनके कथ्य को विश्वसनीय नहीं स्वीकारा जा सकता है। यहाँ उल्लेख करना भी आवश्यक नहीं है, जो आगे तौरेत के मतभेद लिखे गये हैं। आगे लिखा है:—

धर्मशास्त्रों (शरीअतों) और प्राचीन पुस्तकों में निरन्तर परिवर्तन होता चला आ रहा है। यह परिवर्तन कुरआन और इस्लामी धर्म के साथ ही विशेषता नहीं रखता है।

(फतहूल बयान)

कुरआन मजीद की आयतों में जो परिवर्तन हुए हैं। वह तीन प्रकार से हैं।

यह कि कतिपय ऐसी आयतें हैं, कि जिनका हजरत मुहम्मद के काल में मात्र आदेश निरस्त हुआ है। यद्यपि वह उच्चारण में यथावत सहीफो (पैगम्बरों पर उतरी हुई वाणी) में लिखी है एवं कण्ठस्थकर्ताओं के वक्ष में सुरक्षित है। जैसे:—'वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ुना मिन्कुम वा यज़रूना अज़वाज़न' आयत में एक वर्ष की अवधि निश्चित थी। अर्थात जिस स्त्री का पति मृत्यु को प्राप्त हो, उसे एक वर्ष तक प्रतिक्षा में बैठना वैध था। किन्तु दूसरी आयत ने, जिसमें केवच ४ मास और १० दिनों का विधान है, पूर्ववर्ती आज्ञा को निरस्त कर दिया। यद्यपि यह

कुरआन में शब्दशः विद्यमान और कण्ठस्थकर्ताओं की वाणी में भी उपस्थित है। इसी प्रकार यह आयत:–

"अंय्यकुम मिन्कुम इश्रूना साबेरूना यालबू मैतेने" अर्थात यदि २० मुसलमान भी धैर्यवान हो, तो वह २०० काफिरों पर विजयी होंगे। यह आदेश भी निरस्त है, किन्तु कुरआन में पाठ करना प्रचलित है। इसी भांति.–

या अय्युहलजीना आमनू इज़ा ज़ैतमुर्रसूला फकद्दिमू बैना यदे नजवाकुम सद्कतन्। अर्थात–ऐ ईमान वालों ! जिस समय तुम रसूल से परामर्श करने जाओ, तो परामर्श से पूर्व रसूल के सन्मुख कुछ भेंट अवश्य रखना चाहिए। इस आयत का आदेश भी निरस्त है, किन्तु पाठ प्रचलित है और कुरआन की सूरत इन्फ़ाल में आयत पाई जाती है।

कुरआन में कतिपय ऐसी आयतें भी हैं, जिनका पाठ करना निरस्त है, और आदेश विद्यमान है। जैसे:--

"अश्शैखो वश्शैखो इज़ा जनिया फ़ अर्जमूहा।" अर्थात कोई शेख पुरुष या शेख स्त्री, या दोनों व्यभिचार करें, तो उन पर पथराव किया जाये। इस आयत का आदेश विद्यमान है, और पाठ करना निरस्त है, क्योंकि इसके शब्द लोगों को पूर्णतः ज्ञात नहीं रहे। कोई कहता हैं, कि इसके अन्त में **'वल्लाहो अज़ीज़ून हकीम'** था, और कोई कहता है; कि **'कानल्लाहो अज़ीज़न हकीम'** था।.....इसी प्रकार इसके स्थान का भी ज्ञान नहीं कि यह कौन सी सूरत में थी। इसी भांति:--**'ला तर्राबू अन् अबाएकुम् फ़इन्नहू कफ़र बकुम् इन् तर्राबू अन् अबाएकुम् वा लिल्वल्लदिल्फ़राश'** का आदेश भी विद्यमान है, ओर पाठ निरस्त है।

कतिपय वह आयतें हैं, कि जिनके चिन्ह और शब्द पूर्ण सम्पूर्ण हज़रत मुहम्मद और समकालीन कण्ठस्थकर्ताओं (कारियों) के हृदय से मिटा दिये गये। जैसा, कि अबू इमामा बिन सहल हनीफ़ से वर्णित है, कि एक व्यक्ति रात्रि के समय तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने खड़ा हुआ और जिस सूरत को वह सदैव पढ़ा करता था, पढ़ना चाहा किन्तु उसको न पढ सका।

आज़मुत्तफासीर भाग १ पृष्ठ २४०-४१

तफसीर आज़मुत्तफासीर के लेखक ने संक्षेप में नासिख् व मन्सूख का वर्णन किया है। जिससे इस विषय का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। इसी भांति तफ़सीर मोहम्मदी के पृष्ठ १३५ से ३७ पर और तफसीर इब्ने कसीर पृष्ठ ६३-६४ पर भी लिखा है।

इब्ने कसीर ने लिखा हैं, कि उसूल (सिद्धांत) के विद्वानों की भाषायें यद्यपि विभिन्न हैं, किन्तु अर्थ की दृष्टि से समस्त समान है।

तफसीर हक्कानी ने लिखा है, कि बुद्धि के अनुसार भी इस जाति के नस्ख् (परिवर्तन) में कोई बुराई या खुदा सम्बन्धी कोई दोष प्रमाणित नहीं होता है।

तफसीर हक्कानी पारा १ पृष्ठ ५९

इसी प्रकार तफसीर मज़हरी पारा १ पृष्ठ १८२ से ८४ और तफसीर कुरआनुल अज़ीम पृष्ठ १० व ११ में, जो संक्षेप में लिखा है, उनका भी यही अभिप्राय है। तफ़सीर मुत्तन्ज़ील के पृष्ठ ४४ व ४५ पर भी अक्षरशः वही लिखा है, जो हमने तफसीर आज़मुत्तफासीर भाग १ पृष्ठ २४०-४१ से ऊपर लिखा है। तफसीर मुआलिम ने यह भी लिखा है:-

वा काला कानत सूरतुल्अहज़ाबे मिस्ले सूरतुल्बकर फ़रफ़आ

अकसरोहा तलावतन वा हुकमन ।

तफसीर मुआलिम पृष्ठ ४४

अर्थात–कहा गया है, कि सूरत अहज़ाब भी सूरत बकर के सदृश्य थी । उसका अधिकाँश भाग उठाया गया । पाठ और आदेश दोनों ही निरस्त हो गए ।

इसी प्रकार तफसीर बैजावी पृष्ठ १६ व १७ पर भी संक्षेप में वही लिखा है, जिसे हम पूर्व में लिख चुके हैं । इसी भाँति तफ़सीर कादरी पृष्ठ २६ में और तफ़सीर जलालैन पृष्ठ १६ पर भी लिखा है, और यह भी लिखा है, कि काफ़िर लोग इन आयतों के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में यह दोष लगाते हैं, कि मुहम्मद आज अपने साथियों हेतु एक आदेश करता है और कल उसे परिवर्तित कर देता है । इस कारण यह आयत उतरी ।

कुरआन में आयतों के परिवर्तन के सम्बन्ध में एक और भी आयत आई है, कि उससे भी कतिपय समझा जा सकता है । आयतः—

वा इज़ा बद्दल्ना आयतम्मकाना आयतिंव्वल्लाहो आलमो बेमा युनज़्ज़े लो कालू इन्नमा अन्ता मुफ़्तर। बल अक्सरो हुम् ला याल-मून । कुल् कुल् नज़्ज़लहू रूहुल्कुदुसे मिर्रब्बेका बिल्हक्के लेयुसब्बे तल्लाज़ीना आमनू वा हुदंव्वबुशरा लिल्मुस्लेमीन् ।

कुरआन पारा १४ रकू १४/२०

अर्थः--और जब हम एक आयत को परिवर्तित कर दूसरी आयत को उसके स्थान पर रख देते हैं, और अल्लाह जो आदेश भेजता है, उस को वही भलिभाँति जानता हैं, तो यह (काफ़िर) लोग

कहते हैं, कि स्वयँ (हज़रत मुहम्मद) ही आयतें तराश (रच) लेते हैं, और अल्लाह पर झूठ बाँधते हैं । (अर्थात स्वयँ आयतें रच कर अल्लाह का नाम संलग्न कर देते हैं ।)

व्याख्या:--अपितु उनमें से अधिकांश मूर्ख हैं ; आयत--परिवर्तन से अभिप्राय किसी आयत के पठन--पाठन को निरस्त करना है या किसी आदेश को मन्सूख़ (निरस्त) कर दूसरा आदेश देना । अल्लाह के जानने का तात्पर्य है, कि अल्लाह जो कुछ उतारता है, उसे वही भलिभांति जानता है, कि पूर्व आयत जो इससे पूर्व (जो निरस्त हुई) वह अवश्य सामायिकि नीति पर निर्भर थी, (हां सत्य यही है, कि समयानुसार जब आयत रची गई थी, तो उसका ऐसा ही रचना आवश्यक था ।) किन्तु अब उसका प्रचलन उचित नहीं अथवा इससे (परिवर्तन से) पूर्व वह आदेश हानि का कारण बन गया था । (वाह, क्या ईश्वरीय ज्ञान की यही पहिचान है ?) इस कारण उसे परिवर्तित कर ऐसा आदेश उतार दिया, जो विश्व के लोगों हेतु कल्याणकारी है । अभिप्राय यह, कि मनुष्यों के हेतु कब कौन सा आदेश उचित है, उसको अल्लाह ही भलिभांति जानता है । (मुफ़्तरी कहते हैं, अल्लाह पर झूठ बाँधने वाला ।)

बग़वी ने लिखा है, कि मुशरिकों ने कहा--मुहम्मद अपने साथियों से मज़ाक करता है । आज एक आदेश देता है, और कल उस पर रोक लगा देता है । (उसको निरस्त कर देता है) स्वयँ आयत बना कर अल्लाह के नाम से प्रसारित करता है, (इसके हेतु कहा) कि अधिकांश काफ़िर लोग आदेश के रहस्य को नहीं जानते या यह कि अधिकतम काफ़िर विद्या और ज्ञान से अनभिज्ञ हैं । यदि वह इस रहस्य के वास्तविक रूप को जानते तो

पहिचान लेते या जान लेते कि कुरआन ऐसा ज्ञान नहीं कि झूठ बोलने वाला और मिथ्यावादी कहा जा सके ? (आगे हज़रत मुहम्मद साहिब को सम्बोधन है) कि इस (कुरआन) को जिब्रील मेरे खुदा की ओर से हिकमत के मुताबिक (समयानुसार) मेरे पास लेकर आते हैं, ताकि ईमानवालों को अडिग और दृढ़ रखे और उन मुसलमानों हेतु शिक्षा व शुभ सूचना का कारण हो जाए ।

'रूहुल्कुदस' से अभिप्राय जिब्रील है, और 'मस्दर' उतारने के अर्थ में हैं । अर्थात थोड़ा-थोड़ा उतारना । यह शब्द चेतावनी दे रहा है, कि कुरआन का धीरे-धीरे उतरना परिवर्तन सूचक है। (यदि कतिपय आयतें परिवर्तित न करना होती तो सम्भव था कि सम्पूर्ण कुरआन एक साथ ही उतार दिया जाता) अर्थात धीरे-धीरे इस कारण उतरी, कि जो लोग इसके ईश्वरीय वाणी होने में विश्वास रखते हैं, उनके ईमान में अधिक वृद्धि और दृढ़ता हो जाये तथा नासिख् (निरस्तकर्ता) को सुनने के पश्चात जब वह विचार करें और समझे, कि सामायिकि नीति और वास्तविकता का अनुरोध यही था, कि पूर्वादेश निरस्त कर नवादेश प्रसारित कर दिया जाए, ताकि विश्वास में पूर्ण दृढ़ता और हार्दिक सन्तोष प्राप्त हो अथवा फिर यह तात्पर्य, नासिख् (निरस्तकर्ता) को उतार कर ईमानदारों को परखना अभिप्रेतहो । जब वह पुरातन आदेश के स्थान पर नवीन आदेश को सत्य स्वीकार ले और समझ जाएँ, कि अल्लाह हिकमतवाला है । उसका कोई कार्य हिकमत से रिक्त नहीं, तो इस बात से उनको ईमान में अधिक दृढ़ता व विश्वास उत्पादित हो जाएगा । 'मुसलमीन' से अर्थ है, आज्ञाकारी व आदेशपालक होना। केवल मुसलमानों हेतु सन्मार्ग और शुभ-सूचना का कारण निर्धारण से अन्ततः इस ओर संकेत

है, कि मुसलमानों के अतिरिक्त और किसी के हेतु यह शिक्षा व शुभ–सूचना का माध्यम नहीं है। (अर्थात उनके हेतु यह सन्मार्ग दर्शक नहीं है।) तफसीर मज़हरी पारा १४ पृष्ठ ४३४ से ३७

इस आयत में आपको कई बाते ज्ञात हो गई होगी। जैसे:–

(१) यह कि हज़रत मुहम्मद को समकालीन विद्वान लोग उनके मुँह पर कहते थे, कि यह वाणी या आयत तुम प्रस्तुत करते हो। यह ईश्वरीय वाणी नहीं है, तुम स्वयँ ही बना कर उसे अल्लाह के नाम से अनुचित प्रसारित करते हो।

(२) समय को दृष्टिगत रख कर आयत रच लेते हो और फिर समय निकल जाने पर, उसके हानिप्रद होने पर उसे शीघ्र परिवर्तित कर देते हो या कार्यान्वियन न होते देख कर परिवर्तित कर देते हो। जैसे रसूल से परामर्श लेने हेतु भेंट देने की आज्ञा दी। जब वह कार्यान्वित न हुई, तो वह आज्ञा समाप्त कर दी, अथवा जैसे रोज़ो में स्त्री से सम्भोग निषेध था, और इशा की नमाज़ से पूर्व सोने वाला फिर कुछ खा न सकता था। जब यह आज्ञाएँ पालन न हुई, देखी तो परिवर्तित कर दी। इत्यादि बहुत हैं।

(३) इससे ज्ञात होता है, कि यह ऐसी आयतें बिना सोचे समझें बन गई थी। जब अमल में न आ सकी, तो उनको अकल्याणकारी नाम देकर परिवर्तित कर दिया।

(४) परिवर्तन पर आवरण डालने हेतु यह बहाना बना लेना, कि खुदा ही भलिभाँति जानता है, कि आयत-पवित्तन में क्या लाभ है ? यह शस्त्र तो महान शक्तिशाली है ?

(५) ईमानदारों को परखने हेतु कहा, कि ईमानदार वही है, जो आज्ञापालक हो। इससे उसके ईमान में दृढ़ता और वृद्धि आती है।

(६) लोग कहते थे–यह आदेश क्या है ? मजाक है। आज एक आज्ञा होती है, कल उसे परिवर्तित कर और ही आज्ञा आ जाती है, और उस पर खुदाई आज्ञा की मुहर लगा दी जाती है, तथा कहा जाता है, कि अल्लाह गलत बात कहनेवाला नहीं और अल्लाह के ही संकेत से कहा जाता है, कि मुहम्मद भी असत्य वक्ता नहीं।

(७) हज़रत मुहम्मद साहिब हेतु यह कहना उन लोगों पर प्रभाव नहीं डाल सकता, जो कहते थे, कि अपने पास से आयतें रच कर अल्लाह का नाम अनुचित कहते हो। वह तो दिन-रात हज़रत मुहम्मद साहिब के साथ ही रहते थे। हज़रत मुहम्मद साहिब ने उनको अपनी सत्यता का विश्वासी क्यों नहीं बनाया ? रात दिन अपने साथ रहने वाले मनुष्यों हेतु यह निसंकोच कहा जाता है, जिसने उनके सन्मुख कभी मिथ्या न बोला हो, भले ही विचारों में मतभेद या अन्तर हो, किन्तु सत्यभाषी हेतु किसको साहस हो सकता हैं, कि वह उसे झूठा कह सके ? सत्य वक्ता हेतु उसके शत्रु भी सत्यवक्ता ही कहते हैं। यहाँ हम सबका अनुभव है कि जो व्यक्ति रिश्वत नहीं लेता, सम्पूर्ण प्रान्त में उसकी ख्याति व्याप्त हो जाती है, कि अमुक व्यक्ति रिश्वत नहीं लेता है। तत्पश्चात एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकलेगा, कि जो यह कह सके कि यह व्यक्ति भी रिश्वत लेता है। इसी भाँति सत्यभाषी या सत्यवक्ता की तो धूम मच जाती है, कि यह प्राण जाने पर भी मिथ्या नहीं बोलेगा। तत्पश्चात कौन माई का लाल है ? जो उसे यह मुँह पर कह सके, कि तू मिथ्याभाषी या असत्य वक्ता

है। उसके मुँह पर, तो क्या उसकी अनुपस्थिति में भी कोई नहीं कह सकता, कि वह अमुक व्यक्ति झूठ बोलता है। फिर हज़रत मुहम्मद साहिब को लोग ऐसा क्यों कहते थे? इसका क्या कारण था? मज़हब का अन्य होना, तो इसका कारण नहीं कहा जा सकता? क्योंकि हमारे सन्मुख भी ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं, कि किन्हीं व्यक्तियों का मज़हब चाहे दूसरा ही क्यों न हो, जो सत्यवक्ता है, उसे सत्यवादी ही कहा जाता है: किसी भी मनुष्य की यह हिम्मत नहीं कि उसे झूठा कहे?

(८) आठवीं और अन्तिम बात यह है, कि कुरआन केवल मुसलमानों को ही सन्मार्गदर्शक और शुभ सूचनादायक है। अन्यों को नहीं। इस पर हम पूर्व में विस्तृत रूप से लिख चुके हैं।

कुरआन की एक आयत में असत्य (झूठ) का आश्रय:—

मन कफ़रा बिल्लाहे मिम्बादे ईमानेही इल्ला मन उकरेहा वा कल्बुहूमुत्मईन्नुन बिल्ईमाने। कुरआन पारा १४ रकू १४/२०

व्याख्या:-कतादा ने कहा-बनी मुग़ीरा ने अमार को पकड़ कर मेमून के कुएं में गोते (डुबकियां) दिये और कहा—मुहम्मद का निषेध कर। हज़रत अमार ने वही बात कह दी, जो मुशरिक चाहते थे, किन्तु आपका हृदय उस बात से घृणा करता था। हृदय को हज़रत मुहम्मद की नबव्वत अस्वीकारना पसन्द न था।.....हज़रत अमार रोते हुए रसूलिल्लाह की सेवा में उपस्थित हुए। हुज़ूर ने फरमाया—क्या बात है? निवेदन किया-बात बुरी है। मैंने आपको बुरा कह दिया (अस्वीकृति रूप में) आपका उल्लेख किया। हज़रत ने फरमाया-उस समय तुम्हारी हार्दिक स्थिति क्या थी? (अमार ने) कहा-हृदय तो ईमान पर विश्वासी था। यह सुन कर हज़रत मुहम्मद ने अमार

के आँसू पोछे और कहा–यदि वह दुबारा तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करे, तो तुम दुबारा भी यह कुफ्र के शब्द लौटा सकते हो।

दूसरा वर्णन है, कि इस आयत का अवतरण मक्का के कतिपय मुसलमानों हेतु हुआ था। कतिपय सहाबा (मित्र) ने मदीना से उनको लिखा था, कि मक्का त्याग आओ। जब तक हिजरत कर के हमारे पास न आ जाओगे। हम तुम्हारी गणना तब तक अपने में न करेंगे। इस लिखे पर वह मक्का त्याग कर मदीना को चल दिये। मार्ग में उन्हें कुरैश ने पकड़ लिए और अत्याधिक दुख दिए विवश होकर उन्होंने हार्दिक अरूचिसहित कुफ्र के शब्द कहे..... ...इत्यादि।

तफसीर मज़हरी पारा १४ पृष्ठ ४४१

इस आज्ञा का विस्तार और भी बढ़ सकता है। इस पर इस्लाम का इतिहास साक्षी है। स्थान–स्थान पर ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध है। ऐसा ही एक उदाहरण काब बिन अशरफ़ की हत्या का है, जो निम्नानुसार है:–

इब्ने अशरफ़ कवि था, और कविता में हज़रत मुहम्मद की निन्दा करता था। इस कारण रसूल्लिल्लाह ने कहा–कौन मेरी ओर से उसको कफायत करेगा ? (अर्थात समाप्त करेगा) इसलिए कि उसने मुझे अधिक परेशान किया है। तब मुहम्मद बिन मुसलमा ने निवेदन किया–मैं उससे प्रतिशोध लूँगा, कि उसको कत्ल करूँगा। (हज़रत ने फरमाया) अच्छा तू ही इस कार्य को कर.....हज़रत ने कहा–साद बिन मुआज़ से इस विषय में परामर्श कर। तब यह लोग एक स्थान पर एकत्रित हुए। मुहम्मद बिन मुसलमा, अबाद बिन बशर, अबू नाएला, हरिस बिन औस और अबू अब्स इत्यादि। इन लोगों ने निवेदन

किया-या रसूल्लिल्लाह ! हम उसको कत्ल तो करेंगे किन्तु हमें आज्ञा दीजिए कि हम उससे कुछ बातें करेंगे। (अर्थात छल-प्रपंच भ्रम आदि) हज़रत मुहम्मद ने फरमाया-अच्छा बाते करो। तब अबू नाएला काब के पास गए.....अबू नाएला ने कहा-मुझे तेरे पास एक आवश्यकता है।.....अबू नाएला और मुहम्मद बिन मुसलमा उसके रज़ाई भाई थे, अर्थात एक ही स्त्री के दूध से पले थे। पस, दोनों ने काब से वार्ता की और दोनों ने कविताएँ पढ़ी, और काब प्रसन्न होता था तथा मध्य में पूछता जाता था, कि तुम्हारी वह हाजत (आवश्यकता) क्या है ? क्या तू यह चाहता है, कि मेरे पास जो पुरुष बैठे हैं, उठ जाएँ ? तो यह सुन कर समस्त लोग उठ गए। तब अबू नाएला ने कहा--मुझे यह बात पसन्द नहीं थी, कि लोग हमारे रहस्य को सुनें और जानें। अबू नाएला ने कहा--ऐ काब ! इस व्यक्ति मुहम्मद का हम पर सब के साथ बलाया (कष्ट) के हैं, कि हमसे अरब ने युद्ध किया और हम पर तीर बरसाये एक कमान से, अर्थात हम और समस्त अरब गोया एक ही कमानवंशीय हैं और हमारे मार्ग बन्द कर दिये तथा हमारे लोगों ने दुख और कष्ट उठाये हैं। हमारे परिवार नष्ट हुए, हमसे सदका (भेंट) लेना प्रचलित किया और यह होते हुए भी हमें इतना भी प्राप्त नहीं होता कि हमारे बाल बच्चे भर पेट भोजन करें। तब काब ने कहा--खुदा की कसम, मैं भी तुझसे यही बातें किया चाहता था। ऐ इब्ने सलामा ! अब वह समय आ गया है, कि निकट भविष्य में ही शासन मुहम्मद का हुआ चाहता है। तब अबू नाएला ने कहा--मेरे साथ चन्द व्यक्ति हैं, और वह भी मेरी सम्मति के अनुकूल हैं। मेरा विचार है, कि उनको भी तेरे पास बुला लाऊँ, कि हम तुझसे गेहूँ और छुहारे की क्रय-विक्रय की चर्चा करें.....फिर अबू नाएला ने कहा--जो बातें मुहम्मद की तेरे साथ की है, गुप्त रखना और

उनकी चर्चा किसी से न करना। एक अक्षर भी किसी से मैं न कहूँगा। काब ने कहा--ऐ अबू नाएला ! तू अपने हृदय की सत्य बात मुझे बता, कि मुहम्मद के विषय में तेरा क्या विचार है ? अबू नाएला सलकान ने कहा--उसकी ज़िल्लत (निकृष्टता) और उससे पृथक रहना व किनाराकशी करना चाहता हूँ। काब ने कहा--ऐ अबू नाएला ! तुम लोग जो गिरवी (रहन) रखना चाहो, रख देना, इत्यादि..... .. ....तत्पश्चात अबू नाएला पुनः आने का वादा कर उसके पास से निकल कर अपने साथियों के पास आया और उनसे परामर्श कर के निश्चय किया, कि सन्ध्या को काब के पास चलेंगे। फिर यह लोग रात्रि (इशा) की नमाज़ के पश्चात हज़रत मुहम्मद के पास गए और सम्पूर्ण समाचारों से अवगत कराया।

.....कहा गया है, कि जिस समय इन लोगों ने काब के पास जाने का विचार किया चाँदनी रात थी और हिजरत का २५ वां महिना था। यह दल चल कर इब्ने अशरफ़ के भवन के नीचे पहुँचा। तब अबू नाएला ने उसको आवाज़ दी। उस समय इब्ने अशरफ अपनी पत्नि के पास था और उन्हीं दिनों उसकी नई-नई शादी हुई थी। तब काब एकाएक अपनी पत्नि के पास से उठा, तो उसकी पत्नि ने रज़ाई का कोना पकड़ लिया और कहा--तू इस समय कहां जाता है ? तू एक योद्धा व्यक्ति है। ऐसे मनुष्य के अत्याधिक शत्रु होते हैं। पस, तुझ जैसे मनुष्य को चाहिये, कि इस समय घर से न निकले। काब ने कहा--मैंने वादा किया है, और अबू नाएला मेरा भाई है। खुदा की कसम, वह तो ऐसा कृपालू है, कि यदि मुझे सोये हुए पाता, तो मेरे कष्ट को दृष्टिगत रखते हुए मुझे न जगाता। तत्पश्चात रज़ाई को हाथ के झटके से मुक्त कर बाहर उन लोगों के पास चला आया।

पश्चात सलाम दुआ के समस्त ने बैठ कर किञ्चित समय चर्चा की.....फिर उन लोगों ने काब से कहा– क्या यह हो सकता है, कि मुकाम शजर्ल्अंजूज़ तक तू हमारे साथ चले और शेष रात्रि वहां ही व्यतीत करें। तब समस्त चल पड़े। अबू नाएला ने अपना हाथ काब के मस्तक पर लगाया उसने अत्यन्त सुगन्धित इत्र लगा रखा था।.....यहाँ तक कि अबू नाएला ने काब के मस्तक को अच्छी प्रकार शक्ति से पकड़ कर अपने साथियों को पुकारा-शीघ्र कत्ल करो;तब सब ने तलवार के प्रहार करना प्रारंभ किया .....और मुहम्मद बिन मुसलमा ने एक बर्छी उसकी नाक में भोंक दी.....तत्पश्चात काब का मस्तक काट कर रात्रि को ही हज़रत मुहम्मद के पास ले गए।.....जब मकान के निकट पहुँचे, तो समस्त ने तकबीर का उद्घोष किया। यह सुन कर हज़रत मुहम्मद ने भी नारा ए तकबीर कहा, यह समझ कर कि काब की हत्या करने में यह लोग सफल हो गए। तब अत्यन्त शीघ्रता से आकर काब का मस्तक हज़रत मुहम्मद के सन्मुख प्रस्तुत कर दिया।.....हजरत ने उसकी हत्या पर खुदा की स्तुति की।

मग़ाज़ी युस्सादेका (ऊर्दू) पृष्ठ १३४ से ३७

यह है, हज़रत मुहम्मद की शिक्षा और उनके शिष्यों का विश्वासघात और मिथ्या बोलने की प्रेरणा देना। आगे है:—

अस्मा बिन्ते मरवान की हत्या:—

वाकदी ने कहा—अस्मा बिन्ते मरवान, रसूलिल्लाह से बद्ज़बानी और निन्दात्मक कविताएँ पढ़ती थी।.....हज़रत मुहम्मद के साथियों में से, जो उमेर बिन अद्दी बिन हारसा बिन उमय्या हतमी थे।..... उनको जब यह सूचना प्राप्त

हुई, तो उनने मन्नत मानी, कि यदि मदीना में हजरत मुहम्मद पधारें, तो मैं अस्मा की हत्या करूँगा .....सो जब हजरत मुहम्मद मदीना में आए, तो उमेर बिन अद्दी अर्धरात्रि के समय अस्मा के गृह में पहुँचे, और वह स्त्री सो रही थी..... उसका एक दूध पीता शिशु उसके वक्ष पर था.....कहते हैं, कि उमेर अन्धा था, उसने टटोल कर तलवार उसके वक्ष पर इस शक्ति से मारी, कि पीठ तक उतर गई। यह हजरत मुहम्मद साहिब के पास पहुँचा। अस्मा की हत्या का वर्णन हुआ, तो हजरत मुहम्मद ने कहा—जब चाहो कि ऐसे व्यक्ति को देखो, जो कि गुप्त रीति से खुदा और उसके रसूल की सहायता करता हो, तो उमेर बिन अद्दी को देखो। तब हजरत उमर ने कहा—देखो इस अन्धे को, जिसने अपने को खुदा की आज्ञाकारिता में विक्रय किया है। इस पर हजरत मुहम्मद ने कहा—इसको अन्धा मत कहो।

मुगाजी युर्रसूल (उर्दू) पृष्ठ १२३–२४

इसी भाँति अबू अफ़क को, जो हजरत मुहम्मद की निंदात्मक कविताएँ कहता था, उसको भी सालम बिन उमेर ने, जब कि वह सो रहा था, उसे कत्ल कर दिया।

मुगाजी युर्रसूल (उर्दू) पृष्ठ १२५

ऐसी घटनाओं ने लोगों को यह विश्वास करा दिया कि इस्लाम के प्रचार-प्रसार हेतु हजरत मुहम्मद सब कुछ कर सकते हैं। पाठक बन्धुओं! इन घटनाओं से आप इस परिणाम पर अवश्य पहुँचे होगे, कि ऐसी स्थिति में वह लोग हजरत साहिब से कहते थे, कि स्वयं ही आयतें रच कर खुदा के नाम से संलग्न कर देते हो। इन घटनाओं के प्रकाश में पाठकगण!

स्वयँ निष्कर्ष निकालें, कि उनको सत्य बोलने का विश्वास कैसे हो ?

यद्यपि हम 'कुरआन परिचय' के प्रथम खण्ड में इस 'नासिख् व मन्सूख्' विषय पर विस्तृत रुप में लिख चुके हैं, किन्तु यहाँ भी इतना लिखना औचित्यपूर्ण है, कि जिससे इस विषय का यथार्थ स्वरूप भलिभाँति समझा जा सके। सम्भव है, किन्हीं पाठक बन्धु ! ने प्रथम खण्ड न पढ़ा हो।

इस विषय को अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने तफसीर **'इत्तेकान'** और **'लबाबुन्नकुल'** में विस्तारसहित लिखा है। इस विषय की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्तकर्ताओं को यह दोनों पुस्तकें अवश्य ही पढ़ना चाहिये। अल्लामा सियूती ने तफसीर इत्ते-कान, प्रकरण ४७ में लिखा:—

अइम्मा (विद्वान इमाम) का कथन है, कि जब तक कोई व्यक्ति कुरआन के 'नासिख्-मन्सूख्' को पूर्ण भाँति नहीं समझता, तब तक उसके हेतु कुरआन की व्याख्या करना उचित नहीं। हज़रत अली ने एक ऐसे व्यक्ति से, जो कुरआन का अर्थ और व्याख्या किया करता था, पूछा-क्या तुझे कुरआन की नासिख् व मन्सूख् आयतों की स्थिति ज्ञात है ? उसने उत्तर दिया—नहीं ? इस पर हज़रत अली ने फरमाया-तू स्वयं भी नष्ट हुआ और दूसरों को भी नष्ट किया।

आगे लिखा है, कि इस प्रकरण में विभिन्न विषय है:—

(१) नस्ख् शब्द ज़ायल करने अर्थात मिटा देने के अर्थों में आता है। उदाहरणार्थ:—**'फ़यन्स खुल्लाहो मा युल्किश्शै-त्वानों सुम्म योहकमुल्लाहो आयातेही।'**

कुरआन पारा १७ रकू ७/१४ (हज्ज)

अर्थात:—फिर निरस्त कर देता है अल्लाह, जो शैतान ने डाला था। फिर सुदृढ़ करता है अपनी आयतों को।

यह किस्सा हज़रत मुहम्मद सम्बन्धी है, कि आप सूरत नज्म पढ़ रहे थे, तो शैतान ने उनकी भाषा में कतिपय शब्द मिश्रित कर दिये, जिनमें मूर्ति-प्रशंसा थी। (प्रथम-खण्ड में सम्पूर्ण कथा हम लिख चुके हैं।)

(२) परिवर्तन करने के अर्थों में आता है-**'वा इज़ा बद्दलना आयतुम्मकाना आयतिन'** इस पारा १४ का आयत को हम ऊपर लिख आये हैं और अर्थ भी संलग्न है।

(३) 'तहवील' के अर्थ में आता है। (किसी वस्तु को गला व बचा देना) 'विर्सा' का परिवर्तन अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर सम्पत्ति का प्राप्त होना।

(४) प्रतिलिपि करने के अर्थ में आता हैं। पुस्तक का नस्ख़ करना, जब कि तुम कुरआन के शब्द और भाषा दोनों को ज्यों का ज्यों ही अन्य स्थान पर नकल करो। यह नासिख़ कुरआन में नहीं।

सईद कहता है—नहास के कथन का सम्भवतः खुदा के इस कथनः-**हाज़ा किताबुना यन्तेको अलैकुम बिल्हक्के; इन्ना कुन्ना नस्तन्सोख़ो मा कुन्तुम तालमून।**

कुरआन पारा २५ रकू ४/२०

अर्थात:—कहा जायेगा, कि यह तुम्हारा कर्मपत्र है, और हमारा दफ्तर है, जो तुम्हारे समानान्तर उचित बोल रहा है और हम (संसार में) तुम्हारे कर्मपत्रों को (फ़रिश्तों से) लिपिबद्ध कराते जाते हैं।

व्याख्या:-हम (खुदा) ने रक्षक फ़रिश्तों को आदेश दे दिया था, कि वह तुम्हारे कर्मों को लिखते रहा करे।

हज़रत इब्ने अब्बास आदि फरमाते हैं, कि फ़रिश्तें बन्दों (भक्तों) के कर्म लिखते हैं। फिर उन्हें लेकर आसमान पर चढ़ते हैं। आसमानी कर्मपत्र कार्यालयीन फरिश्ते उस कर्मपत्र को लौह महफ़ूज में लिखित कर्मों से मिलाते हैं (खुदा का कार्यालय है, कोई मज़ाक थोड़े ही है ?) जो प्रति रात्रि उसके परिणामानुसार उन पर प्रकट होता है, जिसे खुदा ने अपनी सृष्टि–उत्पत्ति के पूर्व से ही लिखा है, तो एक भी अक्षर न्यूनाधिक नहीं पाते।

तफसीर इब्ने कसीर पारा २५ पृष्ठ ७६–७७

और लिखा है।

'इन्नहू फ़ी उम्मिल्किताबुल्दैना ले अलिय्युन् हकीम्'

अर्थात:–और निसन्देह वह (कुरआन) उम्मुल्किताब में हमारे पास है, और उसके सम्बन्ध में यह बात ज्ञात है, कि जिस भांति वही विभिन्न रीति से उतरी, वह समस्त उम्मुल्किताब अर्थात लौह महज़ूज में अंकित है। (लौह महफ़ूज ७ वें आसमान पर है, और फ़रिश्तों का इतनी दूर कर्मों के कार्यालय में उनके मिलान हेतु जाना क्या सम्भव हो सकता है ?) यह प्रथम मसअला (विषय) हुआ। अब द्वितीय मसअला है :–

'नस्ख् मिन् जुमला' उन वस्तुओं के हैं, जिनके साथ खुदा ने 'हस ख़ैरूल उमम् कौम (समस्त जातियों में सर्वोच्च) मुसलमान को विशेष चुना और प्रतिष्ठित किया है। इस ('नासिख् मन्सूख्' आदेशों) की अत्यन्त हिकमतें हैं। उनमें से एक हिकमत सुविधा प्रदान करना भी है। मुसलमानों ने सर्वसम्मत इस नस्ख् को उचित स्वीकारा है, किन्तु यहूदियों ने यह अनुमान कर, कि

नस्ख़ से खुदा हेतु बदा होने का दोष अनिवार्य हो जाता है, और बदा कहते हैं जिसके विचार में प्रथम एक बात आये और फिर उसी सम्बन्ध में दूसरी बात निश्चित करे। (जिसे मुतलव्वन मिज़ाज कहते हैं) अर्थात अस्थिर विचारों वाला, नित नये विचार परिवर्तनकर्ता। अब इसका उत्तर इस पर दिया है, कि यह आक्षेप अनुचित है,–

नस्ख़ में इस प्रकार की आज्ञा की अवधि का विवरण करना अभीष्ट होता है। जैसे मार डालने के पश्चात पुनः जीवित करना या जीवित करने के पश्चात पुनः मारना, और उचित स्वास्थ्य के पश्चात रोगी करना, या इसके प्रतिकूल, धनवान के पश्चात निर्धन होना या इसके विपरीत, इत्यादि।

कैसा असगत और युक्तिहीन उत्तर है, इसलिए कि मुसलमान लोग–स्वास्थ्य–जीवन–मरण–धनी–निर्धन इत्यादि होने का कारण एकमेव खुदा को ही मानते हैं। इस कारण उनको भ्रान्ति प्रतीत होती है। यदि खुदा की ईच्छा पर यह समस्त है, तो इस पर भी यहूदियों का आक्षेप बराबर आता है।

प्रश्न यह है, कि आयत के परिवर्तन करने पर जो खुदा के आदेशों में से एक आदेश है, उसको परिवर्तन करने से खुदा 'मुतलव्वन मिजाजी' (वैचारिक अस्थिरता) का तथा 'कम फ़हमी' (अपूर्ण ज्ञान) का दोष आता है, किन्तु रोग से निरोग होने हेतु अन्यान्य साधन और माध्यम उपस्थित हैं। कोई अपथ्य करने से रोगी हो गया और औषधि लेने से निरोग हो गया। साधन--सम्पत्ति प्राप्ति से धनवान हो गया और विभिन्न कारणों से निर्धन हो गया। आत्मा का शरीर से पृथक होना आवश्यक है, क्योंकि वह शरीर का आत्मा के साथ सम्बन्ध अनादि नहीं

है । इस कारण मृत्यु व जन्म आवश्यक है । इस क्रम का परिवर्तन असम्भव है, यह तो अनिवार्य ही है । अतः इन समस्त कारणों के हेतु खुदा पर 'मुतलव्वन मिजाजी' होने का दोष नहीं आता । इस दोषारोपण से खुदा का विनाशी होना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जिनकी स्थितियाँ परिवर्तित होती रहती है, वह एकरस नहीं हो सकता ? अतः इससे खुदा का विनाशी होना प्रमाणित हो जायेगा ?

आगे लिखा है, कि कुरआन के नस्ख् के सम्बन्ध में मुस्लिम विद्वानों में मतैक्य नहीं (नस्ख् कैसे होता है, इसमें मतभेद है, न कि नस्ख् की वास्तविकता पर) है । एक कथन है, कि कुरआन का नस्ख कुरआन से ही होता है, दूसरी वस्तु से नहीं हो सकता । जैसा कि स्वयँ कुरआन ने कहा–"मा नन्सुख़ो मिन् आयतिन औनुनसेहानाते बे खैरम्मिन् हा औ मिस्लेहा" अर्थातः–जिस समय हम कुरआन से कोई आयत निरस्त करते हैं, या विस्मृत करा देते हैं, तो हम उससे उत्तम आयत लाते हैं, या उस जैसी ही आयत लाते हैं ।

दूसरा कथन है, कि कुरआन का निरस्त होना सुन्नत (हदीस) से भी हो जाता है । क्योंकि सुन्नत का भी खुदा की ओर से होना सिद्ध है । स्वयँ कुरआन में ही इसका वर्णन है । जैसे-- 'मा यन्तको अनिल्हवा' अर्थात खुदा का रसूल स्वयँ अपनी ईच्छा से कोई बात नहीं कहता । वसीयत की आयत जो आगे लिखी जायेगी, वह भी इसी भाँति को कही गई है ।

तृतीय कथन यह है, कि यदि सुन्नत खुदा की वही के सदृश्य ही स्वीकारी गई है, तो वह कुरआन को निरस्त कर

सकेगी ।.....जिस स्थान पर कुरआन का निरस्त होना सुन्नत से होगा, वहाँ कोई कुरआन (आयत) इस सुन्नत का समर्थक भी न होगा और जहां कुरआन से सुन्नत को निरस्त पाया जायेगा, वहां कोई दूसरी हदीस भी कुरआन की नासिख् आयत की समर्थक भी अवश्य होगी। कुरआत के निरस्त हेतु एक हदीस को दूसरी आयत का समर्थन आवश्यक है।

अल्लामा सियूती लिखते हैं, कि मैंने इस विषय को विस्तार से इल्मे उसूल की पुस्तक "जमा उल्जतामेआ" में किया है। (तीसरा मसअला) नस्ख् का अमल में आना केवल विधि और निषेद्ध में होता है ।

तफसीर इत्तेकान प्रकरण ४७ पृष्ठ ५३-५४

(चौथा मसअला) नस्ख् कई प्रकार का है। एक वह नस्ख् है, कि दिये गये आदेश पर आदेश दी गई वस्तु का नस्ख् उसके अमल में आने से प्रथम कर दिया गया हो। उसका उदाहरण आयत "नजवा" है। (इसका वर्णन हमने प्रथम खण्ड में विस्तारसहित किया है।)

दूसरा नस्ख, वह निरस्त आदेश है, जो कि हम मुसलमानों से पूर्व की उम्मतों पर प्रचलित और बयान किया गया था। उसका उदाहरण कलाम (अपराध का प्रतिकार) और द्वैत की आयत अथवा बैतुल मुकद्दस की ओर मुँह कर के नमाज़ पढ़ने की आज्ञा, मक्का की ओर मुँह कर के नमाज़ पढ़ने की आज्ञा से निरस्त हो गई, और आशूरे के रोज़े, रमज़ान के रोज़ों से निरस्त हो गए।

तीसरा नस्ख्, वह है, किसी कारण से आदेश दिया गया था, किन्तु वह कारण दूर हो जाने से वह आदेश निरस्त हो गया

जैसे मुसलमानों की कमी और निर्बलता के समय धैर्य और क्षमा करने की आज्ञा दी गई थी, किन्तु बाद में यह कारण न रहा, तो कताल को वाजिब (अनिवार्य) बना कर उस पूर्वादेश को निरस्त कर दिया (अर्थात सन्तोष व क्षमा को) अतः कताल का आदेश उस समय तक टाल दिया गया, जब तक मुसलमानों में शक्ति नहीं आई।

(५ वां मसअला) कतिपय विद्वानों का कथन है, कि नासिख़् और मन्सूख़् की दृष्टि से कुरआन की सूरते विभिन्न भांति से विभक्त है। एक भांति की सूरतें वह हैं, जिसमें नासिख़्-मन्सूख़् कोई नहीं और यह ४३ सूरतें हैं।

दूसरी भांति वह है, जिसमें नासिख़्-मन्सूख़् उपस्थित है। यह २५ सूरतें, बकर और उसके पश्चात की निरन्तर (आले इमरान, निसा और माएदा, हज्ज-नूर और उसके पश्चात की दो और सूरतें (फ़ुर्क़ान और शोअरा) एहज़ाब, सबा, मौमिन शोरा, जारेयात, तूर, वाकेआ, मजादेला, मुज़म्मिल, मुदस्सर, कुव्वेरत और असर) यह २० सूरतें हैं, (५ सूरतों के नाम नहीं लिखें।)

तीसरी भांति यह है आगे ६ सूरतें हैं, जिनमें केवल नासिख़ आयतें हैं, मन्सूख़ नहीं, फ़तह, हशर, मुनाफेकुन, तग़ाबन, तलाक और आला।

चौथी भांति सूरतों की वह है, जिनमें मात्र मन्सूख़ आयतें हैं, नासिख़ नहीं। ऐसी ४० सूरतें हैं। जिनका वर्णन आगे आयेगा।

(६ ठा मसअला) मक्की कहता है, कि नासिख़ की कई किस्में हैं। प्रथम फ़र्ज़ (अनिवार्य) जिसने किसी अनिवार्य कर्त्तव्य

को निरस्त किया है, किन्तु इस प्रकार के नस्ख़ के पश्चात प्रथम कर्तव्य पर अमल करना भी उचित है। जैसे व्यभिचारी पर हद मारने की आज्ञा से, उनके कैद किये जाने की आज्ञा निरस्त हुई।

द्वितीय फर्ज, वह जिसने किसी फ़र्ज़ को ही निरस्त किया हो, किन्तु इस प्रकार के नस्ख़ के होते हुए भी प्रथम फर्ज़ अर्थात निरस्त हुए पर अमल कर लेना भी उचित है। जैसे--आयत "मुसाहरह" (ससूर और जामाता दोनों पर हैं।)

तृतीय फ़र्ज़, वह है जिसने किसी मन्दूब के आदेश को निरस्त किया हो। जैसे–जहाद (धर्मयुद्ध) प्रथम आवश्यक (मुस्तहब) आदेश नहीं था, तत्पश्चात अनिवार्य हो गया।

चौथा, वह मुस्तहब (अनावश्यक) आदेश है, जो किसी फर्ज़ का निरस्तकर्ता हो। जिस प्रकार "नमाजे तहज्जद" (रात्रि की नमाज़)

पांचवा, कुरआन जैसे आसान समझो, वैसे पढ़ना, किन्तु यह करात की आज्ञा से निरस्त हो गया।

(७ वां मसअला) कुरआन में नस्ख़ के तीन प्रकार हैं:–

प्रथम–वह नस्ख़ कि उसका पढ़ना और आदेश दोनों निरस्त हो गए।

द्वितीय–उसका आदेश निरस्त हो और पाठ शेष रह गया हो।

तृतीय–जिससे ज़माना जहालियत या इस्लामी शरीअतों से पूर्व शरीअतों और प्रारम्भिक इस्लाम के वह आदेश मर्फ़ऊ (उठाये गये) होते हैं। जिनका नज़ूल (अवतरण) कुरआन में

नहीं हुआ था । जैसे–पिता की पत्नि से शादी करने का बातिल (मिथ्या) होना ।

तफ़सीर इत्तेकान प्रकरण ४७ पृष्ठ ५१ से ६०

आगे अल्लामा ने लिखा, कि इब्ने अरबी कहता है, कि कुरआन में जितने स्थानों पर कुफ़्रार से सहनशीलता और उनकी ओर से विमुख होने का आदेश आया हैं, और उनसे न लड़ने की आज्ञा हुई है । यह समस्त आदेश आयते सैफ़ से निरस्त हो गए ।

आयते सैफ़:—

फ़ इज़न्सल खल्अश्होरूल्हुरोमो फ़क्तोलुल्मुश्रेकीना है सो वजत्त-मूहुम वा खुज़ूहुम् वा सुरूहुम् वक्उदूलहुम् कुल्ला मर्सदिन, फ़ इन ताबू वा अका मुस्सलाता वा आतुज्जकाता, फ़खल्लू सबी-लहुम् इन्नल्लाहा गुफ़ूरूर्रहीम् ।

कुरआन पारा १० रकू १/७ (तौबाह)

(अल्लामा सियूती ने पूरी आयत नहीं लिखी, हम अर्थ और आयत दोनों लिख रहे हैं)

अर्थ:--पस, जब हराम (निषेध) के महीने ज़ीकाद-ज़ुल्हज्ज-मुह-र्रम और सफ़र चार मास व्यतीत हो जाएँ, तो इन मुशरिकों को जहाँ पाओ, मारो पकड़ो, बांधों और घातक स्थानों पर उनकी ताक में बैठो । फिर यदि (कुफ़्र से) तौबा करें, नमाज़ पढ़े तथा ज़कात देने लगें, तो उनका मार्ग छोड़ दो । ठीक अल्लाह महान कृपा और दया करने वाला है ।

तफसीर इब्ने कसीर पारा १० पृष्ठ ३२–३३

ऐ मानवता के पुजारियों ! ध्यान से इस आयत के अर्थ को देखो, पढ़ो, सोचो और समझो तथा इस आयत में प्रसारित

आदेश पर ध्यान दो, कि आपने कहीं भी ऐसा मार्शल्ला आदेश देखा, कि बिना किसी कारण के वह जब तक मुसलमान न हो जाएँ, इस प्रकार कत्ले आम का कहीं आदेश देखा या सुना है ? कि जहां देखो मारो, पकड़ो और बाँधों व घेर लो, यहां तक कि वह जिस मार्ग से निकले वहां घात लगा कर उनकी ताक में बैठो और उन्हें तभी सुरक्षा दो, कि वह तौबा कर ले और मुसलमान हो जायें ।

पाठक बन्धुओं ! जिस समय इस्लाम ने यह घोषणा की होगी उस समय अन्य धर्मावलम्बियों का जीवन किस कठिनाई में ग्रस्त हो गया । यह तो वही लोग जानते होंगे, कि जिन पर यह आदेश प्रभावित हुआ होगा ? कोई भाग कर भी अपने प्राण न बचा पाते होंगे, क्योंकि घात में घातक बैठे हैं । ईश्वर ही जाने उस समय लोगों पर क्या घटा होगा ? यह बात मनुष्य की कल्पना से भी बाहर की बात है, किन्तु वर्तमान सन् १९७१ में याह्या खां ने पूर्वी बंगाल में हमको भी वह दृश्यावलोकन करा दिया, ताकि हम भी जान लें, कि ऐसी गति ऐसे आदेश में ही होती है । हां, अरब में, तो एक मार्ग खुला था, कि मुसलमान हो कर तो व्यक्ति बच सकता था किन्तु पूर्वी बगाल में वह भी मार्ग बन्द था, और एक यह भी, कि वहाँ मात्र तलवार थी और यहाँ समस्त भयंकर आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों की भरमार भी थी ।

आगे अल्लामा सियूती ने लिखा है, कि इस आयतों कताल ने कुरआन की १२४ आयतों को निरस्त कर दिया ।

तफसीर इत्तेकान पृ. ४७ पृ. ६१-६२

इसके आगे अल्लामा सियूती लिखते हैं, कि यह जो तुम सूरत बरात (तौबाह) पढ़ रहे हो । मुस्तदरिक में हज़ीफ़ा से

वर्णित है, यह उसका चौथाई भाग है। यह नासिख़-मन्सूख़ अत्याधिक विस्तृत विषय है। हमने आयतों का सम्पूर्ण विवरण प्रथम खण्ड में दिया है। यहां पर इस विषय से सम्बन्धित एक मुस्लिम लेखक की पुस्तक "रूहुल्कुरआन" से उद्धरण करते हैं। इस पुस्तक के लेखक का नाम उनकी इस पुस्तक पर निम्न प्रकार लिखित है:--

ताज़ुल्मत कल्लमीन् अन्ज़मुल्वाए ज़ीन मवर्रख़ यग़ाना मुहद्दिक ज़माना हज़रत फ़ख़्रुल्उलमा ज़नाब मौलाना मौलवी अल्सय्यद नज़ामुल्हसन साहिब किब्लह वाइज़ मदरसतिल्वाएज़ीन लखनऊ, इत्यादि।

आप लिखते हैं, कि हमारे बिरादराने अहले सुन्नत की यह स्थिति है, कि वह (कुरआन में) प्रत्येक भांति के परिवर्तन और उलट फेर को भी स्वीकारते हैं।.....अब्दुल्लाह बिन उमर का कथन है, कि **'ज़हबा मिन्हो कुरआनुन कसीरून'** अर्थात इस कुरआन से अत्याधिक भाग लुप्त हो गया है।

हज़रत आयशा फरमाती हैं, कि दरूद शरीफ़ वाली आयत के अन्त में यह था **'वा अलल्लाज़ीना युसल्लूनस्सफ़ूफ़ुल्अव्वले'** किन्तु अब यह वाक्य कुरआन में नहीं है। इस सम्बन्ध में हज़रत आयशा से पूछा गया-यह वाक्य कब पृथक किया गया ? आपने फरमाया-उस्मान के परिवर्तित करने से पूर्व यह आयत इस भांति थी। तफसीर इत्तेकान पृष्ठ २५

शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी के एक लेख से प्रकट होता है; कि हज़रत उस्मान का कुरआन में परिवर्तन करना उनके क़त्ल का कारण बना। इज़ालतुलख़िफ़ा पृष्ठ २२१

फ़ख़रूद्दीन की तफसीर कबीर पृष्ठ १०७ में है कि **'इन्नत्तस्मिय्यंता लैसत मिनल्कुरआने'** अर्थात बिस्मिल्लाह कुरआन का अंश नहीं है। इसी पुस्तक के पृष्ठ १०४ में **'काला अबू हनीफ़ा बिस्मिल्लाह लैसा बेआयतीन'** अर्थात बिस्मिल्लाह कुरआन को आयत नहीं है. और पृष्ठ १०३ में विशेष प्रमाण से लिखा है, कि बिस्मिल्लाह अल्हमद का भी भाग नहीं है।

सहीह बुखारी भाग ३ पृष्ठ १३८ पर सूरते तब्बत की व्याख्या में हैं, कि आयत 'अन्जर' इस प्रकार उतरी थी, कि **अन्जिर अशीरतो कल्अकरबीना वा रहतका मिन् होमुल्मुख़्लेसीन्** किन्तु वर्तमान कुरआन में यह अन्तिम भाग नहीं है। इसी पुस्तक के पृष्ठ १३४ पर है, कि रसूले खुदा, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, 'अबू दाऊद 'वल्लैले इज़ा यग़शा' में 'वज़्ज़करल्उन्सा' पढ़ते थे। वर्तमान कुरआन में **'मा ख़लक़ज़्ज़करावल्उन्सा'** है। अर्थात उनके विचार में **'मा ख़लका'** कुरआन का 'जुज़्वन' था। इसी भांति 'सहीह बुखारी' के पृष्ठ १३७ में है, कि सूरत कारेआ में अब्दुल्लाह बिन मसऊद **'कल्फ़राशिल्मब्सूस'** के स्थान पर **'कस्सौफ़िल्मब्सूस'** पढ़ते थे। इसी में पृष्ठ १२५ में है, कि हज़रत उमर सूरत जुमाह में **'वस्औ इला ज़िक्रिल्लाह'** के स्थान पर **'फ़म्ज़ू इला ज़िक्रिल्लाह'** पढ़ा करते थे, और इसी 'सहीह बुख़ारी' के भाग २ पृष्ठ ३ पर है, कि इब्ने अब्बास फरमाते हैं, कि यह आयत इस भांति उतरी थी। **'लैसा अलैकुम जुनाहुन अन् तब्तग़ फ़ज़्लम्मिन रब्बेकुम् फ़ी मरासमिल्हज्जे'** वर्तमान कुरआन में अन्तिम वाक्य नहीं है।

सहीह मुस्लिम भाग १ पृष्ठ २२७ में है, कि हज़रत आयशा ने अपने एक गुलाम से कुरआन लिपिबद्ध कराया और कहा—जब तुम इस आयत **'हाफ़िज़ू अलस्सलाते'** पर पहुँचो, तो मुझे सूचित करना। गुलाम का कथन है, कि मैंने इस अवसर पर

पहूँच कर उन्हें बताया, तो उन्होंने फरमाया-'सलतिल्वस्ता' के पश्चात 'सलतिल्असर' लिख दो। क्योंकि रसूलुल्लाह इसी प्रकार पढ़ा करते थे।

तफसीर 'दुर्रेमन्सूर' के पृष्ठ ३३ पर है, कि हज़रत हफ़सा ने फरमाया—रसूल्लाह 'अरसलातुल्वुस्ता' के पश्चात 'सलातुल्असर' पढ़ा करते थे।

तफ़सीर इत्तोकान भाग १ पृष्ठ १८५ में है, कि कुरआन में 'अल्लमज़ीना यातूना मा अतौ' नाज़िल हुआ था, किन्तु बाद में 'अल्लाज़ीना योतूना मा अतौ' कर दिया गया।

तफसीर 'लबाबुत्तावील' भाग १ पृष्ठ ५१७ पर है:-काला उस्मान बिन अफ़ान इन्ना फ़िल्मुस्हफे लहबन मुस्तकीमतुल्अरब बे अल्सनते हुम् फ़कीला लहू अफ़ला तग़य्यरोहू फ़काला दओहो' अर्थात:-हज़रत उस्मान बिन अफ़ान कहते हैं, कि कुरआन में कतिपय भूलें हैं। अरब उनको अपनी ज़बान से ठीक कर लेंगे। इसपर उन्हें कहा गया-आपही सही कर दीजिये। कहा—जाने दो।

तफसीर 'इत्तोकान' भाग १ पृष्ठ ७२ में हैं, कि हज़रत उमर फरमाते हैं, कि कुरआन में १० लाख २७ हज़ार वाक्य थे, किन्तु वर्तमान कुरआन में केवल ७० हजार ३९ वाक्य हैं। इसी तफसीर में पृष्ठ ६६ पर है, कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास, उबय्य बिन काब और अबू मूसा अश्अरी के अनुसार कुरआन में सूरते हकद और सूरते खला भी थी, किन्तु वर्तमान कुरआन में यह दोनों सूरतें नहीं है। खालिद बिन उमर का कथन है, कि 'अन् जिब्रीला नज़्ज़ला बज़ालेका अलन्नबिय्ये' अर्थात-यह दोनों सूरतें हज़रत जिब्रील रसूलिल्लाह के पास लाये थे। इसी तफसीर के भाग २ पृष्ठ २५ पर अबू मूसा अश्अरी से वर्णित है, कि कुरआन में एक सूरत, जो सूरत बरात के समान थी, अब इस कुरआन में

नहीं है। जिसकी एक आयत 'इन्नल्लाहा समवय्येदुद्दीना तुमुल्हज़ लाके लहुम्' है।

तफसीर 'दुर्रेमन्सूर' भाग ५ पृष्ठ १७९ में है, कि हज़रत उबय्य बिन काब फरमाते हैं, कि सूरत एहज़ाब, सूरत बकर के समानन्तर थी या इससे भी अधिक थी। अब कुल ७३ आयतें शेष रह गई हैं।

तफसीर इत्तेकान भाग २ पृष्ट ६४ में है—'कालत् कान्त् सूरतिल्एजाबे बकरन फी ज़मानिन्नबिय्ये मेअत्ते आयतुन फलम्मा कतबा ऊस्मानल्मुसाहेफा लम् तकदर मिन्हा इल्ला मा हुवल्आना' अर्थात-बीबी आयशा फरमाती है—सूरत एहज़ाब नबी के समय में सूरत बकर के समानन्तर थी, और इसमें २०० आयतें थी। जब उस्मान ने कुरआन सकलित किया, तो मात्र इतना ही संकलित कर सके। (तहरीफ़े कुरआन की हकीकतें)

तफसीर 'दुर्रेमन्सूर' भाग ६ पृष्ठ ३७८ में है, कि वर्तमान सूरत बय्यनह का अन्तिम भाग अब कुरआन में नहीं है। इसी तफसीर के भाग १ पृष्ठ १०१ में है, कि अबू उमर का कथन है, कि कुरआन की २ और आयतें गुम हो गई हैं।

तफसीर 'सहीह बुख़ारी' भाग २ पृष्ठ १११ तबाए मिस्र में है, कि हज़रत उमर फरमाते हैं, कि जब कुरआन नाज़िल हुआ. तो उसमें आयत रज़म (पथराव की) थी, किन्तु अब नहीं है। इसी तफसीर के पृष्ठ १४७ पर है कि हज़रत उमर ने लोगों के भय से अपने समय में आयतें रज़म कुरआन में नहीं लिखी। (यह बात, कि हज़रत उमर ने लोगों के भय से कुरआन में आयतें रज़म नहीं लिखी, कुछ समझ में नहीं आई। हज़रत

उमर का क्या अर्थ और सम्बन्ध कुरआन में आयत लिखने से था ?)

तफसीर 'सहीह बुखारी' पारा १८ पृष्ठ ११८ पर किताबुत्तफ़्सीर में है, कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद फरमाते हैं, कि आयते मुतआ इस प्रकार **'फ़मस्ततातुम मिनहुन्ना इला अजिलम्मुसम्मा'** उतरी किन्तु वर्तमान कुरआन में **'इला अजिलम्मुसम्मा'** नहीं है। इसी तफसीर के इसी पारा के पृष्ठ ११७ के अनुवाद में है, कि अब्दुल्लाह बिन उमर सूरत **'कुल् अऊजो बेरब्बिन्नासे'** और **'कुल् अऊजो बेरब्बिफलके'** को कुरआन में सम्मिलित नहीं समझते थे और यह भी सहन नहीं करते थे, कि किसी कुरआन में लिखी जाए, और यदि कोई इन आयतों को अपने मुस्हिफ़ (कुरआन) में लिख लेता था, तो उसे छील (मिटा) डालते थे। उनका कथन था, कि यह सूरते तावीज़ के तौर पर नाज़िल (उतरी) हुई थी, न कि कुरआन हेतु। इसी पारा १८ के पृष्ठ ४३ पर सूरतुल्बकर के अनुवाद (अहमदी प्रेस) में है, कि हज़रत उमर यों कहते थे, कि कुरआन में **'गैरिल्मग़ज़ूबे अलैहिम् वा गैरज्जालीन'** नाज़िल हुआ था और इसी भाँति पढ़ते थे।

तफसीर इत्तेकान (अहमदी प्रेस) पृ. ४२६ में है, कि सूरत एराफ, जो वर्तमान कुरआन में आरम्भिक शब्द अलिफ़-लाम मीम और स्वाद है, वह मात्र अलिफ-लाम और मीम ही थे। इनमें 'स्वाद' इसलिए अधिक कर दिया गया, कि इसमें पैगम्बरों के किस्से वर्णित हैं। इसी भांति सूरत राद, जो वर्तमान कुरआन में अलिफ़-लाम-मीम और रे है, वह भी मात्र अलिफ-लाम और मीम ही थे और 'रे' को उसमें उतरने के पश्चात संलग्न कर दिया गया।

तफसीर "दुर्रेमन्सूर" भाग ६ पृष्ठ २१६ में है, कि इब्ने

मस्ऊद ने "मऊज़तैन" को अपने कुरआन से काट दिया था, और वह कहते थे, कि यह दोनों सूरतें खुदाई पुस्तक में सम्मिलित नहीं हैं और कहते थे–"ला तख़्तुल्कुरआना बिमा लैसा मिन्हो" अर्थात कुरआन में ग़ैरकुरआन को गड्डमड्ड (मिश्रित) मत करो।

तफसीर कबीर (मिस्री) भाग १ पृष्ठ १६९ में है, कि इब्ने मस्ऊद सूरत फ़ातिहा और मऊज़तैन को कुरआन में प्रवेश हेतु निषेध करते थे। (अल्हम्द और कुरआन की दो अन्तिम आयतें हैं।)

तफ़सीर इत्तेकान भाग २ पृष्ठ २१६ में है, कि ज़र बिन जैश से वर्णित है, कि मुझसे उबय्य बिन काब ने कहा- तुम सूरत एहज़ाब कि कितनी आयतें गिनते हो? मैंने कहा-७२ या ७३ आयतें। उबय्य बिन काब ने कहा– यदि यह सूरत पूर्णतः रहने दी जाती, तो सूरत बकर के सामानान्तर होती।

तफसीर 'दुर्रेमन्सूर' भाग ३ पृष्ठ २०८ में है, कि सूरत तौबाह जितना उतरा था, वर्तमान कुरआन में उसका कुल चौथाई भाग है। आगे हैं, कि इस सूरत तौबाह में अधिकतर अस्हाबा कि बुराईयाँ नाज़िल हुई थी, इस कारण इस सूरत को फ़ातिहा कहते थे।

अल्लामाए सिद्दीक हस्न की तफसीर 'अफ़ादतिश्शयुख़' के पृष्ठ १४ में है, कि सूरत फ़ातिहा दुबारा उतरा। एक मक्का में और मदीना में। इसमें कोई आयत निरस्त नहीं हुई।

उपरोक्तानुसार ही तफसीर "इत्तेकान" के पृष्ठ २११ में है, कि तफसीर "दुर्रेमन्सूर" भाग १ पृष्ठ १४ में है, कि इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह बिन कसीर और हज़रत उमर 'इहदे नस्ते-रात' को 'स्वाद' के स्थान पर 'सीन' से पढ़ा करते थे। पृष्ठ १६

पर है, कि रसूले खुदा, अबू बकर और उमर **'मालेके यौमिद्दीन'** को **'मलेके यौमिद्दीन'** पढ़ा करते थे। इसी तफसीर के भाग ६ पृष्ठ २२९ (मिस्री) में है, कि सूरत तलाक पारा २८ रकू १६ वर्तमान कुरआन में 'फ़ तल्लेकूहुन्ना बइद्दतेहुन्ना' है, किन्तु हज़रत मुहम्मद 'फ़ तल्लेकूहुन्ना फ़ी कब्ले इद्दतेहुन्ना' पढ़ा करते थे। इसी भाग ६ के पृष्ठ १२६ में है, कि इब्ने मस्ऊद ने कहा—हज़रत मुहम्मद ने इस भांति **'इन्नी अनर्रज्जाको जुल्कुव्वतिल्मतीन्'** पढ़ाया, किन्तु वर्तमान कुरआन पारा २७ रकू २ में यह **'इन्नल्लाहा हुवर्रज्ज़ाको जुल्कुव्वतिल्मतीन** है।

तफसीर इत्तोकान (अहमदी प्रेस) प्रकरण ४१७ में है, कि हज़रत उमर ने अब्दुर्रहमान बिन औफ़ से कहा-आयत **'इन् जाहुदू कमा जाहद तुम अव्वला मर्रतिन'** अर्थात् क्या तू भी इसे नहीं पाता ? हमने अत्यन्त तलाश की, किन्तु इसका पता न चला। अब्दुर्रहमान ने कहा-हूज़ूर ! यह आयत भी उन्हीं आयतों के साथ निकाली गई है, जो कुरआन में से निकाल दी गई है। अरबी इस प्रकार है:--**'कालस्कतत फ़ी मस्तकहू मिनल्कुरआने'** अर्थ ऊपर दिया है। इसी तफसीर के पृष्ठ २१७ की १७ वीं पंक्ति में है कि एक दिन मुसलमा बिन मुख़लद अन्सारी ने कहा-मुझे कुरआन मज़ीद की वह दो आयतें बताओं, जो मुस्हिफ (कुरआन) में नहीं लिखी है ? किसी ने उन्हें न बताई। उनके पास अबुल्कनुद और साद बिन मालिक बैठे थे। मुसलमा अन्सारी ने दोनों आयतें, जो कुरआन में नहीं लिखी गई थी, वह पढ़ कर सुनाई। आयतें यह हैं:—

इन्नल्लाज़ीना आमनू वा हाजेरू वा जाहेदू फ़ी सबीलिल्लाहे बे अमवालेहिम् वा अन्फुसेहिम् इल्ला अबशिरू अन्तमुल्मफ़लेहून बल्लाज़ीना अवीहुम् वा नसरूहुम् वा जादेलू अन्हुमुल्कौमिल्ल-

ज़ीना गज़बल्लाहो अलैहिम् ओलाएका ला तालम् मा अल्लफ़ा लहुम मिनकुर ते आयुनी जज़ा अम्बिया कानू यामलून ।

तफसीर 'दुर्रेमन्सूर' (सियूती) पृष्ठ २४६ (मिस्री) में है, कि उर्वह रावी कहता है–मैंने इस आयत—'**इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लाज़ीना हादू वस्साबेऊना**' और आयत–'**वल्मुकीमीनस्सलाता वल्योतूनज़्ज़काता**' तथा आयत '**इन्ना हाज़ाने लेसाहेराने**' की भूल के सम्बन्ध में '**उमुल्योमेनीन**' हज़रत आयशा से पूछा, तो उन्होंने कहा—'**या इब्ने उख़्ती हाज़ा अम्लुल्लिकताबे अख़्तू फ़िल्किताबे**' अर्थात–ऐ पुत्र ! यह कातिबों (लिपिकों) की भूल है। (इन आयतों पर हम प्रथम खण्ड में विस्तारसहित लिख चुके हैं)

तफसीर कबीर (मिस्री) भाग ६ पृष्ठ ६९ में है, कि एक दिन हज़रत उस्मान ने मुस्हिफ (कुरआन) पर दृष्टिपात कर कहा–इसमें बड़ी भूलें हैं, जिसे अरब वे भाषाशास्त्री ठीक कर लेंगे।

तफसीर मुआले मुत्तन्ज़ील पृष्ठ ५७९ पर इमाम बग़वी ने अखा का वर्णित वर्णन स्वीकार कर लिया, जिसके कारण कुरआन में क्वाइद (व्याकरण) की भूल सिद्ध होती है।

तफ़सीर 'दुर्रेमन्सूर' भाग २ पृष्ठ ३४७ में हैं, कि कुरआन में कतिपय शब्द गलत है:–**वस्साबेऊना, वल्मुकीमीना, फस्दक वा अकुन् मिन् स्वालेहीन् व इन हाज़ाने लेसाहेराबे**। '**अकुन्**' के स्थान पर '**अकून**' चाहिये था।

तफसीर 'इत्तेकान' इमाम सियूती और पुस्तक 'नासिखों-मन्सूख़,' हुसैन इब्ने मुनादी में है, कि मिन् जुम्ला उन सूरतों और आयतों के जिनके नक्श (लेख) कुरआन से उठा लिये गये

हैं, किन्तु उनकी स्मृति हृदयों में उपस्थित है। दो सूरतें है, जो कनूत और वतर में पढ़ी जाती थी और सूरत खला और हकद के नाम से स्मरण की जाती थी, किन्तु इस समय हज़रत उस्मान के सकलित किये कुरआन में उनका चिन्ह मात्र तक नहीं पाया जाता है।

मिर्ज़ा मोहसिन कश्मीरी की पुस्तक 'दबिस्ताने मज़ाहब' पृष्ठ २२० में एक सम्पूर्ण सूरत लिखी है, जो २७ पंक्तियों में है और जिसका प्रारम्भ—'**या अय्यो हल्लज़ीना आमनू बिन्नूरैने अन्ज़ल्ना हुमा अलैकुम**' से है, और यह सूरत वर्तमान कुरआन में नहीं है।

उलट-फेर

अहले सुन्नत बन्धुओं की विश्वस्त पुस्तकों से यह प्रमाणित है, कि दो आयतें, जो मक्का में उतरी, उनको मदीनी सूरतों में प्रविष्ट किया गया और कतिपय मदीनी आयतों को मक्की सूरतों में सम्मिलित किया गया है। उदाहरणार्थः—

तफसीर 'दुर्रेमन्सूर' (मिस्री) भाग ४ पृष्ठ ४२ में है, कि सूरत राद सम्पूर्ण मदीना में उतरी किन्तु इस सूरत में मात्र एक आयत-'**लायुनालुल्लाज़ीना कफरू**' मक्की है। कुरआन के संकलनकर्ताओं ने मध्य में नियम-विरुद्ध शृंखला ठूँस दी है।

तफसीर 'कबीर' (मिस्री) भाग ९ पृष्ठ २५८ में है, कि सूरत राद की ४३ आयतें हैं और यह सूरत मक्की है। अतिरिक्त आयत-'**ला मुनालो** और आयत '**मिन् इन्दहू इल्मुल्किताब**' के। असम ने कहा—यह दोनों आयतें मदीनी हैं। इस पर समस्त सहाबा एकमत है।

तफसीर 'दुर्रेमन्सूर' (मिस्री) भाग ४ पृष्ठ ६९ पर है, कि सूरत इब्राहीम मक्का में उतरी। अतिरिक्त दो आयतों 'अलम् तरा इलल्लाजीना बदलू' और 'नेमतल्लाहे कुफरन' के, यह दोनों आयतें मदीनी हैं। इसी तफसीर के पृष्ठ ३४२ में है, कि सूरत हज्ज मदीना में उतरी। अतिरिक्त ४ आयतों के जो इसमें मक्की है। 'या अर्सलना मिन् कब्लेका' से 'अजाबा यौमिन अकीम' तक, कोई इनको मक्की कहता है, और कोई मदीनी कहता है। इसी तफसीर के भाग ४ पृष्ठ १५८ में है, कि सूरत लुकमान मक्का में उतरी। अतिरिक्त ३ आयतों के जो मदीना में उतरी। वह उसमें सम्मिलित कर दी गई:-'वा लौ अन्नामा फिल्अर्ज' से तीन आयतें, और भाग ५ पृष्ठ ८२ मे है, कि सूरत शौअरा मक्का में उतरी। अतिरिक्त ५ आयतो के जो उसमें मदीनी है, और वह अन्तिम भाग की आयतें हैं किन्तु तफसीर 'कबीर' भाग ६ पृष्ठ ७२९ में मात्र दो आयतें मदीनी मानी जाती हैं।

कुरआन मजीद में उलट-फेर हेतु तफसीर 'जलालैन' सन १३४६ में मिश्र से प्रकाशित कुरआन मजीद और रूहुल्कुरआन पृष्ठ २६ से ३०।

हमने कुरआन परिचय के प्रथम खण्ड में विभिन्न व्याख्याकारों के उद्धरणों व प्रमाणों से कुरआन के नासिख़ों-मन्सूख़ पर लिखा था। यहाँ हमने एक शीया विद्वान के लेख को, जो इस विषय से सम्बन्धित हैं, लिखा है। इस नासिख् मन्सूख् विषय में हमने यहाँ पर पर्याप्त लिख दिया है। यदि प्रथम खण्ड भी पाठक पढ़ेंगे, तो और भी विशेष आनन्द आयेगा। यों तो इस स्थिति में भी यह लेखन भी अपने आप में पर्याप्त है, किन्तु इससे अधिक ज्ञातव्य हेतु प्रथम खण्ड भी पढ़ें।

आगामी आयतें:-

अम् तुरीदूना अनतस्अलू रसूलाकुम कमा सोएला मूसा मिनकब्ल, वा मय्यतबद्दलिल्कुफ़्रा बिल्ईमाने फकद जल्ला स्वाअस्सबील। वुद्दा कसीरूम्मिन अहलिल्किताबे लौ यरूद्दुनकुम्मिम्बादे ईमानेकुम् कुफ़्फारन हसदम्मिन इन्दे अन्फुसेहिम्मिम्बादे मा तबय्यना लहोमुल्हक्क, फाफू वस्फहू हत्ता यातेयल्लाहो बे अमरेही इन्नल्लाहा अला कुल्ल शयइन् कदीर। वा अकीमुस्सलाता वा आतुज्जकात, वा मा तुकद्देमू ले अन्फुसेकुम्मिन खैरिन तजेदूहो इन्दल्लाह, इन्नल्लाहा बे मा तामलूना बसीर।

कुरआन पारा १ रकू १३/१३ आयत १०९ से ११

अर्थः-ऐ मुसलमानों ! क्या तुम भी चाहते हो, कि अपने पैग़म्बर से प्रश्न प्रारम्भ करो ? जैसा कि इससे पूर्व मूसा से प्रश्न किये गये और जो कुफ्र को बदले में लेवें, तो वह विस्मृत हो गया सीधे मार्ग से, प्रायः पुस्तकवाले (यहूदी व ईसाई) तो यह चाहते हैं, कि किसी भाँति तुमको ईमान लाने, के पश्चात पुनः काफिर बना दें, अपने द्वेष के कारण, इस बात के अनन्तर कि उन पर सत्य प्रकट हो चुका है। तुम क्षमा करो और जाने दो, जब तक कि अल्लाह अपना आदेश भेजे। अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर सामर्थ्य रखता है और नमाज़ पढ़ा करो तथा ज़कात (अनिवार्य दान) दिया करो, और जो कुछ शुभ कर्म तुम अपने हेतु आगे भेजोगे, तो उसका फल खुदा से पाओगे। निसन्देह तुम्हारे कर्म अल्लाह देख रहा है।

तफसीर हक्कानी पारा २ पृष्ठ ६१

व्याख्या:--इस आयत में अल्लाह ने ईमानदारों को इस बात से रोका है, कि किसी घटना के होने से पूर्व मेरे नबी से व्यर्थ प्रश्न न किया करो। यह अधिक प्रश्न की प्रथा अत्यन्त बुरी है, जैसा कि अन्य स्थान पर आदेश है:-"या अय्यो हल्लाज़ीना आमनू ला तस्अलू अन अश्माए" (कुरआन) अर्थात-ऐ ईमानवालों ! उन बातों के प्रश्न न किया करो, जो यदि प्रकट कर दी जाएँ, तो तुम्हें बुरा लगे, और यदि तुम कुरआन उतरने के समय तक ऐसी पूछताछ प्रचलित रखोगे, तो यह बातें प्रकट कर दी जायेगी किसी घटना के घटने से पूर्व। उसके सम्बन्ध में प्रश्न करने में भय है, कि कहीं उस प्रश्न के कारण वह वस्तु हराम (निषेध) न हो जाए।

सहीह हदीस में है, कि मुसलमानों में सबसे बड़ा दोषी वह है, जो उस वस्तु के विषय में प्रश्न करे जो हराम न थी, फिर उसके प्रश्न से हराम हो गई। एक बार रसूलुल्लाह से प्रश्न हुआ-कोई व्यक्ति अपनी पत्नि के साथ अन्य पुरुष को पाये, तो क्या करे ? यदि लोगों को सूचित करे तो लज्जा की बात है। यदि मौन रहे, तो अत्यन्त अकीर्ति की बात है। हुज़ूर को यह प्रश्न सुन कर बड़ा बुरा ज्ञात हुआ।

मुस्लिम और बुखारी की एक हदीस में हैं, कि हज़रत मुहम्मद व्यर्थ बकवास से, व्यर्थ धन खोने से और अत्यन्त पूछ-ताछ से रोका करते थे।

सहीह मुस्लिम में है, कि मैं जब तक कुछ न कहूँ, तुम भी कुछ न पूछो। तुम से पूर्व लोगों को इस बुरी आदत ने विनष्ट कर दिया। (अब तो प्रश्नकर्ताओं से ऐसी भय और आतंक-पूर्ण बात कही, कि किसकी हिम्मत जो प्रश्न कर सके।) वह लोग अधिक प्रश्न किया करते थे और अपने नबियों से

विरोध करते थे। जब मैं तुम्हें आज्ञा दूँ, तो उसे अपनी यथाशक्ति पालन करो और यदि रोक दूँ, तो रूक जाओ (असली बात, तो यह है कि सत्य वचन महाराज कहना और पालन करना) यह बात उस समय कही जब कि हज्ज करना अनिवार्य हुआ। किसी ने पूछा–हुज़ूर ! प्रति वर्ष तो आप चुप रहे ? उसने तीसरी बार प्रश्न किया, तो कहा–प्रतिवर्ष नहीं, किन्तु यदि में हां कर देता, तो प्रति वर्ष अनिवार्य हो जाता। (सब जानते हैं, कि हराम और हलाल आपकी ना और हां पर ही निर्भर है।) और फिर तुम इस आज्ञा को कभी न हटा सकते।

हज़रत अन्स फरमाते हैं–ज़ब आपने हमें प्रश्न करने से रोक दिया, तो हम हुज़ूर से पूछने में अत्यन्त भय करने लगे। चाहते थे, कि कोई वनवासी आ जाए, तो वह पूछे, तो हम भी सुन लें।

हज़रत बरार बिन आज़ब फरमाते हैं–मैं हुज़ूर से कोई प्रश्न करना चाहता था, वर्ष–वर्ष भर व्यतीत हो जाता था, और आतंक के कारण पूछने का साहस न होता था।

हज़रत इब्ने अब्बास फ़रमाते हैं–हज़रत मुहम्मद साहिब के असहाब (मित्रगण) ने कोई उत्तर समझाए नहीं। उन्होंने हुज़ूर से केवल १२ ही विषय पूछे, जो समस्त कुरआन में उपस्थित हैं।

कुरआन में एक स्थान पर है, कि पुस्तकवाले तुझसे प्रश्न करते हैं, कि तू उन पर कोई आसमानी पुस्तक उतारे, उन्होंने मूसा से भी इससे बड़ा प्रश्न किया था, कि हम खुदा को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। जिसके कारण उन्हें एक भयँकर आवाज से विनष्ट कर दिया।

राफ़ा और ज़हब बिन यज़ीद ने कहा–या रसूलुल्लाह ! कोई आसमानी पुस्तक हम पर उतारिये। जिसे हम पढ़ें और हमारे नगरों में दरिया जारी कर दें, तो हम आपको मान लें। इस पर यह आयत (कि प्रश्न मत करो) उतरी।

अबू आलिया कहते हैं–एक व्यक्ति ने हज़रत से कहा–क्या रसूलुल्लाह ! हमारे पापों का कफ़ारा (प्रतिकार) भी उसी भांति हो जाता, कि जिस भांति बनी इस्राईल का हुआ था ? आपने यह सुनते ही खुदा से तीन बार प्रार्थनाएँ की। फिर फरमाया–सुनो, बनी इस्राईल में जहां कोई अपराध करता, उसके द्वार पर लिखा हुआ पाया जाता, और साथ ही उसका कफ़ारा (प्रतिकार) भी लिखा हुआ होता था। अब या तो साँसारिक कुख्याति स्वीकार कर कफ़ारा अदा कर दे और अपने गुप्त अपराधों को उजागर करे या कफारा न भरे, तो प्रलय (कयामत) को अकीर्ति स्वीकार करे, किन्तु तूमसे अल्लाह ने फरमा दिया-'**व मंय्यामलो सूअन ओ यज़्लमो नफ़्सहू सुम्मा यस्ताफेरूल्लाहा यजे दुल्लाहो ग़फ़ूर हीमा**' (कुरआन) अर्थात--जिससे कोई बुरा काम हो जाए या अपने प्राण पर अत्याचार कर बैठे, तो फिर क्षमा माँगे, तो वह अल्लाह को अत्याधिक महान क्षमाशील और कृपालू पायेगा। (हाँ, तौबा का भी द्वार खुला है, जैसे-रात को खूब पी, सुबह तौबा कर ली, रिन्द के रिन्द रहे, हाथ से जन्नत न गई।) इसी प्रकार एक नमाज़, दूसरी नमाज़ तक के अपराधों का कफ़ारा हो जाती है। इस हेतु कुरआन में एक और आयतः–**इन्नल्हस्नाते यज़्हिब्नस्सय्येआते**' (हूद) है। इस आयत की व्याख्या निम्नानुसार हैः—

इमाम अहमद कहते हैं, कि हज़रत उमर ने फरमाया–मैंने रसूलिल्लाह से निवेदन किया–या रसूलुल्लाह ! **मुझे किञ्चित**

शिक्षा फरमाईये, तो कहा–जब तू अपराध करे, तो उसके पश्चात नेकी भी अवश्य करना, क्योंकि नेकी, बुराई को समाप्त कर देती है। मैंने प्रार्थना की-या रसूलुल्लाह ! क्या नेकियों में 'ला इलाहा इल्लिल्लाहा' का अनुबन्ध भी है या नहीं ? फरमाया-वह समस्त नेकियों में सर्वश्रेष्ठ है।

हज़रत इब्ने मस्ऊद से उद्धरण है, कि किसी व्यक्ति ने किसी अपरिचित स्त्री का चुम्बन ले लिया था। तत्पश्चात उसने रसूलुल्लाह की सेवा में उपस्थित होकर सम्पूर्ण घटना निवेदन कर दी। इस पर अल्लाह ने आयत-'वा अकीमुस्सलाता तर्फ़ेयुन्नहारे' उतारी। उस व्यक्ति ने निवेदन किया–क्या यह एकमात्र मेरे हेतु ही है ? फरमाया-मेरी सम्पूर्ण उम्मत (समुदाय) के हेतु।

(रवाहूल बुखारी व मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरेरा का कथन है-रसूलुल्लाह ने फरमाया–पाँचों नमाज़ो और जुम्मा की नमाज़, जुम्मा तक तथा रमज़ान, (रोज़े) रमज़ान तक मध्यस्थ पापों को गिरा देने वाले हैं, जब कि मनुष्य कबीरा (बड़े) अपराधों से बचा रहे।

अबू हुरैरा से उद्धरण है, कि रसूलुल्लाह ने फरमाया–तुम में से किसी के द्वार पर दरिया हो और वह उसमें पंच स्नान करता हो, तो क्या उसके शरीर पर किञ्चित मैल रह जायेगा ? सहाबा (मित्रों) ने निवेदन किया-यह किञ्चित नहीं रहेगा। बस, यही स्थिति ५ नमाज़ों की है। अल्लाह इन (नमाज़ों) से पापों को मिटा देता है, और हृदय पापों को अपवित्रता से पवित्र हो जाता है। (अर्थात नमाज़ से पाप मिट जाते हैं) बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है।

तफसीर मज़हरी भाग ६ पृष्ठ १०५

आयत की शेष व्याख्या:—

तत्पश्चात जुमा, दूसरे जुमे तक कफ़ारा (प्रायश्चित) हो जाता है। सुनो, जो मनुष्य पाप का विचार करे और पाप न करे, तो पाप लिखा नहीं जाता और यदि कर गुज़रे, तो एक ही पाप लिखा जाता है, और यदि नेकी का विचार करे और भलाई न करे, तो भलाई लिखी जाती है; और यदि नेकी करे; तो १० नेकियां लिखी जाती हैं। अब बताओ, कि तुम अच्छे रहे, या बनी इस्राईल ?.....अब इस बात के हेतु भी यदि कोई विनाश हो, तो समझो कि वह विनाश होना ही था। इस पर यह आयत उतरी।

कुरैशियों ने हज़रत मुहम्मद साहिब से कहा—यदि सफ़ा पर्वत स्वर्ण का हो जाये, तो हम ईमान ले आएँगे। आपने फरमाया-अच्छा तो फिर दस्तरखान मांगनेवालों का, जो परिणाम हुआ था, वह तुम्हारा भी होगा। इस पर उन्होंने निषेध कर दिया। (आप इस बात के जिज्ञासु होंगे, कि दस्तरखान क्या है, और दण्ड का क्या कारण हुआ ?)

कुरआन की एक आयत:-अंय्योनज़्ज़ेला **अलैना मायदातम मिनस्समाए।**

अर्थात--(लोगों ने ईसा से कहा) आसमान से हमारे हेतु एक खान उतार दे (माएदा, वो खान होता है, जिस पर तैयार भोजन परोसा हुआ हो।) इस पर हज़रत ईसा ने अपने परमात्मा से प्रार्थना की:—

काला ईसब्नो मरियमा अल्लाहुमा रब्बना अन्ज़िल अलैना माइदतम्मिनस्समाए तकूनो लना ईदल्ले अव्वलेना वा आख़िरेना वा आयतम्मिन्का वर्ज़ुक्ना वा अन्ता ख़ैरूर्राज़ेकीन्।

कुरआन पारा ७ रकू १५/५ (माएदा)

अर्थात:-ईसा ने अपने रब्ब (ईश्वर) से प्रार्थना की-या अल्लाह ! हम पर आसमान से एक खान (तैयार भोजन) उतार दे, जो हमारे हेतु प्रसन्नता की बात हो, हमारे भूत और भविष्य के लिये लोगों हेतु, जिसको समस्त लोग खायें और तेरी ओर से एक चिन्ह (चमत्कार) हो जाए तेरी सामर्थ्य और मेरी नबव्वत हेतु, सत्य का साक्षातकार हो, और हमको कर, तू अत्याधिक भला प्रदाता है।

इस पर अल्लाह ने फरमाया-'**कालल्लाहो इन्नी मुनज़्ज़िलो हा अलैकुम**' अर्थात-मैं तुम पर उसको अवश्य (बारम्बार) उतारूँगा। '**फ़ मंय्यक्फुर बा दमिन्कुम् फ़ इन्नी उअज्ज़िबोहू अज़ाबन् ला उअज्ज़िबोहू अहदम्मिनल आलमीन।**

कुरआन पारा ७ रकू १५/५

अर्थात:-तत्पश्चात तुम में से, जो सत्य को न पहिचानेगा, उसको ऐसा दण्ड दूँगा, कि वैसा दण्ड सन्सार में और किसी को न दूँगा।

.....किन्तु उन लोगों ने माएदा (दस्तख़ान) उतरने के तत्पश्चात भी कुफ्र किया। अल्लाह ने उनको बन्दर और शूकर (सूर) बना दिया। तफसीर मज़हरी पारा ७ पृष्ठ ९२ से ९५

उपर्युक्त विषय, तो वैसे ही मध्य में आ गया था, सो संक्षेप में चर्चा कर दी। अब पुनः हम प्रथम आयत की व्याख्या प्रारम्भ करते हैं:—

तब उन्होंने अपने प्रश्न को त्याग दिया। क्या तूने नहीं देखा, कि जो लोग अल्लाह की देन (नैमत) को कुफ्र में परिव-

तित करते हैं और अपनी जाति को विनाश में डालते हैं। वह नर्क में प्रविष्ट होंगे।

इब्ने अब्बास से कथन है, कि हय्य बिन अख़तब और अबू यासर बिन अख़तब, यह दोनों यहूदी मुसलमानों के सर्वाधिक शत्रु थे। लोगों को मुसलमान होने से रोकते थे। उनके विषय में यह आयत उतरी।

तफसीर इब्ने कसीर पारा १ पृष्ठ ६५-६६

आगे वुद्धा कसीरन से व्याख्या हैं:—

अत्याधिक पुस्तकवाले चाहते हैं। इब्ने अबी हातम ने शाने नजूल (उतरने का कारण) यह कहा है, कि इब्ने अब्बास ने फरमाया--हय्य और अबू यासर, यहूदी अख़तब के पुत्र अरबों से इस कारण द्वेष करते थे, कि उनमें से हज़रत पैग़म्बर क्यों हुए? और रात--दिन लोगों को इस्लाम से विमुख करने में लगे रहते थे। उनके विषय में यह आयत उतरी, कि यह (दोनों) तुमको मौमिन होने के पश्चात पुनः काफ़िर बनाएँ, हार्दिक द्वेष के कारण, इसके पश्चात कि उन पर सत्य प्रकट हो चुका है, सो तुम सहन करो और कुछ विचार में न लाओ (सहन करने और विचार में न लाने की आज्ञा, जहाद की आज्ञा से पूर्व की है) जब तक कि अल्लाह अपनी आज्ञा भेजे। वह आज्ञा कत्ल करने या जजिया (कर) निश्चित करने की है।

कतिपय व्याख्याकारों ने कहा है, कि कुरैजा के कत्ल और बनी नज़ीर के जलावतन (निष्कासन) करने की है। निसन्देह अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर शक्तिमान है' और स्थित रखो नमाज़ को व ज़कात देते रहो तथा जो कुछ भलाई से अपने आगे भेज दोगे। अवश्य ही है, कि जो कुछ तुम करते हो, अल्लाह देख रहा है। तफसीर मज़हरी पारा १ पृष्ठ १९६-९७

इन आयतों के प्रारम्भ में, तो मुसलमानों को चेतावनी दी गई, कि तुम पैगम्बर हज़रत मुहम्मद से प्रश्न मत किया करो, जब तक पैग़म्बर स्वयँ कोई बात न करें। ऐसे ही बनी इस्राईल ने मूसा से खुदा को प्रत्यक्ष देखने का प्रश्न किया था, अतः उनको विनष्ट होना पड़ा। यहाँ हज़रत मुहम्मद को भी काफ़िरों ने कहा--पर्वत को स्वर्ण का बना दो, तो हम मुलसमान हो जाते हैं। उनसे हज़रत ने कहा--स्वर्ण का पर्वत बना देने पर तुम्हारी भी स्थिति वही होगी, जो माएदा (दस्तरखान) वालों की हुई थी, कि कुफ्र अर्थात ख़यानत करने पर शूकर (सूर) और बन्दर बनना होगा (कैसा प्रत्युत्तर दिया ?) तत्पश्चात मुसलमानों से कहा गया है, कि यहूदी तुम्हें इस्लाम से विमुख कर पुनः काफ़िर बनाना चाहते हैं। तुम उनको कुछ न कहो, जब तक कि कताल (कत्ल) का आदेश न आ जाये । कतिपय आयतों में हज़रत मुहम्मद पर भी शंका की गई है, कि काफ़िर तुमको ईमान से विमुख कर पुनः काफिर बनाना चाहते हैं। यदि तुमने ऐसा किया, तो स्मरण रखना कि फिर तुम्हारा कोई सहायक न होगा, जो तुमसे अल्लाह के अज़ाब (साँकट) को दूर करे । आयतः–

वा लए नित्तबाता अहवा आहुम बादल्लाजी जाअका मिनल्इल्मे मा लका मिनल्लाहे मिव्व लिंय्यिव्व ला नसीर।

कुरआन पारा १ रकू १४/१४

अर्थः—(हज़रत मुहम्मद को सम्बोधन है) और यदि आप उनकी ईच्छानुसार चले, इसके पश्चात, कि आपके पास सही ज्ञान, (इल्म) इल्म से तात्पर्य 'वही' (ज़िब्रील का) या (इस्लाम) उसका सत्य होना। आपको ज्ञात है, कि (ऐसा करने पर) आपका कोई सहायक न होगा, कि अल्लाह से रक्षा

करे, और न कोई साथी व सहायक होगा, जो अल्लाह का अज़ाब (संकट) तुम्हें दूर कर दें।

तफसीर मज़हरी पारा १ पृष्ठ २०८--९

पाठक बन्धुओं ! जिन हज़रत मुहम्मद साहिब को स्वयं खुदा (ईश्वर) ने अपना अन्तिम पैगम्बर घोषित किया, जिनके भूत भविष्य के समस्त पाप क्षमा कर दिये, जिनको पुस्तक (कुरआन) भी दी और उनका भाग्य भी लिख दिया, तो फिर भी क्या खुदा को सन्देह था, कि हज़रत मुहम्मद काफिरों की ईच्छानुसार चलने का प्रयत्न कर सकेंगे ? यदि खुदा के अपने अनादि ज्ञान में यह था, कि हज़रत मुहम्मद कभी भी दीन से विचलित नहीं हो सकता, तो खुदा को ऐसा ज्ञान होते हुए भी ऐसा संदेह क्यों किया ? और फिर अज़ाब (संकट) का भी भय दर्शाया। क्या ऐसे व्यक्ति हेतु, जिसको खुदा यह जानता है, कि क़दापि धर्म से डिगने वाला नहीं है, तो फिर ऐसा सन्देह क्यों किया गया ? ऐसी ही एक और आयत भी कुरआन में है, जिसमें अन्तर, तो मात्र एक शब्द का ही है, किन्तु अत्याधिक कठोर शब्द है। आयतः–

वा लएनित्तबाता अहवाआ हुम्मिम्मबादे मा जाअका मिनल्इल्मे इन्नका इज़ल्लमे नज्ज़ालेमीन् ।

कुरआन पारा २ रकू १७/१

अर्थः–और यदि (वल फर्ज़ँ) मान लिया जाए, कि अनुकरण करो तुम ऐ मुहम्मद ! उनकी ईच्छाओं की किब्ला के सम्बन्ध में इस बात के होते हुए, कि तुम्हें इस बात का इल्म पहुँच गया है, कि किब्ला इब्राहीम उचित है, (यदि ऐसा करोगे) तो बेशक हो

जाओ, उस समय जब कि उनका अनुसरण करो अवश्य ही अत्याचारियों में से (हो जाओगे)

तफसीर कादरी, पारा २ पृष्ठ २६

अब देखिये, परोक्षज्ञाता खुदा और समस्त के कर्म व कृत्य लिखा हुआ, जिसके साथ फरिश्ते अपने दैनिक लेख को मिलाते हैं, और अन्तिम पैग़म्बर, और फिर भी खुदा को सन्देह, कि ऐसा करोगे, तो अत्याचारियों में से हो जाओगे। क्या यह आयतें कभी खुदा की वाणी हो सकती है ? कदापि नहीं, यह तो ऐसी आयतें हैं, कि जिसने यह सोचा ज्ञात होता है, कि अपने स्वयं के विरूद्ध लिखने से लोगों पर यह प्रभाव हो जायेगा, कि यह अवश्य ही खुदा का कलाम है, किन्तु आयत के रचनाकार ने यह नहीं सोचा, कि इसकी प्रतिक्रिया खुदा के हेतु क्या होगी ? ऐसी स्थिति में खुदा को कौन परोक्षवेत्ता स्वीकारेगा ? जैसे मात्र जन साधारण अन्यों हेतु शंकाकुल रहते हैं, कि कहीं यह या वह व्यक्ति धोखा न दे दे ? इसी स्तर पर आयतकार की मानसिक स्थिति को माना जायेगा। स्पष्ट तात्पर्य यह है, कि खुदा को हज़रत साहिब पर इतना भी विश्वास नहीं, कि वह अपने विचारों पर अविचलित रहेगा। तत्पश्चात यह तो साधारण ही बात थी, कि मक्का की ओर मुँह कर के नमाज़ पढ़ना। आयत में है, कि:-

जब तुम्हारे पास इस बात की स्पष्ट जानकारी हो गई, तो उसके पश्चात तू उस पर अमल न करेगा, तो जालिमों में से हो जायेगा। तफसीर आजमुत्तफासीर पारा २ पृष्ठ ९

हम कहते हैं, कि खुदा ने सत्य से अपने रसूल को १७ मास तक क्यों वञ्चित रखा, कि बैतुल मुकद्दस की ओर मुँह

कर के नमाज़ पढ़ी ? ऐसी ही एक और भी आयत कुरआन में है। आयत:—

व लएनित्तबाता अहवा आहुम् बादा मा जाआका मिनल्इल्मे मा लका मिनल्लाहे मिंव्वलिंय्यिव्व ला वाक।

कुरआन पारा १३ रकू ५/११

अर्थ:–और यदि अनुकरण करेगा तू उनकी ईच्छाओं का, उस बात के पीछे कि तेरे पास उसका ज्ञान आ गया है। फिर नहीं है तेरे हेतु अल्लाह के अतिरिक्त कोई मित्र, और न कोई रक्षक।

अनुवाद, शाह अब्दुलकादिर, पृष्ठ ३४६

आयत वही है, जो पूर्व में भी आ चुकी हैं, मात्र एक शब्द का ही अन्तर है। इसी विषय की एक और स्पष्ट आयत:—

या अय्यो हन्नबिय्युत्ताकिल्लाहा वा ला तुतेइल्काफेरीना वल्मुना–फ़ेकीना। कुरआन पारा २१ रकू १/१६ (एहज़ाब)

अर्थ:–ऐ नबी ! अल्लाह से डरा कर और काफ़िरों व मुनाफिकों का कहना न मान। तफसीर हक्कानी पारा २१ पृष्ट ५६

इस आयत से, तो स्पष्ट ज्ञात होता है, कि हज़रत साहिब उन काफ़िरों का कहना मानने हेतु उद्यत थे, जिससे रोका गया है।

व्याख्या:–सूरत सज़दा के अन्त में हजरत मुहम्मद साहिब को वादा की प्रतिक्षा का आदेश दिया गया था, और विजय का वादा भी था। ऐसी स्थिति में कोई आश्चर्य नहीं, कि कुफ़्फ़ार और मुनाफ़ेकीन ने हज़रत मुहम्मद को अपने अनुसरण हेतु प्रेरित करना चाहा हो, कि आप अमुक–अमुक बातें स्वीकार कर लें, तो हम आपके धर्म में आ जाते हैं, अन्यथा हम आपको और

आपके अनुयाईयों को सतायेंगे। यद्यपि आपसे इस बात की आशा नहीं थी, तो भी ऐसी खतरनाक स्थितियों में तबीअत इन्सानी का झूक जाना, कोई अनहोनी बात नहीं ? इसलिए सावधानी की दृष्टि से (खुदा ने) भी हज़रत मुहम्मद साहिब को पूर्व में ही सचेत कर दिया, कि ऐ नबी ! अल्लाह से डरा करो और किसी से न डरो। इस कारण यह आदेश दिया था, कि परहेज़-गारी (सँयम) का असीमित क्षेत्र है (अतः कहा) और काफ़िरों तथा मुनाफिकों का कहना न मानना।

वाहदी कहते हैं, कि काफिरों में अबू सुफ़यान और अबुल्आवर और मुनाफिकों में अब्दुल्लाह बिन उबय्य व अब्दुल्लाह बिन अबी सूरह विभिन्न भाँति की धमकीपूर्ण बातों कहा करते थे, कि ऐसा करो, वैसा करो। उनका कहना इसलिए न मान, कि यह बातें वह हैं जो खुदा की नीति नहीं चाहती थी। अवश्य ही अल्लाह ज्ञाता है, प्रत्येक बात के आरम्भ और अन्त का। अतः जो कुछ आदेश दिया है. उसमें सर्वथा भलाई है।

तफसीर हक्कानी. पारा २१ पृष्ठ ६०

इस आयत के शब्द ही ऐसे हैं, कि व्याख्याकार को भी कहना पड़ा कि ऐसी भयावह स्थितियों इन्सानी तबीअत का माइल (झूक) हो जाना कोई आश्चर्य नहीं। हम दृढ़ता से कहेंगे. कि जिस मनुष्य पर दृढ़ विश्वास हो, उसके प्रति ऐसे शब्द कभी भी नहीं कहे जा सकते हैं, कि मात्र खुदा से डरो और काफिरों व मुनाफिकों का कहना न मानो।

अब देखिये, एक ओर, तो हज़रत मुहम्मद को यह कहा जाता है, कि काफिरों व मुनाफिकों का कहना न मानो और

दूसरी ओर कुरआन की यह निम्न आयत देखिये:-

कुल्ला अम्लेको ले नफ़्सो नफ़अंव्व, ला ज़र्रन इल्ला मा शा अल्लाह। वा लौ कुन्तो आलमुल्गैबा ल अस्तक्सर्तो मिनल्खैरे वा मा मस्सने यासूओ इन् अना इल्ला नज़ीरुंव्व। बशीरूल्ले कौमिय्यौमेनून।

कुरआन पारा ९ रकू २३/१३ (ऐराफ)

अर्थ:-ऐ मुहम्मद ! कह दे, मैं सामर्थ्य नहीं रखता हूँ, अपने व्यक्तिगत लाभ हेतु कि प्राप्त करूँ और न कतिपय दुख दूर करने की, किन्तु जो कुछ अल्लाह चाहे और मुझे दिखा दे। यदि मैं होता, खुदा के बिना बताये परोक्ष (ग़ैब) ज्ञाता, तो अवश्य अत्यन्त सम्पदा को चाहता लाभ-विजय और लूट व मुझे बुराई स्पर्श न करती अर्थात मुहताजी, रोग-रंज और पराजय आदि। नहीं हूँ मैं, किन्तु भयभीतकर्ता मुन्किरों और शत्रुओं को, और शुभ सूचनादाता हूँ उस समुदाय को, जो ईमान लाये हैं मुझ पर और उस वस्तु पर जो मेरे साथ है।

तफसीर कादरी भाग १ पृष्ठ ३५०

ऐसी ही एक और आयत:-

कुल्ला अम्लेको लेनफ़्सी ज़र्रंव्वल ला नफ़अन इल्ला मा शा अल्लाहो

कुरआन पारा ११ रकू ५/१० (यूनीस)

अर्थ:—कह, कि नहीं अधिकार रखता मैं अपनी जान (व्यक्तिगत) के हेतु न दुख का और न सुख का, किन्तु जो अल्लाह चाहे।

प्रिय पाठकों ! पूर्व की आयतों में यह है, कि तूने काफ़िरों का कहा माना, तो तू जालिमों में से हो जायेगा और इन पश्चात

की आयतों में है, कि हज़रत मुहम्मद अपने हेतु सुख–दुख, हानि लाभ और जय–पराजय का कोई अधिकार नहीं रखता किन्तु जो कुछ अल्लाह चाहे, और यदि मैं परोक्ष (गैब) को जानता, तो मुझे बुराई स्पर्श न करती ।

अब देखिये, यह दो पारस्परिक विरूद्ध विचार है, जो कि प्रामाणिक नहीं माने जा सकते हैं, और जिसमें शका होती हैं, कि यह खुदा कैसा है ? ऐसे विचार कदापि खुदा की ओर से नहीं हो सकते हैं ? क्योंकि खुदा तो अन्तर्यामी और सर्वज्ञाता है, और जब हज़रत मुहम्मद को लाभ–हानि का कोई अधिकार ही नहीं है तथा समस्त का कर्ता अल्लाह ही है, तो फिर उन पर सन्देह क्यों कैसे किया गया ? क्योंकि हज़रत मुहम्मद तो कुछ करते ही नहीं थे, तो फिर, काफिरों का कहना न मानना, यह कहना भी अपने आप में अत्याधिक औचित्य है ? आगामी आयतें:–

कालू लंय्यद खोलल्ज़न्नता इल्ला मन काना हूदन औ नसारा तिल्का अमा निय्योहुम् । कुल हातू बुर्हानकुम् इन् कुन्तुम स्वादे कीन्, ब ला मन् अस्लमा वज्हहू लिल्लाहे वा हूवा मोहसे-नून, फ़ लहू अज्रोहू इन्दा रब्बेही वा ला खौफुन् अलैहिम वा ला हूम् यहज़नून ।

कुरआन पारा १ रकू १३/१३ आयत ११२–१३

अर्थ:– यहूदी और ईसाई कहते हैं, कि हमारे अतिरिक्त और कोई स्वर्ग में कदापि नहीं जायेगा । यह तो उनके ढकोसलें हैं । तू (ऐ मुहम्मद ! !) उन से कह दे, कि तुम अपने इस दावे पर कोई दलील, तो लाओ ? यदि तुम सच्चे हो, तो ? अपितु जिसने अल्लाह के सन्मुख अपना मुँह झुकाया और वह होनी की

करनेवाला, तो उसके हेतु फल है, या प्रतिकार है उसके रब्ब (ईश्वर) के सन्मुख, और न उन पर कुछ भय होगा और न शोकातुर होगें। तफसीर हक्कानी भाग १ पृष्ठ ६३

किसी भांति उच्चादर्श व्यक्तकर्ता आयत है। इसके सन्मुख प्रत्येक का मस्तक नत होजाना चाहिये। यदि इस्लाम, जैसा कि इस आयत में वर्णित है, को सत्य हृदय से सिद्धान्तिक होता, तो हम भी उसके हेतु नतमस्तक हो जाते, किन्तु यहाँ तो हाथी के दांत है, खाने के भिन्न और दिखाने के भिन्न हैं। यहां तो यहूदियों के मिथ्या मन्तव्य के खण्डन हेतु यह नियम लिखा है, कि प्रत्येक को उसके कर्म का प्रतिकार मिलेगा। इससे पूर्व एक आयत लिखी गई है, जिसमें विस्तृत रूप से हम इस्लाम के इस सिद्धान्त को लिख, चर्चा कर चुके हैं, कि इस्लाम अपने हेतु इस कर्मफल को कहां तक मानता है ? उस आयत में मात्र यहूदी मत हेतु ही था।

अब इस आयत में यहूदी और ईसाईयों दोनों का वर्णन है। कहा गया है, कि दोनों यहूदी और ईसाई ही स्वर्ग में जाएँगे, किन्तु आयत में कहा गया है, कि ऐसा नहीं, अपितु नेक कर्मों के कारण स्वर्ग में जाना होगा, किन्तु देखना यह है, कि इस्लाम इस सिद्धान्त को कहां तक मानता है ?? कि नेक कर्म स्वर्ग में जाने का साधन है।

यद्यपि इस विषय को हमने पूर्व में भी सविस्तार लिखा है, किन्तु यहाँ भी यत्किञ्चित लिखना उचित प्रतीत होता है। प्रथम इस आयत की व्याख्या:-

अधिकांश । किताब (यहूदी व ईसाई) तुम्हारा दीन (इस्लाम) से विमुख होना, देखना चाहते हैं और अपने मिथ्या स्वार्थ के कारण अनेक प्रकार के सन्देह तथा कपोल कल्पित

आक्षेप उपस्थित करते हैं। उनकी इस ईच्छा पर तर्क प्रस्तुत किया जाता है; कि ऐ मुसलमानों ! यहूद व नसारा दीने मुहम्मद से विमुख करने हेतु दावे सहित कहते हैं, कि स्वर्ग में अन्य कोई प्रविष्ट नहीं हो सकता। यद्यपि ईश्वरीय आदेशों का आज्ञाकारी पालक और समस्त पैग़म्बरों पर ईमान लाकर आयु पर्यन्त भक्ति और आज्ञापालन से व्यतीत क्यों न की हो ? किन्तु वही व्यक्ति (स्वर्ग में प्रविष्ट होगा) जो यहूदियों का अनुसरण कर उसके सिद्धान्त व कर्मानुसार अपने कर्म करे यह यहूदियों का कथन है, और ऐसा ही ईसाई भी अपने हेतु कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, कि यहूद ने कहा—स्वर्ग में यहूदी प्रविष्ट होंगे और ईसाईयों ने कहा-सदैव ईसाई ही स्वर्ग में आनन्द प्राप्त करेंगे। खुदा फरमाता है—ऐ मुसलमानों ! उनके इस मिथ्या विश्वास और अज्ञानयुक्त भ्रम में मत आना। यह उनको मिथ्या भावनाएँ और कल्पित ढकोसलें हैं। ऐ मुहम्मद ! यदि यह अधर्मी अपनी मानसिक धारणाओं और कल्पित भावनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करें, तो स्पष्ट रूप से फरमा दीजिये, कि प्रत्येक दावा करने वाला अपने दावे को प्रमाणित करने हेतु प्रमाण और तर्क प्रस्तुत करता है, और यदि तुम दावे में सत्य हो; तो कोई साक्षात उदाहरण और अकाट्य प्रमाण ले आओ, अन्यथा तुम्हारा अभियोग असत्य है, और सर्वथा अनुचित है..... अपितु जिसने अपनी कामनाओं को खुदा को सौंप दिया ..... और नेक कर्म करता रहा तथा बुरे कर्मों से पृथक रहा, तो उसके हेतु खुदा के पास उसके कर्मों के उत्तम परिणाम तैयार हैं और इस प्रकार के लोगों को न कभी भय होगा और न कभी शोकातुर होंगे।

यहूदी व ईसाईयों के खण्डन हेतु हज़रत मुहम्मद ने उन कर्मों का आश्रय ग्रहण कर उनके मन्तव्यों को असत्य सिद्ध कर

दिया, कि यहूद व ईसाई मत को मानने से स्वर्ग–प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि स्वर्गप्राप्ति तो नेक कर्मों पर निर्भर हैं।

हम निश्चय पूर्वक कहते हैं, कि जैसा यहूद व ईसाई कहते थे, कि स्वर्ग में हम ही जाएँगे। इस्लाम का मन्तव्य भी ऐसा ही, अपितु इससे भी आधिक्यतापूर्ण है, कि जब तक कोई व्यक्ति इस्लाम को स्वीकार न करे, तब तक वह स्वर्ग में नहीं जासकता। हमने आयत क्रमाँक ८१ की समीक्षा में सविस्तृत इस्लाम के सिद्धान्तों का विवेचन किया है, किन्तु यहां भी यत्किञ्चित लिखते हैं। प्रथम आप कुरआन की यह आयत देखिये :—

वा मंय्यब्तगे गैरल्इस्लामे दीनन फ़लंय्युक्बला मिन्हो वा हुवा फ़िल्आखेरते मिनल्खासेरीन्।

कुरआन पारा ३ रकू ९/१७

अर्थात:–और फरमाया, कि खुदा के धर्म के अतिरिक्त जो व्यक्ति किसी और मार्ग पर चले, उसके शुभ और प्रत्यक्ष भले कर्म कभी स्वीकृत न होंगे और कयामत में वह हानिग्रस्त है।

सहीह हदीस में रसुले खुदा का आदेश है--जो व्यक्ति ऐसा अमल करे जिस पर हमारी आज्ञा न हो, वह मरदूद (निष्कासित) है।

मसनद इमाम अहमद में है, कि रसूले खुदा फरमाते हैं:-- कयामत के दिन कर्म–नमाज–रोज़ा और सदका इत्यादि आएँगे। खुदा कहेगा–तुम श्रेष्ठ हो। तत्पश्चात इस्लाम आएगा। अल्लाह फरमाएगा--तू सलाम है और मैं इस्लाम हूँ, तू खैर पर है, आज तेरे ही कारण मैं पकड़ूँगा और पुरुस्कृत भी करूँगा। अल्लाह अपनी पुस्तक में फरमाता है–'**वा मंय्यब्तगे**' नीचे हाशिए

में लिखा है, कि जिसने इस्लाम को अपनाया, उसकी मुक्ति है और जो इस्लाम से विमुख हुए, वह आज खुदा के अज़ाब व कष्ट में ग्रस्त होंगे। तफसीर इब्ने कसीर पारा ३ पृष्ठ ७८

आयतः–

कुल् इन् कुन्तुम् तुहिब्बूनल्लाहा फ़त्तबे ऊनी योह बिब्कुमुल्लाहो वा यग़्फ़िर्लकुम् जनूबाकुम् वल्लाहो ग़फ़ूरूर्रहीम्।

कुरआन पारा ३ रकू ४/१२

अर्थः–(ऐ मुहम्मद !) आप फरमा दीजिए, कि यदि तुम खुदा से प्रेम करते हो, तो तुम लोग मेरा अनुसरण करो। अल्लाह तआला तुमसे प्रेम करने लगेंगे और तुम्हारे समस्त पापों को क्षमा कर देंगे, और अल्लाह महान क्षमाशील व कृपालू है। आप (हज़रत मुहम्मद) यह भी कह दीजिए, कि तुम आज्ञापालन करो उसके रसूल की। फिर इस पर भी वह लोग विमुख हो जाएं, सो सुन लें, कि अल्लाह काफिरों से प्रेम नहीं करता।

तफ़सीर इब्ने कसीर पारा ३ पृष्ठ ५२

इस आयत ने निर्णय कर दिया, कि जो व्यक्ति खुदा (ईश्वर) के प्रेम का दावा करे और उसके कर्तव्य–कर्म और सिद्धान्त नबी के आदेशानुसार न हों, तो वह अपने इस दावे में मिथ्या है।

सहीह हदीस में है, कि रसुलुल्लाह फरमाते हैं–जो कोई ऐसा अमल करे जिस पर हमारी आज्ञा न हो, तो मरदूद (निष्कासित) जैसे–'**मन अमेला अम्लन लैसा अलैहे अमरेना फ़हुवा रद्दोहू**, (अर्थ उपर्युक्त है) इस कारण आदेश होता है, कि यदि तुम खुदा से प्रेम रखने के दावे में सत्य हो, तो मेरी सुन्नतों

(आज्ञाओं) पर अमल करो, तो उस समय तुम्हारी कामना से अधिक तुम्हें खुदा देगा। अर्थात वह स्वयं तुम्हारा चाहनेवाला बन जाएगा। खुदा के प्रेम की निशानी यही है, कि प्रत्येक कार्य में सुन्नत (आज्ञा) का पालन करना उद्देश्य हो !.....नबी की आज्ञा पर चलने से अल्लाह तआला तुम्हारे सम्पूर्ण पापों को भी क्षमा कर देगा। तत्पश्चात समस्त को आदेश होता है, कि समस्त खुदा और रसूल को मानते रहें और रसूल की आज्ञा-पालन में विमुख हो जाएँ तो वह काफ़िर हैं और खुदा उनसे प्रेम नहीं रखता है। इससे स्पष्टतः सिद्ध हो गया है, कि रसूल्लिल्लाह के मार्ग का विरोध कुफ्र है। इत्यादि

कुरआन के इसी पारा ३ रकू २/१० में लिखा है:- **'इन्नद्दीना इन्दल्लाहिल्इस्लाम'** अर्थात खुदा के निकट सत्य धर्म इस्लाम है।

हज़रत अबू दाऊद से वर्णित है, कि रसूलुल्लाहा ने फरमाया-किञ्चित भलाई को भी निकृष्ट न समझो। कबीरा पाप (महापाप) करने से भी मुसलमान सदैव नर्क में न रहेंगे। अन्ततः स्वर्ग में पहुँचा दिये जायेंगे नेकी को देखने का स्थान स्वर्ग है। इसलिए मुसलमान चाहे फासिक हो और बिना तौबा के भी मर जाए। अन्ततः स्वर्ग में अवश्य जायेगा। इस पर समस्त सर्व-सम्मत हैं, तथा रसूलुल्लाह के निरन्तर आदेश भी इसी बात को सिद्ध करते हैं।

हज़रत अन्स का सर्वमान्य कथन है, कि रसूलुल्लाह ने फरमाया-जो मनुष्य उनका अर्थात कल्मए तौहीद और रसालत (पैगम्बरी) का माननेवाला है और उसके हृदय में कण भर भी खैर (सुरक्षा) या ईमान (विश्वास) है, तो वह नर्क से निकल आएगा।

हज़रत उस्मान गनी का कथन मुस्लिम ने लिखा है, कि रसूलुल्लाह ने फरमाया–जो व्यक्ति यह विश्वास रखते हैं, कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य देव नहीं, मरणोपरांत वह स्वर्ग में प्रविष्ट होगा।

मुस्लिम ने हज़रत अबादा बिन सामत का कथन लिखा है, कि जिस मनुष्य ने साक्षी दी-अल्लाह के अतिरिक्त अन्य कोई भक्ति योग्य नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ने उस पर नर्क हराम (निषेध) कर दी।

सहीहैन (बुखारी व मुस्लिम) में हज़रत अन्स और हज़रत उस्मान बिन मालिक के कथन हैं और मुस्लिम के निकट हज़रत मुआज़ के कथन से भी यही हदीस आई है। हज़रत इब्ने मस्ऊद का कथन है, कि जिसके हृदय में राई के दाने के समान भी ईमान होगा, वह नर्क में प्रविष्ट न होगा। अर्थात अल्लाह ने सदैव नर्क में रहना उस पर हराम कर दिया है।

हज़रत अबू ज़र से उद्धरण है, कि रसूल्लिल्लाह ने फरमाया–जो बन्दा (भक्त) 'ला इलाहा इल्लिल्लाह' को स्वीकारता हो, फिर उसी को मानते हुए मर गया, वह स्वर्ग में प्रविष्ट होगा। मैंने निवेदन किया--या रसूलुल्लाह ! चाहे उसने व्याभिचार किया हो, या उसने चोरी की हो ? फरमाया–चाहे उसने व्याभिचार किया हो, चाहे चोरी की हो। इस बात को आपने तीन समय दुहराया।

अल्लामा सियूती ने कहा—इस विषय की हदीसें मतवातर (बारम्बार) से भी अधिक हैं। अजालह (भ्रम निवारण) आयत का प्रभाव काफिरों पर प्रभावित नहीं, क्योंकि प्रति नेकी

हेतु आवश्यक शर्त अल्लाह पर ईमान लाना और शुद्ध भावना है। तफसीर मजहरी पारा ३ पृष्ठ ४०२ से ४

उपर्युक्त हिन्दी अनुवाद जो प्रस्तुत है, इसका मूल 'तज़रीदे बुखारी' भाग २ हदीस क्रमांक ८०१ और कलमा कहने वाले पर नर्क के हराम होने की 'तज़रीदे बुखारी' भाग १ हदीस क्रमांक २६९, पृष्ठ १०१। कलमा कहने वालों को भी नर्क से निकाला जायेगा। 'तज़रीदे बुखारी' भाग १ हदीस क्रमांक ४८ किताबूल्ईमान पृष्ठ २६।

मूर्तिपूजक-यहूदी और ईसाई आदि समस्त नर्क में जाएँगे। 'तज़रीदे बुखारी' भाग २ (प्रकरण) तफसीरे कुरआन हदीस क्रमांश ५५१ पृष्ठ २७२।

कयामत के दिन एक मुसलमान के सन्मुख पापों को उपस्थित किया जायेगा। वह इस बात को स्वीकारेगा-हां मैंने यह पाप किये हैं। खुदा कहेगा-मैंने सन्सार में इन अपराधों पर आवरण किया और आज यह समस्त अपराध क्षमा करता हूँ। 'तज़रीदे बुखारी' भाग १ हदीस क्रमांक १०८४ पृष्ठ ३६८ मुज़ालिम का कथन।

कुरआन की सूरत'मुद्दस्सर' पारा २९ की तफसीर मज़हरी में है-फ़ मा तन्फ़ओ हुम् शफा अतुश्शाफ़ईन' की व्याख्या में है, कि यह आयत विरोधी तात्पर्य के रूप में बता रही है, कि ईमान वालों के हेतु चाहे वह फ़ासिक (बदकार) और कबीरा गुनाहों (महा अपराधों) का करने वाला क्यों न हो, उसके हेतु शफ़ाअत (अनुशंसा) लाभ प्रद होगी।

इस्हाक बिन राहूबा ने अपनी 'मस्नद' में हज़रत उम्मे हबीबा या उम्मे सलमा का कथन उद्धृत किया है--हम आयशा के गृह में थे, कि रसूलुल्लाह पधारे और फरमाया- जिस मुसलमान के छोटी आयु के ३ शिशु मर जायेंगे। उनको कयामत के दिन स्वर्ग के द्वार पर ला कर खड़ा कर दिया जायेगा। वह कहेंगे- यदि हमारे माता--पिता स्वर्ग में प्रविष्ट होंगे, तो हम होंगे..... .....तो अन्त में आज्ञा दी जायेगी कि तुम भी स्वर्ग में प्रविष्ट हो जाओ और तुम्हारे माता--पिता भी।

हजरत इब्ने मसऊद ने फरमाया-फरिश्ते-पैगम्बर-शहीद और नेक भक्त भी सिफारिश करेंगे।

प्रत्येक मौमिन हेतु शफाअत के जाईज़ (वैध) होने पर सर्वसम्मत हैं। नर्क में प्रविष्ट होने योग्य कतिपय मुसलमान शफ़ाअत (अनुशंसा) के कारण नर्क में प्रविष्ट ही न होंगे और यदि हो चुके होंगे, तो उन्हें निकाल लिया जायगा।

हज़रत अली से उद्धृण है, कि रसूल्लिल्लाह ने फरमाया मैं अपने समुदाय की अनुशंसा करूँगा और अन्त को मेरा रब्ब (ईश्वर) आवाज़ देगा-'मुहम्मद सल्लिल्हे अलैहेव व सल्लम' अर्थात् क्या अब तो प्रसन्न हो गया ? मैं निवेदन करूँगा-हां, मेरे रब्ब ! मैं सन्तुष्ट हो गया।

हज़रत अन्स का कथन है, कि रसूलुल्लाह ने फरमाया- कबीरा (महा) पापोंवाले उम्मतियों (मुसलमानों) के हेतु मेरी सिफ़ारिश है। तिर्मजी-इब्ने हवान-हाकिम और इब्ने माजा ने रवायत की है।

इसी भांति का उद्धृण इब्ने अब्बास का भी तिब्रानी ने

लिखा है और खतीब ने हज़रत इब्ने उमर और हज़रत काब बिन अजरा के उद्धृण भी इसी भांति उल्लेख किये हैं। हज़रत इस्बेहानी ने हजरत उस्मान से ठीक रवायत (मर्फ़ूत) की है, कि रसूलुल्लाह ने फरमाया–मेरी उम्मत के बदकार लोगों को मेरी शफ़ाअत से अल्लाह स्वर्ग में प्रविष्ट करेगा। विद्वान को भी अपने शिष्यों की सिफारिश हेतु कहा जाएगा। चाहे उनकी संख्या आकाश के तारों के सदृश्य हो जाए।

हज़रत अब्दुर्रहमान का कथन है, कि हज़रत साहिब ने कहा–शफ़ाअत प्रत्येक मौमिन हेतु मुबाह (वैध) है। उन लोगों के अतिरिक्त जिन्होंने मेरे सहाबा (मित्रों) को गालियां दी।

तफ़सीर मज़हरी पृष्ठ २०२ से ४

इस विषय पर यद्यपि हम पूर्व में लिख चुके हैं, किन्तु आवश्यकता अनुभव कर के यहाँ भी किञ्चित लिख दिया है। अब कुरआन की एक और आयत प्रस्तुत कर इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। आयतः–

फ़ ओलाएका यो बद्दे लुल्लाहो सय्ये आतेहिम् हसनात बा कानल्लाहो गुफ़ूरंहीमा। कुरआन पारा १९ रकू ६/४ (फुर्कान)

अर्थः–अल्लाह तआला ऐसे लोगों हेतु पापों के स्थान पर नेकियां प्रदान करेगा और अल्लाह क्षमाशील व कृपालू है।

इस आयत से सम्बन्धित इब्ने अब्बास के एक उद्धृण में है, कि मुसलमान होने पर खुदा ने पाप के बदले नेकियों की शक्ति दी।

द्वितीय है, कि पवित्रतासहित उनकी तौबा से प्रसन्न हो-

कर अल्लाह ने उनके पापों को नेकियों से परिवर्तित कर दिया। उनके पाप आज्ञाकारिता से परिवर्तित हो गए। यद्यपि वह उन कर्मपत्रों में पाप के रूप में लिखित थे, किन्तु कयामत के दिन वह समस्त नेकियां बन जायेंगे।

कयामत के दिन एक व्यक्ति को खुदा के सन्मुख लाया जायेगा और अल्लाह फरमायेगा:--इससे छोटे अपराध पूछो। वह उन अपराधों (पापों) को स्वीकारेगा, तो अन्त में कहा जायेगा--हमने तुझे प्रत्येक अपराध के प्रतिकार में नेकी दी। फिर कहेगा--ऐ खुदा ! मैंने और भी अधिक कर्म किये हैं, जिन्हें यहां नहीं पा रहा हूँ।

हज़रत सल्मान फरमाते हैं–मनुष्य को कयामत के दिन कर्मपत्र दिया जायेगा। वह पढ़ना प्रारम्भ करेगा, तो उसके ऊपर अपराध लिखे होंगे जिन्हें पढ़कर वह तनिक निराश होने लगेगा। उसी समय उसकी दृष्टि नीचे की ओर जायेगी, तो अपनी नेकियाँ लिखी हुई पायेगा, जिससे धैर्य बँधेगा। अब दोबारा ऊपर की ओर देखेगा, तो वहाँ की बुराईयों को भलाईयों से परिवर्तित पायेगा।

अबू हुरैरा कहते हैं, कि बहुत से लोग खुदा के सन्मुख आएँगे, कि जिनके पास बहुत कुछ पाप न होंगें। पूछा गया कि कौन से लोग होंगे ? आपने फरमाया–जिनकी बुराईयों को अल्लाह भलाईयों से परिवर्तन कर देगा।

आगे फिर लिखा है, कि अल्लाह लोगों की बुराईयों को परिवर्तित कर नेकियाँ कर देगा।

तफसीर इब्ने कसीर पारा १९ पृ. २३-२४

इस विषय पर तो इस प्रकार उद्धृण और कथ्य हैं, कि महिनों तक भी न लिखे जा सके। अब यह लिखने के पश्चात अनुरोध यह है, कि यहूदियों पर जो आक्षेप था, कि वह कहते हैं, कि उनके अतिरिक्त और कोई स्वर्ग में न जायेगा, और यह बात उनकी तर्कहीन व गलत है। इस विषय में हमने अत्यन्त भलि भाँति प्रमाणित कर दिया है, कि मुसलमान उनसे भी इस विषय में अग्रेसित हैं। मुसलमानों का भी यह कहना अत्यन्त अधिकार पूर्वक है, कि मात्र मुसलमान ही स्वर्ग में जाएँगे, यहूदी-ईसाई और मूर्ति पूजक आदि स्वर्ग में नहीं जाएगा। जब तक कि वह इस्लाम स्वीकार न कर लें। हज़रत ईसा के पश्चात कोई यहूदी और हज़रत मुहम्मद के पश्चात कोई यहूदी और ईसाई स्वर्ग में नहीं जा सकता, जब तक वह इस्लाम ग्रहण न कर लें। शेष रहे नेक एमाल (शुभ कर्म) ? हम पूर्व में लिख चुके है, कि परिभाषा में नेक अमल वही हैं, जिन्हे इस्लाम ने नेक कहा है, जिसे हज़रत मुहम्मद ने उचित और वैध ठहराये हैं। जिसे इस्लाम ने हराम किया है, उनको हराम समझे और जो वस्तु उसने हलाल की है, उन्हें हलाल न समझने वाला काफ़िर है। हमने आयत क्रमांक-८१ की व्याख्या में विस्तारसहित इस सम्बन्ध में लिखा हैं, उस स्थल को भी इसके साथ अवश्य पढ़ें। आगे हम कुरआन से एक आयत प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आप भलि भाँति यह ज्ञात कर लेंगे कि इस्लाम के शुभ कर्म क्या और कैसे हैं ? आयत:-

वा मंय्युशाके किर्रसूला मिम्बाबे मातबय्यना लहुल्हुदा वा यत्तबे गैरा सबीलिल्मौमेनीना नुवल्लेही मा तवल्ला वा नुस्लेही ज़ाहन्नम वा साअत ममीरा।

कुरआन पारा ५ रकू १७/१४

अर्थ:- और जो व्यक्ति रसूलों का विरोध करेगा, इसके पश्चात

कि उसको सत्य मार्ग साक्षातकार हो चुका है, और इस्लाम का मार्ग त्याग कर दूसरे मार्ग को ग्रहण कर लिया, तो उसको जो कुछ वह करता है, करने देंगे और उसे नर्क में प्रविष्ट करेंगे, और वह बुरा स्थान है जाने का।

तफसीर इब्ने कसीर भाग १ पृष्ठ ९०

इस आयत में स्पष्ट कर दिया, कि जो इस्लाम के अतिरिक्त और कोई मार्ग पर जायेगा, उसका गन्तव्य नर्क होगा। इन सम्प्रदायों ने बुरी तरह मनुष्य की स्वतन्त्रता का गला घोंटा है स्वतन्त्रतानुसार अपना मार्ग प्रशस्त करना, तो एक ओर रहा, अपनी स्वतन्त्रता का विचार करना भी कुफ्र की सीमा में प्रविष्ट होना है। मनुष्य और इतनी दासता ? इससे कौन मुक्त करे ? आगामी आयत:—

वा कालातिल्यहूदो लैसतिन्नसारा अला शयइन. वा कालातिन्नसारा लैसतिल्यहूदो अला शय इ ब्बहुम् यत्लूनल्किताबा कज़ालेका कालल्लाज़ीना ला यालमूना मिस्ला कौलेहिम् फ़ल्लाहो यहकोमो बैनहुम् यौमल्कयामते फ़ीमा कानू फ़ीहे यख़्तलेफ़ून।

कुरआन पारा १ आयत ११४

अर्थ:-और यहूदियों ने कहा—ईसाई समुदाय किसी भांति भी सत्य धर्म से नहीं है, और नसारा ने कहा—यहूद नहीं है किसी वस्तु के ऊपर धर्म से, यहाँ तक कि वह समस्त खुदा की पुस्तक पढ़ते हैं और यहूद तौरात से जानते है कि खुदा हेतु पत्नि और पुत्र प्रमाणित करने हेतु ईसाई असत्य पर हैं, और ईसाई इन्जील

में पड़ते हैं, कि हज़रत ईसा को अस्वीकार करने पर यहूद काफ़िर हैं। जैसा कि यह कहते हैं। कहा उन लोगों ने जो कुछ नहीं जानते। जैसे मजूस और अरब के मुशरिक–यहूद और ईसाईयों के कथन के सदृश्य अर्थात कुफ़्फार ने भी उनके हेतु यही कहा कि यहूद और ईसाई सत्य पर नहीं है। पस, खुदा आदेश करेगा उनके मध्य कयामत के दिन उस वस्तु में कि उसमें विरोध करते हैं। तफसीर कादरी भाग १ पृष्ठ २७

अब इस आयत का तात्पर्य तनिक मज़हरी से देख लें:—

यहूदी तौरात पढ़ते हैं और तौरात ईसा और इन्जील का समर्थन करती है, और ईसाई इन्जील पढ़ते हैं, जो मूसा और तौरात को सत्य बताती है। इस पर भी आपस में विवाद है।

तफसीर मज़हरी भाग १ पृष्ठ १९९

अब देखिये, दोनों व्याख्याकारों में कितना मतभेद है। मुआलेमुत्तन्जील ने कहा–यह आयत मदीना के यहूद और नज़रान निवासी ईसाईयों हेतु उतरी। जब हज़रत मुहम्मद के पास मदीना के यहूद और नजरान के ईसाई आये, तो उन्होंने शास्त्रार्थ किया। यहाँ तक कि उनके स्वर परस्पर घोषित हुए। यहूद ने ईसाईयों से कहा–तुम धर्म में किसी शय पर नहीं, तुमने ईसा और इन्जील से कुफ्र किया और ईसाईयों ने कहा–यहूद से कि दीन में किसी शय पर नहीं, तुमने कुफ़र किया साथ मूसा और तौरात के इस पर आयत उतरी कालतिन्नसारा।

मुआलेमुत्तन्जील पारा १ पृष्ठ ४६

हक्कानी ने लिखा–कि पुस्तक वाले (यहूद व ईसाई) तुम को भी कुफ़र में फांसना चाहते हैं। और कई प्रकार के सन्देह

डालते हैं। और मदीना के यहूद और नजरान के ईसाई कहते हैं कि स्वर्ग में जाने का हमारा ही अधिकार है।

तफसीरहक्कानी पारा १ पृष्ठ ६४

हम कहते हैं कि यहूदी कहते हैं कि ईसाई मत कुछ नहीं और ईसाई कहते हैं, यहूदी मत कुछ नहीं।

मगर हमारा कहना है कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम इन सब से बढ़ कर कहता है, कि एक इस्लाम ही सच्चा मत है। इस्लाम के अतिरिक्त सब मज़हब निरस्त हैं, केवल मुसलमान ही स्वर्ग में जाएँगे, शेष सब नर्क में जायेंगे।

कुरआन पारा १२ सूरत हूद में है:—**ओलाएका योमेनूना बेहीवा मंय्यक्फ़ुर्बेही मिनल्एहज़ाबे फ़न्नारो मोएदा**। यह ही समुदाय उस पर पक्का ईमान रखता है—.....औलाएका से मुसलमानों का समुदाय ही अभिप्रेत है, और जो मनुष्य दूसरे सम्प्रदायों में से इस (इस्लाम का इन्कार करेगा तो नर्क उसके वादे का स्थान है। एहज़ाब (समुदाय) से मुराद मुसलमानों से अतिरिक्त सब मज़हब वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है। रसूलिल्लाह ने फरमाया, कसम (शपथ) है, उस ज़ात की जिस के हाथ में मुहम्मद की जान है। इस उम्मत (दावत) में से जो कोई और यहूदी और ईसाई ऐसी अवस्था में मरेगा, कि जिस हिदायत को देकर मुझे भेजा गया है। वह उस पर ईमान न लाया होगा, तो वे अवश्य नर्कगामियों में से होगा।

तफसीर मज़हरी भाग ६ पृष्ठ ३३

इससे बढ़ कर एक तर्फा फैसला और क्या होगा। इस्लाम तो साक्षात तौर से यह कह रहा है कि-मुसलमान ही स्वर्ग में जायेंगे, शेष सब नर्कगामी है, और निरस्त है। आजमुत्तफासीर ने 'इन्न हदल्लाहे वल्हुदा'। पारा १२ सूरत हूद में है। इस बात को ज्ञात करने के बाद भी, कि आपके दीन के अतिरिक्त सब मज़हब निरस्त और अमल करने के योग्य नहीं।

अ:जमुत्तफासीर पारा १ पृष्ठ २५८

यह आयत थोड़े से अधिक शब्दों के साथ सूरत हज्ज में भी आई है। जैसे:—

इन्नल्लाजीना आमनू वल्लाजीना हादू वस्साबेईना वन्नसारा वल्मजूसा वल्लाजीना अश्रकू। इन्नल्लाहा यफ़सलो बैनहुम यौमल्कयामते। इन्नल्लाहा अला कुल्ले शय इन शहीद।

कुरआन पारा १७ सूरत हज्ज रकू २/९

इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुसलमान, यहूद, साबी, ईसाई और मजूस तथा मुश्रिक अल्लाह तआला इन सबके बीच कयामत के दिन फ़ैसला करेगा, मुसलमानों को स्वर्ग में प्रविष्ट कर देगा और काफ़िरों को नर्क में।

इब्ने कसीर पारा १७ (हज्ज) पृष्ठ ५१-५२

कयामत के दिन फैसला करने वाली और भी कई आयतें हैं। परन्तु इतने से ही आप इस परिणाम पर अवश्य पहुँचेगे कि जैसे यहूदी, ईसाई, अपने अपने लिए कहते हैं, कि हम ही स्वर्ग में जायेंगे वैसे ही मुसलमान भी यही कहते हैं-कि और सब नर्क

में जायेंगे केवल मुसलमान ही स्वर्ग के अधिकारी हैं जो दोष यहूद और नसारा (ईसाईयों) पर इल्जाम लगाया है-उससे बढ़ कर दोष इस्लाम पर आता है तो फिर ऐसा लिखने का क्या लाभ हुआ और ऐसी आयत की क्या आवश्यकता है। अतः यह आयतें भी निरर्थक हैं, और बहकाने के अतिरिक्त इनमें कोई तत्व नहीं अब आगे आयत है:--

वा मन अज़्लमो मिम्मत् मनआ मसाजेदल्लाहे अंय्युज़करा फ़ीह-इमोहू वा सआ फ़ी ख़राबेहा। ओलाएका मा कानालहुम अंय्यद् खुलुहा इल्ला ख़ाएफ़ोन्। लहुम फ़िद्दुन्निया ख़िज़्युंव्व लहुम फ़िल्आखेरते अज़ाबुन अज़ीम।

कुरआन पारा १ रकू १४/१४ भाग ११५

उस मनुष्य से अधिक अत्याचारी कौन है। जो खुदा की मस्जिदों में खुदा के ज़िकर अर्थात उसका नाम पढ़ने से रोके। और मस्जिदों के विनाश करने का प्रयत्न करे। वन लोगों के लिए उचित नहीं कि मस्जिदों में प्रविष्ट हों मगर डरते हुए।

ऐसे लोगों के लिए संसार में अपमान और कयामत के दिन कड़ा दण्ड हैं। तफ़सीर मुहम्मदी पारा १ पृष्ठ १४०

व्याख्या:--इब्ने जरीर ने अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद से वर्णित किया हैं, कि हदीबा के दिन जब मक्का के मुश्रिकों ने हज़रत मुहम्मद को मक्का में न आने दिया तो अल्लाह ने यह आयत उतारी। मुआलिम ने कहा, कि यह आयत मक्का के मुश्रिकों के विषय में उतरी और मस्जिद से मस्जिद हराम मुराद है। मक्का जब कि रोक दिया उन्होंने हज़रत मुहम्मद और उनके

साथियों को हज्ज से और नमाज से हदीबा के दिन । हदीबा के दिन का तात्पर्य समझना भी आपके लिए आवश्यक होगा ।

वा अज्जन् फ़िन्नासे बिलहज्जे यातूका रिजालंव्व अला कुल्ले जामेरिय्या तीना मिन कुल्ले फ़ज्जिन अमीक् ।

कुरआन सूरत इज्ज रकू ४/११

(हज़रत मुहम्मद को सम्बोधन है । और लोगों में हज्ज की घोषणा कर दो । इब्ने अब्बास ने फ़रमाया--कि इस आयत में मुराद किब्ला निवासी हैं । बग़वी ने लिखा कि हसन का विचार है कि अज्जिन फिन्नामे बिल्हज्जे जुदा कलाम है । हजरत इब्राहीम उसमें सम्बोधित नहीं है । अपितु उसमें हज़रत मुहम्मद साहिब सम्बोधित हैं कि इज्जतुल्विदा में लोगों को हज्ज के लिए बुलाएँ हज़रत अबू हुरैरा का बयान है कि रसूलिल्लाह ने हमको खुतबा (उपदेश) दिया कि लोगों तुम पर हज्ज अनिवार्य किया गया है । हज्ज करो इस को मुस्लिम, अहमद और निसाई और दारमी ने इब्ने अब्बास की हदीस से वर्णित किया है, कि लोग पैदल चल कर हज्ज को आयेंगे । उस व्यक्ति पर भी हज्ज अनिवार्य है–जिसको सवारी न मिल सके । सूरत आले इमरान में है-- **वा लिल्लाहे अलन्नासे हुज्जुल्बैते मनिस्तताआ अलैहे सबीला । हज्ज उन पर अनिवार्य है--जो शक्ति रखता हो । और हर मस्साक ऊँटनी पर सवार हो कर सफ़र करना (जामर जो अधिक सफर करने से दुबला हो गया हो ।)**

इब्ने जरीर ने मुजाहिद का कथन नकल किया है कि हाथी सवार नहीं होते थे । इस अल्लाह ने यह आयत उतारी, हर दूर और लम्बे मार्ग से पहुँचेंगे । ताकि अपने लाभ के लिए उपस्थित हो जाएँ ।

इस आयत के आधार पर हज़रत मुहम्मद साहिब ने अपने उपदेश में यह घोषणा कर दी, कि हज्ज अनिवार्य (फ़र्ज़) हो गया। हज्ज के लिए लोग आएं, तब इस घोषणा के अनुसार लोग आ गए, और सब चल कर मुकाम हदीबा में पहुँचे। यह सूचना मक्कावालों को भी मिल गई और यह उन पर बहुत सख्त गुजरी, तब हज़रत मुहम्मद साहिब ने हज़रत उस्मान को भेजा, कि वह मक्का वालों से तीन दिन हमारे हज्ज करने के लिए आज्ञा ले आवें। मगर मक्का के प्रबन्धक इस बात पर सहमत न हुए, कि हज़रत मुहम्मद मक्का में आएं। तब हज़रत मुहम्मद साहिब ने अपने साथियों से इस बात पर बैअत (प्रतिज्ञा) की युद्ध ठन जाए तो भागेंगे नहीं, मक्का वाले हज़रत मुहम्मद साहिब को हज़ की आज्ञा नहीं देते थे। एक और आयत कही गई:–

हुमल्ला ज़ीन कफ़रू वा सद्दुकुम् अनिल्नस्जे दल्हरामे वल्हदया माकूफ़न। कुरआन पारा २६ रकू ३/११

यह वही लोग हैं, जो काफ़िर हुए और बन्द किया तुमको मस्जिद हराम से और कुरबानी (बलिदान) से, फिर सुलेह ने आकर सुलह करा दी। इस बात पर कि आप (अर्थात हजरत मुहम्मद) जिधर से आए हैं, वापस उसी ओर को लौट जाओ और बलिदान के पशु जहाँ रोके गये हैं, उसी स्थान पर उनका बलिदान कर लिया जाए। आपको यह अधिकार नहीं कि आप बलिदान भवन तक जा सकें। और यह सुलह दो वर्ष के लिये है। और यह भी निश्चय हुआ कि यदि कोई हमारा आदमी तुम्हारे पास आवे तो आप वापिस देवेंगे, और आपका कोई आदमी आयेगा, तो हम वापिस नहीं देंगे। हज़रत मुहम्मद ने कहा कि यदि मैं यह शर्तें स्वीकार लूँ तो मुझे क्या लाभ होगा।

सुहेल ने कहा कि आगामी वर्ष हम आपके लिए मक्का को तीन दन के लिए खाली कर देंगे। फिर प्रतिज्ञा-पत्र (सन्धिनामा) लिखा गया। जब हज़रत मुहम्मद ने बिस्मिल्लाह लिखाया तो सुहेल ने उसे काट दिया, और कहा कि हम तो **बे इस्मे कल्लेहुमा** लिखेंगे। यहाँ तक कि हजरत मुहम्मद साहिब को भी रसूल ने लिखने दिया गया, और मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखा, यह एक तर्फ़ा शर्तें स्वीकार हो गई।

मुगाज़ी युस्सादे का उर्दू अनुवाद पृष्ठ ३०४ से ३०८

इस आयत में वर्णन चल रहा था, कि जो लोग अल्लाह की मसजिदों से रोकते हैं, जैसा कि हज़रत मुहम्मद को मक्का जाने से रोक दिया। यह तो उन लोगों का दुनिया में अपमान हैं और कयामत के अज़ाब, (कड़ा संकट) हैं।

इस पर एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि हठी मनुष्य को अपनी आँख का शहतीर नज़र नहीं आता। और दूसरों की आँख का तिनका शहतीर दिखाई देता है, यही हाल इस्लाम का है। जाने—हज़रत मुहम्मद से पहिले मक्का के कुरेश का ही मक्का पर अधिकार था। और सब लोग प्रति वर्ष उसमें हज्ज करने आते थे। कुरआन की इस आयत का यह मतलब है कि जो अल्लाह की मस्जिदों से बन्द करते हैं, वह कड़े संकट में पड़ेंगे, अर्थात नर्क में। अब देखिये जिनको काफ़िर कहा जाता है, उन्होंने तो एक ही वर्ष के लिए हज़रत मुहम्मद को मक्का जाने से रोका था, परन्तु जब हज़रत मुहम्मद का अधिकार मक्का पर हो गया, तो हजरत मुहम्मद ने सदा के लिए ही उन लोगों को वहाँ जाने से रोक दिया। आयत यह है:—

या अय्यो हल्लाज़ीना आमनू इन्नमल्मुश्रे कूनानजसुन फ़ला

यक्खूल्मसजेदल्हरामा बादा आयेहिम् हाज़ा ।

कुरआन पारा १० (तौबा) रकू ४/१०

अर्थ-ऐ ईमान वालों ! मुश्रिक लोग (अपवित्र विचारों के कारण) नापाक (अपवित्र) हैं, सो यह लोग इस वर्ष में पश्चात् मस्जिद हराम में न आने पाएँ ।

तफसीर इब्ने कसीर पारा १० पृष्ठ ४५

यह तो आयत के अर्थ हैं, अब इसकी व्याख्या ध्यान से पढ़ें । ऐ ईमानवालों ! मुश्रिक तो नापाक (अपवित्र) ही हैं ।..... .....नजासत से मुराद है.....मैं कहता हूं, नजस वह वस्तु है जिसे सभ्य इन्सान गंदगी कहते हैं । या समझते है । जैसे पेशाब, खून, पाखाना यही वास्तविक नजासत है.....चूंकि काफ़िर का बातन (भीतर) नापाक है । इस कारण शरा की दृष्टि से वह अपवित्र है । उससे बचना अनिवार्य है । इसलिए कुफ्फ़ार से गहरा हार्दिक प्रेम ठीक नहीं । जुहाक और अबू उबैदा ने नजस का अर्थ कज़र अर्थात निजासत ग़लीज़ा(पाखाना) कहा है । और बग़वी ने लिखा है–कि यहां बदन (शरीर) की निजामत मुराद नहीं अपितु निजामत हुकमी बताया (हुकमी निजासत वह है जो शरीअत के निकट अपवित्र हो) सेवा की दृष्टि से भी काफ़िरों को नजस (अपवित्र) बताया है । एक रवायत में हज़रत इब्ने अब्बास का कथन आया है, कि कुत्तों के सदृश्य काफ़िरों की अपवित्रता शारीरिक हैं । उनके शरीर नजस है । अतः यह मस्जिद हराम के निकट भी न आएँ । असनाफ का कथन है, कि मस्जिद हराम के निकट आने से तात्पर्य यह है, कि हज और उमरा न करे । वैसे मस्जिद हराम में प्रवेश निषेध नहीं । क्योंकि रसूलिल्लाह ने हज़रत अली को हज के समय घोषणा

करने भेजा था, कि इस वर्ष के पश्चात कोई मुश्रिक हज्ज करने न जायें। हज्ज आदि की बलपूर्वक सख्ती के साथ रोक लगा दी गई। इमाम शाफ़ई के निकट हरम में (मक्का की मस्जिद में) प्रविष्ट होने की रोक ही अभिप्रेत है। क्योंकि हरम में प्रविष्ट होने के बाद मस्जिद हराम के पास पहुँचना आवश्यक है।

बग़वी ने लिखा है-कि हरम के भीतर किसी काफ़िर का प्रवेश वैध नहीं है.....इस आयत का स्पष्ट तात्पर्य यह है कि यदि इमाम (अमीरुल्मोमेनीन) हरम के अन्दर हो। और काफ़िरों की ओर से (दारुल्कुफ़र से कोई गैर मुस्लिम) कासद आवे, तो हरम के अन्दर प्रवेश की उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। अमीरुल्युसलेमीन अपने किसी व्यक्ति के द्वारा उसका सन्देसा ज्ञात कर लें (हरम कहते हैं, मस्जिद हराम के आस-पास चारों और जो क्षेत्र है।)

हजाज़ के अन्दर व्यापार आदि के लिए तो काफ़िरों का प्रवेश हो सकता है-वह भी तीन रोज। हज़रत उमत की रवायत है, कि रसूलिल्लाह ने फरमाया था, कि यदि मैं जीवित रहा, तो इन शा अल्लाह जजीरा अरब से यहूदियों और ईसाईयों को निकाल दूँगा। किसी को मुसलमान के सिवाय यहाँ न छोड़ूंगा। इस बात की पूर्ति से पहिले हजरत साहिब की मृत्यु हो गई। किन्तु आपने इस बात की वसीयत फरमा दी, किन्तु हज़रत अबू बकर को भी इस बात के करने का अवसर प्राप्त न हो सका। अन्ततः हज़रत उमर ने समस्त गैर मुस्लिमों को ज़रीरा अरब से निष्कासित कर दिया। ज़रीरा अरब की सीमा इस भांति हैं। तूल में अदन का अन्तिम तट से अराक के हरे--भरे क्षेत्र तक और चौड़ाई में जद्दा और समुद्र के तट से शाम तक। काफिरों को हज्ज और मस्जिद मक्का का प्रतिबन्ध हिज़री ९

में हुआ । इस वर्ष के पश्चात सूरत तौबा का अवतरण हुआ । हज़रत अबू बकर ने समस्त को हज्ज़ कराया और हज़रत अली ने काफ़िरों पर हज्ज़ के प्रतिबन्ध की घोषणा की । यह घटना भी हिजरी ९ की है । तफसीर मज़हरी पारा १० पृ. २३२ से ३४

अब आपने भलिभांति देख लिया, कि मस्जिद से रोकने का दोष जो काफिरों पर लगाया गया था, वह मात्र एक वर्ष हेतु था, किन्तु इस्लाम पर यह कितना जघन्य आरोप है कि उसने मक्का के मूल अधिकारियों को अपनी धार्मिक रीति को पूर्ण करने या पालन करने से सदैव के हेतु प्रतिबन्ध कर दिया । मक्का से क्या अपितु सम्पूर्ण देश से ही यहूद और ईसाईयों को अपने पैत्रक देश से निष्कासित कर दिया ।
तनिक इस हदीस को भी पढ़ लें:–

ब अस्नी अबू बकर रज़ीयल्लाहो फी तिलकल्हज्जते फी मुवज्जनीना । तो अज्जनो बेमिना यौमन्नहरे अल्ला यो हज्जा बहिल्आमे मुश्रेकन् वा ला युतव्वफा बिल्बैते उरयानुन । इत्यादि

(२४१) तज़रीदे बुखारी (नमाज़) भाग १ पृ. ९१

अर्थात:–कहा, मुझको अबू बकर ने, हज्ज़ के भीतर बांग देने वालों में भेजा, जो यह घोषणा करते थे, कि इस वर्ष के पश्चात कोई मुश्रिक हज्ज न करे और न कोई नग्न होकर काबा की परिक्रमा करे । फिर रसूलिल्लाह ने हज़रत अली को पीछे सवार किया और आदेश दिया--सूरत बराअत (तौबा) की घोषणा करें ।

अबू हुरैरा ने कहा--हज़रत अली ने हमारे साथ मदीना में १० वीं जुल्हज्ज को घोषणा की, कि इस वर्ष के पश्चात कोई

मुश्रिक हज्ज न करे और न कोई नग्न हो कर काबा की परिक्रमा करे ।

इस हदीस से यह ज्ञात होता है, कि यह काबा का मन्दिर भी शैव या शाक्त लोगों का था, जो नग्न हो कर काबा की परिक्रमा करते थे और वहां का बलिदान तो विख्यात है, कि अधिकतर ऊँटों को अग्नि में बलि चढ़ाते थे । आगामी आयत:--

वा लिल्लाहिल्मश्रेको वल्मग़रेबो फ़ऐनमा तेवल्लू फ़सम्मा वज्हुल्लाहा इन्नल्लाहा वासेउन् अलीम् ।

कुरआन पारा १ आयत ११६

अर्थ:--और पूर्व व पश्चिम का मालिक अल्लाह ही है । तुम जिधर भी मुँह करो, उधर ही अल्लाह का मुख है । अल्लाह तआला विस्तारवाला और समाई (गुन्जायश) वाला है, और महान विद्यावाला है ।

तफसीर इब्ने कसीर पारा १ पृष्ठ १४१

व्याख्या:–और अल्लाह के ही है पूर्व और पश्चिम अर्थात सम्पूर्ण भूमि उसी की सम्पत्ति और उत्पन्न की हुई है, और सम्पूर्ण सृष्टि उसकी सत्ता की साक्षातकर्ता और प्रकाश की आलोकमय है । इसलिए वह किसी स्थान से विशेष से नहीं । इस कारण ऐ मुसलमानों ! यदि तुम अनिवार्य कर्तव्यों के कारण से या किब्ला के अज्ञान के कारण किब्ला की ओर मुँह करने में असमर्थ हो या किब्ला सम्बन्धी भूल हुई अथवा नवाफ़ल (नमाज़ का एक ढंग) में सवारी से उतरने में तुम अपनी हानि समझो, तो जिधर तुम अपना मुख कर लोगे, उधर ही खुदा का सामना है अर्थात वही किब्ला की सीमा है ।

हाकिम ने वर्णन किया है, मुजाहिद ने फरमाया–आयत का अभिप्राय यह है कि जिस ओर तुम्हारी सवारी का मुंह हो, उधर ही नफल हो..... इब्ने जरैर और इब्ने अबी हातम ने इब्ने अब्बास से वर्णित किया है, कि जिस समय किब्ला परिवर्तित हुआ और आयत–**'मा वल्लाहुम्मिन किब्लतोहिम'** उतरी, अर्थात किस वस्तु ने फेर दिया उनको उनके किब्ला से जिस पर यह थे ? इसके उत्तर में आयत–**'वा लिल्लाहिल्मश्रेकौ वल्मग्रेबी'** उतरी।

आज़मुत्तफासीर ने लिखा–कि इन सब के साथ हज़रत इब्ने अब्बास का कथन है, कि रसूलिल्लाह हिज़रत से पूर्व मक्का में काबा के सन्मुख बैतुल्मुकद्दस की ओर मुंह करके नमाज़ पढ़ा करते थे। जब मदीना में हिज़रत करके आए, तो १६ या १७ माह तक उसी ओर नमाज़ पढ़ते रहे। उसके पश्चात खुदा ने उस आज्ञा को निरस्त कर आदेश फरमाया–अब काबा की ओर मुख कर नमाज़ पढ़ा करो।

आज़मुत्तफासीर भाग १ पृष्ठ २५२

हम कहेंगे, कि हज़रत मुहम्मद ने मक्का–विजय के दिन समस्त मूर्तियों को तो तोड़ दिया किन्तु मक्का के मन्दिर को एक बड़ा बुतखाना बना दिया ? किसी भवन में मूर्ति हो या किसी भवन की दीवार में हो ? या भवन में पूर्वजों की यादगारें हों ? यह समस्त बुतखाने का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। भवन में मूर्ति नहीं तो काबा की दीवार में बुत्त सही, इसमें और उसमें क्या अन्तर है ? अभी ५ आयतों के आगे इस मक्का के मन्दिर का वर्णन आएगा। जिससे आपको ज्ञात हो जायेगा कि वहाँ पर क्या–क्या वस्तुएं हैं और क्या-क्या स्मृति चिन्ह हैं ? और क्या-क्या कर्तव्य और रीतिएं वहां सम्पन्न करना पड़ते हैं ? इन

रस्मों में मक्का के मन्दिर में नग्न हो कर परिक्रमा तथा अन्य काय भी करते थे। काबा के निर्माण में हज़रत मुहम्मद साहिब भी सम्मिलित हुए थे और आपको वहां कार्य करते समय नग्न होना पड़ा था। हज़रत मुहम्मद ने अन्तिम हज्ज में नग्न होने की परम्परा को तो समाप्त कर दिया। शेष जो पुरातन रस्में चली आती थी, वह किसी न किसी रूप में शेष रही और आज तक भी प्रचलित हैं। यद्यपि आम इतिहासकारों की दृष्टि में यह मक्का शनि--मन्दिर है किन्तु कतिपय लोग इसको चन्द्र-मन्दिर भी कहते हैं और नग्न होकर इसमें प्रवेश करने की प्रथा से यह सन्देह भी होता है कि किसी अन्तिम समय में आकर इस पर तान्त्रिकों का भी आधिपत्य रहा होगा ? अस्तु कुछ भी हो, हम आयत क्रमांक १२६-२७ में इस विषय की चर्चा करेंगे।

उपरोक्त व्याख्या में आपने पढ़ा कि आयत निरस्त हो गई, यह क्यों और कैसे हुई ? इस पर ही यहां किञ्चित लिखना है, जिसका प्रसंग इस प्रकार है :--

'वा लकुल्लिब्बिवज्हतुन हुवा मोवल्लीहा फ़स्तबे कुल्खैरात् ।

कुरआन पारा २ रकू १८/२

अर्थात्—और प्रत्येक हेतु सीमा है, जिस ओर कि मुँह करता है। अर्थात प्रत्येक उम्मत और प्रत्येक समूह का एक किब्ला है। .....और इसी भाँति प्रत्येक नबी का किब्ला पृथक निश्चित फरमाया अर्थात किब्ला का विषय भक्ति-सम्बन्धित है, कि जिसमें सम्मति का दखल नहीं है और न किसी गृह की विशेषता पर निर्भर है। इस कारण इसमें विवाद उचित नहीं, सो तुम नेकियों की ओर दौड़ो अर्थात खुदा के आदेश की ओर बढ़ो। जिस समय अल्लाह बैतुल मुकद्दस के स्वागत का आदेश

दे, तो उसकी ओर दृष्टि करो और जिस समय काबा की ओर ध्यान करने का आदेश दे, तो उसकी ओर नत हो जाओ। क्यों कि अल्लाह तआला जो चाहे सो आदेश दे, उसमें तुमको किसी भी प्रकार विवाद करना उचित नहीं। 'ऐना मा तकूनो' अर्थात तुम जहाँ कहीं भी होंगे 'यातेबेकोमुल्लाहो जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्ले शयइन कदीर' अर्थात तुमको दिलायेगा इकट्ठा, निसन्देह अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर कादीर (सामर्थ्यवान) है। 'वा मिन् हैसो खरज्तो' और जिस स्थान से आप निकले 'फ़वल्ले वज्हका शतरल्मस्जिदिल हराम' तो कर लीजिए अपना मुँह 'मस्जिदल्ह-रामा' मस्जिद हराम (मक्का की ओर। नगर में और यात्रा में आज्ञा समान है। 'वा इन्नहू लिल् हक्के मिर्रब्बेका वा मल्लाहो बे गाफ़ेलिन अम्या तामलून' और वही सत्य है आपके पालन-कर्ता की ओर से और अल्लाह उन कार्यो से अनभिज्ञ नहीं है, जो तुम करते हो 'वा मिन् हैसो खरज्ता फ़वल्ले वज्हका शतरल्म-स्जिदल्हराम्। वा हैसो मा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम् शतरा' और ऐ मुहम्मद ! जहां कहीं से भी आप निकलो तो अपना मुख म-स्जिद हराम (मक्का) की ओर कर लो 'लिअल्लायकूतो लिन्नासे अलैकुम हुज्जतुव' ताकि लोगों का तुझ पर कोई आक्षेप न रहे।

तफसीर मजहरी पारा २ पृष्ठ २५१ से ५३

इस आयत में बताया कि प्रत्येक हेतु एक सीमा (दिशा) होती है, तो तुम जब भी निकलो अपना मुँह मक्का की ओर कर लीजिए। इसमें तो अत्यन्त दार्शनिक बात कही गई, कि जहां तुम निकलो अपना मुंह मक्का की ओर करलो। जहां से भी कोई निकले अपना मुंह मक्का की ओर कर ले। मुंह तो नमाज पढ़ते समय मक्का की ओर होगा, न कि प्रत्येक स्थान से निकलते समय मुंह मक्का की ओर होगा ? जिसको दक्षिण की ओर जाना

है, वह मक्का की ओर मुंह निकलते समय कैसे कर लेगा ? फिर कहा:—

सयकूलुस्सुफहाओ मिनन्नासे मा वल्लाहुम अन् किब्लते हिमुल्लाती कानु अलैहा । कुरआन पारा २ रकू १७/१

अर्थात:-निकट भविष्य में कहेंगे मूर्ख लोग, कि उनको किस बात ने विमुख कर दिया । उनके इस किब्ला से जिस पर कि यह थे ।

यहूद और मुश्रेकीन ने बैतुल्मुकद्दस से मक्का की ओर किब्ला के फिरने पर आक्षेप और निन्दा की । उस समय यह आयत उतरी ।

यहूदियों आदि का आक्षेप करना तो स्वाभाविक ही था, कि इतनी लम्बी अवधि तक बैतुलमुकद्दस की ओर मुंह कर के नमाज़ पढ़ना और एकाएक परिवर्तन कर देना । इसका क्या कारण है ? दूसरी बात और थी, जो मक्का के मुश्रेकीन् ने कही–मुहम्मद को अपने धर्म में अब कुछ परेशानी होने लगी और यह अब समझ गए हैं, कि हम लोग सन्मार्ग पर हैं । इसी लिए अपने किब्ले को त्याग कर हमारे किब्ले को स्वीकार कर लिया । अब तनिक समय तक शनैः शनैः हमारे धर्म में भी सम्मिलित हो जाएगे । इन लोगों को प्रथम ही मूर्ख नाम से सम्बोधित किया और फिर यह उत्तर दिया—' **कुल् लिल्लाहिल्मश्रेको वल्मग्रेबो । यहूदी मंय्यशाओ इला सिरा तिम्मुस्तकीम्** ' कह दीजिए कि पूर्व और पश्चिम समस्त खुदा हेतु है । जिसे चाहता सीधे मार्ग पर चलाता है । यह उत्तर कैसा अनुचित है ? इस पर तनिक विचार कीजिये, कि प्रथम पूर्व की ओर मुंह कर के

नमाज़ पढ़ते थे। इस पर यह कहा गया कि पूर्व और पश्चिम समस्त अल्लाह के हैं। यह तो कह दिया किन्तु फिर भी मुँह पश्चिम की ओर करने की आज्ञा दी। पूर्व और पश्चिम दोनों खुदा के हेतु कैसे हो सकते हैं ? प्रथम भी मुंह एक ओर किया जाता था। अब दूसरे आदेश में भी एक ही ओर रहा। प्रथम पूर्व था, अब पश्चिम की ओर करने का आदेश दे दिया। यह बात, तो तब सिद्ध हो सकती थी, कि यदि यह कहते कि समस्त पूर्व पश्चिम और उत्तर--दक्षिण खुदा के हेतु हैं, तुम जिधर भी मुँह कर के नमाज़ पढ़ो, अल्लाह का मुँह उसी ओर है।

अब देखिए कि किस भांति लोगों की आँखों में धूल झोंकी जा रही है, कि समस्त ओर अल्लाह का मुंह है किन्तु यहाँ मुंह तो एक ही ओर करने की आज्ञा दी जाती है। आयत में यह कह कर लोगों पर प्रभाव जमाया है, जो बात समस्त को रूचिकर प्रतीत हो कि खुदा प्रत्येक ओर है, किन्तु किया जाता है उसके प्रतिकूल कि पश्चिम की ओर मुंह करो। यदि खुदा के कारण से किब्ला निश्चित करना था, तो फिर खुदा तो पूर्व की ओर भी था, उसको १७ माह पश्चात क्यों परिवर्तित किया ? कोई नया किब्ला तो स्थापित नहीं हो रहा था ? प्रथम उतने महिनों से उधर मुंह करके नमाज़ पढ़ी जा रही थी, फिर उसके परिवर्तन में खुदा कैसे कारण हो सकता है ? क्योंकि आयतानुसार खुदा तो उधर भी था। यदि उधर न होता, तो परिवर्तन उचित था। जब उधर है, तो फिर परिवर्तन क्यों किया ? इसका स्पष्ट आशय है कि किब्ला परिवर्तन में खुदा कोई कारण नहीं, कारण और हैं ? और जब किसी उम्मत हेतु एक किब्ला बनाना था, तो प्रथम ही खुदा को यह क्यों न दर्शा कि यह किब्ला उचित नहीं ? १७ मास नींद में क्यों व्यतीत किये ?

इस अन्तिम आयत में दूसरी बात यह है, कि खुदा जिसको चाहता है सीधा मार्ग दिखाता है। अब इस वाक्य को आयत के प्रथम वाक्य से संलग्न कीजिये, तो तात्पर्य यह होगा कि प्रथम मार्ग बैतुलमकद्दस की ओर मुंह कर के नमाज़ पढ़ना था, वह सीधा मार्ग नहीं था। अन्यथा इस वाक्य की यहां क्या उपयोगिता होगी ? क्या सम्बन्ध होगा, जब पूर्व और पश्चिम खुदा के हेतु समान है, तो फिर पूर्व से परिवर्तित कर किब्ला पश्चिम की ओर परिवर्तित करना स्पष्टतः इस बात को सिद्ध करता है, कि दोनों ओर एक जैसी नहीं। यदि एक समान होती तो फिर किब्ला परिवर्तन करने का कोई कारण दृष्टिगोचर नहीं होता ? किन्तु यह पूर्व और पश्चिम की बात सर्वथा भ्रांतिजनक है। तरफ़ों का कोई विवाद न था, विवाद तो था बैतुलमुकद्दस और मक्का का। यहां आयतकार ने मूल बात न कह कर वास्तविक बात को उलझन में डालने हेतु मक्का और बैतुलमुकद्दस न कह कर पूर्व और पश्चिम कह कर भ्रान्ति उत्पन्न कर दी।

अब इन दोनों मार्गों में किस ओर मुंह कर नमाज़ पढ़ना ? इनमें सीधा मार्ग कौन सा था ? यदि बैतुलमुकद्दस की ओर मुंह कर नमाज़ पढ़ना भी सीधा मार्ग समझा जाता, तो उसे परिवर्तित न किया जाता ? अतः यदि ऐसा है, जैसा कि आयत से ज्ञात होता है, तो फिर इस असत्य मार्ग पर इन लोगों को इतनी दीर्घावधि तक क्यों रखा गया ? किन्तु कुरआन के पारा दो की आयत में स्पष्ट संकेत है, '**फ़वल्ले वज्हका शत्रल्मस्जिदल्हराम् वा इन्नहू लिल्हक्के मिर्रब्बोका**' तो कर लीजिये अपना मुंह मक्का की ओर, और वही सत्य है तेरे पालनकर्ता की ओर से। इससे स्पष्ट है कि जिस ओर प्रथम मुंह कर नमाज़ पढ़ते थे, वह सत्य प्रथा नहीं थी। न जाने इस मिथ्या पद्धति पर हज़रत साहिब को क्यों जमाए रखा ? फिर कहा—भक्ति में अल्लाह की आज्ञा

पर विश्वास करना चाहिए किसी गृह की विशेषता का विचार इसमें विश्वस्त नहीं। हां, यह खुदा के नाम का जादू तो अत्यन्त अच्छा शस्त्र है। जो बात मनाना आवश्यक समझा, खुदा का नाम लेकर उसे मना कर अपना उल्लू सीधा कर लिया। अब जब किसी भवन की विशेषता का विचार तो समाप्त हो ही गया जब बैतूल्मकद्दस के स्थान पर मक्का को चयन कर लिया, तो भवन सम्बन्धी विशेषता तो हो ही गई अन्यथा इसको परिवर्तन न किया जाता **'वा कज़ालेका'** और इसी प्रकार हमने तुमको उम्मत सन्तुलन भाव रखने वाली बनाया है अर्थात हमने तुमको अन्यों से उत्तम, न्यायशील, विद्वान, कर्तव्यनिष्ठ तथा हार्दिक विवेक से आभूषित बनाया है।

इस्लाम के न्यायिक उदाहरण तो हम पाठकों के सन्मुख पूर्व में ही प्रस्तुत कर चुके हैं, जिससे इस्लामी न्याय का दिग्दर्शन आपको भलिभांति हो गया होगा। इस्लाम को **'मोतदिल उम्मत'** कहा है। यह शब्द वस्त अर्थात ऐसे मध्य के स्थान को कहते हैं, जिसकी दूरी प्रत्येक ओर से समानान्तर हो (बैन बैन मध्य का स्थान)

हज़रत अबू सईद खुदरी ने वर्णित किया है– एक दिन संसार के सरदार अर्थात हज़रत मुहम्मद सल्लअम असर की नमाज़ के पश्चात खड़े हुए और जो कतिपय घटनाएं कयामत तक घटित होने वाली थी। आपने एक-एक का वर्णन किया। यहां तक कि जब धूप वृक्षों की चोटियों और दीवारों की मुंडेरों पर चली गई, तो आपने फरमाया--सन्सार की आयु अब इतनी ही शेष है, जितना कि अब दिन शेष है, और इसी भांति व्यतीत हो चुकी है जितना कि दिन व्यतीत हो चुका है।

(असर की नमाज़ के पश्चात, आप विचार करें कि जब धूप वृक्षों की चोटियो और दिवारो की मुँडेरों तक पहूंच जाए, तो उस समय आधे घन्टे से अधिक दिन नही रहता है ? आधा घन्टा दिवस का २४ वाँ भाग होता है और हज़रत मुहम्मद तक आदम के होने को ५० हजार वर्ष भी मान लिए जायें, तो हज़रत मुहम्मद के मरणोपरान्त २५० वर्षों तक कयामत (प्रलय) आ जानी चाहिए थी किन्तु १४ सौ वर्षों का समय व्यतीत होने का आ चुका अभी तक कयामत (प्रलय) नहीं आई ? हदीस भी उपस्थित है और सन्सार भी विद्यमान है तथा हदीस को मानने वाले भी उपस्थित हैं ।

'लिताकूनू शुहदाआ अलन्नासे' ताकि बनो तुम साक्षी लोगों पर अर्थात कयामत के दिन मुहम्मद की उम्मत खुदा के सन्मुख साक्षी देगी, कि पैगम्बरों ने अपनी उम्मत को आदेश पहुँचा दिये । यही अर्थ साक्षी होने के हैं । 'लितकूनू' मुहम्मद साहिब के उम्मत के न्यायाधीश बनाने का कारण है, और साक्षी हेतु न्यायालय होना अनुबन्ध है । 'वा यकूनरंसूलों अलैकुम् शहीद' और हो जाए रसूल तुम पर साक्षी (रसूल का तात्पर्य हज़रत मुहम्मद हैं)

तफसीर मज़हारी पारा १ पृष्ठ २३७ से ४०

आगे क़िब्ला परिवर्तन के सम्बन्ध में बताया है:—

वा मा जअल्नल्किब्लतल्लती कुन्ता अलैहा ।

कुरआन पारा २ रकू १७/१

अर्थात:–और नही बनाया था, हमने वह किब्ला जिस पर आप पूर्व में थे.....और हमने उस किब्ला का परिवर्तन नहीं किया जिस पर आप पूर्व में थे । किन्तु इसलिए और किब्ला से अभिप्राय उस समय बैतुल्मुकद्दस होगा ।

इस स्थिति में आयत का अभिप्राय यह होगा, कि मूल तो यही था, कि किब्ला बैतुल्लाह (मक्का) हो, किन्तु जो हमने प्रथम बैतुल्मुकद्दस को किब्ला बना दिया तो उसका यह है, कि नहीं बनाया हमने किब्ला उस समय उस ओर को जिस पर आप हिजरत के पूर्व थे, अर्थात काबा को किन्तु इस हेतु, और यह व्याख्या इस पर निर्भर है, कि यह प्रमाणित हो जाए कि हजरत मुहम्मद साहिब ने हिजरत से पूर्व काबा की ओर नमाज़ पढ़ी है और इस व्याख्या के अनुसार यह भी सिद्ध होता है, कि किब्ला का निरस्त दोबार हुआ (यह नस्ख् क्यों हुआ ?) **'इल्ला लिना-लमा मंय्यत्बे उर्रसूला'** किन्तु इस हेतु कि हम ज्ञात कर लें, उन लोगों को जो रसूल के आज्ञापालनकर्ता हैं, अर्थात किब्ला-परिवर्तन इस उद्देश्य से हुआ, ताकि हम उस व्यक्ति को जान लें, जो नमाज़ में रसूलिल्लाह का अनुकरण करता है, कि जिस ओर आप खुदा के आदेश से आकर्षित होते उसी ओर वह भी आकर्षित हो जाते और ऐसा व्यक्ति **'मिम्मनंय्यन्कलेबो अला अकेबैहे'** जो उन लोगों से पृथक होकर उल्टे पाँव फिर जाएँ। इससे तात्पर्य वह लोग हैं जो किब्ला-परिवर्तन के पश्चात मुर्तद्द (इस्लाम को त्याग गए) हो गए थे।

हदीस में है कि जब किब्ला का परिवर्तन हुआ, तो मुसलमानों में से एक जाति यहूदी बन गई और (उन्होंने) यह कहा मुहम्मद पुनः अपने पूर्वजों के धर्म पर चले गए।

तात्पर्य यह हैं, ताकि हम उस मनुष्य को, जो रसूल का अनुकरण करता है उसे पृथक जान लें।

तफसीर मज़हरी पारा २ पृष्ठ २३७ से ४२

अभी काबा का प्रसग ही चल रहा है:-

'कद नरा तुकल्लोबा वज्हेका फिस्समाए'

कुरआन पारा रकू १७/१

अर्थात-हम देख रहे हैं आपके मुँह का आसमान की ओर फिर जाना। रसूलिल्लाह का हृदय इस बात को चाहता था, कि काबा की ओर मुँह करके नमाज़ पढने की आज्ञा हो जाए, क्योंकि वह किब्ला इब्राहामी था। यह मुश्रेकीन के ईमान की ओर यहूद को विरोध की ओर अधिक आकृष्ट करनेवाला था। यह क़िब्ला के परिवर्तन का प्रारम्भिक भाग है। पढने में इसको पश्चात कर दिया गया है। हिज़रत के पश्चात शरीअत की आज्ञाओं में से जो प्रथम निरस्त हुआ, वह यही किब्ला था।

अल्लामा बग़वी फरमाते हैं, कि मक्का में हज़रत मुहम्मद काबा की ओर मुँह करते थे और जब हिज़रत कर मदीना पधारे, तो बैतुल्मुकद्दस की ओर मुँह करने लगे। इसी भांति इब्ने जरैर ने कहा-मदीना में आने पर अल्लाह ने आपको फरमाया बैतुल्मुकद्दस की ओर मुँह करें, तब 'फ़लनुवल्लेमन्नका किब्लतन् तर्जाहा' और निसन्देह फेर देगे हम आपको उस किब्ला की ओर जिसे आप चाहते हैं। 'फ़वल्ले वज्हका शत्रलमस्जिदेल्हराम' तो अब फेर लें अपना मुँह बैतुल्मुकद्दस से नमाज़ के समय मस्जिद हराम की ओर।

तफसीर मज़हरी पारा २ पृष्ठ २४५ से ४७

यह है सम्पूर्ण गाथा किब्ला-परिवर्तन की। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है, कि यह कुरआन किसी अन्तर्यामी ब्रह्म का लिखा नहीं है। यह ऐसे व्यक्ति का लिखा हुआ है, जो समयानुसार

दृष्टिकोण को लक्ष्य में रखते हुए तत्काल अपनी सम्मति में परिवर्तन कर लेता है। व्याख्याकारो ने यह नहीं लिखा, कि प्रथम मक्का से बैतुल्मुकद्दस की ओर मुँह घुमाने का क्या कारण हुआ और पुनः, दुबारा १७ माह के पश्चात मक्का की ओर मुँह कर के नमाज़ पढ़ने का क्या कारण हुआ ? तनिक इस बात का संकेत व्याख्या में मिलता है। यथाः—

हज़रत इब्ने अब्बास का कथन है, कि कुरआन में प्रथम नस्ख़ (निरस्तकर्ता) किब्ला का आदेश है। हज़रत मुहम्मद साहिब ने मदीना की ओर हिज़रत की जहां के अत्याधिक निवासी यहूदी थे। अल्लाह ने आपको बैतुल्मुकद्दस की ओर मुँहकर के नमाज पढ़ने का आदेश दिया। इससे यहूदी अत्यन्त प्रसन्न हुए। (यह है असली रहस्य, जिससे मक्का की ओर मुंह करना त्याग कर बैतुल्मुकद्दस की ओर मुंह कर लिया, ताकि यहूदी प्रसन्न हो जाएँ।) यहूदी प्रसन्न तो हो गए किन्तु वह इस फन्दे में फ़ंस कर मुसलमान न हुए। जब हजरत साहिब ने किञ्चित कार्यान्वयन न देखा, तो पुनः नमाज़ में किब्ला परिवर्तित कर मक्का कर लिया। किब्ला का प्रथम कारण तो हमने यह लिखा, कि यहूदियों को प्रसन्न करना था।

द्वितीय कारण यह बताया, कि खुदा जान ले कि कौन मनुष्य रसूलिल्लाह की आज्ञा का पालन करता है। क्या यह कारण खुदा हेतु उचित है ? कि कहा जाए कि खुदा ने इस बात के ज्ञातव्य हेतु किब्ला परिवर्तित किया, कि उसको ज्ञात हो जाए कि कौन रसूलिल्लाह की आज्ञा का पालन करता है ? कभी खुदा अपने स्वयं हेतु ऐसी बात कह सकता है ? अतः इसीलिए दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है, कि यह पुस्तक कुरआन खुदाई वाणी नहीं है और यह आयतें भी खुदा की ओर से नहीं

है। यह उपरोक्त आयतों से ही स्पष्ट है, किन्तु इस आयत ने तो शेष रही कमी को भी और पूर्ण कर दिया है। आयत:-

वा लएनित्तबाता अहवा अहुम्मिम्बादे मा जाअका मिनल्इल्मे इन्नका एज़ल्लमेनज़्ज़ालेमीन्। कुरआन पारा २ रकू १७/१

अर्थात:—(हज़रत मुहम्मद को सम्बोधन हैं।) कि यदि आपने उन काफ़िरों की ईच्छाओं का अनुकरण किया, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अर्थात उसके पश्चात कि किब्ला के विषय में आपको सत्य प्रकट और उजागर हो गया है, तो उस स्थिति में निसन्देह आप अवज्ञाकारियों में से हो जाओगे।

तफसीर मज़हरी पारा २ पृष्ठ २४६

आयत में 'जालेमीन' शब्द है। व्याख्याकार ने न जाने क्यों इसका अर्थ अवज्ञाकारी कैसे कर दिया? जब कि इस शब्द 'जालेमीन' का वास्तविक अर्थ तो अत्याचारी होता है।

इस आयत से निम्न बातों का ज्ञान होता है, कि (१) खुदा भी वैसे ही सन्देह करता है, जैसे कि जन साधारण करते हैं। जैसे-एक साधारण मनुष्य दूसरे व्यक्ति के हृदय की बात से अनभिज्ञ हो और वह शका करता है, कि कहीं ऐसा न हो कि यह मनुष्य भी विमुख हो जाए और धर्म त्याग दे। खुदा जो सर्व अन्तर्यामी और रहस्यों का पूर्ण ज्ञाता हैं क्या वह ऐसी शंका कर सकता है? आयत तो अनभिज्ञ व्यक्ति के भावों का प्रतिपादन करती है, जो हृदय के भावों को नहीं जानता? अत: यह आयत भी हार्दिक बातों व रहस्यों के ज्ञाता की रची हुई नहीं हो सकती है? और (२) जैसे एक व्यक्ति किसी पर संशयशील हो, उसको धमकाता है, कि यदि तूने ऐसा कार्य किया, तो तू अन्यथा हो जाएगा और तू जालिमों में से होगा। इस आयत में भी ऐसा

ही है, जैसे एक अज्ञानी व्यक्ति सन्देह की स्थिति में दूसरे व्यक्ति से कहता है और धमकी भी देता है। वैसे ही इस आयत में भी धमकी दी गई है, कि ऐसा करने पर तू ज़ालिम हो जाएगा। जिस खुदा को अन्तर्यामी कहा जाता है, वह कभी भ्रान्त मनुष्य के समान शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता ? अतः यह वाक्य भी खुदा को अनभिज्ञ और अज्ञानी दर्शा रहा है। इस कारण यह आयत खुदा के द्वारा बनाई नहीं हो सकती हैं।

(३) यह स्पष्ट है, कि खुदा को हज़रत मुहम्मद पर विश्वास नहीं है। यदि विश्वास होता, तो सन्देह न करता ? महान आश्चर्य की बात हैं, कि जिस मुहम्मद का नूर सर्व प्रथम उत्पन्न किया, जिसको अन्तिम पैगम्बर घोषित किया, समस्त पैगम्बरों को जिस पर ईमान लाने का आदेश दिया और सब कुछ उसके हेतु बनाया, उस पर भी और फिर भाग्य और कर्मों का लेखनकर्ता खुदा ऐसा होने पर भी इतनी शंका, कि यह भी काफिरों की ओर झुक सकता है ? तो क्या ऐसी आयत खुदा की रची हुई हो सकती हैं ? जो स्वयं खुदा को भी अनभिज्ञ और अज्ञानी बनायें और हजरत मुहम्मद पर भी खुदा को शंका ही रहे और फिर खुदा को धमकी देनी पड़े, कि यदि तू उधर झुक गया, तो जालिमों में से हो जाएगा ? इतना भयंकर लाँछन हज़रत साहिब पर क्यों लगाया गया ? इसके रहस्य को ज्ञात करना भी आवश्यक है।

हम पूर्व में लिख चुके हैं, कि ऐसी आयतें लोगों के सन्मुख इस हेतु प्रस्तुत की गई, कि लोग यह समझ लें कि कुरआन खुदा का कलाम है। उसने हज़रत मुहम्मद को भी धमकाया है, किन्तु आयत के निर्माता ने यह नहीं सोचा कि इससे खुदा की खुदाई पर कलंक लगेगा ? उसका क्या प्रत्युत्तर होगा कि ऐसा खुदा,

कभी खुदा कहलाने योग्य हो सकता है ? जिसको हज़रत मुहम्मद के हृदय का भी ज्ञान नहीं ? जब कि प्रत्येक मनुष्य का हृदय खुदा की दो उँगलियों में रहता है, जिधर चाहे उसको घुमा दे। एक ओर तो यह लिखा कि वही किब्ला हमने बना दिया—तू जिसे चाहता था, तो फिर ऐसा होने पर भी खुदा को पुनश्च: शंका ही रही और धमकाया, कि यदि तू उनकी ओर झुक जाएगा, तो जालिम हो जाएगा।

इस विषय की और भी आयतें हैं, जो हमने पूर्व में लिखी है। इतनी आयतें कुरआन में हज़रत मुहम्मद पर शंका करने वाली होने पर आप क्या विचार करेंगे, कि ऐसी आयतें क्यों कही गई ? क्या कोई विशेष इनकी आवश्यकता प्रतीत होती है ? इस कारण अनेक स्थानों पर यह आयतें है। इसी पारा १ में भी किञ्चित शाब्दिक परिवर्तनयुक्त ४ आयतों के आगे आयत क्रमांक १२१ भी इसी विषय की है।

हमने इन आयतों के विषय में पर्याप्त लिख दिया है, कि यहां पर दिशा पूर्व और पश्चिम की भूलभूलैया में भ्रमित कर वास्तविक बात बैतुलमुकद्दस और काबा की है, जिसमें भ्रान्ति उत्पन्न की गई है और मूल बात को भ्रान्तिपूर्ण ढग से कही गई है। अत: इस प्रसग को समाप्त करते हैं। आगामी आयतें:—

वा कालुत्तखज़ल्लाहो वलदन सुब्हानहू, बल्लहू मा फ़िस्समावाते वल्अर्ज़। कुल्लुल्लाहो कानेतुन, बदीउस्समावाते वल्अर्ज़। वा इज़ा कज़ा अम्रन फ़इन्नमा यकूलो लहूकुन् फ़यकून्।

कुरआन तारा १ रकू १४/१४ आयत ११७–१८

अर्थ:—और कहा उन्होंने कि अल्लाह ने सन्तान पकड़ी, (अर्थात उसके सन्तान भी है।) पवित्रता है उसके हेतु। अपितु अल्लाह के

हेतु है, जो कुछ आसमानों और भूमि में है। प्रत्येक उसका आज्ञाकारी है। उत्पन्नकर्ता है आसमानों और धरती का, और जब कतिपय कार्य निश्चित करता है, पस, उसके (निर्माण में) अतिरिक्त और कुछ नहीं, पस, उसके हेतु कहता है, हो जा, तो वह हो जाता है। तफसीर आजमुत्तफ़ासीर पारा १ पृष्ठ २५१

यह आयत ईसाईयों के निरस्त में है। इसी भांति जैसे यहूदी और मुशरिकों के निरस्त में, जो खुदा की सन्तान दर्शाते हैं, उनसे कहा जाता है, कि धरती और नभ आदि समस्त वस्तुओं का मालिक, तो खुदा है, तो इस सृष्टि में कोई उसकी सन्तान क्यों कर हो सकता है ? न अज़ीज़, न ईसा खुदा के पुत्र बन सकते हैं ? जैसा कि यहूद और ईसाईयों का विचार है। इसलिए कि दो साम्यतायुक्त जाति रखने वालों में सन्तान होती है और अल्लाह के न तो कोई सदृश्य है, न उसकी बढाई और श्रेष्ठता में कोई साँझीदार, न उसकी जाति का कोई और है, और वह तो आसमानों और भूमियों का उत्पन्नकर्ता है, उसकी सन्तान कैसे होगी ? उसके कोई पत्नि नहीं ? वह प्रत्येक वस्तु का उत्पन्नकर्ता और समस्त वस्तुओं का ज्ञाता है। यह जो उस कृपालू की संतान कहते हैं, यह कितनी असभ्य और निकृष्ट बात है।

कुरआन में दूसरे स्थान पर आया है, कि कह दो–कि खुदा एक ही है.....न उसकी सन्तान है, न उसके माता-पिता है, न कोई उसका समकक्ष है। जिस रब्ब (ईश्वर) ने इन समस्त वस्तुओं को बिना नमूने और बिना मादे (प्रकृति) और मूल के उत्पन्न किया। उसने हज़रत ईसा को भी बिना मां--बाप के उत्पन्न कर दिया। फिर कोई कारण नहीं, कि उन्हें तुम ऐसे ही

खुदा का पुत्र मान लो····· ····निसन्देह आदेश उसका, जब विचार करता है किसी वस्तु का और कहता है-हो जा, तो वह हो जाता है। तात्पर्य यह है, कि उधर खुदा का विचार हुआ या खुदा की ईच्छा हुई और उसने कहा—कि हो जा, वहीं वह हो गया ·····पस, उपर्युक्त आयत में ईसाईयों को अत्यन्त सूक्ष्म मार्ग से समझा दिया गया है, कि हज़रत ईसा भी 'कुन' के कहने से उत्पन्न हुए हैं।

दूसरे स्थान पर यह स्पष्ट बता दिया गया है 'अन्नाम-सला ईसा इन्दल्लाहे कमसले आदमा ख़लकाहू मिन् तुराबिन सुम्मा काल लहू कुन् फ़यकून।'

कुरआन पारा ३ रकू ९/१४

अर्थात:—हजरत ईसा का उदाहरण अल्लाह के निकट हजरत आदम जैसा है, जिन्हें मिट्टी से उत्पन्न किया, फिर फरमाया-हो जा, वह हो गए।

तफसीर मुहम्मदी अनुवाद इब्ने कसीर पृष्ठ १४३ से ४५

मुवाहेबुर्रहमान ने लिखा है, कि आदम को मिट्टी से उत्पन्न किया, उसका शरीर बनाया, तत्पश्चात उसको आत्मायुक्त मनुष्य होने का आदेश दिया। इसी भांति ही ईसा भी 'वा कज़ालेका ईसा काला लहू कुन मिन गैरे अब्बिन् फ़काना' और अभिप्राय यह है, कि ऐसे ही ईसा भी, कि उससे फरमाया-हो जा बिना पिता के, वह तत्काल हो गया।

तफसीर मुवाहेबुर्रमान पारा ३ पृष्ठ २०८-९

उपर्युक्त दोनों आयतों में दर्शाया गया है, कि ईसा की उत्पत्ति 'कुन' से हुई, किन्तु कुरआन की और अन्य आयतें इस

बात की सम्पुष्टि नहीं करती। आयत:-'**वज़्कुर् फ़िल्केताबे मर्यमा**' से लेकर '**मकानन कसिय्या**' तक कुरआन पारा १६ रकू २/५ सूरत मर्यम। जिसका अर्थ यह है, और पुस्तक में मरियम का स्मरण करो। जब कि वह अपने लोगों से पृथक होकर पूर्व दिशा के गृह में जा बैठी और लोगों की ओर से मध्य में एक आवरण डाल लिया, कि उसके पास हमने एक फरिश्ता भेजा। तब वह उसके सन्मुख पूर्ण मनुष्य रूप धारण कर प्रकट हुआ। मरियम ने कहा-मैं तुझ से अल्लाह की पनाह माँगती हूँ, यदि तू संयमी है? उसने (फरिश्ते ने) कहा-मैं तुम्हारे रब्ब (ईश्वर) की ओर से भेजा हुआ हूँ, कि तुमको एक पवित्र पुत्र प्रदान करूँ। इस पर मरियम ने कहा-मेरे कहां से पुत्र होगा? जब कि मुझे किसी मनुष्य ने हाथ भी न लगाया है और न मैं बदकार हूं। (फरिश्ते ने) कहा—यों ही होगा। तुम्हारे रब्ब ने फरमाया है, कि यह बात मुझ पर सरल है, और इस भांति यों ही उत्पन्न किया, ताकि हम लोगों के हेतु अपनी सामर्थ्य का चिन्ह और लोगों हेतु अपनी कृपा बनाए, और यह निश्चित हो चुकी थी। पस, मरियम को अपने आप गर्भ हो गया और वह गर्भ धारण कर दूर किसी स्थान पर रहने लगी।

तफसीर हक्कानी पारा १६ पृष्ठ २७-२८

अन्य व्याख्या:-अब अल्लाह की ईच्छा हुई, कि मरियम के गर्भ से हज़रत ईसा को उत्पन्न करे..... किन्तु जब कि मरियम सिद्दीका बैतुल्मुकद्दस से पूर्व की ओर गई..... .....इस कारण उन लोगों ने नमाज में पूर्व की ओर मुँह करना प्रारम्भ कर दिया। हज़रत ईसा के जन्मस्थान को उन्होंने स्वयँ ही किब्ला बना लिया। कहा है, कि जिस स्थान पर आप गई थी, वह स्थान यहां से दूर मनुष्यराहित था। .....जब यह लोगों से दूर हो गई,

तो मैं अल्लाह तआला ने आप के पास अपने फरिश्ते जिब्रील को भेजा। वह पूर्ण मनुष्याकृति में आप पर प्रकट हुआ (रूह से मुराद जिब्रील है) हज़रत मरियम ने जब अपने एकान्तवास में एक अज्ञात व्यक्ति को देखा, तो यह समझ कर, कि यह कोई बुरा मनुष्य हो । उसे अल्लाह का भय दिलाया, कि यदि तू सयमी मनुष्य है, तो खुदा का भय कर मैं खुदा की पनाह चाहती हूँ । फरिश्ते ने कहा- और कोई विचार न करो, मै खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ.....और तुझे पवित्रात्मा पुत्र प्रदान करना चाहता हूं ।..... यह सुनकर हज़रत मरियम को आश्चर्य हुआ । कि मुझे शिशु कैसे होगा ? मेरा तो विवाह ही नहीं हुआ और बुराई का मुझे कभी ध्यान तक नहीं हुआ, और मेरे शरीर पर किसी मनुष्य का हाथ तक नहीं लगा और न मैं बदकार हूँ । फरिश्ते ने आपके आश्चर्य को यह कहकर दूर किया-यह समस्त सत्य है, किन्तु खुदा इस बात पर सामर्थ्यवान है, कि बिना पति के और बिना किसी और बात के सन्तान दे दे। यह खुदा के सामर्थ्य की एक निशानी होगी, ताकि लोग जान लें कि वह सृष्टी प्रत्येक प्रकार की उत्पत्ति करने पर सामर्थ्यवान है । फरिश्ते ने कहा- ऐ मरियम । अल्लाह तुझे एक कलमा (पुत्र) की शुभ सूचना सुनाता है, कि (उस शिशु का नाम) मसीह इब्ने मरियम होगा।

लिखा है, कि जब आप खुदाई आदेश सुन चुकी और उसके सन्मुख नतमस्तक हो गई, तो हज़रत जिब्रील ने उनके कुर्ते के गिरेबान में फूँक मारी, जिससे उन्हें खुदाई आज्ञा से गर्भ रह गया ।.....अधिक सम्मत कथन तो यह है आप ९ माह तक गर्भ में रहे । अक्रमा कहते हैं- ८ मास तक । इब्ने अब्बास का कथन है, कि गर्भ धारण के साथ ही शिशु उत्पन्न हो गया किन्तु यह कथन प्रामाणिक नहीं ।

तफसीर इब्ने कसीर पारा १६ पृष्ठ २७-२८

तफसीर मज़हरी ने लिखा है, कि मरियम एक दिन अकस्मात वस्त्र उतार कर स्नान कर रही थी, कि हज़रत जिब्रील एक अत्यन्त आकर्षक रूपवान बिना दाढ़ी-मूछों के आलोकित मुख, घुंघराले केशयुक्त एक सम्पूर्ण युवक के रूप में आ खड़े हुए और कहा—मैं फरिश्ता हूं, अल्लाह ने मुझे तेरे पास भेजा है, ताकि तुझे ऐसा पुत्र (कुर्ते में फूंक मार कर) प्रदान करूं, जो पापों से पवित्र तथा निरपराध होगा।.....तत्पश्चात उनके उदर में पुत्र (गर्भ) रह गया। फिर उस (गर्भ) को लेकर किसी दूर स्थान में पृथक चली गई..... और फरिश्ते ने उन के कुर्ते के गिरेबान में फूंक मारी। फिर मरियम ने कुर्ता पहिना, तो गर्भवती हो गई।

कुछ एक का कथन हैं, कि जिब्रील ने कुर्ते के गिरेबान को चुटकी से पकड़ कर खींचा और फिर गिरेबान पर फूंक मार दी।

कुछ एक ने कहा— कुर्ते की बाँह पर फूंक मार दी, और और कुछ एक ने कहा— मरियम के मुँह में फूंक मार दिया। कुछ एक ने कहा--जिब्रील ने दूर से फूंक दिया। तात्पर्य यह कि जिब्रील की फूंक से मरियम गर्भवती हो गई और गर्भ धारण कर घरवालों से दूर एकान्तवास में रहने लगी।

तफसीर मज़हरी भाग ७ पृष्ठ ३०९-१०

यह तो वही बात हुई, कि जितने मुंह उतनी बातें, किन्तु कुरआन इस समस्त किंवदन्तियों के विरूद्ध कह रहा है। न जाने क्यों इन लोगों ने कुरआन के प्रतिकूल लिखा? कुरआन तो स्पष्ट कह रहा है :—

"वा मर्यमब्नता इम्रानल्लती अहसनत् फ़र्जहा फ़नफ़ना फ़ीहै मिर्रूहेना वा सद्दकत् बेकलेमाते रब्बेहा वा कुतुबही वा कानत् मिनल्कानेतीन् । कुरआन पारा २८ रकू २/२०

अर्थः--और मरियम पुत्री इमरान की, जिसने अपने गुप्त स्थान की रक्षा की । पस, फूंका हमने उसके मध्य अपनी आत्मा को और वह अपने ख़ुदा की बातों को मानती थी, और आज्ञाकारियों में से थी, और उसकी पुस्तकों को भी मानती थी ।

अनुवाद शाह रफीउद्दीन पृष्ठ ७९१-९२

और यही अर्थ मलिक दीनमुहम्मद काश्मीरी बाजार लाहोर के कुरआन पृष्ठ ८०२ में भी हैं ।

इस आयत में मरियम को 'फ़ीहै' ओर 'कान्तीन' दो स्थानों पर पुल्लिग (मुज्जकर) के सींगे ओर ज़मीर से सम्बोधित किया है । मुसलमान कहते हैं, कि उनमें गुण पुरूषों जैसे थे, इसलिए पुल्लिग प्रयुक्त किया गया, किन्तु हम कहते हैं, कि कुरआन में एक और आयत आती है, उसमें मरियम को स्त्रीलिंग से सम्बोधन हैं । अतः यह सम्पूर्ण कल्पना मूल को छुपाने हेतु की गई है । दूसरी आयत है, उपरोक्त आयत के समान :-

वल्लाती अहसनत् फ़रजहा फ़नफ़ख़ना फ़ीहा मिर्रूहेना वा जअल्नाहा वब्नहा आयतल्लिल्आलमीन् ।

कुरआन पारा १७ रकू ६/६ (अम्बेया)

अर्थः-और उस बीबी (मरियम) का भी स्मरण कीजिये जिसने अपने सतीत्व को (पुरूषों से) बचाया (विवाह से भी और अनुचित ढग से भी) फिर हमने उन्हें जिब्रील के माध्यम से अपनी आत्मा फूंक दी और हमने उसे और उसके पुत्र (ईसा)

को विश्व हेतु अपनी शक्ति की पूर्णता का चिन्ह बनाया।

तफसीर इब्नो कसीर पारा १७ पृष्ठ ३४

शाह अब्दुलकादिर ने इसका अर्थ किया है :-

और हिदायत दो उस स्त्री को, कि रक्षा की उसने अपनी शर्मगाह (गुप्तांग) की। पस, फूंक दी हमने उसके मध्य अपना रूह (आत्मा) को, और किया हमने उसको और उसके पुत्र को निशानी सन्सार हेतु।

कुरआन, अनुवाद शाह अब्दुलकादिर पृष्ठ ४५४

'फर्ज' के अर्थ, तो गुप्तस्थान के अर्थों में आते हैं, गिरेबान में नहीं। 'अल्फर्ज' दो वस्तुओं के मध्य खलल। 'सरहब' वस्त्रों का फटना। आगे और पीछे के स्थान मनुष्य के (दोनों गुप्तस्थान)

मिस्बाहुल्लुगात पृष्ठ ६२४

यदि इससे अर्थ गिरेबान लिए जाएँ तो आयत का अर्थ कैसे लगेगा, कि जिसने रक्षा की अपने फटे वस्त्रों की, विवाह और अन्यों से। यद्यपि तफसीर मज़हरी ने भी अपने अर्थों में किञ्चित सा अन्तर कर दिया है, तो भी 'फर्ज', का अर्थ गिरेबान कदापि नहीं लग सकता ?

अर्थ:— और उस स्त्री को स्मरण करो, जिसने अपनी शर्मगाह (गुप्तांग) को (हलालो हराम दोनों से) सुरक्षित रखा। इससे तात्पर्य मरियम बिन्ते इमरान है, जो अविवाहित और पवित्र थी, फिर हमने फूँका अर्थात हमारे आदेश से जिब्रील ने फूँक मारी उसके भीतर अर्थात मरियम के गिरेबान के भीतर जिब्रील ने फूँक मारी और यह फूँक मरियम के शरीर के भीतर पहुँच गई और उस फूँक से अल्लाह ने मसीह ईसा बिन मरियम को उत्पन्न किया।

तफसीर मजहरी भाग ८ पारा १७ पृष्ठ ९२

जिब्रील ने कहीं भी फूँक मारी ? यहाँ पर यह चर्चा नहीं है। यहाँ तो यह आयतें इसलिए लिखी गई है, कि पूर्वोक्त आयतों में है, कि ईसा की उत्पत्ति 'कुन, से हुई किन्तु मज़हरी ने स्पष्ट कर दिया, कि गर्भ जिब्रील की फूँक से है, न कि 'कुन', कहने मात्र से, और भी देखिए:-

तब फरिश्ते ने उनके कुर्ते के गिरेबान में दम कर दिया अर्थात फूंक दिया। उसके पश्चात उन्हें गर्भ ज्ञात होने लगा।

तफसीर हक्कानी (सूरत मर्यम) पृ० २८

इसी भाँति 'फरिश्ते के फूंक मारने से गर्भ हुआ, तफसीर बैजावी पृष्ठ २५५, तफसीर कादरी भाग २ पृष्ठ १४, तफसीर मुआले मुतन्जील भाग ३ पृष्ठ २, तफसीर कुरआनिल्अज़ीम भाग २ पृष्ठ ९, तफसीर आजमुत्तफासीर पारा १६ पृष्ठ २५२ और तफसीर जलालैन (सूरत मर्यम) पृष्ठ २५५ इत्यादि, और भी समस्त ने यही लिखा है, कि जिब्रील के फूंक मारने से गर्भ हुआ 'कुन' कहने से नहीं।

अब कुरआन की जिन आयतों में है, कि 'कुन', कहने से गर्भ हुआ, उनकी क्या स्थिति रहेगी ? इतने प्रमाण होने पर, कि गर्भ जिब्रील के फूंक मारने से हुआ, खुदा के 'कुन', कहने से नहीं। इस विषय पर हमने विस्तृत चर्चा अपनी पुस्तक 'इन्जीलों में परस्पर विरोधी कल्पनाएँ', नामक में की है। आयत क्रमांक ११७ और ११८ के सम्बन्ध में हमने कुरआन की दुरंगी बातों को भलि भाँति वर्णन कर दिया है, कि अन्य आयतें कुरआन में इन आयतों के विरूद्ध है। अतः यह विश्वास करने योग्य नहीं है। अब आगामी आयतें:-

वा कालल्लाजीना लायालमूना लौ ला युकल्लेमो नल्लाहो औंतातीना आयत्। कज़ालेका कालल्लाजीना मिन् कब्लेहिम्म मिस्ला कौलेहिम्। तशाबहत् कुलूबोहु म् कद् बय्यन्नल्आयते ले कौमिंय्यू के नून्। इन्ना अर्सल्नाका बिल्हक्के बशीरंव्व नज़ीर-व्व ला तुस्अलो अन् अस्हाबिल्जहीम्।

कुरआन पारा १ रकू १४/१४ आयत ११९-२०

अर्थात:-और कहा उन लोगों ने, जो खुदा को नहीं जानते, और कुछ विद्या नहीं पढ़े, जैसा मक्का के मुश्रिक (कहते है) कि यदि (अल्लाह) हमें अद्वैत (एकेश्वरवाद) की ओर बुलाता है, तो फिद खुदा हम से बात क्यों नहीं करता या हम में से किसी के पास सन्देश क्यों नहीं भेजता ?

(हजरत मुहम्मद से कहा गया है) कि जैसा यह मुश्रिक कहते हैं। जो लोग इनसे पूर्व थे यहूद और नसारा आदि, वह भी ऐसा ही कहते थे और नबियों के चमत्कार देखने पर भी उनसे असभ्य वार्ता करते थे। इन समस्त काफिरों वा मुन्किरों के हृदय कठोरता में, शत्रुता में और अपवित्रता के मार्ग में प्रश्न करने में समान हैं।)

निसदेह,हमने वर्णन की निशानियाँ तौहीद(अद्वैत) और नब-व्वत को उस समुदाय के हेतु जो विश्वास करते हैं। यह उनके हेतु नहीं जो भ्रमों तथा शकाओं के आधीन हैं। यह निर्विवाद सत्य है, कि हमने ऐ मुहम्मद ! तुझे सत्य को प्रदान कर अर्थात कुर-आन और इस्लाम की शुभ सूचना मुसलमानों हेतु देकर और भयदायक काफिरों हेतु बना कर भेजा है, और ऐ मुहम्मद ! तुम कयामत के दिन न पूछे जाओगे, उन लोगों के विषय में जो नर्क-गामी हैं। जिस नर्क में अग्नि की भयंकर और बड़ी लपटें उठतीहैं।

एक दिन हज़रत मुहम्मद के मुंह से यह निकला, कि यदि हक़ तआला यहूदियों पर सकट के द्वारों में से एक द्वार खोल देता और अपने गज़ब का प्रभाव उन्हें दर्शाता, तो अवश्य है, कि यातनामय सकट के भय से यह लोग सीधे मार्ग पर आ जाते, तो खुदा ने यह आयत भेजी, कि यह नर्कगामी लोग हैं। ऐ मुहम्मद! हम तुमसे इन लोगों हेतु नहीं पूछेंगे, कि यह ईमान क्यो नहीं लाए? वही के आदेशों को पहुँचा देना और पैग़म्बरी को प्रकट कर देना मात्र तुम्हारे ज़िम्मे हैं, और उन पथभ्रष्टों के हिसाब की जिम्मेदारी हम पर है।

तफसीर कादरी पारा १ पृष्ठ २८-२९

व्याख्या:-हज़रत मुहम्मद के समीचीन जो यहूदी और ईसाई थे, वह हठधर्मी तथा द्वेष से कहा करते थे-ऐ मुहम्मद! यदि तुम खुदा के सत्य पैगम्बर और सत्य पथ-प्रदर्शक हो, जैसा कि तुम्हारा दावा है, तो तुम खुदा से कहो, कि वह हमसे स्वयम् तुम्हारी पैग़म्बरी के सम्बन्ध में वार्ता करे, और फरमाए-मुहम्मद को मैंने अपनी ओर से तुम्हारे पास भेजा है। उसमें वह सत्य है। उस समय हम तुमको खुदा का सत्य पैग़म्बर स्वीकारेंगे। इस पर आदेश होता हैं, कि पुस्तकवाले (यहूदी व ईसाई) मूर्ख और मक्का के मुश्रिक व अन्य मूर्तिपूजक आदि हमारे पैग़म्बर की तुलना में कहते हैं, कि जिस प्रकार खुदा मुहम्मद और फरिश्तों से कथन करता है, उसी प्रकार साक्षात रूप से हमारे साथ क्यों नहीं करता? कि अमुक व्यक्ति को हमने आदेशों के प्रचार हेतु भेजा है, और वह अपने दावे में सत्य है।.....या हमारे पास कोई ऐसी विवश कर देने वाली निशानी क्यों नहीं आती? जिससे हम उनकी सत्यता व प्रतिष्ठा को तत्काल जान लें। उदाहरणार्थ—मक्का की भूमि में

नहरें और ताल प्रचलित हो जाएं ? या खजूर व अंगूर का एक सुन्दर और सुहावना उद्यान अकस्मात ही लग जाए या आसमान का कोई भारी खण्ड हम पर आ गिरे या फरिश्ते हमारे सन्मुख आएं या मुहम्मद आसमान पर चढ़ कर एक साथ ही लिखित पुस्तक ले आए ? जिसे हम पढ़ सकें। खुदा उनके इन निकृष्ट और सारहीन आक्षेपों को निरस्त करता है और हज़रत मुहम्मद को इन शब्दों से धैर्य देता है, कि ऐ हमारे हबीब ! सखा) इन मूर्खों और अविद्वानों से इस भांति की मांग कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। इनसे पूर्व भी इनके मूर्ख पूर्वजों ने हज़रत मूसा और ईसा से भी इसी भांति की मांग की थी। यहूदियों ने मूसा से कहा था, कि जब तक तू उजागर और स्पष्टतः हमें खुदा के दर्शन न करा देगा, तब तक हम तेरी पैग़म्बरी और नबुव्वत का अनुबन्ध न करेंगे, और ईसाईयों ने हज़रत ईसा से निवेदन किया था, कि वह अपने रब्ब से कह कर हमारे हेतु आसमान से माएदा (तैयार खाद्यान्न) उतरवाए। इसी प्रकार और लोगों ने भी अपने-अपने पैग़म्बरों से इसी भांति की अनुचित प्रार्थनाएं और असभ्य मांगे की थी। यह कोई आश्चर्यपूर्ण और निराली मांगे इन्हीं से नहीं की गई है, कि जो आप दुखी हो और हृदय में शोक करें। क्योंकि यह मूर्ख और अज्ञानी लोग इतना नहीं समझते, कि हमको खुदा के साथ वार्तालाप करने की पात्रता नहीं। यह अधिकार तो मात्र फरिश्तों और पैग़म्बरों के साथ ही निहित है.....और यद्यपि उनकी यह मांग मूर्खता और हठधर्मी पर निर्भर है। अतः इसका उत्तर देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है।

तफसीर आज़मुत्तफासीर पारा १ पृष्ठ २५५-५६

इस आयत के विषय में हम भी वही कहना चाहते हैं, जो व्याख्याकार ने कहा है, कि अरबवासियों की यह कोई नवीन मांग नहीं है। लोग ऐसी मांगे करते रहे और खुदा उनको स्वीकार करता रहा है। जैसे मूसा से माँग की गई, कि हम खुदा की वाणी सुनें, तो मूसा ने उनको खुदाई वाणी सुनवाई। मूसा से भोजन की मांग की, तो खुदा ने बटेरें और तुरजबीन भेजना प्रारम्भ कर दिया। ईसा के लोगों ने माएदा (दस्तरखान) मांगा तो आसमान से तैयार भोजन आने लगा। मूसा के लोगों की तो अत्यन्त बातें स्वीकृत की, अतिरिक्त एक बात के (जो खुदा के प्रत्यक्ष दर्शन की थी।)

हज़रत नूह की बात स्वीकृत की। जब उसने कहा—विश्व में एक भी अवज्ञाकारी न छोड़। जब पूर्व में खुदा लोगों की बातें स्वीकारता रहा, तो पुनः इनकी मांगे अस्वीकृत करने का कौन सा कारण था? अरबवासियों ने प्रथम हजरत मुहम्मद से यह माँग की थी, कि जब तक हमारी भेंट को आसमान से उतर कर अग्नि न खा जाए, तब तक हम ईमान नहीं लाएंगे। इसका उत्तर हज़रत साहिब ने अन्यान्य देकर टाल दिया। क्या कारण जब आदम के पुत्रों की भेंट में से एक की भेंट आसमान से अग्नि उतर कर खा गई, तो इन अरबवासियों की भेंट खाने से अस्वीकृति का कोई कारण दृष्टिगोचर नहीं होता? जब मूसा को तख्तियों पर पुस्तक लिख कर खुदा ने दे दी, तो फिर कुरआन हेतु उनकी ऐसी ही मांग क्यों ठुकरा दी गई? मरियम हेतु हम पूर्व में लिख चुके हैं, कि उनको भी फल प्राप्त होते रहे हैं। इब्राहीम हेतु भयंकर अग्नि ज्वालाओं को एक मनोरम उद्यान निर्मित कर दिया, तो फिर अरबों की उद्यान सम्बन्धी माँग कैसे अनुचित थी? और जब अरबों ने किसी भयानक वस्तु की

मांग की, तो उनको मूर्ख कह कर टाल दिया और जब बनी इस्राईल पर पहाड़ उठाया, तो इनके हेतु भी कोई ऐसा ही चिन्ह दर्शाया जा सकता था ? लूत और समूद जातियों का सर्वनाश कर दिया, ? तो पूर्व में जब खुदा ऐसे कार्य करता चला आया है, तो उसी आधार पर अरबवासी भी हज़रत मुहम्मद से कोई माँग करते थे ।

हम कहते हैं कि यदि यह समस्त बातें मूर्खों और अज्ञानियों की है, तो पूर्व में इन बातों को खुदा क्यों स्वीकारता रहा ? ऐसी बातें स्वीकारना तो खुदा के स्वभाव में प्रारम्भ से ही है;--'फ़ लन् तजोदाले सुन्नतिल्लाहै तब्दाला' जब खुदा की सुन्नत परिवर्तित नहीं है, तो यहां क्यों परिवर्तित हो गई ? व्याख्या में एक बात और कही, कि यह लोग तो नर्कगामी हैं, यह शिक्षा कैसे स्वीकारेंगे ? यदि खुदा चाहता तो स्वीकार लेते । क्या खुदा उनको सन्मार्ग पर लाना नहीं चाहता था ? क्योंकि कुरआन कहता है :-

वा लो शा अल्लाहो लजमअहूम् अल्हुदा फ़ला तकूनन्ना मिनल्जाहेलीन् । कुरआन पारा ७ रकू ४/१०

व्याख्या:-यदि अल्लाह चाहता कि उनको हिदायत (शिक्षा) पर एकत्रित करे, तो वह समस्त बात पर समर्थ (कादिर) है, किन्तु उसने नहीं चाहा, क्योंकि इसमें उसकी हिकमत और सामायिक नीति है, और वही सर्वज्ञाता और हिकमतवाला है, सो तू मूर्खों में से न हो, क्योंकि काफ़िरों के अस्वीकार और विमुखता पर गम खाना और यही चाहना कि समस्त ईमान ले आएँ । यह मूर्खों की शान है ।

तफसीर मुवाहेबुर्रहमान पारा ७ पृष्ठ ६६

अब देखिए, कि कुरआन स्वयँ कहता है, कि यह विचार करना, कि समस्त लोग ईमान ले आएँ। यह मूर्खों का कार्य है, क्यों कि जो नर्कगामी हैं वह तो ईमान लाएँगे नहीं। अब उन लोगों को ईमान लाने हेतु कहना मूर्खों की बात है, यदि ऐसा कहना मूर्खों की बात है, तो फिर पैग़म्बर किस रोग की औषधि है? और तत्पश्चात पुनः कुरआन पारा ८ में है:-

व लौ शा आ लहदाकुम् अजमईन'

अर्थात:- पस, यदि वह चाहता तुम्हारे हिदायत पर होने को, तो अवश्य तुम सबको हिदायत (शिक्षा) देता। अर्थात उसने नहीं चाहा। पस, जो कुछ है उसकी प्रकृति-विचार व अधिकार के अन्तर्गत निहित है।.....और कहा--अल्लाह चाहता तो एकत्रित करता उनको हिदायत पर और फरमाया:-

लौ शा आ रब्बोका लजअलन्नासा उम्मतव्वाहिदतंव्वा ला यज़ालूना मुख्तले फ़ीना इल्ला मर्रहेमा रब्बोका वा लेज़ालेका खलकाहुम वा तम्मत् कलेमतो रब्बेका ल अम्ल अन्ना जहन्नमा मिनल्जिन्नते वन्नासे अज्मईन् ।

कुरआन पारा १२ रकू १०/१०

अर्थात:-यदि तेरा रब्ब (ईश्वर) चाहता, तो एक ही उम्मत (समुदाय) करता, और कभी भी उनमें से मतभेद दूर नहीं होंगे, किन्तु जिस पर तेरा रब्ब कृपा करे, और तेरे खुदा की बात पूर्ण हुई, कि मैं अवश्य जिन्नों और मनुष्यों से नर्क को भरूँगा।

तफसीर मुवाहेबुर्रहमान पारा ८ पृष्ठ ४७

इसमें भी दृढ़ता से कहा, कि अल्लाह चाहता तो समस्त मनुष्य एक ही विचारधारा के होते और उनमें विरोध अवश्य

रहेगा (क्यों रहेगा ?) इस हेतु ही उनको उत्पन्न किया गया है। खुदा समस्त को शिक्षा दे दे, तो फिर नर्क में कौन जाएगा ? और नर्क से खुदा वचनबद्ध है, कि मैं नर्क को जिन्नों और मनुष्यों से भरूँगा। (इस बात से विवश है ?) अन्यथा समस्त को खुदा शिक्षा दे देता ?

हम पूर्व में भी सप्रमाण लिख चुके हैं, कि ईमान लाना अर्थात किसी का भी मुसलमान होना, खुदा के अधिकार में है। इस पर हम कहते हैं, कि जब ऐसी स्थिति है, तो फिर ईमान न लाने वालों को भला-बुरा क्यों और किसलिए कहा जाता है ? क्योंकि यह बात तो उनके अधिकार में नहीं है। आयत के अन्तिम शब्द हैं, कि तुझे (हज़रत मुहम्मद को) इसलिए भेजा गया है कि तू शुभ सन्देश देने वाला है मुसलमानों हेतु और भय-भीत करने वाला है काफिरों को। तत्पश्चात अन्त में कहा-- ऐ मुहम्मद ! तुझसे नर्कगामियों हेतु कुछ न पूछा जाएगा। यह कहना ही निराधार है, जब कि काफ़िर बनाने और काफ़िर रखने के समस्त अधिकार खुदा को हैं, तो फिर हज़रत मुहम्मद को पूछने का क्या अर्थ ?

इन आयतों में ईश्वरीय ज्ञान की कोई बात नहीं है। यहूदी-ईसाईयों और मुश्रिकों के प्रश्न कोई चमत्कार दर्शाने हेतु है, उनके और मुसलमानों के विश्वास में पूर्व के पैग़म्बर दर्शाते रहे हैं, किन्तु हज़रत साहिब ने उनकी माँगों को मूर्ख कह कर टाल दिया। अब फिर कौन प्रश्न करे और मूर्ख बने ? आगे भी यहूदी और ईसाईयों की ही चर्चा है। आयतें:-

वा लन् तर्जा अनकल्यहूदा वा लन्नसारा हत्ता तत्तबे आ-मिल्लतहुम। कुल् इन्ना हुदल्लाहे हुवल्हुदा, वा लऐनित्तबाता अहवा

अहुम् वा दल्लाज़ी जाअका मिनल्इल्मे मा लका मिनल्लाहे मिंव्व लिय्यिव्व लानसीर। अल्लाज़ीना आतैनाहुमुल्किताबा यत्लूनहू हक्का तलावतेही ओलाएका योमिनूना बेही। वा मंय्यक्फुर बही फ़ ओलाएका हुमुल्खासेरून।

कुरआन पारा १ रकू १४/१४ आयत १२१-२२

अर्थ:—कदापि प्रसन्न न होंगे तुझसे यहूदी और न ईसाई। यहां तक कि तू उनके धर्म का अनुकरण करें। कह–निसन्देह, सन्मार्ग वही है जो अल्लाह की ओर से है। यदि तू उनकी इच्छाओं का अनुसरण करेगा, तत्पश्चात कि तेरे पास ज्ञान आ चुका है। फिर नहीं होगा अल्लाह के अतिरिक्त तेरा कोई मित्र व सहायक, और जो लोग कि जिनको हमने पुस्तक दी हैं, और पढ़ते हैं उसको जो उनका अधिकार है। यह लोग उस पर ईमान लाए हैं, और जो कोई उसके साथ कुफ्र करे, वही लोग हैं हानि उठाने वाले।

आजमुत्तफासीर पारा १ पृष्ठ २५७

व्याख्या:–और कदापि प्रसन्न न होंगे आपसे यहूदी और न ईसाई। उस समय तक कि आप उनका धर्म स्वीकार न कर लो। आयत में **'मिल्लत'** शब्द आया है। **'मिल्लत'** वह मार्ग है, जो अल्लाह ने अपने भक्तों हेतु अपने पैग़म्बरों द्वारा निश्चित किया है। कतिपय व्याख्याकारों का मत है, कि यहूदी और ईसाईयों ने हज़रत मुहम्मद से सन्धि की प्रार्थना की और यह लोभ दिया, कि यदि आप हमें अवधि देंगे तो हम मुसलमान हो जाएंगे। उस पर यह आयत उतरी।

सालबी ने इब्ने अब्बास से वर्णित किया हैं, कि जब हज़रत मुहम्मद पुस्तकवालों के किब्ला (बैतुल्मुकद्दस) की ओर मुँह कर नमाज़ पढ़ना प्रारम्भ की, तो मदीना के यहूदी और नजरान के ईसाई इस आशा में थे, कि आप हम में सम्मिलित हो जाएँगे और जब हजरत ने काबा को किब्ला बना दिया, तो वह लोग निराश हो गए। तत्पश्चात यह आयत 'लन्नज़ी' उतरी। इस आयतानुसार हज़रत मुहम्मद को यहूदी और ईसाईयों के मुसलमान होने सम्बन्धी अत्यन्त निराशा दिलाई गई है, और कहा गया हैं, कि उनका तो यह विचार होर हा है कि आद (हज़रत मुहम्मद) उनके धर्म का अनुसरण करें। फिर ऐसी स्थिति में यह आपका अनुकरअ कैसे कर सकते हैं ? (ऐ मुहम्मद !) उनको कह दीजिए कि सन्मार्ग वही है, जो अल्लाह की ओर से है। अर्थात इस्लाम ही सत्य धर्म है, और जिसकी ओर यह काफिर लोग बुलाते हैं, वह सत्य नहीं है। (ऐ मुहम्मद !) और यदि आप उनकी इच्छाओं पर चले, इसके पश्चात कि आपको ज्ञान आ चुका है। इल्म (ज्ञात) का अर्थ या तो दीन (धर्म) है या वही (जिब्रील) है। जिसका सत्य होना ज्ञात हो चुका है, तो आपके हेतु फिर न कोई सहायक, न मित्र होगा कि तुझे अल्लाह से बचा ले या अल्लाह के महासंकट से तेरी रक्षा करे। वह लोग जिन्हें हमने पुस्तक अर्थात कुरआन दी है। कतादा और अकरमा ने कहा–जिन लोगों को हमने पुस्तक दी है, उनसे अभिप्राय सहाबा (मुहम्मद के साथी) हैं।

इब्ने अब्बास ने इस आयत के अवतरण का कारण यह बताया है, कि जाफ़र बिन अबी तालिब के साथ हब्शा देश के ४० व्यक्ति साथ आए थे। ३२ हब्शा और ८ शाम देश के थे। इन समस्त के सम्बन्ध में यह आयत उतरी।

ज़ुहाक ने कहा-इस आयत से जो लोग यहूदियों से मुसलमान हुए उनसे तात्पर्य है। वह इस कुरआन को पढ़ते रहें, जैसा कि पढ़ना चाहिए।

इमाम मालिक आदि ने हज़रत मुहम्मद साहिब से वर्णित किया है, कि इस आयत के अर्थ यह है, कि वह लोग इसका अनुकरण करते है।

हज़रत उमर ने इस आयत का अर्थ यह किया है, कि जिस स्थान पर अल्लाह की पुस्तक में स्वर्ग का वर्णन आता है, तो अल्लाह से स्वर्ग का प्रश्न करे और जब नर्क का वर्णन आए, तो रक्षा की याचना करे। .....वही लोग जो इस (कुरआन) पर ईमान लाते हैं। जो लोग इसका निषेध करते है अर्थात परिवर्तन हैं अथवा हज़रत मुहम्मद को झूठलाते हैं। वही लोग हानि उठाने वालों में से होंगे।

तफसीर मज़हरी पारा १ पृष्ठ २०८ से १०

अब देखिए, कि आयत के उतरने का कारण भी दृढ़ नहीं है। कोई क्या कहता है और कोई क्या? जो लोग कुरआन के अवतरण (नज़ूल) में ही मतैक्य नहीं हो सके, वह कुरआन के यथार्थ को क्या और कैसे जान सकते है? आयत में सर्वप्रथम इस बात का वर्णन है, कि यहूदी और ईसाई तुझसे तब तक प्रसन्न नहीं होंगे, जब तक कि तुम उनके धर्म को स्वीकार न करोगे।

विचारणीय है, कि यहूदी और ईसाई दो विभिन्न सम्प्रदाय सिद्धान्तों में सर्वथा भिन्न हैं, तो फिर यह दोनों विभिन्न मत कैसे स्वीकार किये जा सकते हैं? अभी पीछे आयत में कुरआन के ही यह शब्द हैं, कि यहूदी कहते हैं, कि ईसाई मत मिथ्या है

ईसाई कहते हैं, कि यहूदी मत मिथ्या है। यदि हज़रत मुहम्मद यहूदी मत को स्वीकारते हैं, तो ईसाई विरोधी हो जाते हैं, और यदि ईसाई मत को अंगीकार करते हैं, तो यहूदी विरोधी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में न तो दोनों के मत ही स्वीकारे जा सकते हैं तो फिर दोनों प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? कुरआन की इस आयत में यह वाक्य तो बिना सोचे-समझे लिख दिया गया है और यह असम्भव बात है, कि विभिन्न मतों को एक साथ स्वीकारा जाए ?

कुरआन के व्याख्याकारों ने यहां भी अपने स्वभावानुसार भ्रमपूर्ण बात लिख दी है। वह यह है, कि काफिरों के कितने भी सम्प्रदाय क्यों न हो, वह एक ही सम्प्रदाय माना जाता है, किन्तु यहां तो प्रश्न यहूदी व ईसाईयों को प्रसन्न करने का है? न कि किसी धर्म को मानना ? हमारा आक्षेप इस पर यही है, कि यहूदी मत को स्वीकारने पर ईसाई कदापि प्रसन्न नहीं हो सकते और ईसाई मत को स्वीकारने पर यहूदी प्रसन्न नहीं हो सकते और कोई मनुष्य भी यहूदी और ईसाई दोनों मतों को, जिनमें अत्याधिक वैभिन्नताएं हैं स्वीकार नहीं कर सकता ? इसलिए आयत में दोनों को प्रसन्न करना लिखा है, जो कि पूर्णतः असिद्ध हैं।

तत्पश्चात आयत में हज़रत मुहम्मद को सम्बोधित कर कहा गया है, कि यदि तुम इन ईसाईयों और यहूदियों की ईच्छाओं पर चलोगे, तो खुदा के संकट से तुम्हारा रक्षक कोई नहीं। यदि आप सूक्ष्म दृष्टि से देखें और विचारें तो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि इन आयतों में ईश्वरीय ज्ञान नामक कोई वस्तु नहीं हैं, क्योंकि इन्हें स्वीकारने से तो हज़रत मुहम्मद ओर खुदा पर कई दोष आते हैं। जैसे सर्वप्रथम तो यह कि खुदा अन्त-

र्यामी और सर्वज्ञाता नहीं रह सकता ? यदि अन्तर्यामी होता तो उसको हज़रत मुहम्मद सम्बन्धी समस्त ज्ञातव्य ज्ञात होना चाहिए था, कि हज़रत मुहम्मद ऐसा कर सकता है या नहीं ? 'यदि तू !' शब्द का प्रयोग तो सन्देहावस्था में ही सम्भव है। इससे खुदा सर्वज्ञाता नहीं रह सकता ? क्योंकि शंकास्पद शब्द अल्पज्ञ की ओर से ही होते हैं, ज्ञाता की ओर से नहीं ?

द्वितीय दोषा रोपण यह होता है, कि खुदा को हजरत मुहम्मद पर विश्वास नहीं है। यदि होता, तो ऐसे शब्द कदापि प्रयुक्त नहीं किये जा सकते, कि **यदि तू उनकी इच्छा का अनुकरण करेगा**, तो इससे स्पष्ट है, कि जहां खुदा का ज्ञान शंकास्पद है, वहां हजरत मुहम्मद साहिब भी विश्वसनीय नहीं रह सकते ? अनिश्चित शब्द तो तभी कहे जा सकते है, जब कि यह विचार हो कि क्या जाने यहूदी मत ही स्वीकार कर ले ? तभी तो हज़रत मुहम्मद हेतु यह कहा गया है, कि ईश्वरीय ज्ञान आ जाने के पश्चात उसको त्याग कर यदि यहूदियों और ईसाईयों की बात स्वीकार लेगा, तो तू ज़ालिम और नाफ़रमान (अत्याचारी और अवज्ञाकारी) हो जाएगा।

हम इस विषय पर पूर्व में सविस्तार चर्चा कर चुके हैं। जो आयतें यहाँ लिखी गई है, उनमें जालिम और नाफ़रमान शब्दों का प्रयोग किया है। इस आयत में खुदा ने हज़रत मुहम्मद को अपने महासंकट से भयभीत किया है। इससे कितनी घोर शंका खुदा को है, कि उसे अपने महासंकट से आतंकित करना पड़ा। इसमें हज़रत मुहम्मद की कितनी भीषण अवहेलना है ? और मुहम्मद साहिब खुदा के अन्तिम पैगम्बर और समस्त पैगम्बरों में श्रेष्ठ और सम्पूर्ण विश्व में सर्वोत्कृष्ट कहलाने वाले, जिसे खुदा ने स्वयं ही सम्पुष्ट किया है, तो क्या ऐसे मनुष्य के

हेतु ऐसा भीषण सन्देह करना उसकी प्रतिष्ठा हेतु कहां तक उचित है ? इतने महान पदों पर जब हज़रत मुहम्मद को स्वयं खुदा ने ही पदासीन कर सुशोभित किया, तो ऐसे महान व्यक्ति पर खुदा को इतना भी विश्वास नहीं कि वह सत्य धर्म पर अडिग रह सकेगा ?

यह आयतें न तो खुदा को सर्वज्ञाता और न हज़रत मुहम्मद को ही अन्तिम पैगम्बर तथा विश्व में सर्वोत्कृष्ट ही रहने देती है। इससे स्पष्ट है कि यह आयतें भी खुदा की ओर से नहीं है। जैसी कि यह आयतें हैं, ऐसी ही हम दो आयतें क्रमांक ४८ व ४९ इसी पारा १ की पूर्व में लिख चुके हैं। यह आयतें भी उन आयतों के सदृश्य ही है। इसलिये वहां हमने विस्तारपूर्वक इस विषय की व्याख्या की है। यहां तो मात्र इतना ही समझना पर्याप्त है कि इनमें न तो खुदा की खुदाई और न हज़रत मुहम्मद की अन्तिम पैग़म्बरी ही शेष रहती है।

अन्त में एक बात और शेष रह जाती है, कि जो लोग इस कुरआन पर ईमान लाते हैं, वही उच्च पद प्राप्त करेंगे और जो इसको अस्वीकार करते हैं वह हानि उठाएंगे। और यदि उनके हेतु कोई मार्ग लाभप्राप्ति का है तो फिर उसी (कुरआन) पर चल कर वह सफल हो सकते हैं। कुरआन पुस्तक तो अत्याधिक कम समय से हैं और विश्व तो करोड़ों वर्षों से विद्यमान है, तो क्या इससे पूर्वोक्त समस्त मनुष्य हानि ही उठाएंगे। क्या अजीब सा तर्क है ? कुरआन की कोई आवश्यकता ही नहीं है ? और यदि मान भी लिया जाए कि कुरआन से पूर्व कोई मार्ग नहीं था, तो उन लोगों पर खुदा की ओर से घोर अन्याय है। आगामी आयतें:-

या बनी इस्राईलज्कुरू नेमते यल्लती अनअम्तो अलैकुम व अन्नी फ़ज्जल्तुकुम अलल् आलमीन् । वत्तकु यौमल्ला तजजी नफ्सुन अन्नफिसन शैअ्वला युक्बलो मिनहा अदलुंव्वलातन्फअोहा शफ़ा आ तुंव्वला हुम् युनसरून ।

कुरआन पारा १ आयत १२३-२४

अर्थः-ऐ बनी इस्राईल! स्मरण करो मेरे उस उपकार को, जो मैंने तुम पर किया, और यह कि मैंने तुम्हे सम्पूर्ण सृष्टि के लोगों पर प्रतिष्ठा दी, और उस दिन से भय खाओ कि कोई किसी के काम न आएगा, और न उस की ओर से कोई बदला (प्रतिकार) स्वीकार किया जायगा, और न किसी की सिफ़ारिश उसे लाभ-प्रद होगी और न किसी की सहायता ।

तफसीर मजहरी पारा १ पृष्ठ २१०

पूर्व में भी यह आयतें लिखी जा चुकी हैं और इन पर सम्पूर्ण रूप से सविस्तृत व्याख्या आयत क्रमांक ४८-४९ के वहाँ परकी जा चुकी है । इन आयतों में और आयत क्रमांक ४८-४९ में बनी इस्राईल के सम्बन्ध में यह कहा गया है, कि हमने इसजाति को सम्पूर्ण ससार की जातियों के ऊपर प्रतिष्ठा है, और आयत क्रमांक ४९ के पश्चात जो भी दोष संसार में आरोपित हो सकते हैं, वह सब के सब बनी इस्राईल पर आरोपित कर आयत क्रमांक ५० से आयत १२० तक भयंकर निन्दा की गई है । इतने भयंकर दोषारोपण के पश्चात भी सम्पूर्ण संसार पर प्रतिष्ठा देने हेतु पुनः यह आयतें कुरआन में यहाँ कुरआनकार ने लिख दी हैं। बनी इस्राईल के चरित्र का जो चित्रण कुरआन ने प्रस्तुत किया है । उससे तो बनी इस्राईल की कोई प्रतिष्ठा सिध्द नहीं होती है ?

हाँ, यह हो सकता है, कि उनकी यह प्रतिष्ठा जन्मजात की दृष्टि से की गई हो। क्योंकि जो लोग जन्म से ही प्रतिष्ठा स्वीकारते हैं, उनके हेतु चाहे कितने ही दोष आ जाएँ, अत्याचारी हो जाएँ, खुदा और पैग़म्बरों की अवज्ञा करें और पुनः काफिर बन कर नर्क के अधिकारी भी हो जाएँ, तो भी वह जन्मजात प्रतिष्ठित मानने वालों के द्वारा प्रतिष्ठित ही माने और कहे जाते हैं।

इन आयतों की व्याख्या समाप्ति में तफसीर आजमुत्त-फासीर ने यहुदियों को परामर्श दिया है, कि अब भी समय है कि हमारे पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद के सिद्धांतों को स्वीकार लें और कयामत के दिन से भय खाएँ।

आजमुत्तफासीर पृष्ठ २६०

हज़रत इब्राहीम

आगामी आयतों में हज़रत इब्राहीम का वर्णन है। हम चाहते हैं कि हज़रत इब्राहीम की पूर्ण कथा को संक्षेप में आपके सन्मुख प्रस्तुत कर दें। उससे आपको समझने में अत्यन्त सरलता होगी। हम एक आयत को प्रस्तुत कर हज़रत इब्राहीम की कथा का बर्णन करेंगे। इसमें मक्का की बनावट और उसके सम्बन्ध में जो आदेश किये गये हैं, का वर्णन भी आ जाएगा। आयत:—

वा इज़िब्तला इब्राहीमा रब्बोहू बेकलेमातिन फ़ अतम्म-हुन्ना। काला इन्नी जाइलोका लिन्नासे इमामा। काला वा मिन् ज़ुर्रिय्यती काला ला युनालो अहदिज्जालेमीन्।

कुरआन पारा १ आयत १२५

अर्थः–स्मरण करो, जब कि इब्राहीम को उसके रब्ब (ईश्वर) ने कई बातों से परीक्षा ली, तो उसने उनको सम्पन्न कर दिया। खुदा ने कहा–हम तुझको आगेवान बनाना चाहते हैं। वह बोला··मेरी सन्तान में से भी ? खुदा ने फरमाया–मेरा बचन अत्याचारियों तक नहीं पहूँचता।

तफसीर हक्कानी पारा १ पृष्ठ ७१

इससे पूर्व आयत में है, कि बनी इस्राईल को सम्पूर्ण सृष्टि के ऊपर प्रतिष्ठा दी और इस आयत में है, कि जब इब्राहीम ने अपनी सन्तान सम्बन्धी प्रश्न किया तो उस समय खुदा ने कहा–मेरा वचन अत्याचारियों तक नहीं पहूँचता।

जब कि कुरआन की अत्याधिक आयतों में बनी इस्राईल को अत्याचारी अवज्ञाकारी–मूर्तिपूजक–घातक और प्रतिज्ञा भग-कर्ता आदि नामों से दोष युक्त कहा गया है, और पूर्वोक्त आयत में सम्पूर्ण सृष्टि से बनी इस्राईल कोप्रतिष्ठित भी किया गया है, तो इन आयतों के अनुसार कि मेरा वचन अत्याचारियो तक नहीं पहूँचता। स्पष्टतः पूर्वोक्त आयत के प्रतिकूल है। जब बनी इस्रा-ईल भयंकर घोर पापों में रत हैं और अत्याचारी व अवज्ञाकारी भी थे, तो वह किसी भी भाँति प्रेतिष्ठा (खुदा के वचन) के अधि-कारी नहीं ? अतः इस आयत को समाप्त कर दिया और इस आयत की उपस्थिति में उन दोनों पूर्व आयतों का रंच मात्र भी मूल्य न रहा ? और न उसमें वर्णित आज्ञाओं के कार्यान्वियन की कोई उपयोगीता ही रही ?

'इब्राहीम, शब्द को 'इब्राहम, पढ़ा गया है। सम्पूर्ण कुर-आन में ७८ स्थानों पर इब्राहीम का उल्लेख है, और इब्ने जक्वा-

न ने विशेष रूप से 'इब्राहम, और 'इब्राहाम, पढ़ है तथा कुरआन के शेष पाठकों ने 'इब्राहीम, पढ़ा है।

ताऊस ने कहा--इब्राहीम को अल्लाह ने १० वस्तुओं में परीक्षा था। इनमें से ५ मस्तक से सम्बन्धित है। (१) मूंछे कटवाना (२) कुल्ला करना (३) नाक में जल चढ़ाना (४) दतौन करना (५) मस्तक में मांग काढ़ना, और ५ शारीरिक सम्बन्धी हैं (१) नाखून उतारना (२) बगल के बाल उखाड़ना (३) नाभि के निम्नतर बाल उखाड़ना (४) खतना करना, और (५) जल से गुप्तांगों को स्वच्छ रखना।

हसन ने फरमाया–७ वस्तुएं हैं, (१) सितारे (२) चन्द्रमा (३) सूर्य (४) अग्नि (५) हिजरत (वतन छोड़ना। (६) पुत्र को जिबह (बलि) करना, और (७) खतना करना। आयत:–

फ़ लम्मा जन्ना अलैहिल्लेलो रआकौक बन काला हाज़ा रब्बी।

कुरआन पारा ७ रकू ९/१५

अर्थात:–और ऐसा हुआ कि जब उस पर रात्रि का अंधकार छा गया तो उसने (नभ पर) एक सितारा (चमकता) देखा। उसने (इब्राहीम ने) कहा--यह मेरा पालनहार है, कि समस्त लोग इसकी पूजा करते हैं, किन्तु जब वह अस्त हो गया तो कहा–मैं इन्हें नहीं स्वीकारता, क्योंकि जो अस्त होने वाले हैं, वह खुदा नहीं हो सकते ? **'फ़लम्मा रअलक़मरा बाज़ेग़न काला हाज़ा रब्बी'** तत्पश्चात जब चमकता चन्द्रमा देखा, तो इब्राहीम ने कहा–यही मेरा पालनहार है, किन्तु जब वह भी अस्त हो गया, तो कहा–यदि मेरे पालनहार ने मुझे न दर्शाया

होता, तो मैं अवश्य ही उस समुदाय में से हो जाता, जो सन्मार्ग से भटक गया है। 'फ़लम्मा रअश्शम्सा बाज़ेगतन काला हाज़ा रब्बी' जब प्रातःकाल हुआ, तो उसने प्रकाशित सूर्य को देख कर कहा—यह मेरा पालनहार है, किन्तु जब वह भी अस्त हो गया, तो उसने कहा--ऐ मेरी जाति ! तुम जो किसी को खुदा के साथ साथी ठहराते हो, मैं उससे दुःखी हूं।

इस वर्णन से ज्ञात होता है, कि इब्राहीम खुदा की वास्तविकता से अनभिज्ञ था और मात्र इतना समझता था, कि जो वस्तु लुप्त हो जाती है, वह खुदा नहीं हो सकती है।) आगे है-

सो इब्राहीम ने कर दिखाया अर्थात जिन बातों की परीक्षा खुदा ने की। हज़रत इब्राहीम उनमें पूर्ण सफल रहा, तो अल्लाह ने कहा—मैं तुझको लोगों का अगुआ बनानेवाला हूँ। इब्राहीम ने कहा--और मेरी सन्तान में से ? अर्थात मेरी किसी सन्तान को इमाम बना। इस पर खुदा ने कहा--हां, किन्तु हमारे इस वचन में अत्याचारी सम्मिलित नहीं है।

तफसीर मज़हरी पारा १ पृष्ठ २१० से १३

आजमुत्तफासीर में है, कि हज़रत इब्राहीम ग्राम कौसी जो नगर बाबल के निकट है, नमरूद बिन किनआन के शासनकाल में नूह के तूफान से १७०९ वर्ष पश्चात उत्पन्न हुए। .... आपने सर्वप्रथम अपने पिता और जाति से मूर्तिपूजा के सम्बन्ध में अत्यन्त तर्क-वितर्क किया।

आजमुत्तफासीर पृष्ठ २६२

आयतः—'वा इज़ काला इब्राहीमो लअबीहे आज़र'

कुरआन पारा ७ रकू ६/१५

अर्थ:-जब इब्राहीम ने अपने पिता आज़र से कहा--तू मूर्तियों को खुदा बताता है।

यहाँ कुरआन ने इब्राहीम के पिता का नाम आज़र कहा है, किन्तु इब्राहीम के पिता का नाम हारख स्वीकारते हैं। बाइबिल में लिखा है :—

जब हारिख ७० वर्ष का था, तो उससे इब्राहम उत्पन्न हुए।

बाइबिल प्रकरण 'उत्पत्ति' अध्याय ११

मुस्लिम व्याख्याकारों ने इस विषय में अत्याधिक खींचतान की है। किसी ने कहा—आज़र इब्राहीम का चाचा था। किसी ने कहा--इब्राहीम का पिता मूर्तिकार था और जिस मूर्ति का उसने निर्माण किया था, उसका नाम आज़र था, इसलिए उसे आज़र कहने लगे। यह समस्त बातें यथार्थ को छुपाने की है, इसमें कोई तथ्य नहीं है।

ऐसा ज्ञात होता है, कि मनुष्य होने के नाते हज़रत मुहम्मद इब्राहीम के पिता का नाम विस्मृत हो गए। कुरआन में और भी अन्य स्थलों पर भी इब्राहिम के पिता का वर्णन है। यदि इस आयत को खुदा की ओर से स्वीकार कर ली जाए, तो यह कैसे सम्भव हो सकता है, कि खुदा ने इब्राहिम के पिता का नाम गलत कह दिया ? इस कारण यह आयत भी खुदा की ओर से सिद्ध नहीं होती है। आगामी आयत:-

वा इज़ जअल् नल्बैता मसाबतल्लिन्नासे वा अमना। वत्तखेज़ू मिम्मकामे इब्राहीमा मुसल्ला। वा अहिदना इला इब्राहीमा वा इस्माईला अन् तहूहेरा बैतेया लित्ताएफ़ीना वल्आकेफीना। वरूकूकइस्सुजूद।

कुरआन पारा १ आयत १२६

अर्थः— और जब किया हमने काबा को पुण्य का स्थान और लोगों हेतु शान्तिदायक. और पकड़ो तुम इब्राहीम के स्थान को, नमाज़ पढ़ने का स्थान, और वचनबद्ध किया हमने इब्राहीम और इस्माईल की ओर, यह कि पवित्र करो मेरे निवास को परिक्रमा करने वालों के, और झुकने तथा सजदा करने वालों के हेतु ।

व्याख्याः—जब कि मनुष्य इस बनी इस्राईल इस बात के विश्वासी थे, कि काबा के भवन को हज़रत इब्राहीम और उनके पुत्र इस्माईल ने निर्मित किया है किन्तु इसके साथ ही वह अपनी हठधर्मी से हज्ज़ के कर्तव्यों को व्यर्थ और निरर्थक जान कर कहते थे, कि काबा को हज्ज़ हेतु निश्चित करना, और इस पवित्र भवन में प्रतिवर्ष मनुष्यों का एकत्रित होना, और नमाज़ में इसकी ओर मुंह करना, और इब्राहीम के स्थान के पार्श्व में नमाज़ पढ़ना खुदा की आज्ञा से नहीं है, अपितु अरबवालों ने स्वयं ही अपनी सम्मत्ति से आज्ञाएं निर्धारित कर ली हैं। भला एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर खुले मस्तक आवागमन और कहीं धीरे व कहीं दौड़ कर बिना कारण चलना, कतिपय पाषाणों व लकड़ियों के चहुँ ओर परिक्रमा करना, एक काले पाषाण को आंखों से लगाना, अपितु सजदा (नमन) करना इत्यादि, अरब के मूर्खों के अतिरिक्त और किसका कार्य हो सकता है ?

खुदा ने इन आयतों में उनके इस मिथ्या सन्देह का इस भांति उत्तर दिया है—ऐ पुस्तकवालों ! (यहूदी व ईसाईयों !) तुम्हारा यह विचार कि काबा—भवन का हज्ज़ करना अरब की मूर्ख जाति का ढग है । न कि हज़रत इब्राहीम व इस्माईल का ? नितान्त मिथ्या है । क्योंकि जिस भांति हमने मनुष्यों के हृदयों में इस स्थान के दर्शन की उमंग और शौक व भाव उत्पन्न किये हैं । इसी भांति हज़रत इब्राहीम और इस्माईल को इस पवित्र

भवन की परिक्रमा करने और हज्ज के समस्त कर्तव्य सम्पन्न करने का आदेश फ़रमाया था। पस, प्रारम्भिक गाथा को स्मरण करो, कि हमने काबा को, जो अब तक मक्का में विद्यमान है, लोगों हेतु अनुकरणीय स्थल बनाया है। ताकि प्रतिवर्ष लोग हज्ज हेतु उपस्थित होकर दीन और दुनिया और रूहानी व जिस्मानी (धर्म, अर्थ और तथा आत्मिक और शारीरिक) लाभ प्राप्त करें। हमने उसे शान्ति-स्थल बनाया है। ताकि जो लोग धार्मिक और सांसारिक लाभ प्राप्ति हेतु आस-पास एकत्रित हों, वह अभय रहे। हमने ही हज़रत इब्राहीम और इस्माईल की सन्तान हेतु अनिवार्य कर दिया है, कि प्रति वर्ष इस पवित्र स्थान में हज्ज हेतु आओ, और इब्राहीम के स्थान को नमाज़ का स्थान निश्चित करो।.....और हमने ही इन दोनों के पास फरिश्ता भेजा था कि मेरे निवास की परिक्रमा करनेवालों व नमाज़ पढ़नेवालों के हेतु प्रत्येक भाँति की अपवित्रता को दूर कर स्वच्छ और पवित्र करो। पस, इन आदेशों को अरब की मूर्ख जाति व मूर्खता की प्रथा कह कर अन्तिम पैग़म्बर को तान (निन्दा) करना और काबा की ओर मुँह कर नमाज़ पढ़ने को मूर्तिपूजकों की प्रथा बतलाना घोर हठधर्मी की बात है।

इसमें कतिपय यह बाते हैं:-

(१) हज्ज करने से यह शोक उत्पन्न होता है कि प्रत्येक देश के व्यक्ति यहां दौड़े चले आते हैं।

(२) मक्का, लोगों के हेतु पुण्य प्राप्ति का स्थान है। क्योंकि इस स्थान के हज्ज करने से समस्त अपराध समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि सहीह हदीस में आया है, कि अर्थात जो व्यक्ति मात्र खुदा हेतु हज्ज करता है और इसको न तो स्त्री की ओर

आकर्षण, न असत्य बोलना और न पाप करता है, वह पापों से पवित्र और स्वच्छ होकर घर लौटता है। जैसे अभी अपनी माता के उदर से उत्पन्न हुआ है।

(३) भक्ति से दृष्टि को एक ओर केन्द्रित कर मात्र उसकी मज़ावरत (सेवक-पड़ोसी आदि) आदि के दर्शन मात्र से असीम पुण्य प्राप्त होता है।

(४) खुदा प्रतिदिन उस आलोकित स्थल पर २० रहमतें [कृपाएं] नाज़िल [उतरना] फरमाता है ६० परिक्रमा करने वालों पर और ४० नमाज़ियों पर तथा २० दर्शकों पर। हदीस में आया हैं :-'**अन्नजरो इललकाबते अबादतुन**' काब को देखना ही अबादत (भक्ति) है। यह समस्त बातें एक ही हैं।

(५) काबा को शान्ति-स्थल बनाया है। यद्यपि शरीअत (धार्मिक विषय) के अनुसार सम्पूर्ण भूमि में शान्ति होना आवश्यक है, किन्तु यह और मकानों की अपेक्षा इस पवित्र भवन की विशेषता है शान्ति के सहित। इस कारण हरम (काबा का बाहरी क्षेत्र) में शिकार खेलना पाप है। रसूल ने मक्का-विजय के दिन फरमाया– यह वह नगर है, कि जिसको खुदा ने भूमि और नभ की उत्पत्ति के समय से ही सम्मानित किया है। यहां तक कि किसी व्यक्ति को भी मुझसे पूर्व जहाद और कताल (धर्मयुद्ध और कत्ल) करना वैध नहीं हुआ और मुझे भी मात्र एक घन्टे के लिए ही हुआ था। अब पुनः कयामत तक वर्जित हैं। (वाह, क्या खुदा भी स्वार्थसिद्धी हेतु ही आश्रय की महत्वपूर्ण वस्तु है? वह लोग अपनी प्राणरक्षा हेतु काबा में आए होंगे कि यहाँ कत्ल से बच जाएँगे, किन्तु उन्हें क्या ज्ञात था कि यहां भी कत्ल की व्यवस्था है।) पस, न तो यहां का शूल काटा जाए, न यहां

शिकार भड़काया जाये, न पड़ी हुई सम्पत्ति उठाई जाए और न यहाँ की घास उखाड़ी जाए । अविद्या के समय में यद्यपि हरम के चहुँ ओर लूटमार करते थे किन्तु हरम निवासी सर्वथा सुख-चैन में थे ।

हज़रत इमाम आज़म ने इस पर एक तर्क प्रस्तुत किया है, कि यदि कोई हद (दण्ड) का दोषी या घातक मक्का के हरम में प्रविष्ट होगा, तो वहाँ उस पर हद (दण्ड) न होगा । क्योंकि खुदा फरमाता है- **'मन दखलहू काना आमेनून'** जो उसमें प्रविष्ट हुआ, वह अमन में हो गया ।..... ....जब वह हरम से बाहर आए तो दण्डित किया जाए और यह (काबा) सदैव बादशाहों के अधिकारों से सुरक्षित रहा है । यहाँ तक कि पशुवर्ग के हृदय में भी इस पवित्र स्थान की प्रशंसा और प्रतिष्ठा समाहित की गई ।

हबीब से वर्णित है, कि हम एक दिन अब्दुल्लाह बिन उमर के साथ काबा की छाँव में बैठे हुए थे । जब सूर्य के ऊपर आने से छांव जाती रही तो अकस्मात एक तीव्र चमक मस्जिद हराम (काबा) के द्वार से उत्पन्न हुई । हमने देखा कि एक विशाल सर्प चला आता है । आते-आते उसने काबा की ओर ध्यान कर ७ समय परिक्रमा की और इब्राहीम के स्थान के पार्श्व में दो रक-अत नमाज़ पढ़ी (क्यों उस्ताद ! कैसी रही क्या यह भी सत्य है ?) यह देख कर अब्दुल्लाह बिन उमर और बैठक में उपस्थित महान व्यक्ति उस सर्प के पास गए और कहा—ऐ प्रिय ! तेरी परिक्रमा हो गई है और इस नगर में अपरिचित और दास मनुष्य अधिक है । उचित ज्ञात होता है, कि तू लोगों की दृष्टि से ओझल रहे । यह वाक्य सुनते ही सर्प आकाश की ओर उड़ गया और दृष्टि से ओझल हो गया । (सत्यवचन महाराज ?)

(६) अर्थात इब्राहीम के स्थान को नमाज़ का स्थान निश्चित करो। इससे वह निश्चित पाषाण अभिप्रेत है। जिस पर हजरत इब्राहीम खड़े होकर काबा का निर्माण करते थे। काबा निर्माण के तत्पश्चात उस पर खड़े होकर लोगों को हज्ज हेतु आमंत्रित किया करते थे। इस पाषाण पर हज़रत इब्राहीम के चरण-चिन्ह अंकित हो गए थे। जो अत्याधिक कालान्तर के पश्चात लोगों के चूमने से समाप्त हो गए।

हजरे असबद

हदीस में आया है, कि हजरे असबद वह पाषाण है, जो हज़रत आदम के साथ स्वर्ग से उतारा गया था और कयामत के दिन इन दोनों को नेत्र, जिव्हा और अधर प्रदान होंगे। ताकि उच्च स्वरों से यह अपने दर्शकों के पक्ष में साक्षी दे।

हज़रत ज़ाबर का कथन है, कि जब रसूलुल्लाह हज्ज़ हेतु काबा में चले गए तो प्रथम ३ परिक्रमा में तीव्र गति से दौड़े और शेष ४ परिक्रमा शनैः-शनैः चल कर पूर्ण की। जब परिक्रमा से निवृत हुए तो इब्राहीम के स्थान के पार्श्व में आए और दो एक रकअत पढ़ कर यह (उपरोक्त) आयत पढ़ी। इब्राहीम के स्थान से तात्पर्य वही पाषाण है। जिस पर हज़रत इब्राहीम खड़े होकर मक्का का निर्माण करते थे और जब मक्का (काबा) की दीवारें मनुष्य की ऊँचाई से ऊँची हो गई थी, तो हज़रत इस्माईल उस पाषाण को अबू कबीस पहाड़ से उठा कर लाये थे, ताकि हज़रत इब्राहीम उस पर खड़े होकर दीवारें ऊँची करें। जब हज़रत इब्राहीम एक ओर की दीवार बना चुकते और दूसरी ओर की बनाने की आवश्यकता पड़ती, तो वह पाषाण स्वयंमेव उस ओर घूम जाता।

खुदा ने आदम को इस स्थान का पता दिया था, कि वहाँ जाकर मेरी भक्ति हेतु एक भवन निर्माण कर और उसकी ओर मुँह कर नमाज़ पढ़। खुदा की आज्ञा से जिब्रील आदम को यह स्थान दर्शाने आया, जहाँ अब काबा है। फ़रिश्तों ने उस भूमि की नींव खोद लबनान-तूर-सीना व जूदी पहाड़ों से पाषाण ला ला कर उस भूमि को भर दिया। जब वह नींव भूमि के समतल हो गई तो खुदा ने बैतुल्मामूर को आकाश से उतार कर उस नींव पर रखा और आदेश दिया--आदम की सन्तान इसके चहूं ओर परिक्रमा करे और इसी ओर मुँह कर नमाज़ पढ़े। नूह के तूफान तक यह भवन उचित स्थिति में रहा तत्पश्चात जलप्लावन के समय बैतुल्मामूर पुनः आकाश पर उठा लिया गया (हाँ, जहां से आया था, वहां पहुँच गया ?) और यह एक टीला सा रह गया। तत्पश्चात हज़रत इब्राहीम को इस स्थान का पता बताने हेतु खुदा ने एक मेघ खंड को भेजा। जिसकी छाया की सीमा से काबा की सीमा निश्चित हुई। जिब्रील ने उस छाया के भीतर एक रेखा खींच दी। जिसके अनुसार हज़रत इब्राहीम ने काबा का निर्माण किया। दीवारें ऊँची हो गई तो हज़रत इब्राहीम ने इस्माईल को पाषाण लेने हेतु भेजा, ताकि उस पर खड़े होकर दीवारों का निर्माण करें। जब हज़रत इस्माईल पाषाण लेने गए तो उनको जिब्रील मिल गया और वह इस्माईल को अपने साथ ले गया, ताकि पाषाण दिखाए। उसने कहा--हज़रत इदरीस ने तूफान के भय से यह दो पाषाण पहाड़ की गुफा में छुपा दिये थे। एक हज़रत इब्राहीम के खड़े होने हेतु और दूसरा चूमने हेतु। हज़रत इस्माईल उन दोनों पाषाणों को ले आए। यह पाषाण हज़रत आदम के साथ स्वर्ग से उतारे गए थे। एक पाषाण पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम काबा के निर्माण में व्यस्त हो गए तो वह पाषाण दीवारों की ऊँचाई के

समानन्तर स्वतः ऊँचा होता जाता था। यहाँ तक कि भवन सम्पूर्ण होने पर और किसी पाषाण की आवश्यकता ही न पड़ी उसमें हज़रत इब्राहीम के चरण-चिन्ह अंकित हो गए थे। दूसरे पाषाण को हज़रत इब्राहीम ने काबा के कोने पर लगा दिया। (**'नसब'** उस पाषाण को कहते हैं, जो पूजा के हेतु लगाया जाए) उसमें एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न हुआ कि जहां तक उसका प्रकाश प्रकाशित हुआ। वहां तक हरम की सीमा निर्धारित हो गई।

हदीस में आया है, कि अर्थात **"रूकन"** और **"मुकाम"** (दोनों ही पाषाण) स्वर्ग के याक़ूतों में से दो याक़ूत थे। जिनका वास्तविक प्रकाश खुदा ने लुप्त कर दिया। यदि इन दोनों का स्वाभाविक प्रकाश स्थिर रहता तो पूर्व से पश्चिम तक सम्पूर्ण आलोकित हो जाता (मनुष्य भी कैसे भाग्यहीन हैं ? यदि खुदा इनका प्रकाश लुप्त न करता तो सम्पूर्ण सन्सार ही आलोकमय हो उठता और मनुष्यों को न दीपक न लालटेन-कन्दीलों-मशालों और आज इस बिजली की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और करोड़ों रूपयों की बचत होती ?)

एक और हदीस में है, कि हजरे असबद का रंग प्रारम्भ में अत्याधिक सफेद और आलोकमय था। पापी मनुष्यों के हाथों के स्पर्श से इतना काला हो गया।

तफसीर आज़मुत्तफासीर पारा १ पृ. २६५ से ७०

इस आयत में काबा सम्बन्धी वर्णन किया गया है, कि इस काबा को पुण्य का स्थान और शान्ति का भवन बनाया है, और तुम लोग इस स्थान को नमाज़ और हज्ज का स्थान बनाओ। हमने इस आयत की व्याख्या द्वारा काबा के निर्माण से

सम्बन्धित वर्णन सम्पूर्ण वर्णित कर दिया है, कि यह कैसे निर्मित हुआ ? प्रथम आदम के समय फरिश्तों ने इसकी नींवे खोदी और भरी तत्पश्चात स्वयं खुदा ने आकाश से बैतुल्मामूर को उतार सर इसकी नींवों पर रख दिया और नूह के तूफान से पूर्व उस भवन अर्थात बैतुल्मामूर को पुनः आकाश पर उठा लिया गया ? इसके अतिरिक्त और भी अनेक काल्पनिक और अन्ध विश्वास-जनित बातें जन साधारण को भ्रमित एवं प्रेरित करने हेतु कही गई है, ताकि लोग इस पर श्रद्धा कर उसको अपना पूज्य स्थान स्वीकारें और धर्म व खुदा के नाम पर हज्ज करने जाया करें। इसका वर्णन हम आगे करेंगे। प्रथम आगामी आयत जो काबा से ही सम्बन्धित है, प्रस्तुत कर दें। आयत:--

वा इज़ काला इब्राहीमो रब्बिज़् अल् हाज़ा बलदन आमेनंव्व-र्जुक अहलहू मिनस्समराते मन आमना मिन्हुम् बिल्लाहे वल्यौ-मिल्आखेरे, काला वा मन् कफ़रा फउमत्तेउहू कलीलन सुम्मा अज्तरोंहू इला अज़ाबिन्नार्, वा बेसल् मसीर।

कुरआन पारा १ रकू १५।१५ आयत १२७

अर्थ–और जिस समय इब्राहीम ने प्रार्थना की, कि ऐ मेरे रब्ब ! इसको एक आबाद और शान्तिमय नगर बना दीजिए, और इसके निवासियों को फलों की भी कृपा कीजिए, और अल्लाह ! कयामत के दिन पर भी विश्वास रखते हैं। खुदा ने आदेश फर-माया– उस व्यक्ति को, जो काफिर रहे, सो ऐसे व्यक्ति को तनिक दिन अत्यन्त आराम दूँगा, तत्पश्चात नर्क के अज़ाब (संकट) में पहुँचाऊँगा और वह स्थान अत्यन्त बुरा है।

तफसीर इब्ने कसीर पारा १ पृ. ८०-८१

व्य ख्या–और स्मरण करो उस बात को, कि इब्राहीम ने प्रार्थना की, कि ऐ मेरे रब्ब ! (ईश्वर) कर दे तू इस स्थान को, जिसमें तेरे हेतु मैंने भवन निर्माण किया है, इस नगर को अभय कर दीजिए दुष्काल और ध्वंसता से व आकृति-परिवर्तन से अथवा इस नगरवासियों को अत्याचारियों के अत्याचार से रक्षित और शान्ति में रख, और इस नगरवासियों को फलों व मेवों से भोजन प्रदान कर । खुदा ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और आज्ञा दी– जिब्रील फिलिस्तान के ग्रामों में से एक ग्राम जिसमें अधिक मेवे थे, उस भूमि से उखाड़ कर मक्का में ले आए और ७ बार काबा के चहूँ ओर परिक्रमा कर उस गांव के तेहामह क्षेत्र में जो मक्का से ३ मन्ज़िल की दूरी पर है, रख दिया । काबा के चहूं और परिक्रमा करने के कारण उस स्थान को ताइफ़ कहते हैं । वहाँ के लोग मेवे खाते हैं । तत्पश्चात इब्राहीम ने धन आदि पदार्थों की विशेषता मौमिनों के साथ की और कहा—उसे रोज़ी दे, जो ईमान रखता हो, उन लोगों को जो इस नगर के निवासी हों । खुदा ने कहा–जो काफ़िर हुआ कि मैं उसे सन्सार में तनिक लाभ दूँगा, फिर उसे विवशतासहित नर्क संकट की ओर हांक दूँगा । तफसीर कादरी भाग १ पृष्ठ ३०-३१

आगामी आयतें भी इसी उपर्युक्त विषय की है । आयतें:—

वा इज़ यर्फ़ओ इब्राहीमुल्क़वाएदा मिनल्बते वा इस्माईलो, रब्बना तक़ब्बलमिन्ना । इन्नका अन्तस्समीउल्अलीम । रब्बना वज़अल्ना मुस्लेमैने लका वा मिन् ज़ुर्रिय्यतेना उम्मतम्मुस्लेम तल्लका । वा अरेना मना सिकना वा तुब् अलैना इन्नका अन्तत्त-

व्वाजुर्हीम । रब्बना वब्अस फीहिम रसूलम्मिन्हुम् यत्लू अलै-हिम् आयातेका वा युआल्लिमोहुमुल्किताबा वलिहकमता वा योजाक्किहिम इन्नका अन्तल्अजीजिल्हकीम् ।

कुरआन पारा १ रकू १५/१५ आयत १२८ से ३०

अर्थ—और जब इब्राहीम और ईस्माईल भी काबा की बुनियादें उठाते थे और वह यह कहते थे— ऐ रब्ब ! (ईश्वर) हमसे स्वीकार कर तू ही है श्रोता और ज्ञाता, और ऐ रब्ब ! हम दोनों को अपना आज्ञाकारी रखना (यह क्यों, समस्त सन्तान को आज्ञाकारी रखने की प्रार्थना क्यों नहीं की ?) और हमको हज्ज करने के नियम बता, और हम पर दया रख, तू ही क्षमाकर्ता दयालू है । ऐ हमारे रब्ब ! उनके हेतु उन्हीं में से एक रसूल भी भेज (बस, यह हुई न स्वार्थ की बात ?) जो तेरी आयतें उनको सुनायें, और उनको पुस्तक और हिकमत सिखायें, और उनको पवित्र बनायें । तू ही है अत्याधिक हिकमत वाला ।

तफसीर हक्कानी पारा १ पृष्ठ ८५

आयत का अन्तिम भाग विशेष विचारणीय है, और वह यह है कि उन्हीं में से उनके हेतु रसूल भेज । जब कि समस्त पैगम्बर बनी इस्राईल में से हुए, तो यह केवल एक रसूल उनमें से भेज विचारणीय है ?

व्याख्या:—इस आयत में खुदा ने हज़रत इब्राहीम और इस्माईल के विशेष प्रेम और पवित्र भावना तथा उस का वर्णन किया है, कि जिसमें हज्ज की आज्ञाओं की ओर अन्तिम नबी की नबव्वत की ओर किञ्चित संकेत किया है, और कहा—उस समय को

स्मरण करो कि जब हज़रत इब्राहीम और इस्माईल काबा की दीवारें चूनते जाते और अत्यन्त नम्रता और विनीत भाव से यह प्रार्थना भी करते जाते थे, कि हमारे इस प्रयत्न को स्वीकार कीजिए। क्योंकि जो हम जिव्हा से प्रार्थना करते हैं, उसे तू भलि-भाँति सुनता है और हार्दिक रहस्यों से भी भली प्रकार परिचित है। ऐ खुदा ! हमको सदैव अपनी आज्ञापालन में रखना। कभी भी कोई कार्य तेरी इच्छा के प्रतिकूल हम से न हो और हमारे पश्चात भी हमारी सन्तति से अपने आज्ञाकारी लोग उत्पन्न करना, ताकि तेरी भक्ति हम में सदैव पाई जाये और इस भवन की सेवा मेरे वंश में रहे, और हमारे हेतु भक्ति तथा हज्ज के जो नियम आपने निर्धारित किये हैं। उनका भी ज्ञान करा दीजिए। ताकि उसके अनुकूल हम करें, और मनुष्य होने के कारण हमसे जो कुछ त्रुटि हो जाए उसे क्षमा कर दीजिए, और सदैव हम पर कृपा रखना, क्योंकि तू महान क्षमाशील व कृपालू है। ऐ प्रभू। हमारे वंश में एक ऐसा रसूल भेज कि लोगों को तेरी आयतें पढ़ कर सुनाए। यहाँ तक ही नहीं अपितु तेरी पुस्तक की शिक्षा भी करे, और शिक्षा के पश्चात शरीअत के रहस्य तथा आज्ञाओं को भी दर्शाए और अपनी नबव्वत की योग्यता और वास्तविक ज्योति से लोगों को आरास्ता (सँवारता) भी करे। तत्पश्चात वह आन्तरिक प्रतिष्ठाओं हेतु नबी के आदर्शों और ज्ञान का स्त्रोत रहे।

तफसीर हक्कानी पारा १ पृष्ठ ८५-८६

यहाँ पर काबा-निर्माण का वर्णन है। अतः आपके हेतु यह ज्ञातव्य आवश्यक है, कि हज़रत इब्राहीम काबा के निर्माण हेतु मक्का के स्थान पर कैसे पहूँचे ? आयतः—

वत्लो अलैहिम् नबआ इब्राहीम, इज़ काला ले अबीहे वा कौमेह

मा ताबुदून् । कालू नाबुदो अस्नामन फ़नज़ल्लाहो लहा आकेफ़ीन। काला हल्यस्मऊनकुम् इज़ तदऊना, औ यल्फ़ऊनकुम् औ यज़र्रून। कालू बल् वजदना आबाअना कज़ालेका यफ़अलून ।

कुरआन पारा १९ रकू ५/९

अर्थः—और सुनो, इब्राहीम के समाचार, जब उसने अपने पिता और जाति से कहा—तुम किसको पूजते हो ? वह बोले—हम मूर्तियों को पूजते हैं। .....इब्राहीम ने कहा—जब तुम उन्हें पुकारते हो, तो तुम्हारा किञ्चित सुनते हैं ? और तुम्हारा तनिक भी भला करते हैं ? तो बोले—तनिक नहीं करते। हमने अपने पूर्वजों को यही कार्य करते पाया है। इब्राहीम बोला-- जिनको तुम और तुम्हारे पूर्वज पूजते रहे, वह मेरे शत्रु हैं किन्तु जिसने मुझे सम्पूर्ण विश्व का मालिक बनाया है, सो वही मुझे मार्ग दर्शाता है।

कससुल्कुरआन भाग १ पृष्ठ १७४

इब्राहीम ने कहा—

फ़राग़ा इला आलेहतेहिम् । फ़काला अला ताक़ोलूना मा लकुम ला तन्तेकून् । फ़राग़ अलैहिम् ज़र्बन विल्यमीन । फ़ अक्बलू इलैहे यज़िफ़ून् ।

कुरआन पारा २३ रकू ३/७

अर्थातः-पस, चुपके से जा घुसा (इब्राहीम) उनकी मूर्तियों में और कहने लगा उनके देवताओं से—क्यों नहीं खाते, तुमको क्या हो गया, क्यों नहीं बोलते ? तत्पश्चातः—

फ़ज अलाहुम् जुज़ाज़ान इल्ला कबीरल्लाहुम अल्लहुम इलै हे यर्जेऊन। कुरआन पारा १७ रकू ५/५

अर्थात-दाहिने हाथ से तोड़ा उनको, फिर खंड-खंड कर दिये, किन्तु उनमें से विशाल देवता को छोड़ दिया, ताकि वह अपनी मान्यतानुसार उसकी ओर आकर्षित हो (यह क्या ?)... जब वह लोग मेले से वापिस लौटे, तो मन्दिर में मूर्तियों की यह स्थिति देखी और भयंकर क्रोधित हुए और एक-दूसरे से पूछने लगे–यह क्या हुआ और किसने किया ? उनमें वह भी थे, जिसके सन्मुख इब्राहीम ने कहा था- 'वल्लाहे लउकीदन्ना अस्नामकुम्, अर्थात- (शपथ है खुदा की) मैं तुम्हारी मूर्तियों के साथ बुराई करूँगा। उन्होने तत्क्षण कहा–'कालू मन फ़अला हाज़ा बेमाले हतेना इन्नहू लामे नज़.जालेमीन्। कालू समेना फ़तैय्यजकुरोहुम युकाला लहू इब्राहीम्' अर्थात-कि यह उपद्रव हमारे देवताओं के साथ जिसने किया है। निसन्देह, वह अवश्य ही अत्याचारी है। उनमें कतिपय कहने लगे हमने एक युवक को इन मूर्तियों की बुराई सहित वर्णन करते हुए सुना है, उसको इब्राहीम कहते है।

कससुल्कुरआन भाग १ पृष्ठ १८६

आयतः–कालू फ़ातू बेही अला आयोनिन्नासे लअल्लहुम यश्हदून। कालू अअन्ता फ़अल्ता हाज़ा बे आले हतेना या इब्राहीम।

कुरआन पारा १५ रकू ५।५

अर्थात–उन्होंने कहा–इब्राहीम को लोगों के समक्ष लाओ, ताकि वह देखे। (इब्राहिम आया) तो वह कहने लगे--इब्राहीम ! क्या तूने हमारे देवताओं के साथ यह किया है ? इब्राहीम ने देखा कि यह उत्तम अवसर आ गया है, जिसके हेतु मैंने युक्ति सोची थी।

अत्याधिक लोग भी उपस्थित हैं। समस्त देख रहे हैं कि उनके देवताओं की क्या दशा हुई ? अतः अब पूजारियों और धार्मिक आगेवानों को समस्त की उपस्थिति में उनके मिथ्या विश्वास पर उनको लज्जित करने का अवसर है ताकि समस्त को यह ज्ञात हो जाए कि आज तक जो इन देवताओं के सम्बन्ध में पूजारियों और धार्मिक आगेवानों ने कहा है, वह उनका सम्पूर्ण धोखा था। इब्राहीम ने कहा–**काला बल् फ अलहू कबीरोहुम हाज़ा फस्अलू-हुम् इन कानू यन्तेकूना।'** कुरआन पारा १७ रकू ५।५

अर्थात–यह इनमें से विशाल मूर्ति ने किया है। पस, यदि यह (तुम्हारे देवता) बोलते हैं, तो इनसे पूछो ? इब्राहीम के इस उत्तर से धार्मिक आगेवान और पूजारी लज्जा में डूब गए और सोचने लगे कि क्या उत्तर दें ?

अगली आयत का अर्थ है--तत्पश्चात वह हृदय में सोच कर कहने लगे–निसन्देह, तू ही अत्याचारी है। तब अपने मस्तकों को नत कर कहने लगे–(ऐ इब्राहीम !) तू ! भलिभाँति जानता है कि यह बोलने वाले नहीं है। इस पर इब्राहीम ने कहा–**काला अफताबोदूना मिन् दुनिल्लाहे मा ला यन्फओकुम् शयअ व्वला यजुर्रुकुम।** कुरआन पारा १७ रकू ५।५

अर्थातः–क्या तुम खुदा को त्याग कर उन वस्तुओं को पूजते हो, जो न किञ्चित तुमको लाभान्वित कर सकती है, न हानि पहुँचा सकती है ? तुम पर दुख है।.....यह सुन कर वह समस्त शोर मचा कर इब्राहीम के चहूं ओर एकत्रित हो गए।

कससुल्कुरआन भाग १ पृष्ठ १८८

उस समय के शासक का नाम नमरूद था। नमरूद को जब यह ज्ञात हुआ तो वह आपे से बाहर हो गया और सोचने लगा कि इस व्यक्ति के पैग़म्बराना प्रचार की गतिविधियाँ यदि इसी भांति प्रचलित रही तो यह मेरे खुदाई दावे और शासन से सम्पूर्ण प्रजा को अवज्ञाकारी बना देगा ? और इसी भांति पूर्वजों के धर्मसहित मेरा यह शासन भी समाप्त हो जाएगा। अतः इस समस्या को प्रारम्भ में ही समाप्त कर देना श्रेयस्कर है। इसलिए उसने आदेश दिया-इब्राहीम को हमारे दरबार में उपस्थित करो ? जब इब्राहीम नमरूद के दरबार में पहुँचा, तो नमरूद ने इब्राहीम से पूछा--तू पूर्वजों के धर्म का विरोध क्यों करता है ? और मुझको खुदा स्वीकारने को अस्वीकार क्यों करता है ? इस पर इब्राहीम ने कहा--

काला इब्राहीमो रब्बिल्लज़ी योहयी वा युमीतो काला अना ओहयी वा उमीतो काला इब्राहीमो फ इन्नल्लाहा याती बिश्शम्से मिनल्मश्रेके फाहे बेहा मिनल्मग़रबे।

कुरआन पारा ३ रकू ३५।३

अर्थात:--मेरा खुदा तो जीवन और मृत्यु देता है। इस पर सम्राट ने कहा–मैं भी जीवन व मृत्यु देता हूँ। इस पर नमरूद ने दो मनुष्यों को बुलवा कर एक को कत्ल करवा दिया और एक को फांसी--दण्ड से मुक्त कर दिया। पुनः इब्राहीम ने कहा–खुदा, सूर्य को पूर्व से निकालता है, तू पश्चिम से निकाल कर दर्शा ? इससे सम्राट निरूत्तर हो गया। तत्पश्चात राजा और प्रजा ने मतैक्य होकर यह निश्चय किया, कि इब्राहीम को धधकती अग्नि में डाल देना चाहिए।

कससुलकुरआन भाग १ पृष्ठ १६४

यह कहानी अज़ाएबुल्कसस में सम्पूर्ण है। अतः आगे की कहानी उससे उद्धृत करते हैं :-

नमरूद के राज्य में एक लोहे का तन्दूर था। जब नमरूद किसी पर क्रोधित होता था, तो उस तन्दूर को अग्नि से भर कर उसको उस तन्दूर में डाल देता था। जिसमें वह जल कर भस्म हो जाता। अतः हज़रत इब्राहीम को भी उसी तन्दूर में डाला गया किन्तु खुदा की आज्ञा से अग्नि ने इब्राहीम को कोई हानि न पहुँचाई। जब हज़रत इब्राहीम को निकाला, तो हज़रत इब्राहीम का एक बाल भी न जला था। तत्पश्चात नमरूद ने प्रजा को एकत्रित कर कहा–अब इब्राहीम के सम्बन्ध में क्या कहते हो? कहा--अब यह नीति है कि इब्राहिम को बन्दी बना दो और वन में एक स्थान पर अत्याधिक लकड़ियां एकत्रित कर इसको उस अग्नि में डाल दो।

मुआरेजुन्नवब्बत में लिखा है, कि ४० दिनों तक और कुछ एक कहते हैं कि ७ वर्षों तक नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को बन्दी रखा। तत्पश्चात नमरूद ने आज्ञा दी--कवल्ली ग्राम में एक परकोटा ४ कोस भूमि पर ४०० गज ऊँची दीवारों का निर्मित किया जाए।

मदारक के उद्धृण में है कि उसकी लम्बाई ८० गज और चौड़ाई २० गज थी।

मुआलिम में है, कि कतिपय रोगी यह मन्नत मानते थे, कि यदि हम स्वस्थ हो जायें, तो हम भी इब्राहीम के जलाने हेतु लकड़ियां लाएँगे.....अन्ततः एक माह तक उसमें लकड़ियां संग्रहित की गई और उन दीवारों के ऊपर तक लकड़ियाँ भर गई

और फिर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी गई और वह इस भांति धधकी कि उसके निकट कोई जा भी नहीं सकता था। अब इब्राहीम को उसमें कैसे डालें ? तो शैतानों ने कहा--एक मंजनीक अर्थात ढींगली बनाकर उसमें इब्राहीम को बैठा कर अग्नि में फेंक दो। तत्पश्चात हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल कर मंजनीक पर बठा कर इब्राहीम को अग्नि में फेंक दिया। तब खुदा के आदेश से जिब्रील ७० हजार फरिश्तों को लेकर इब्राहीम के समीप पहुँचे और कहा-यदि तू कहे तो अपना एक पंख इस अग्नि पर मारूँ और इसको समीत दरिया में डाल दूँ। इब्राहीम ने कहा-खुदा ने तुझे इस भांति का आदेश दिया है ? कहा--नहीं। इब्राहीम ने कहा-जिस प्रकार खुदा ने फरमाया है, उसी प्रकार कर। जिबील ने पूछा-कोई आवश्यकता हो तो कहो? इब्राहीम ने कहा-वह खुदा मेरी स्थिति को जानता है। आयतः-

कालू हर्रेकूहो वन्सोरू आलेहताकुम इन् कुन्तुम फ़ाएलीन कुल्ना या नारेकूनी बर्दव्व सलामने अला इब्राहीम् ।

कुरआन पारा १७ रकू ५/५

अर्थात्:- वह समस्त कहने लगे-इस इब्राहीम को जला दो और अपने देवताओं की सहायता करो, यदि तुम करना चाहते हो ? (जब हजरत इब्राहीम को अग्नि में डाल दिया गया) तो हम (खुदा) ने आदेश दिया--ऐ अग्नि ! तू इब्राहीम हेतु शीतल और सुरक्षा हो जा।

सारांश यह, कि जब इब्राहीम अग्नि में पहुँचे तो हथकड़ियां बेड़ियां और तौक इत्यादि समस्त जल गए और हजरत इब्राहीम को कोई कष्ट न पहुँचा। अग्नि शीतल हो गई और

मधुर जल स्रोत उसमें उत्पन्न हो गए । हज़रत जिब्रील ने एक बिल्लौरी सिंहासन स्वर्ग से लाकर इब्राहीम को उस पर आसीन कर सुन्दर वस्त्र धारण करवा दिये । किञ्चित लकड़िया तो जल गई थी और जो शेष रही वह वृक्षों की जड़े बन गई और उनमें हरित शाखाएँ उत्पन्न हो फल-फूल प्रकट हो गए तथा सिंहासन के चहूं ओर नर्गिस और बनफ़शा उगे । ..... जब इब्राहीम को अग्नि में डाला था, तब नमरूद एक टीले पर चढ़ कर देख रहा था । जब यह स्थिति देखी, तो कहा-शोक, कि मेरा परिश्रम व्यर्थ गया । तत्पश्चात कहा-मंजनीक (एक प्रकार का यन्त्र) में पाषाण भर कर फेंको ? जब वह पाषाण फेंकते थे, तो वायु में लटकते हुए एकत्रित हो वर्षा के सदृश्य अग्नि पर बरसते थे । यहाँ तक कि उनसे समस्त अग्नि बुझ गई ।

तफसीर 'मुआलिम, और 'मुवाहिब, में है, कि जब हजरत इब्राहीम नमरूद की अग्नि में उतरे, उनके तौक और जंजीरें जल गए । उनके आसपास नर्गिस के फूल और बनफशा के गुलदस्ते व यास्मिन खिल गये और मधुर जल स्रोत उत्पन्न हो गए, और ७ दिनों तक उस अग्नि में रहे और नमरूद अपने महल से देखता रहा कि हज़रत इब्राहीम एक सुन्दर उद्यान और मनोरम वाटिका में विराजित है और मलकज़्ज़ल्ल से वार्तालाप कर रहे हैं ।

मुआलिम में हैं, कि मलकज़्ज़ल्ल इब्राहीम के रूप में था, जब-इब्राहीम ने अग्नि से मुक्ति पाई तो, कतिपय लोग हज़रत इब्राहीम पर ईमान लाए । जब ऐसी स्थिति हुई, तो एक दिन नमरूद से हज़रत इब्राहीम को एकान्त स्थान में आमंत्रित किया और कहा-तू अपने साथियों सहित मेरे शासन से बाहर चला जा ।

हज़रत इब्राहीम ने यह बात स्वीकार कर ली और स्याम की ओर चले गए ।

'सारा' (दो कथाएँ)

'कससुल्अंबिया, में लिखा है—सारा बादशाह की पुत्री थी । इब्राहीम ने मार्ग में उसकी कामना की थी । जब हज़रत इब्राहीम ने स्याम की ओर प्रस्थान किया तो मार्ग में, एक नगर में प्रवेश किया । वहाँ देखा कि लोग सुन्दर और आकर्षक वस्त्र पहिने हुए एक मैदान की ओर जा रहे हैं । उनसे पूछने पर ज्ञात हुआ कि यहाँ के बादशाह की एक पुत्री है, जो अत्यन्त रूपवती है । चारों ओर के बादशाह उसकी कामना करते हैं और उस पर मोहित व आसक्त हैं । वह किसी को स्वीकार नहीं करती । हज़रत इब्राहीम भी उस स्थान पर जाकर एक कोने में बैठ गए । वह लड़की ७० दासियों सहित मुँह पर आवरण डाले हुए स्वर्णजड़ित तुरंज (नींबू) हाथ में लिए हुए उस मैदान में लोगों को देखती घूम रही थी । जब हज़रत इब्राहीम के निकट पहुँची, तो नूरे मुहम्मदी (मुहम्मद प्रकाश) हजरत इब्राहीम के मस्तक पर प्रकाशित और देदिप्यमान देखा (शाहजादी भी परोक्ष दृष्टा थी ?) तो उस अलौकिक रूप को देख कर मुग्ध हो गई और वह तुरंज उनकी गोदी में डाल दिया और आप सिंहासन पर जाकर आसीन हो गई । अन्ततगोत्वा लोग हज़रत इब्राहीम को उसके पिता के पास ले आए और समस्त नगरनिवासियों ने मिल कर उसका विवाह कर दिया । उस लड़की का नाम सारा था ।

(यह एक मनोरंजक कहानी है । न जाने यह सारा फिर कहां चली गई ? क्योंकि इब्राहीम के साथ जो सारा थी, वह तो उसके चाचा की पुत्री थी । जैसा कि आगे आयेगा ।)

तफसीरे अजीजी में लिखा है, कि जब हज़रत इब्राहीम ने नमरूद की अग्नि से मुक्ति पाई और अपनी जाति व पिता से निराश हुए तो देश त्याग कर अपने चाचा हारान के पास चले गए। हारान ने अपनी पुत्री, कि सारा खातून उसका नाम था, से इब्राहीम का विवाह कर दिया और अत्यन्त सज्जनता-सन्तोष और आराम सहित अपने पास रखा। अभिप्राय उसका यह था. कि इब्राहीम साँसारिक सम्पत्ति और सुख से प्रभावित होकर अपने धर्म से विमुख हो पुनः हमारे धर्म में आ जाएगा, किन्तु ऐसा नहीं हो सका। तब हारान ने रूष्ट होकर सम्पूर्ण सम्पत्ति इब्राहीम से छीन ली और दोनों को अपने गृह से निष्कासित कर दिया। तब वह मिस्र की ओर चल दिये। उस समय उनके साथ एक सारा, एक लूत और वह स्वयं कुल तीन व्यक्ति थे।

(न जाने वह शहज़ादी सारा कहां चली गई ? और फिर नमरूद की पुत्री, जो इब्राहीम के अग्नि में न जलने का चमत्कार देख कर हज़रत इब्राहीम पर ईमान ले आई थी, और जिसे जिब्रील हज़रत इब्राहीम के पास छोड़ गये थे। वह कहां चली गई?)

जब इब्राहीम मिश्र को चले तो वहां का बादशाह अत्यन्त अत्याचारी और भयंकर था। जिस किसी सुन्दर स्त्री को देखता छीन लेता और उसके पति को मरवा देता था, किन्तु भाई को नहीं मरवाता था। जब हज़रत इब्राहीम उस नगर में प्रविष्ट हुए, तो बादशाह ने सारा की सुन्दरता की ख्याति सुनी। तब हज़रत इब्राहीम ने सारा को कहा—यदि बादशाह पूछे कि यह कौन है ? तो कहना मेरा भाई है। अन्ततः बादशाह ने सारा को पकड़ मँगवाया और इब्राहीम को छोड़ दिया।

(सारा बादशाह के पास, इब्राहीम बाहर और लूत न जाने कहाँ चला गया ?) जब बादशाह ने सारा पर हाथ डालने का प्रयास किया, तो सारा ने कहा—मुझे तनिक समय दीजिए, क्योंकि मार्ग की धूल-मिट्टी मुझ पर है, उसको धो लूँ और अपनी भक्ति की प्रथा को पूर्ण कर लूँ। तत्पश्चात जैसे तेरा हृदय चाहे वैसे करना। तब साराको जल आदि मंगवा दिया। फिर सारा ने वज़ू किया (हाथ-पैर-मुँह धोये) और नमाज़ हेतु खड़ी हो गई तथा नमाज़ को लम्बा कर दिया। तब उस दुष्ट ने चाहा कि नमाज़-स्थिति में ही असभ्यता करूँ अर्थात मनोकामना पूर्ण करूँ। तब समस्त को उस स्थान से हटा दिया और फिर हाथ डालने लगा, तो उसके दोनों हाथ शुष्क हो गए और मिर्गीग्रस्त हो कर गिर पड़ा व श्वांस रूद्ध हो गया तथा मुँह से झाग प्रारम्भ हो गये। तीन समय ऐसा ही हुआ। तब बादशाह ने कहा-यह मनुष्य नहीं, जिन्न है। इसको नगर से निष्कासित कर दो और ऐसी एक स्त्री मेरे पास और है, उसका नाम हाजरा है। उसको मैंने कब्तियों से लिया था। वह उस पर भी समर्थ न हो सका था। उसको भी इसके अधिकृत कर दो। अन्ततगोत्वा सारा खातून हाजरा को लेकर अपनी पवित्र स्थितिसहित अपने निवास पर लौट आई और कहा-उस दुष्ट का हाथ रूक गया और एक दासी हमको दी है। इसका नाम हाजरा है।

"तफसीर बहरूल्मवारिज़" में है, कि दासी प्रदान करते समय उसके हेतु यह कहा--हाजरिक अर्थात यह तेरे हेतु अज़र है। इस कारण इसका नाम हाजरा हुआ। सारा ने अपनी समस्त कहानी कही, तो इब्राहीम ने कहा--मुझे खुदा ने सम्पूर्ण अवलोकन करा दिया। फिर वहां से प्रस्थान कर फिलिस्तीन में निवास किया।

'हदीकतुल्अकालीम' में लिखा है--वह स्थान बैतुल्मुक़द्दस से १३ मील है। हज़रत इब्राहीम को उस भूमि की कृषि से अत्याधिक आय हुई और अत्यन्त दास क्रय किये और पशु भी लिये। फिर हज़रत ज़िब्रील आए, जब कि हज़रत इब्राहीम बैतुल्मुकद्दस में पहुँचे। ज़िब्रील ने कहा—ऐ इब्राहीम! भूमि पर दृष्टिपात कर, तो जहां तक इब्राहीम की दृष्टि पहुँची, वहां तक नहरें और फलयुक्त वृक्ष उत्पन्न हो गए। हज़रत इब्राहीम ने वहाँ के लोगों को शरीअत (धर्म-नियम) की शिक्षा दी और हज़रत ज़िब्रील स्वर्ग में से एक पाषाण लाये और जहाँ बैतुल-मुकद्दस है, वहां उसे रखा, और कहा--यह पाषाण तेरा किब्ला है, और समस्त पैग़म्बर जो तुझसे उत्पन्न होंगे, उनका भी किब्ला होगा। कुरआन में है:-'**कद मकरू मकरहुम वा इन्दल्लाहे मकरहुम**' इत्यादि अर्थात-निश्चय धोखा किया उन काफ़िरों ने, अधिकृत धोखा करने का, और प्रतिकार खुदा के निकट उस छल का। यद्यपि छल उनका कि टल जायें पहाड़ उनके छल से।

'मुआलिम' में हज़रत अली बिन अबी तालिब से वर्णित है कि यह आयत नमरुद के किस्से के विषय में है।

(नमरुद की करगसों वाली कहानी हम प्रथम खण्ड में लिख चुके हैं। आगे इस्माईल की उत्पत्ति का वर्णन है।

इस्माईल से हज़रत इब्राहीम को अत्याधिक स्नेह था। प्रायः उसे गोदि में लेते थे, तो सारा को इस बात से अत्यन्त ईर्ष्या थी। इस कारण सारा ने सौगन्ध ली थी, कि तीन अंग हाज़रा के काटे। हाज़रा इस बात को सुनकर रुहपोश (अदृश्य) हो गई, तो हज़रत इब्राहीम ने सिफ़ारिश कर

यह तय किया कि उसके कानों में छिद्र करे और अन्दामें निहानी (गुप्तांग का तनिक अंश) काट दें, तो सारा की सौगन्ध सत्य हो। अन्त में सारा ने इस बात की स्वीकार किया। हज़रत इब्राहीम ने हाज़रा को प्रकट किया और जैसा सारा से निश्चित हुआ था, वैसा ही किया। इस कारण कानों को छेदना और स्त्रियों का खतना करना सुन्नत हुआ (दण्ड, सुन्नत बन गई) इस दण्ड को देने पर भी सारा को सन्तोष न हुआ और वह हाजरा तथा इस्माईल से असन्तुष्ट रहती।..... तब से हजरत इब्राहीम इस्माईल को प्रकट रूप में स्नेह दृष्टि से न देखते थे। एक दिन मनुष्य स्वाभावानुसार एक गृह में इस्माईल को हाजरा की गोदि में अकेले लिये हुए देख लिया, तो पितृप्रेम के वशीभूत होकर इस्माईल को अपनी गोदि में लेकर उसका मुँह चूम लिया। यह दृश्य अक्समात सारा ने देख लिया और अत्याधिक क्रोधित हुई तथा कहा–इस्माईल और उसकी माँ को निर्जन अरण्य में छोड़ आओ। तब दो तीव्र वाहनों पर आसीन हो जिब्रील के मार्ग–निर्देशन में मक्का की ओर प्रस्थित हुए और ज़मज़म के समीप पहुँच गए। जब जिब्रील ने कहा--खुदा का आदेश यही है, कि इन दोनों माता व पुत्र को यहीं छोड़ दो। तब इब्राहीम ने उनको उसी स्थान पर छोड़ दिया। जब वह लौटने लगा, तो हाज़रा ने अत्यन्त कातरता से विलाप करते हुए अत्याधिक दीनता से कहा--मुझ शक्तिहीन अबला और इस दूधमुँहे शिशु को किसके आश्रय पर इस निर्जन और कंटकाकीर्ण विजन वन में तथा पर्वतीय प्रदेश में किसको सोंप कर जा रहे हो ? इब्राहीम ने कहा–

खुदा को सौंप कर जा रहा हूँ। तब इब्राहीम वहाँ से प्रस्थित हुए और किञ्चित दूरी पर जाकर एक ऊँचे टीले पर चढ़ कर इस्माईल और हाजरा की ओर देखा, कि उनको बिना निवासगृह और खाद्य पदार्थों के निर्जन वन में एकाकी छोड़ आया हूँ। तब हाथ उठा कर प्रार्थना की:—

रब्बना इन्नी असकन्तो मिन ज़ुर्रिय्यती बेवादिन ग़ैरेज़ी ज़ईन इन्दा बैतेकल्मुहर्रमे रब्बना लेयुकीमुस्सलाता फ़ज्अल अफ़इदतम्मिन्नासे हवी इलैहिम् व रज़क़हुम्मिनस्समाराते लअल्लहम यश्कुरून् ।

कुरआन पारा १३ रकू ६/१८

अर्थात:—ऐ हम समस्त के पालनकर्ता ! तू देख रहा है, कि एक ऐसे क्षेत्र में जहां कृषि का चिन्ह मात्र नहीं है। मैंने अपनी एकमात्र सन्तान को तेरे प्रतिष्ठित निवास के समीप लाकर बसाया है, कि नमाज़ पढ़ो (क्या दूधमुँहा शिशु नमाज़ पढ़ेगा ?) और कर कि कितने लोगों के हृदय उनकी ओर झुकते हों और रिज़्क (खाद्य पदार्थ) दे तू उनको मेवों से कि वह धन्यवाद करें।

अन्ततः हज़रत इब्राहीम नेत्रों में नीर लिये अत्यन्त शोकाकुल और कातर हृदय से वहाँ से स्याम की ओर प्रस्थित हुए। जब हाजरा के पास जल व भोजन समाप्त हो चुका, तो उन दोनों को तृषा जागृत हुई। हाजरा का दूध शुष्क हो गया, तो उसका यह विचार हुआ, कि अब मृत्यु के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं ज्ञात होता है और हज़रत इस्माईल ने तड़पन और अशक्यता दर्शाना प्रारम्भ की। हाजरा अपने पुत्र की यह दुखद स्थिति को सह न सकी और अत्याधिक दुखी होकर जल की शोध में सफ़ा पर्वत पर गई। वहां भी जल का किञ्चित चिन्ह न पाया।

(यह है, हज़रत इब्राहीम, पैगम्बरों के पितामह, कि मात्र स्त्री के कहने से निर्दोष शिशु और जिससे सम्भोग कर शिशु उत्पन्न किया उसको ऐसे निर्जन और सुनसान वन में छोड़ गए। कैसी क्रूरता व निर्दयता है ?)

यद्यपि ७ बार दौड़ धूप की। फिर जहाँ इस्माईल को छोड़ा था, वहां से एक बन्य पशु का स्वर सुनाई दिया। तब उद्विग्न हो उधर आई और देखा, कि एक शुद्ध जलस्रोत उसके सन्मुख प्रचलित है।

कई कहते हैं, कि हज़रत इस्माईल की एड़ियां रगड़ाने से उनके पैरों के नीचे से जल उफनते देखा।

कतिपय कहते हैं, कि हज़रत जिब्रील ने भूमि को फाड़ दिया, जिससे स्रोत प्रचलित हुआ और उन दोनों ने जल पिया। (फिर यह हुआ) कबीला जहँम की एक जाति बनी एमाम यमन निवासी थी और व्यापार हेतु मक्का-मार्ग से स्याम को जाती थी। उनमें से एक समुदाय ज़मज़म उत्पत्ति के पश्चात वहां पहुँचा.... .....उन्होंने उस जलस्रोत-इस्माईल और हाजरा को वहां देखा। हाजरा ने उनको सम्पूर्ण वृतान्त बताया। कबीले ने वहां पर ही अपना निवास--स्थान बना लिया और हज़रत इस्माईल ने उसी समुदाय में बढ़ोत्री और तारूण्य प्राप्त किया और उनसे अरबी भाषा ग्रहण की।

अज़ाएबुल्कसस भाग १ पृष्ठ १३७ से ५०

इसी भांति आज़मुत्तफासीर पृष्ठ २७५ से २७९ में है, कि इब्राहीम के चाचा हारान ने सारा को इब्राहीम से ब्याह दिया। जब वह अपने विचारों पर अडिग रहे और मूर्ति-पूजकों पर

टीका-टिप्पणी करते रहे, तो उसके चाचा ने इब्राहीम को गृह से निष्कासित कर दिया। वहाँ से मिश्र में आए। यहां भी वही लिखा है, कि बादशाह के दूत तुझे लेने आए तो उनको मुझे अपना पति मत बताना, अपितु भाई कहना। हाज़रा को सारा के सिपुर्द करना भी लिखा है। यह बात नई है, कि हाज़रा से लड़का उत्पन्न को भी कहा। हाजरा के निष्कासन की भी वही कथा है। जो पूर्व में लिखी गई है और यह बात भी पूर्वोक्तानुसार ही है, कि इब्राहीम हाजरा और उसके दूधपीते शिशु को, जहां अब काबा है, वहां छोड़ आए। सफा और मरवह पर जाने की भी वही कहानी है, किन्तु जल स्रोत उत्पत्ति के विषय में यह अन्तर है, कि जब हाजरा शिशु के पास आई, तो देखा कि एक फरिश्ता उस स्थान को जहाँ 'आब ए ज़म ज़म' है, अपने पँख या एड़ी से उस भूमि को कुरेद रहा है, जिससे जल स्रोत उफन रहा है। शेष आख्यान सम्पूर्ण वही है, जो पूर्व में लिख चुके हैं।

'आजमुत्तफासीर' में एक और भी अन्तर यह है, कि जब इब्राहीम सारा की आज्ञा लेकर इस्माईल के पास आए, तो हाजरा का देहान्त हो चुका था, किन्तु 'अज़ाएबुल्कसस' में है, कि वह जीवित थी।

इसी भाँति तफसीर मुहम्मदी, पारा १ पृष्ठ १५३ में है, कि अपने इकलौते पुत्र इस्माईल को हज़रत इब्राहीम लेकर निकले। जब कि यह प्रिय शिशु दूध पीता था और जहाँ अब बैतुल्लाह निर्मित है, वहाँ एक टीला किन्तु सुनसान और निर्जन था। यहाँ लाकर माँ-पुत्र को बैठा कर तनिक खजूर और जल का मशकीज़ा देकर चले गए। आगे वही वर्णन है, जो पूर्व में लिखा जा चुका है।

इसी प्रकार कससुल्कुरआन भाग १ पृष्ठ २२७ में है, कि हाजरा व इस्माईल के निष्कासन के समय इस्माईल दूधमुँहा शिशु था और इस्हाक अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुआ था। बुखारी में हजरत अब्दुलाह बिन अब्बास से उद्धृण है, वह भी इसी बात का समर्थन करता है। यथा:-

इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा और उसके दूधमुँहे शिशु इस्माईल को लेकर चले और जहाँ अब काबा है, उस स्थान पर एक वृक्ष के नीचे जहां वर्तमान में जम ज़म का स्थान है, ऊपरी भाग पर छोड़ गए। वह स्थान वीरान और निर्जन था और पानी का चिन्हमात्र न था। अतः इब्राहीम ने एक मशकीज़ा पानी और एक थैली खजूर उनके पास छोड़ दी और विमुख हो लौट आए। हाजरा उनके पीछे यह कहती हुई चली, कि ऐ इब्राहीम! तुम हमको ऐसी वादी में छोड़कर कहाँ चल दिये हो। जहां न मनुष्य हैं, न मनुष्य की सन्तान। न कोई धैर्य प्रदान करनेवाला, न कोई गम खानेवाला ? हाजरा यह कहती जाती थी, किन्तु इब्राहीम मौन साधे चले जा रहे थे। (यहाँ भी लिखा है, कि इस्माईल दूधपीता बच्चा था।)

इसी भाँति तफसीर 'इब्ने कसीर' पारा १ पृष्ठ ८४ में है, कि हजरत इब्राहीम अपने हृदय के अंश अपने एकमात्र पुत्र इस्माईल को लेकर निकले। जब कि वह दूधपीता शिशु था। (आगे पूर्वानुसार)

हमने यह इतने प्रमाण इस हेतु लिखे, कि इस्लाम के सिद्धान्त पर यह एक गहन विवाद हैं। आप यह स्मृति में रखें ताकि आगामी आयत को आप भलिभाँति आत्मसात् कर सकें। यहाँ तक हमने वर्णित किया है, कि इब्राहीम निर्दोष हाजरा को

मात्र अपनी पत्नि के कहने से उसके शिशु उठाने के दोष में, वह भी इब्राहीम का दोष था। इस पर दूधमुँहे शिशु को अपनी माता सहित निर्जन-निर्जल और खाद्यपदार्थ से रहित वीरान अरण्य में परित्याग कर चले गये। (ओ हो, कितना पाषाण हृदयी है ?) इसके आगे नितान्त विपरित आयत है। जिस आयत ने व्याख्याकारों में भी दृढ़ मतभेद उत्पन्न कर दिया है। किसी ने कहा–जो प्रथा बलिदान की आधारशिला कही जाती है, उसका सिद्ध करना ही असम्भव है। जब यह बात सिद्ध होते न देखी, तो कई एक ने कह दिया कि बलिदान हेतु तब इस्माईल को नहीं ले गए थे और इस्हाक को ले गए थे। बाइबिल ने इस्हाक हेतु ही लिखा है। क्योंकि उपरोक्त समस्त प्रमाणानुसार तो वन में इस्माईल था और दूधमुँहे शिशु को ही छोड़ा गया था। आयतः-

रब्बे हब ली मिनस्सालेहीन्, फ़बश्शरनाहो बेगुलामिन हलीम्। फ़लम्मा बलगा मआहुस्साया। काला या बुनय्या इन्नी अरा फ़ि-ल्मनामे अन्नी अज़बहोका फ़न्ज़ुर। माज़ातरा या अनाते इफअल मा तौमरो सतजेदुनी इन शा अल्लाहो मिनस्साबेरीन्।

कुरआन पारा २३ रकू ३/७

अर्थातः-(इब्राहिम ने प्रार्थना की) ऐ प्रभू ! मुझको भला पुत्र प्रदान कर। और जब वह पुत्र इब्राहिम के साथ चलने-फिरने लगा, तो इब्राहिम ने कहा–पुत्र ! मैंने स्वप्न में देखा कि मैं तुमको ज़िबह (कत्ल) कर रहा हूँ, फिर तू कह तेरी क्या सम्मत्ति है। उसने कहा–ऐ पिता ! जो कुछ आदेश हुआ है, उसको पूर्ण कर दीजिए। आप 'इन शा अल्लाहो' यदि अल्लाह चाहे तो, मुझे संतोषी ही पाएँगे। तफसीर हक्कानी पारा २३ पृष्ठ २१

व्याख्या:- जब वह इतनी आयु में पहुँचा कि पिता के साथ दौड़ने लगे, तो इब्राहीम ने कहा-(जो ऊपर है।) आयत से स्पष्ट ज्ञात होता है, कि जब इस्माईल इस अवस्था में पहुँचा कि दौड़ने के योग्य और बात समझने योग्य हुआ, तो हज़रत इब्राहीम ने उसे स्वप्न की बात कही। यह आयत कह रही है, कि इस्माईल दौड़ने तथा बात समझने योग्य शक्ति होने तक इब्राहीम के पास ही रहा। कससुल्कुरआन पृष्ठ २३५

एक दूसरी घटना और है:-

जब हज़रत इब्राहीम की उम्र ९९ वर्ष की हुई और हज़रत इस्माईल की १३ वर्ष की, तो अल्लाह का आदेश आया-खतना करो। इब्राहीम ने आज्ञा पालन में प्रथम अपना खतना किया और तत्पश्चात इस्माईल का और समस्त घरवालों की और दासों की खतना की।

कससुल्कुरआन भाग १ पृष्ठ २३७

इससे ज्ञात होता है, कि १३ वर्ष की आयु तक इस्माईल हज़रत इब्राहीम के पास गृह में ही था। इसके साथ जो इन आयतों के पूर्व तफसीरों ने जो इतना लम्बा-चौड़ा लिखा, कि दूधपीते शिशु को ही इब्राहीम वन में छोड़ आए थे और वहां से गृह आने की रंचमात्र भी गुंजाईश नहीं थी। ऐसी स्थिति में कौन सी आयतें सत्य और कौन सी मिथ्या मानी जाएगी ?

इसी भाँति बाइबिल में है, कि तब अब्राहम ने अपने पुत्र इस्माईल और समस्त परिवार को और गृह में जितने मनुष्य थे.

लिया और उसी दिन उनका खतना किया। जिस प्रकार खुदा ने फरमाया था। जिस समय इब्राहीम का खतना हुआ, उस समय वह ९९ वें वर्ष का था। सो उसी दिन इब्राहीम और उसके पुत्र इस्माईल का खतना हुआ।

बाइबिल 'उत्पति' बाब १७ आयत २४ से २७

हम कहते हैं, कि यदि इस्माईल मक्का की भूमि में होता, तो उसी दिन उसका खतना कैसे हो सकता था ? सम्भवतः इस इस बात को ही लक्ष्य में रख कर 'कससुल्कुरआन' के लेखक ने कहा, परन्तु इस पूर्ण घटना से यह सिद्ध नहीं होता कि इब्राहीम की सन्तान से जबीह (कत्ल हेतु ले जाया गया) कौन था ? इस्माईल था, या इस्हाक था ? जलालैन में भी लिखा:–**'कलम्मा बलग़ा मअहुस्सआ'** और जब पहुँचा पिता के साथ दौड़ने की स्थिति में, तो कहा–**'कीला बलगा सबआ सनीना वा कीला सला सता अशरा सनतिन'** अर्थात ७ वर्ष की आयु थी और यह भी कहा गया है, कि १३ वर्ष की आयु थी।

तफसीर जलालैन पारा २३ पृष्ठ २७७

इसी भाँति 'सिराजे मुनीर' भाग ३ पृष्ठ ३१५ में है, कि कलबी ने कहा–उस समय इस्माईल की आयु १३ वर्ष की थी।

बाइबिल 'उत्पत्ति' में है, कि तब खुदा ने अब्राहाम की परीक्षा ली और उसे कहा– ऐ अब्राहम ! वह बोला-- देख, मैं उपस्थित हूँ। तब उसने कहा–तू अपने पुत्र, हाँ अपने एकमात्र पुत्र को जिसे तू प्यार करता है, इज़हाक को ले और मोरियाह की भूमि में जा और उसे वहाँ पहाड़ो में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊँगा। सोखतनी कुर्बानी (अग्नि बलिदान) के हेतु

चढ़ा। तब अब्राहाम नूर के तड़के उठा और अपने गधे पर चारजामा कसा और अपने साथ दो युवक और अपने पुत्र इज़हाक को लिया और सोख़तनी कुर्बानी (अग्नि बलिदान) हेतु लकड़ियां चीरी और उठा कर उस जगह जिसके हेतु खुदा ने उसे फरमाया था, चला। तीसरे दिन जब अब्राहाम ने अपनी आंख उठा कर उस स्थान को दूर से देखा तब अब्राहाम ने अपने संगी युवकों से कहा--तुम गधे के पास रहो। मैं इस लड़के के साथ वहां तक जाऊँगा।.....और अब्राहाम ने सोख़तनी कुर्बानी हेतु लकड़ियां लेकर अपने पुत्र इज़हाक पर रखी और अग्नि व छुरी अपने हाथ में ली और दोनों साथ-साथ चले। तब इज़हाक ने अपने पिता अब्राहाम से कहा–ऐ मेरे पिता ! उसने उत्तर दिया--ऐ मेरे पुत्र ! मैं उपस्थित हूँ। उसने कहा--देख अग्नि और लकड़ियां तो है किन्तु सोख़तनी कुर्बानी हेतु बर्रह (पशु) कहां है ? अब्राहाम ने कहा–ऐ मेरे पुत्र ! आप ही अपने सोख़तनी कुर्बानी हेतु बर्रह (पशु) की व्यवस्था करेगा। सो वह दोनों साथ–साथ चले और वह उसी स्थान पर, जिसके हेतु खुदा ने उसे कहा था, पहुँचे। तब अब्राहाम ने वहां एक बलिवेदी निर्मित की और लकड़ियां चुनी और अपने पुत्र इज़हाक को बांधा और उसे बलिवेदी की लकड़ियों के ऊपर धर दिया और अब्राहम ने हाथ बढ़ा कर छुरी ली, कि अपने पुत्र को ज़िबह (कत्ल) करें खुदावन्द के फरिश्ते ने आसमान से पुकारा–ऐ अब्राहम ! अपना हाथ लड़के पर मत बढ़ा और उसे कुछ मत कर, कि प्रभू ने जाना कि तू खुदा से भय खाता है। इसलिए कि

तूने अपने इकलौते को मुझसे दरेग़ न किया। तब अब्राहम ने अपनी आंखे उठाई और अपने पीछे एक मेंढा देखा। जिसके सींग झाड़ी में अटके हैं। तब अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को लिया और उसको अपने पुत्र के बदले सोख़तनी कुर्बानी हेतु चढ़ाया।

उत्पत्ति बाब २२ आयत १ से २४

आपने बाइबिल का विवरण देख लिया। इसमें इस्हाक के हेतु लिखा है। यहाँ पर हमने बाइबिल के लेख पर कोई चर्चा नहीं करना है और न कोई समीक्षा ही करना है, कि खुदा को ऐसी बातों से परीक्षा करना? खुदा के गुण-कर्म और स्वभाव के अनुकूल हैं या नहीं? और यह गाथा कहाँ तक सत्य या सम्भव हैं? किन्तु यहाँ तो मात्र यह सिद्ध करना है, कि इस बलिदान हेतु इस्माईल नहीं अपितु इस्हाक था।

आपने कुरआन की दोनों भांति की आयतें पढ़ ली और उनके साथ व्याख्या तथा विवरण भी पढ़ लिये और इस बात पर बड़े प्रबल प्रमाण भी देख लिए कि इस्माईल दूधमुँही आयु में ही उसकी माता के साथ वर्तमान मक्का के स्थान पर, जब कि वह निर्जन और निर्जल वीरान अरण्य था, वहाँ छोड़ दिया गया था और वहां से वह किसी भांति भी लौट कर गृह नहीं आ सकता था। सारा उसको चाहती न थी। इब्राहीम एक समय उससे मिलने गया, तो उसे सवारी से उतरने की आज्ञा नहीं थी। इतना कड़ा प्रतिबन्ध था। दोबारा पुनः इब्राहीम आज्ञा लेकर गया, तो इस्माईल उसे मिला नहीं था। कहने का अभि-प्राय यह, कि इस्माईल अत्याधिक घने वन में था, दूसरी अन्तिम आयत में आपने देखा कि इस्माईल जब दौड़ने योग्य हुआ, तो उसे बलिदान हेतु ले जाया गया और आयु भी ७ या १३ वर्ष

की थी। जब बलिदान की घटना घटी और दूसरी गाथा में खतना का आदेश आता है, समस्तसहित इस्माईल का भी उसी दिन खतना हुआ। जिस दिन कि खुदा का आदेश आया था। इससे ज्ञात होता है, कि इस्माईल घर में ही इब्राहीम के पास था। यह दो प्रकार के परस्पर विरोधी कथ्य पढ़ने से आप इस परिणाम पर पहुँचे होंगे कि कुरआन किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा है, जो यह भी नहीं जानता कि पूर्वार्द्ध में क्या लिखा और उत्तरार्ध में क्या ? क्या कोई मुसलमान इतने गहन मतभेद और विरोधाभास का समाधान कर सकता है ? जो हमने कुरआन की आयत से सिद्ध किया है, कि जब इस्माईल दौड़ने और समझने योग्य हुआ, तो बलिदान की घटना घटी और दूसरा यह कि इस्माईल मक्का के वन में जब कि माँ का दूध ही पीता था, निष्कासित किया गया था। अस्तु इन दो प्रकार की आयतों में से मात्र एक प्रकार की आयत ही स्वीकारना होगी। दो प्रकार की पारस्परिक विरोधी आयतें कैसे स्वीकारी जा सकती है ? हम अपने मुसलमान बन्धुओं से नम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं, कि क्या आपके पास कोई समाधान या निवारण है, कि जिससे आप इस मतभेद और विरोधाभास को दूर कर सके।

यह क्या, हम तो इस पुस्तक के प्रारम्भ से ही ऐसे मतभेद-अन्तर और विरोधाभास को सिद्ध करते चले आ रहे हैं। मुसलमानों को शान्त हृदय से इस बात पर सोचना-समझना और निर्णय करना चाहिए कि हमने इतने प्रबल प्रमाणों से कुरआन की प्रथम आयत से यहाँ तक सिद्ध कर आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। यदि एक भी मुसलमान बन्धु सत्य और यथार्थ को ग्रहण करने हेतु तत्पर हो गया तो हम धन्यवाद ही देंगे, किन्तु

जो हिन्दू-जन कुरआन के विषय में भ्रांति में है और वह इसे आत्मसात न कर ईश्वरीय वाणी समझ बैठे हैं, उनको तो मार्ग प्राप्त हो ही जायेगा और समस्त भ्रम एवं भ्रान्तियाँ दूर होकर सत्य व यथार्थ सन्मुख आ ही गया है।

इन आयतों में हज्ज़ और उमरा का वर्णन आया है, और हज्ज़ इस्लाम के ५ स्तम्भों में से एक स्तम्भ है। कल्मा-नमाज-रोजा--हज्ज़ और ज़कात। ताकि ज्ञात हो जाये कि ज्ज क्या है ? और यह हज्ज़ आत्मिक उन्नति हेतु कहां त क साधक है ?

तफसीर 'अलबयान उलूमुल्कुरआन' के लेखक ने अत्यन्त संक्षिप्त में इस विषय का प्रतिपादन किया है, जो एक प्रामाणिक माना जाता है। इसने प्रारम्भ में ही लिखा है, कि हज्ज़ क्या है ? उत्तर दिया है, कि विशेष दिनों में इब्राहीमी वस्त्र धारण कर आशि-काना आकृति बना, किसको एहराम कहते हैं। इब्राहीमी इबादत करना। हज्ज़ में तीन फर्ज़ (अनिवार्य) हैं उनमें एक भी शेष रह जाए, तो हज्ज़ नहीं होगा।

(१) एहराम बाँधना- स्नान कर वस्त्र पहिनना चाहे नये या धुले हो। एक नीचे बाँधा जाता है, एक चादर को भाँति ओढ़ा जाता है। तत्पश्चात दो नफ़्ल पढ़ कर तलबिय्यह करना, अर्थात यह कहना 'अल्ला हुम्मा लब्बेका,लब्बेका ला शरीका लका लब्बेका शरीका लका लब्बेका। इन्नल्हम्दो वन्नेमतो लका वल्मुल्को ला शरीका लका'। इसके पश्चात शिकार करना, किसी पशु को मारना, स्त्री सम्भोग, विषयासक्त वार्ता करना, किसी से लड़ना-झगड़ना और कटुवचन कहना हराम (निषेध) हो जाता है। एहराम बांधने पर मस्तक ढांपे। न इत्र व सुगन्धित वस्तुएँ

लगाएँ, न हजामत बनवाएँ, न नाखून कटवाएं, न कुर्ता-पाजामा आदि सिला हुआ वस्त्र पहिने, रगीन वस्त्र का प्रयोग न करें, न किसी मसाले से मस्तक धोएँ। हां स्नान करने में कोई हर्ज नहीं और यह एहराम मक्का में प्रवेश होने के पूर्व ही बाँधा जाता है। उसके हेतु हर ओर से आने वालों के हेतु स्थान निश्चित है, उसे मीकात कहते है। वहां पहुँच कर बिना एहराम बांधे आगे न बढ़ें।

(२) ज़ुल्हज्ज़ को मैदान ए उर्फ़ात में ठहरना। जहां इमाम खुत्बा (उपदेश) पढ़ता है और प्रार्थना करता है, और लोग भी प्रार्थना करते अर्थात दुआ मांगते हैं।

(३) वहां से चल कर काबा की परिक्रमा करना. उसको ज़यारत का तवाफ़ अर्थात दर्शन करने की परिक्रमा कहते हैं। उसके पश्चात स्त्री हलाल (वैध) है। यह १० वीं, ११ वीं या १२ वीं का होता है, और ५ वस्तुएँ उचित है। उनको छोड़ देने से हज्ज तो हो जाता है, किन्तु नासिख् होता है। वह यह है:--

(१) उर्फ़ात से लौटते समय रात्रि को मुज़दल्फा में ठहरना।

(२) मुकाम मीना में आकर उन मीनारों पर जहां हज़रत इब्राहीम को शैतान दृष्टिगोचर हुआ था और आपके हृदय में भय उत्पन्न करता था, और आपने उसको कंकरिया मारी थी। अब वहां मीनार निर्मित कर दिये गए हैं, ७ कंकरिया मारना।

(३) उसके पश्चात मस्तक मुँडवाना या केश कटवाना, स्त्री की एक लट काटना पर्याप्त है। जिसमें संकेत है कि मिथ्या विचारों को मस्तिष्क से निकाल दिया जाए। इसके पश्चात

एहराम खोल देते हैं। और स्त्री के अतिरिक्त समस्त वस्तुए उसके हेतु मुबाह (वैध) है।

(४)सफ़ा व मर्वाह दोनों पहाड़ियों के मध्य दुआएँ पढ़ते हुए आवागमन, क्योंकि हाजरा, हज़रत इब्राहीम की पत्नि अपने निर्दोष शिशु हज़रत इस्माईल को, जहां अब ज़मज़म का कुँआ है, छोड़ कर जल की तलाश में हैरान व परेशान इन्हीं दोनों पहाड़ियों के मध्य दौड़ती फिर रही थी। जिससे खुदा ने कृपा की।

(५) तवाफ़ सदर-मीना १२ वीं तारीख में तीन दिन मीनारों में कंकरियाँ मार कर मक्का आएँ और काबा का ७ बार तवाफ (परिक्रमा) करें, किन्तु रजस्वला स्त्री न करें।

इनके अतिरिक्त जो कर्म हैं, जैसे कि मक्का में आते ही काबा की परिक्रमा करें, जिसको तवाफ़ मक़दूम कहते है। हजरे असबद को, हजरत इब्राहीम का स्मृति-पाषाण है, उसको बोसा (चुम्बन) देना। मीना में बलिदान करना सुन्नत का सम्मान है। यदि हज्ज़ और उमरा सम्मिलित करें, तो कम से कम एक बकरी और शक्ति हो तो १० रोज़े, ३ मक्का में और ७ रोज़े, निवास पर आकर रखें। हज्ज़ के दिनों में ५ समय नमाज़ भी अनिवार्य है। उर्फात के दिन ज़ुहर और असर दोनों नमाज़े ज़ुहर के समय भी पढ़ लेते है, और मग़रिब और इशा मुज़दल्फ़ा में आकर एक समय अदा करते हैं। यह है हज्ज़, और उमरा यह है —

एहराम बाँध कर उन सीमाओं को जो हरम से बाहर हैं और उन को हल्ल कहते हैं। एक ओर मक्का से ३ मील बाहर हल्ल है। मक्का में आना, काबा को ७ बार परिक्रमा करना, सफ़ा व मर्वाह के मध्य मार्गों में, यहाँ अब बाज़ार है, ७ बार दुआ-करते हुए आवागमन और फिर मस्तक मुँडवाना या केश कट-

वाना और इस हेतु ज़ुल्लहज्ज के माह का भी कोई प्रतिबन्ध नहीं। कुरआन में हज्ज़ को आज्ञा है–'वा लिल्लाहे अलल्नासे हज्जुल्बैता, इत्यादि, और वे अल्लाह हेतु लोगों पर मक्का का हज्ज़ अनिवार्य है, जो उसके हेतु समर्थ है, और हज्ज व उमरा का पूर्ण करना अल्लाह हेतु है।

मुकद्दम ए तफसीर कुरआन पृष्ठ १९२ से ९४

हज्ज़ की प्रथाएँ उपरोक्तानुसार है। इससे जाना जा सकता है, कि इन प्रथाओं में कहाँ तक आत्मोन्नति हो सकती है? 'हजरे असबद' यह काले रंग का गोल पाषाण है, लगभग डेढ़-दो फीट के वर्ताकार का है, इसका रंग अत्यन्त घोर काला है। यह काबा के पूर्वी–दक्षिणी कोने में बाहर की ओर गज़ भर की ऊँचाई से रजत चोखट में मण्डित है। खुदा जाने? किस आघात से उसके अनेक खण्ड हो गए थे, जिनको संग्रहित कर एक स्थान पर जमा दिया है। तफसीर हक्कानी, पारा १ पृष्ठ ८३

तफसीर हक्कानी के लेखक ने अपने उपरोक्त लेख में लिखा कि 'खुदा जाने? 'हजरे असबद' के कैसे इतने खण्ड हो ग़ए?' कि अबू ताहिर कर्मती ने तोड़ दिया था?

'तारीखुल्खुलफ़ा' में लिखा है, कि उस दिन अबू ताहिर कर्मती भी वहां पहुँच गया और हाज़ियों को मस्जिद हराम में कत्ल किये। उनके शवों को ज़मज़म के कुएँ में डाल दिया और 'हजरे असबद' को गूर्ज़ के प्रहार से तोड़ दिया तथा काबा की दीवार से पृथक कर दिया। तत्पश्चात अबू ताहिर ११ दिन वहां रहा और 'हज़रे असबद' को अपने साथ ले गया। २० वर्षों से अधिक 'हजरे असबद' उसके पास रहा। 'हजरे असबद' के हेतु ५० हजार दीनार (स्वर्ण मुद्रा) उसको दे रहे थे किन्तु उसने

देना अस्वीकार कर दिया। अन्ततः खलीफ़ा मुतीअ के काल में पुनः लिया गया। तारीखुल्खुलफ़ा (अरबी) पृ. २६६

मक्का सम्बन्धी कुरआन का कथ्य आपने पढ़ लिया है। अब आप तनिक इसका द्वितीय पक्ष का अवलोकन भी कीजिए, कि अन्य लोग क्या कहते हैं ? इस हेतु दो प्रमाण, और वह भी दो मुस्लिम लेखकों के प्रस्तुत हैं:—

मोइन्द मह आबाद अज़ तामीरे हैकल पारस कि मौसूम अस्त बहफ़ते स्वरखाना साख्त वा आंरा आबाद (मह आबाद) नाम निहाद, कि अकनू काबा अश में गोयन्द। वा फ़रमूद ता साके नाने सरज़मी परस्तश आं बज़ा आवुर्दन्द। वा अज़पैकरहा कि दर खाना काबा बूद, पैकरे माह बग़ायत नेको बूद वा बिनां वरीं आं खान ए मह गह गुफतन्दे यानी मकाने कमर व महल्ले माह रफ़ता ताज़याने मक्का अश गुफता अन्द वा गोयन्द अज़ सूरत हाए हैकल हा कि मह आबाद व बाद अज़ खुलफ़ाए नाम दारश दर काबा गुज़ाशता अन्द, यके हजरे असबद अस्त कि हैकले कैवाँ अस्त वा गोयन्द पैग़म्बरे अरबी हयाकले सबआ रा मे परस्तीद चुनांकि हजरे असबद रा कि हैकले कैवान् अस्त वा अज़ ज़ुमाने आबादियान् बर जा गुज़ाश्त।

दबिस्ताने मज़ाहिब (नवल किशोर कानपुर) पृ. २००

अर्थः-कहते हैं, कि मह आबाद मन्दिर इस्तखर पारस के निर्माण के पश्चात जो हफ़्ते स्वरखाना (७ मूर्तियों वाला) के नाम से प्रसिद्ध है, निर्मित किया, और उसका नाम मह आबाद रखा, जिसको अब काबा कहते हैं, और फरमाया कि सम्पूर्ण धरती निवासी उसकी पूजा करें, और इन मूर्तियों में से चन्द्रमा की मूर्ति अत्यन्त सुन्दर थी, और इस आधार पर इसको मह गह

(चन्द्रमा–मन्दिर) कहते हैं। अर्थात चन्द्रमा का स्थान। शनैः शनैः अधिक प्रयोग होने से, मह गह के स्थान पर मक्का हो गया, कहते हैं, कि मह आबाद मन्दिर, जो प्रसिद्ध शासकों ने मूर्तियां रखी थी उनमें से एक का नाम हज़रे असबद है, जिसे शनिश्चर की मूर्ति कहते है, और कहते हैं, कि अरब के पैग़म्बर ७ सितारों को पूजते थे। अतः हज़रे असबद, जो शनिश्चर की मूर्ति है, अत्यन्त काल से वहां स्थापित की गई थी।

यह प्रमाण युक्तियुक्त और परिस्थिति के अनुकूल ज्ञात होता है। लगभग इसी का समर्थन अल्लामा मसऊदी ने किया है:-

काला हा ओलाए अम्नल्बैतुल्हरामा मिनल बयूतिस्सबअतिल्मुत्त-खज़त्। अला अस्माउल्ववाकबे मिनम्नय्यरैने वल्खम्सते कद ज़ाह-बत् कौमुममिन्हुम इला अम्नल्बैतल्हराम। बैते ज़ुहलिन वा इम्मा ताला इन्दाहुम बकाए हाज़ल्बैते अला मर्कदिद्दूरे मुअल्जे मन फ़ी साएरल्आसारे। मरूजज़्जहब वा मुआदनिल्जौहर।

अर्थः–हिन्द–चीन और अरब वाले कहते हैं, कि निसन्देह, मक्का का मन्दिर भी उन्हीं ७ भव्य मन्दिरों में से एक है जो ७ सितारों–सूर्य–चन्द्र–मंगल–बुध–बृहस्पति–शुक्र और शनि के नाम पर मूर्तियां स्थापित कर निर्मित किये गये थे। निसन्देह, एक जाति इस ओर गई है, कि मक्का का मन्दिर शनिश्चर का मन्दिर है, और अत्याधिक पुरातन काल से यह सम्मान प्राप्त मन्दिर चला आता है।

जब यह मन्दिर ऐसा प्रतिष्ठाप्राप्त मन्दिर था। तभी तो, तारीख़ फ़रिश्ताने भाग २ के प्रारम्भ में ही लिखा है, कि हिन्दु–

स्तान से हजारों तीर्थ यात्री यात्रा (हज्ज़) करने हेतु प्रति वर्ष काबा को जाते थे।
उक्त समस्त प्रमाणों से ज्ञात होता है, कि यह मक्का का मन्दिर ऐसा ही था, जैसा कि मुलतान में आदित्य-मन्दिर था। तभी तो यहाँ हिन्दुस्थान के लोग तीर्थयात्रा करने प्रतिवर्ष जाते थे।

अब हम पुनः अपने प्रचलित विषय पर आते हैं। यह तो मध्य में ज्ञातव्य हेतु लिख दिया गया है, ताकि विषय पूर्णतः स्पष्ट हो जाये।

उपर्युक्त आयत में आपने देख लिया है, कि यह समस्त पैगम्बरों के श्रेष्ठ शिरोमणि पितामह दादागुरू हज़रत इब्राहीम किस भाँति के मनुष्य थे ? और बातों को जाने दीजिए, मात्र एक बात को ही देखिए, कि जिस शिशु को उन्होंने उत्पन्न किया और जिसके गर्भ से उत्पन्न किया। उन दोनों माँ-पुत्र को निरअपराधी होते हुए भी मात्र स्त्री--इर्ष्या के कारण दूधमुँहे शिशु और उसकी जननी को एक ऐसे निर्जन-निर्जल और खाद्यपदार्थरहित तथा दूर-दूर तक किसी मनुष्य का चिन्हमात्र तक नहीं ऐसे अरण्य में परित्याग आए। कौन पाषाण हृदयी मनुष्य है, जो इस घटना पर रक्ताश्रु न बहा देगा ? किन्तु इस्लाम का यह प्रारम्भिक पैगम्बर हज़रत इब्राहीम चीखती--चिल्लाती, रोती--तड़पती और गिड़गिड़ाती हुई उस अबला हाजरा और उसके दूध--मुँहे शिशु हज़रत इस्माईल को निर्जन और घनघोर वन में छोड़ आए। हमें तो ऐसे महान पैगम्बर ? पर दया आती है, जो इतनी मात्रा में स्त्री के मोह और दासता में ग्रस्त है, कि ज्यों ही उस सारा ने कहा, त्यों ही उस अनन्य स्त्री भक्त ने पत्नि का आदेश, खुदाई आज्ञा मान कर तत्क्षण पालनार्थ कटिबद्ध हो, आदेश को कार्यान्वित कर दिया।

उक्त आयत की व्याख्या में भी कितना अन्धविश्वास है। वह आप पाठकों ने भलिभांति पढ़ ही लिया है, इस हज़रत इब्राहीम हेतु, जो निर्दोष स्त्री और उसके दूधमुंहे शिशु को अकारण ही निर्जन वन में छोड़ आया। वह लोहे के अग्नि भरे तन्दूर से सुरक्षित निकल आया और इतनी लम्बा--चौड़ा लकड़ियों से धधकता अग्नि-क्षेत्र उसके हेतु उद्यान और वाटिका में परिवर्तित हो गया ? साथ ही स्वर्ग से सिंहासन लाकर उसे उस पर आसीन किया गया ? ऐसी मनगढ़न्त और कल्पित कहानी से जनसाधारण को अन्धश्रद्धा और मिथ्या विश्वासों के जाल में फँसाना ही एकमात्र अभिष्ट है, क्योंकि असत्य मतों का अस्त्र भी एकमात्र अन्धविश्वास ही होता है।

द्वितीय, यह कि जैसा आयत में वर्णित है, कि जब इस्माईल दौड़ने योग्य हो गया, तो खुदाई आदेशानुसार उसको बलिदान हेतु ले गए। यह सर्वथा असत्य है, जैसा कि हमने भव्य प्रबल प्रमाणों से सिद्ध किया है, कि इस्माईल तो माता का दूध ही पीता था, कि उसे, उसकी मां सहित अरण्य में निष्कासित कर दिया था। वह तो गृह में था ही नहीं, तो फिर गृह में पिता के साथ दौड़ने योग्य कहां से हो गया था ? और फिर वह कभी पुनः अपने पितृनिवास पर आया भी नहीं। हां, एक समय हज़रत इब्राहीम उसको देखने हेतु वन में जाना चाहते थे, तो उनको इस शर्त पर आज्ञा प्राप्त हुई थी, कि वह सवारी से उतरेगा नहीं। इतने कठोर प्रतिबन्धात्मक आदेश में इस्माईल का गृह आगमन कहां और कैसे सम्भव था ? इस्लाम ने इस्माईल को बलि पर चढ़ाने को मान कर ऐसी भयंकर भूल की है, कि जिसका सिद्ध होना ही असम्भाव्य है।

हमने जो उपर्युक्त दो आयतें लिखी, वह पारस्परिक विरोधात्मक है। एक शिशु को जननी सहित अरण्य में निष्कासित करना और दौड़ने योग्य होने पर बलि हेतु उसे ले जाना कहती है। यदि वह वन में था, तो उसकी बलि हो सकती थी और यदि वह वह बलिदान हेतु ले जाया गया, माना जाए तो निष्कासन मिथ्या है ?

दूसरी भी इसी भांति है, कि यदि इस्माईल का खतना हुआ, माना जाए तो वह वन में नहीं था, और यदि वह वन में था, तो खतना असत्य है ? इस पारस्पिक विरोधाभास को लक्ष्य में रखते हुए स्पष्ट हो जाता है, कि यह कुरआन और इसकी आयतें ईश्वरीय वाणी नहीं है।

आयत १२९ की व्याख्या:-

यद्यपि हज़रत इब्राहीम और इस्माईल ने नबव्वत के सत्य ज्ञान से निश्चयात्मक रूप से यह ज्ञात कर लिया था, कि खुदा ने अपनी उपासना हेतु जो हमको अपने गृह निर्माण का आदेश दिया है, तो इस अभिप्राय के अनिवार्य होने हेतु भविष्य में अवश्य ही कोई न कोई नवीन शग़ूफा (आश्चर्य) संसार में खिलनेवाला है तथा कोई न कोई नया कार्य भक्ति हेतु अवश्य निश्चित होने वाला है। जिसके द्वारा सन्मार्ग की वास्तविकता प्रत्यक्ष रुप की पोषाख धारण कर आलोकित होगी या अविष्कृत होगी और इस नव प्रकार के सार्थक ढंग की पूर्ति हेतु नवादेश भी उस खुदा की पवित्र सत्ता से आएंगे। जिसके गोपनीय रहस्य और हिकमतें मात्र मानवीय दृष्टि में अत्यन्त अनुचित प्रतीत होगी। सम्भवतः उस समय उन पर यह सूचित होने के कारण से खुदाई आदेश पालन करने में हम से और हमारी सन्तति से किसी प्रकार कि न्यूनता-दोष तथा प्रमाद उपस्थित

हो इस कारण एक और प्रार्थना खुदा के दरबार में निवेदन करना आवश्यक है ।

अतः दोनों ने अत्याधिक नम्रता से कहा-ऐ खुदा ! हम दोनों को अपनी आज्ञाओं के पालन करने हेतु अपना दास और आज्ञापालक कर दे, कि तेरे आदेश जिस रंग और ढंग में प्रकाशित हो, हम उन्हें तत्क्षण स्वीकार कर उनके रहस्यों और हिकमतों (सामायिकि नीति) में अनुचित विचार न करें। अरब देश में भी एक ऐसा समुदाय कर दे, जो प्रत्येक काल में तेरे आदेशों के पालन करने में मन-प्राण से तत्पर रहे और हज्ज़ के कर्तव्य, जो अधिकांश उन बातों से प्रत्यक्ष और प्रतिष्ठा तथा प्रभाव के प्रतिकूल दृष्टिगोचर होते हैं । जैसे नग्न शरीर रहना, प्रत्येक उँचे मकान पर चिल्ला कर 'लब्लैक' कहना, चन्द पाषाण और लकड़ियों के चहुँ ओर भ्रमण करना, अकारण कभी दौड़ना, कभी ठहरे रहना और कभी एक पाषाण को चूमना आदि आत्माभिमान प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता की दृष्टि से पागलपन के कृत्यों और असह्य बातों पर विश्वास करने से विमुख न हो, और जब कि इस भक्ति के आदेशों को पालन करना, जो इस भवन के सम्बन्ध में है । उन आदेशों के ज्ञातव्य पर निर्भर है। अतः हमको और हमारी सन्तति को हज्ज़ का दस्तूर (प्रथा) बता दे, ताकि हम उसके अनुसार अपनी सन्तानों को पालन करना सिखायें ।

इब्ने अब्बास फरमाते हैं, कि हज़रत इब्राहीम की प्रार्थना स्वीकृत हुई, कि हज़रत ज़िब्रील को आज्ञा हुई--हज्ज़ के सम्पूर्ण कर्तव्य (मनासिक) सिखाएँ, तो ज़िब्रील ने सिखा दिए । हज़रत इब्राहीम को सई (दौड़ने की प्रथा) में शैतान दृष्टिगोचर हुआ, तो आपकी उस पर विजय हेतु पुनः ज़िब्रील उनको मिना में ले

आया। जुमरा अक्बा के समीप पुनः शैतान सन्मुख आया और मार्ग अवरूद्ध कर खड़ा हो गया। जिब्रील ने कहा–७ कंकरियाँ 'तकबीर' कह कर उसकी ओर फेंको, वह दूर हो जाएगा। तत्पश्चात जमरह वस्ता और जमरह उक्बा में भी यही घटना सन्मुख आई, तो आपने उसी भाँति यहां भी ७–७ कंकरियाँ मार कर शैतान को भगाया। (७ कंकरियों से ही शैतान भागता है, न्यूनाधिक से नहीं ?) जब हज़रत इब्राहीम इस कार्य से निवृत हो गए, तो खुदा से आदेश हुआ, समस्त भूमि–निवासियों को हज्ज़ की सूचना दे दो। हज़रत इब्राहीम ने कहा–मेरी आवाज़ किस कान में पहुँचेगी ? (खुदा की) आज्ञा हुई–आवाज देना तेरा कार्य है और उसको पहुँचाने का उत्तरदायित्व हमारा है। हज़रत इब्राहीम ने उसी पाषाण पर चढ़ कर, जिस पर खड़े होकर काबा निर्माण करते थे, तीन बार आवाज दी–ऐ समस्त सन्सार के मनुष्यों ! तुम्हारे खुदा ने अपने हेतु भूमि पर एक विशेष भवन निर्मित किया है: जिसके दर्शन हेतु तुम्हें आमन्त्रित करता है, सो तुम बड़े शौक से चाहे पैदल, चाहे सवार इस पवित्र भवन के दर्शन हेतु आओ।

खुदा ने इस आवाज़ को वर्तमान सन्सार के समस्त निवासियों के कानों में ही नहीं अपितु जो रूहें (आत्माएँ) माताओं के उदर में थी, उनको भी पहुँचा दिया। किसी ने एक बार, किसी ने दो बार और किसी ने इससे भी अधिक 'लब्बैक" का उद्घोष किया। अतः संगठन प्राप्ति और सर्वसम्मत होने हेतु इनमें से एक उच्च प्रतिष्ठित पैगम्बर भेज, जो इन्हीं की जाति से हो और इन पर आयकी आयतें पढ़ता हो, और उनके रहस्यों और सूक्ष्म भेदों की शिक्षा देता हो। तत्पश्चात हज़रत इब्राहीम की प्रार्थना खुदा के निर्धारित भाग्यानुसार पूर्ण हुई और हज़रत

मुहम्मद सल्लअम केवल अरब में से ही समस्त जिन्नों और मनुष्यों के हेतु पैगम्बर बना कर भेजे गए। (यदि आदम के स्थान पर हो जाते, तो सम्पूर्ण सन्सार हेतु हो जाते, किन्तु पश्चात आगमन से पूर्ण न हो सके और अपूर्ण रह गए ?) रसूले खुदा ने फरमाया–मैं खुदा के निकट उसी समय अन्तिम पैग़म्बर हो चुका था, जब कि हज़रत आदम उस समय मिट्टी के पुतले मात्र ही थे। मैं आपको अपने प्रारम्भिक काल से ही सूचना देता हूँ, कि मैं अपने पिता इब्राहीम की दुआ (प्रार्थना) हूँ अर्थात जिस समय हज़रत इब्राहीम काबा की दीवारें ऊँची कर रहे थे, तो यों प्रार्थना करते जाते थे–ऐ खुदा ! इनमें से इन्हीं का पैग़म्बर भेज, और मैं हज़रत ईसा की शुभ सूचना और अपनी माता का स्वप्न हूँ, जो उन्होंने मुझे जन्म देते समय देखा था, कि उनमें से एक चमक प्रकट हुई, जिससे स्याम के समस्त प्रासाद आलोकित हो गए। मसीह ने उपदेश दिया, कि मैं एक रसूल की शुभ सूचना सुनाता हूँ, जो मेरे पश्चात आएगा कि उसका नाम मुहम्मद होगा।

तफसीर आजमुत्तफासीर पारा १ पृष्ठ २८१-८२

इब्राहीम हेतु कुरआन की विचित्र घोषणा

आयतः–मा काना इब्राहीमो यहूदिय्यंव्व वा ला नस्रानिय्यंव्व ला किन काना हनीफ़म्मुस्लेमीन्। वा मा काना मिनल्मुशरेकीन।

कुरआन पारा ३ रकू ७/१५

अर्थः– इब्राहीम न यहूदी था, न ईसाई था, अपितु हनीफ़ था। अर्थात समस्त धर्मों से विमुख दीने कय्यम (सीधे धर्म) की ओर झुकने वाला था। मुस्लिम अर्थात मवाहिद था।

इस स्थिति में यह कहना व्यर्थ है, कि इब्राहीम न तो

यहूदी था, न ईसाई था, क्यों कि उसके समय में यहूदी तथा ईसाई धर्मों का चिन्हमात्र भी न था और इस्लाम का भी कहीं पता न था, तो फिर कैसे मुसलमान था ? इस पर कहा है:--

यह आक्षेप नहीं हो सकता कि इस्लाम धर्म कुरआन अवतरण के पश्चात उतरा ? उत्तर यह है, कि मुस्लिम के लुग़वी (धात्विक) अर्थ अभिप्रेत है, अर्थात **'मुतीअ वा मिन्कादे एलाही'**, खुदा के आदेशों का आज्ञाकारी तौहीद (एकेश्वर) के आधार पर और ज़ुमला उनका काबा था, और शरीअत भी इस्लाम सदृश्य थी ।

अनुवादक कहता है, कि यह आक्षेप प्रारम्भ से ही निरस्त है । यह कहाँ से ज्ञात हुआ, कि उम्मते इस्लाम कुरआन अवतरण के पश्चात हुई है ? फिर इब्राहीम मुस्लिम कैसे हुए ? अपितु हज़रत मुहम्मद साहिब का धर्म इब्राहीम के धर्म के समान है ।

पस, मुस्लिम से अभिप्राय यही है, कि इब्राहीम मिल्लते इस्लामिया पर थे ।

तफसीर मुवाहिबुर्रमान पारा ३ पृष्ठ २२२

अब यहां देखिए ! समस्त पैगम्बरों को एक ओर कर दिया और हज़रत मुहम्मद साहिब को उनसे पृथक कर उनका मार्ग तथा इस्लामी मार्ग पृथक कर दिया । अब इससे स्पष्ट है, कि यह दो भिन्न मार्ग हो गए ? यदि समस्त पैग़म्बरों का एक ही मार्ग होता, तो ऐसा न कहा जाता, कि इब्राहीम का मत इस्लाम का मत है । जब कि समस्त पैग़म्बर खुदा की ओर से सत्य को प्रसारित करने हेतु भेजे गए थे, को इन समस्त का मार्ग एक ही होना चाहिये ? यदि समस्त पैग़म्बरों का मार्ग एक है, तो समस्त पैग़-

म्बर जैसे-इब्राहीम मुस्लिम हैं, वैसे समस्त मुस्लिम हैं, और यदि ऐसा है, तो मूसा व ईसा का धर्म भी जैसा इस्लाम है, वैसा ही होना चाहिए, तो फिर इस स्थिति में जब समस्त पैग़म्बर इस्लाम के मतानुसार एक सत्यधर्म के प्रचारक हैं, तो जैसे इबाहीम को मुस्लिम कहा गया है, वैसे ही यहूद व इसाई कहने में क्या आपत्ति है ? क्या मूसा व ईसा ने जो धर्म प्रचलित किए उनमें तौहीद (अद्वैत) न थी ? क्या मूसा व ईसा खुदा के आज्ञाकारी न थे ? किन्तु आयत में यह कहना कि इब्राहीम न यहूदी थे, और न ईसाई थे, इस आशय को सिद्ध करता है, कि यहूद और ईसाई धर्म ईश्वरी धर्म नहीं थे। आप कहेंगे, कि यहूदियों और ईसाईयों ने अपनी पुस्तकों में परिवर्तन कर लिया। यदि ऐसा है, कि जो धर्म यहूदी और ईसाई खुदा की ओर से आया था, परिवर्तन होने से वह मूल धर्म न रहे, किन्तु प्रश्न तो उस धर्म से है, जो धर्म खुदा की ओर से थे। जैसे अब इस्लाम के इतने सम्प्रदाय है ? जिनके सिद्धान्तों में तीव्र और गहन अन्तर हैं तो इस्लाम हेतु भी कहा जा सकता है, कि इन्होंने अपने भिन्न-भिन्न मत निर्माण कर लिये हैं, कौन है असली इस्लाम ? प्रत्येक सम्प्रदाय अपने आपको मुसलमान कहता है। यदि अर्थ की दृष्टि से इब्राहीम मुस्लिम है, तो यहूदी के अर्थ कौन से बुरे हैं ? शेष रहा, कि इस्लाम धर्म, हज़रत इब्राहीम का धर्म है, तो क्या यहूद और ईसाई धर्म इब्राहीम के अनुकूल नहीं थे ? यदि नहीं थे, तो वह धर्म खुदा की ओर से नहीं हो सकते ? जब समस्त पैगम्बर खुदा के आज्ञाकारी हैं, तो उनका धर्म इस्लाम क्यों नहीं ?

अब कुरआन की इस आयत में, तो यहूद और नसारा को काट दिया, किन्तु जब मुसलमानों का ईमान निम्नलिखित आयतानुसार है, तो वह इब्राहीम को पृथक कैसे कर सकते हैं ? आयत:-

कुल् आमन्ना बिल्लाहे वा मा उन्ज़ेला अलैना वा मा उन्ज़ेला अला इब्राहीमा वा इस्माईला वा इस्हाका वा याकूबा वल्अस्बाते वा मा ऊतया मूसा वा ईसा वन्नबिय्यूना मिंर्रब्बेहिम ला नूफर्रेको बैना अहदिम्मन्हुम वा नहनो लहू मुस्लेमून् ।

कुरआन पारा ३ रकू ९/१७

अर्थः–आप कह द, कि हम स्वीकारते हैं । यह सम्बोधन रसूल को है या अपने आज्ञापालकों को भी सम्मिलित कर ईमान को प्रकट करो, या खिताब प्रत्येक मौमिन को है और आदेश दिया गया है, कि अपने साथ प्रत्येक मौमिन को मान कर ईमान प्रकट करें ।.....ईमानदारी में रसूलिल्लाह का पद महान उच्च है । आप पर कुरआन अवतरित हुआ, तो गोया समस्त पर उतरा और उन पुस्तकों तथा सहीफों (खुदाई आदेश) को जो इब्राहीम–इस्माईल–इस्हाक–याकूब और अन्य इस्राईली पैग़म्बरों पर उतारे गए 'अस्बात' से तात्पर्य है । हज़रत याकूब के वंशधर पैग़म्बर जिनमें हजरत मूसा व ईसा भी थे ।.....मूसा व ईसा का विशेष वर्णन, इस कारण कि उन्हें यह ध्यान था, कि मुसलमान हज़रत मूसा व ईसा को नहीं स्वीकारते । इस भ्रम को दूर करने हेतु विशेष रूप से इनका वर्णन किया.....और उसको भी स्वीकारते हैं, जो मूसा–ईसा व अन्य नबियों को अल्लाह की ओर से दिया है । हम नबियों में परस्पर अन्तर नहीं करते, कि किसी को सत्य और किसी को मिथ्या (अन्तर करने का अर्थ कैसा लिखा ? सत्य--मिथ्या लिख दिया, चाहिए तो यह था, कि किसी को छोटा--बड़ा नहीं मानते ।) कहें और हम अल्लाह के ही आज्ञाकारी हैं । तफसीर मज़हरी पारा ३ पृष्ठ २८४-८५

व्याख्या:– हमारा समस्त नबियों पर ईमान है। मूसा को तौरात और ईसा को इन्जील। अतः हम समस्त खुदा की भेजी पुस्तकें स्वीकारते हैं। किसी के साथ कुफ्र नहीं करते।

तफसीर इब्ने कसीर पारा ३ पृष्ठ ७८

अब यहाँ समस्त नबियों को एक समान और समस्त पुस्तकों को सत्य स्वीकारा, किन्तु आप ध्यान से दृष्टिपात करेंगे, तो आपको पूर्वोक्त आयत में, कि जिसमें कहा है, कि इब्राहीम न यहूदी था, न ईसाई, प्रत्यक्ष अन्तर किया गया है। क्योंकि इसमें यहूद और ईसाई धर्म को सत्य न स्वीकार कर हज़रत इब्राहीम हेतु कहा, कि न वह यहूदी था, न ईसाई, अपितु मुसलमान अर्थात इस्लाम धर्म इब्राहीम का है। इससे सिद्ध है, कि यहूदी--ईसाई नहीं और यहूद व ईसाई मत इब्राहीम का मत नहीं। इस्लाम इब्राहीम का धर्म है यहूद-ईसाई नहीं। यहाँ तो समस्त में समानता है किन्तु कुरआन पारा ३ के आरम्भ में यह भी कहा:-- "**फ़ज़्ज़लना बाज़ुकुम् अला बाजिन**" प्रतिष्ठा दी अन्य को अन्य पर। कुरआन मजीद से इतना अवश्य सिद्ध होता है, कि खुदा ने अन्य नबियों को अन्य पर बुज़ुर्गी (प्रतिष्ठा) दी।

आजमुत्तफासीर पारा ३ पृष्ठ २

तफसीर मज़हरी में है, कि समस्त रसूलों और नबियों पर बर्तरी (श्रेष्ठता) केवल हज़रत मुहम्मद को ही प्राप्त हुई थी।

मज़हरी पारा ३ पृष्ठ १८

कुरआन पारा १५ रकू ६/६ में एक और आयत है जिसमें स्पष्ट है, कि '**वा लकद फ़ज़्ज़ल्ना बाज़ूनबिय्यीन् अला बाज़िना** अर्थात अवश्य बुज़ुर्गी (बड़प्पन) दी हमने अन्य नबियों को अन्य पर।

उपरोक्त आयतों में पारस्परिक विरोधाभास देख कर आपके हृदय में यह निश्चय हो जाना चाहिए कि कुरआन खुदाई पुस्तक नहीं है। अब वह आयत भी पढ़ लें, कि प्रथम आयत की व्याख्या में व्याख्याकार ने कहा है, कि इस्लाम हज़रत इब्राहीम का धर्म हैं। आयत:-

सुम्मा औहैना अलैका अनित्तबेआ मिल्लते इब्राहीमा हनाफ़ा।

कुरआन पारा १४ रकू १६।१२

अर्थ:-फिर वही की हमने तेरी ओर, कि तू पैरवी (वकालत) करे इब्राहीम हनीफ़ के धर्म की।

ऐसी आयतें कुरआन की सूरत आले इमरान, सूरत जिया, सूरत अनआम, सूरत रूम आदि में और भी हैं। जिनका अभिप्राय यह है, कि तू हज़रत इब्राहीम के धर्म की पैरवी कर। हम पूछते हैं, कि हज़रत इब्राहीम के धर्म की कौन सी पुस्तक है? कौन सी शरीअत है? जिनका अनुसरण कर एक धर्म अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर सकता है? केवल 'उत्पत्ति' पुस्तक में एतिहासिक रूप से कतिपय साधारण सा वर्णन है, और कोइ सैद्धांतिक बात नहीं है। अब इसके अतिरिक्त मुसलमान यही कह सकते हैं, कि कुरआन ही इब्राहीम की पुस्तक है। यह तो ऐसे है, कि किसी ने किसी से पूछा-भूमि का मध्य कौन सा है? उसने जहाँ वह खड़ा था, एक खूँटा ठोक दिया और कहा-नाप लो, यही भूमि का मध्य है। ऐसी ही स्थिति कुरआन की है। यह कैसे सिद्ध हो सकता है, कि कुरआन इब्राहीम की धार्मिक पुस्तक है? इसमें कोई प्रमाण नहीं। इब्राहीम अग्नि में बलि चढ़ाता था किन्तु कुरआन में वर्णन तक नहीं है और बाइबिल से प्रमाणित है। अस्तु, इस आयत में लिखा, कि हज़रत मुहम्मद इब्राहिम

के धर्म का अनुकरण करें, किन्तु हम आपके समक्ष कुरआन की एक और आयत प्रस्तुत करते हैं, जिसमें समस्त नबियों से हज़रत मुहम्मद के अनुकरण का वचन लिया है, कि समस्त नबी हज़रत मुहम्मद पर ईमान लाएँ। यद्यपि इस आयत को हम पूर्व में भी लिख चुके हैं, किन्तु प्रसंगवश यहां भी प्रस्तुत है। आयतः–

वा इज़ा अख़ज़ल्लाहो मीसाकन्नबिय्यीना ल मा आतैतकुम्मिन् किताबिव्व हिक्मतिन सुम्मा जाआकुम् रसूलुम्मुसद्दे कुल्ले मा मआकुम् लितोमिनुन्नो बेही वलतन्सुरून्नाहू। काला आ अमर्रतुम वा अख़ज़तुम अला जालेकुम् इस्री। कालू अकरर्ना। काला फ़श्हदू वा अना मआकुम्मिनश्शाहेदीन्।

कुरआन पारा ३ रकू ९/१७

अर्थातः–उस समय को स्मरण करना चाहिए, जब कि खुदा ने समस्त नबियों से अहद (प्रतिज्ञा) लिया और पैग़म्बरों की वचनबद्धता में उनकी उम्मतें (समुदाय) भी आ गई। यह एक अत्यन्त महान प्रतिज्ञा का वर्णन है, कि खुदा आत्मिक स्थिति (आलमे अर्वाह) में समस्त नबियों से वचन लिया, कि तुम और तुम्हारी उम्मतें अन्तिम नबी जनाब मुहम्मद सल्लअम पर ईमान लाना और, मैं जो तुम्हें आसमानी पुस्तक और हिकमत दूँ। तत्पश्चात मेरा प्रिय पैग़म्बर मुहम्मद तुम्हारे पास वाली पुस्तक और हिकमत का समर्थन (तस्दीक) करने आए, तो तुम उसे तस्दीक करना और अपनी जाति से उसकी सहायता हेतु उठ खड़े होना। यदि उसका होना (आगमन) तुम्हारे काल में पाया जाए, अन्यथा उसके गुण और स्मृति चिन्ह वर्णन कर अपनी उम्मतों को उसकी सहायता का ताकीदी आदेश देना। जब इस

प्रकरण को नबियों ने सुन लिया, तो खुदा का आदेश हुआ–तुमने इसका अनुबन्ध कर लिया और मेरे वचन को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व ले लिया ? समस्त नबियों ने उत्तर में कहा–निसन्देह, हमने अनुबन्ध किया और आपका यह अहद (प्रतिज्ञा) स्वीकार किया । (खुदा ने) फरमाया–अच्छा तुम साक्षी रहो और मैं भी तुम्हारे साथ साक्षी हूँ । तुम भली प्रकार सुन लो, कि जो कोई मेरे इस अहदो पैमान (वचनबद्धता और प्रतिज्ञा) के पश्चात मेरे रसूल मकबूल (सम्माननीय पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद) से ईमान लाने से विमुख होगा और प्रतिज्ञा भंग करेगा व उसकी सहायता को अस्वीकार करेगा, तो मैं वचन भंग करने वालों का नाम अवज्ञाकारियों की सूचिपत्र में लिख लूँगा ।

तफसीर आज़मुत्तफ़ासीर पारा ३ पृष्ठ ४३

इस आयत में कितनी दृढ़तासहित इस बात की प्रतिज्ञा नबियों से ली गई है, कि तुम हज़रत मुहम्मद पर ईमान लाना और समस्त पैगम्बरों ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया, तो इससे उनका ईमान तो हज़रत मुहम्मद पर हो ही गया । इस वचनबद्धता में समस्त पैगम्बर हैं, जिनमें हज़रत इब्राहीम भी है, जिससे हजरत मुहम्मद पर ईमान लाने का वचन लिया गया है, अपितु यहां तक कहा गया है, कि जो प्रतिज्ञा भंग करेगा, उसका नाम अवज्ञाकारियों के सूचि पत्र में लिख लूँगा ।

अब दोनों आयतों में कितना भारी अन्तर है । वह आप देख लें, एक में तो है, कि इब्राहीम के धर्म का अनुकरण करो

और दूसरी में है, कि समस्त नबी हज़रत मुहम्मद पर ईमान लाएँ अर्थात हज़रत मुहम्मद के धर्म का समस्त अनुकरण करें। किस प्रकार विरोधाभास है ? कहाँ हज़रत मुहम्मद, इब्राहीम के धर्म का अनुकरण करें और कहाँ इब्राहीम ने हजरत मुहम्मद के धर्म का अनुकरण करने हेतु प्रतिज्ञा ली ? और पालन न करने पर अवज्ञाकारी माने जाएँगे। यह है, कुरआन और इसकी विरोधात्मक शिक्षा ?

इस उपरोक्त आयत में हज़रत मुहम्मद की पैगम्बरी को सिद्ध करने हेतु ही इब्राहीम की प्रार्थना के रूप में यह आयत रची गई है, ताकि लोगों पर यह प्रभाव डाला जाए कि हज़रत इब्राहीम ने भी मुहम्मद के अरब में अरबनिवासियों के वंश में से ही अन्तिम पैग़म्बर भेजने की प्रार्थना की थी। यहूदी तथा ईसाई हज़रत अब्राहाम को मानते थे। इसलिए इस आयत की रचना की गई। हज़रत इब्राहीम की प्रार्थना के अर्थ क्या हैं ? यह तो पूर्वोक्त आयत से ज्ञात हो गया, कि मुहम्मद का आगमन तो पूर्व निश्चित ही था। जब कि समस्त पैग़म्बरों से हजरत मुहम्मद पर ईमान लाने का वचन लिया था, न कि इब्राहीम की प्रार्थना का हज़रत मुहम्मद के उत्पन्न होने पर कोई प्रभाव है। तत्पश्चात उन्हीं में से रसूल भेज। इसका स्पष्ट अर्थ आयत के बनावटी होने को प्रकट करता है, और यह उस बात का एक प्रकार से प्रत्युत्तर है, जो बनी इस्राईल कहते थे, कि पैग़म्बर बनी इस्राईल में से ही होना चाहिए। अरबों में कभी पैग़म्बर पूर्व में हुआ ही नहीं। इस कारण यह दर्शाने हेतु कि यह प्रार्थना, तो हज़रत इब्राहीम की थी, और इस आयत का अन्य कोई अभिप्राय नहीं।

आगामी आयतें:-

वा मंय्यग़र्बो अ'म्मिलते इब्राहीमा इल्ला मन सफ़ेहा नफ़्सहू व लक दिस्तफेनहो फिद्दुनिया वा इन्नहू फिल्आख़ेरते लमेनस्साले-हीन् इज़ काला लहू रब्बोहू अस्लिम्, काला अस्लम्तो लेरब्बिल्आलमीन् वा वस्सा बेहा इब्राहीमो बनीहे व याकूबो या बनिय्या इन्नल्ला हस्तफ़ा लकुमुद्दीना फ़ ला नमूतन्ना इल्ला वा अन्तुम मुस्लेमून् । कुरआन पारा १ आयत १३१ से ३३

अर्थ:--और इब्राहीम के धर्म से कौन विमुख जाता है ? किन्तु वही जिसने अपने जीवन को मूर्खता में निहित किया, और निसन्देह हमने इब्राहीम को पसन्द किया संसार में, और वह अवश्य ही परलोक में भलों में से है, और जब कहा उसको, उसके रब्ब (प्रभू) ने कि आज्ञापालक हो, तो उसने कहा--मैं आज्ञापालक हुआ विश्व के पालन कर्ता हेतु, और शिक्षा दी उसके साथ अपने पुत्रों को व याकूब ने कि मेरे पुत्रों ! निसन्देह, अल्लाह ने पसन्द किया है, तुम्हारे हेतु धर्म । पस, तुम आज्ञापालक होकर मरो ।

तफ़सीर आजमुत्तफासीर पारा १ पृष्ठ २८४

व्याख्या–पूर्व में वर्णन किया गया है, कि हज्ज़ की प्रथाएँ और अल्लाह की निशानियाँ इब्राहीमी धर्म के नियम हैं । अब यहाँ इस बात को कहा है, कि अन्तिम पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद, इब्राहिम तथा इस्माईल के रहस्य उठाने वाले हैं। इस कारण उसके धर्मको इब्राहीमका धर्म होना आवश्यक है। (जैसा कि हम पूर्व में लिख चुके हैं कि खुदा ने समस्त पैग़म्बरों से यह प्रतिज्ञा ली कि वह हज़रत मुहम्मद पर ईमान लाएँगे, किन्तु यहां उसके प्रतिकूल कहा जा रहा है ।) यहूदियों के हेतु जो धर्म के कतिपय आदेश जैसे हज्ज़ के कर्तव्य और

बलिदान आदि मध्य में निरस्त हो गए थे। वह मात्र पात्रता की न्यूनता का कारण था। क्यों कि यह लोग केवल प्रत्यक्ष तक ही थे अर्थात आत्मिक रहस्यों की शक्तियों और विशेष कर प्रेममार्ग और सन्तोष से सर्वथा अनभिज्ञ थे, और फिर जब जिनके हृदय प्रेम और खुदा के योग्य थे, उत्पन्न हुए, तो उस समय उन समस्त निरस्त आदेशों को पुनः लौटाना आवश्यक हुआ। जिससे इब्राहीम का धर्म पुनः स्थापित हो गया। अब इसके पश्चात उस अन्तिम पैग़म्बर के धर्म से विमुख होना है, और इब्राहीम के धर्म से अतिरिक्त मूर्खों और अज्ञानियों के कोई विमुख नहीं होसकता है। (अपने विरोधियों को गाली देने का अच्छा तरीका है ?) और सत्य यह है, कि मात्र अविद्या और हठधर्मी से त्याग देना और एक ऐसे व्यक्ति के धर्म से किनाराकशी करना, जिसको खुदा ने हिदायत और आदेशों हेतु चुना था, अत्यन्त मूर्खता है व अत्याचार की बात है।

[जब इब्राहीम के पश्चात हज़रत मूसा पैग़म्बर बन कर आए, तो तौरात को स्वीकारना आवश्यक हो गया। क्यों कि मूसा पुस्तकप्राप्त पैग़म्बर ईस्लाम के नियमानुकूल था, और तत्पश्चात जब हज़रत ईसा पुस्तकप्राप्त पैग़म्बर आ गया, तो फिर इस्लाम के नियमनुसार मूसा की शरीअत समाप्त हो गई जैसा कि हम पूर्व में सप्रमाण लिख आये हैं। फिर यही बात कुरआन के आने पर ईसा की शरीअत समाप्त हो गई। बात यह है, कि यह सारा षडयंत्र इस्लाम को स्वीकार कराने हेतु है। इसमें और कोई सत्य–तथ्य नहीं है। सीधा न कहा कि मुसलम न हो जाओ अपितु हज़रत इब्राहीम को इस्लाम के प्रचार–प्रसार का साधन बना लिया और इब्राहीम के धर्म के हेतु, तो यह स्वरूप निर्मित कर दिया, कि जो इस्लाम है। अब यह सीधा न कह कर, कि मुसलमान हो जाओ। यह कह दिया, कि जो हज़-

रत इब्राहीम के धर्म को नहीं स्वीकारता वह मूर्ख और अज्ञानी है. किन्तु इब्राहीम के धर्म की न तो कोई शरीअत है और न कोई पुस्तक ही है।]

व्याख्या में आगे है, कि इस आयत में मक्का के काफिरों का भी निरस्त है, कि तुम खुदा के साथ शिर्क (द्वैत) करते हो, तो यह इब्राहीम के धर्म के विरूद्ध है; क्योंकि इब्राहीम सदैव तौहीद (अद्वैत) पर दृढ़ रहे, किन्तु इन श्रेष्ठताओं का बीज यथार्थ में उनके भीतर मात्र इस्लाम के कारण से ही बोया गया था, क्योंकि जब खुदा ने फरमाया—तुम इस्लाम लाओ.....तो उन्होंने उस आज्ञा को स्वीकार कर लिया..... और जब ही तुमको इस्लाम धर्म से अस्वीकार करना और विमुख होना कैसे योग्य है, किन्तु मुहम्मद के धर्म के मुन्किर विशेषतया यहूदी और ईसाई ऐसे निर्लज्ज और निडर लोग थे, कि इस प्रकार फटकार होने, अप्रतिष्ठित होने पर भी निकृष्ट कृत्यों और असभ्य बातों से नहीं हटते थे, और कहते थे—इब्राहीम का धर्म श्रेष्ठ और सम्पूर्ण है, किन्तु उनका अनुकरण मात्र उनकी सन्तति हेतु विशेष है। उदाहरणार्थ ४ स्त्रियों से अधिक के साथ विवाह न करना आदि पैगम्बरों की विशेषताओं में से है। जिसमें सर्वसाधारण को उनका अनुकरण करना उचित नहीं इसी आधार पर इब्राहीमी धर्म औरों के हेतु पालन करने योग्य नहीं रहा। अतः उनकी इन अनुचित और अनर्गल बातों के उत्तर में खुदा फरमाता है—हजरत इब्राहीम जिस भांति स्वयँ उस धर्म का पालन करते थे। उसी भांति अपने शिष्यों और सन्तति को भी उस पर

पालन करने की आज्ञा देते थे ।.....उस समय को स्मरण करो ! कि इब्राहीम ने अपने ८ पुत्रों को, इस्माईल–इस्हाक को, यह दोनों पैग़म्बर थे, और इनके अतिरिक्त मदयन-मदान-यफ़नान ज़मवान–असबक और सलोख, यह ६ सगे भाई थे, जो कन्तूरा बिन्ते यकतन किन्आनिया के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इब्राहीम ने सारा के मरणोपरान्त, जब कि सारा की आयु १३० वर्षों की थी, एक किन्आनी स्त्री कन्तूरा से विवाह कर लिया था [इब्राहीम की आयु उस समय १५१ वर्ष की होनी चाहिये, क्योंकि जब इस्हाक के उत्पन्न होने की शुभ सूचना फ़रिश्तों ने दी थी, उस समय सारा की आयु ९९ वर्ष की और इब्राहीम की आयु १२० वर्ष की थी] इसके मरणोपरान्त इब्राहीम ने कन्तूरा से विवाह कर लिया और उसके गर्भ से ६ शिशु उत्पन्न हुए। (यह भी आदर्श की बात है, कि सारा के मरणोपरान्त विवाह किया, भले ही आयु १५१ वर्ष थी, तो क्या ?) इसी प्रकार हज़रत याक़ूब ने अपने १२ पुत्रों को बुलाया, जो चारलिया के गर्भ से थे और २ राहिल के और ६ विभिन्न दासियों से थे ।.....और कहा–ऐ मेरे पुत्रों ! खुदा ने इस धर्म को तुम्हारे हेतु, जिसका नाम इस्लाम है, चुन लिया और पसन्द किया है, सो तुमने इस्लाम के तरीकों पर ही मरना, क्योंकि कोई भी तरीका जो इस्लाम के विरूद्ध है, खुदा की दर्गाह में स्वीकृत नहीं हो सकता। (इन लड़कों ने तो अपने मुसलमान होने का पूर्ण प्रमाण दे दिया कि युसूफ को वन में ले गए और अँधेरे कुँए में डाल दिया और पिता को आकर कहा–युसूफ़ को भेड़िया खा गया है।) पस, ए बनी इस्राईल ! हज़रत याक़ूब जो तुम्हारे पूर्वज है। जब अपनी सन्तान को इस्लाम और खुदा की आज्ञा मानने हेतु चाहे वह किसी रंग में और किसी ज़माने में किसी पैग़म्बर के द्वारा हो (उसको स्वीकारने की) वसीयत फरमा गए हैं, तो अब तुम्हारा अन्तिम

समय में अन्तिम पैग़म्बर के धर्म और मिल्लत से जिसका नाम इस्लाम है, उससे विमुख हो यहूदिय्यत और इसाईय्यत पर दृढ़ रहना हठधर्मी और मूर्खता की बात है।

आजमुत्तफासीर भाग १ पृष्ठ २८५–८६

तफ़सीर मजहरी ने लिखा, कि "वस्सा" को मदीना व स्याम के कारियों (कंठस्थकर्ताओं) ने "औसा" पढ़ा है।

इन आयतों में इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, कि इब्राहीम के धर्म का नाम लेकर लोगों को मुसलमान बनाना और इब्राहीम को मुसलमान कहना यह सर्वथा भ्रान्ति है। आगामी आयतें:–

अम कुन्तुम शुहदाआ इज़ हजरा याकूबल्मौत, इज़ काला ले बनीहे मा ताबुदूना मिम्बादी, कालू नाबुदो इलाहका वा इलाहा आबाएका इब्राहीमा वा इस्माईला वा इस्हाका इला हंव्वाहेदंव्व नहनो लहू मुस्लेमून। तिल्का उम्मतुन कद ख़लत् लहा मा कसबत् वा लकुम्मा कसब्तुम, वा ला तुस्अलूना अम्मा कानू यामलून।

कुरआन पारा १ आयत १३४-३५

अर्थ:–(बनी इस्राईल को सम्बोधन है।) क्या तुम स्वयं उस समय उपस्थित थे? जब याक़ूब का अन्तिम समय आया, और जिस समय उन्होंने अपने पुत्रों से पूछा–तुम लोग (मेरे मरणोंपरान्त) किसकी पूजा करोगे ? तो उन्होंने मतैक्य हो कर उत्तर दिया–उसकी पूजा और आपके पूर्वज इब्राहीम आदि करते चले आए हैं, और हम उसी की भक्ति पर दृढ़ रहेंगे। यह उन महापुरूषों की एक श्रेणी थी, जो व्यतीत हो चुकी, उनका किया हुआ, उनके कार्य आएगा और तुम्हारा किया हुआ तुम्हारे कार्य आएगा, और तुमसे उनके किये की पूछ भी न होगी।

तफसीर इब्ने कसीर पारा १ पृ. ९३

व्याख्या:—ऐ यहूदियों ! जिस भाँति तुम कहते हो, उस भाँति नहीं हुआ। क्या तुम वहाँ उपस्थित थे ? यदि नहीं थे, तो फिर क्यों बिना तर्क के दावा हाँकते हो। .....जब उन्होंने अपने पुत्रों से पूछा–तुम मेरे मरणोपरान्त किस की भक्ति करोगे ?

अता ने कहा—जब किसी पैग़म्बर को मृत्यु आती है, तो मृत्यु से पूर्व खुदा उन्हें जीने और मरने में अधिकार देता है, कि चाहे संसार में रहे या अमृत के स्थान पर। यथा क्रम जब हज़रत याक़ूब को अधिकार प्राप्त हुआ तो निवेदन किया–तनिक समय की अवधि प्रदान कर, कि मैं अपने पुत्रों को वसीयत कर दूँ। तब समस्त पुत्रों और पोत्रों को एकत्रित कर यह वसीयत फरमाई। उन्होंने उत्तर दिया–हम भक्ति करेंगे। जिसकी आप और आपके पूर्वज करते आए हैं। वह श्रेणी है, जिसमे हज़रत इब्राहीम-याक़ूब और उसकी सन्तति अभिप्राय है। उनका किया हुआ उनके और तुम्हारा किया हुआ तुम्हारे कार्य आएगा। तो, फिर ऐ यहूदियों। अपने आपको तुम उन श्रेष्ठ लोगों के सम्बन्ध में मुक्ति के योग्य समझते हो ? यह स्पष्टत: मूर्खता है, और स्मरण रखो कि जब तक तुम उनका अनुकरण करोगे, वह और उनकी नेकियाँ तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आएगी। प्रत्येक अपने कर्मों का भोगी होगा। तफसीर मज़हरी पारा १ पृष्ठ २२९ से ३१

हम कर्मफल के विषय में तो सविस्तार पूर्व में ही लिख चुके हैं, कि कर्मफल मुसलमानों के हेतु नहीं अपितु अन्यान्यों हेतु है। इस विषय पर और कुछ लिखना शेष रहा नहीं। अब रहा, याकूब ने अपने अन्त समय में अपने पुत्रों व पौत्रों से पूछा–तुम किसकी भक्ति करोगे ? उन्होंने कहा–उसकी करेंगे, तो इससे इस्लाम का क्या तात्पर्य ? यहूदी और ईसाई भी तो उसकी (खुदा की) पूजा व भक्ति करते थे। यह भक्ति का प्रभाव डा

कर उन लोगों को मात्र मुसलमान बनाने का अभिप्राय मात्र था। आगामी आयतें:—

वा कालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू, कुल् बल् मिल्लता इब्राहीमा हनीफ़ा। व मा काना मिनल्मुश्रेकीन्। कुलू आमन्ना बिल्लाहे व मा उन्ज़ेला इलैना वा मा उन्ज़ेला इला इब्राहीमा वा इस्माईला वा इस्हाका वा याकूबा वल्अस्बात वा ऊतया मूसा वा ईसा वा मा ऊतेयन्नबिय्यूना मिर्रब्बोहिम् ला नुफर्रेको बैना अहदिम्मिन् हुम् वा नहनो लहू मुस्लेमून्।

कुरआन पारा १ आयत २३६-३७

अर्थ:--(यहूदी और ईसाई कहते हैं।) कि यहूद और ईसाई हो जाओ, तो सीधा मार्ग पाओगे। तू (मुहम्मद) कह दे, नहीं। अपितु मैं माननेवाला हूँ मात्र इब्राहीम के धर्म का। वह मुश्रिकों में से नहीं था। कहो, हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो हम पर उतरा और जो उतरा इब्राहीम-इस्माईल-इस्हाक और याकूब तथा उसकी सन्तान पर, और उस पर कि जो मूसा ईसा और समस्त नबियों को उनके रब्ब (प्रभू) की ओर से प्राप्त हुआ। हम अन्तर नहीं करते किसी में भी और हम उसी के आज्ञाकारी हैं।

तफसीर हक्कानी पारा १ पृष्ठ ९१

अब देखिए, कितना स्पष्टत: भ्रान्तिमूलक और भ्रमपूर्ण तर्क है। भला मूसा व ईसा के अतिरिक्त और किसको पुस्तकें प्राप्त हुई ? इब्राहीम-इस्माईल-इस्हाक-याकूब और उसकी सन्तान पर कौन सी पुस्तक अवतरित हुई ? और यदि तुम मानते हो,

तो तनिक सामने तो लाओ, ताकि देख लिया जाये कि किसके हेतु पुस्तक या इतने आदेश उतारे कि उससे कोई धर्म चल सके ? हम कहते हैं, कि यह जो लिखा, कि जो इब्राहीम इस्माईल-ईसा व मूसा आदि पर उतरा और जो हम पर अर्थात हज़रत मुहम्मद पर उतरा, उसमें हम अन्तर नहीं करते । हम पूछते हैं, कि क्या मुसलमान ईमान से कह सकते हैं, कि यह तौरात-जबूर-इन्जील और कुरआन को एक समान ही समझते और स्वीकारते हैं ? जैसे कुरआन के आदेश और सिद्धान्त मुसलमान शिरोधार्य करते हैं, क्या वैसे ही इन अन्य तीनों पुस्तकों को भी स्वीकारते हैं ? एक ओर तो मुसलमान कहते जाते हैं, कि कुरआन के आगमन से यह समस्त पुस्तकें और धर्म निरस्त हो चुके और दूसरी ओर भ्रन्ति उत्पन्न करने-हेतु कहते हैं, कि हम समस्त को एक समान स्वीकारते हैं । जब कुरआन-अवतरण से कुरआन ही मान्य हैं, तो यह पुस्तकें कुरआन के समान ही कैसे मानी जा सकती है ? हम पूर्व में इस विषय पर विस्तारसहित लिख चुके हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए इन पुस्तकों को मान लेने मात्र से भी इन पुस्तकों का कोई मूल्य नहीं रहता ? जब आप समस्त पुस्तकों में काट-छांट, परिवर्तन-संशोधन और परिवर्धन मानते हैं और उसी आधार पर किसी पुस्तक को नहीं स्वीकारते, तो फिर यह मिथ्या बात कह कर, कि हम समस्त को समान स्वीकारते हैं । लोगों को धोखा क्यों देते हो ? जब कि कुरआन स्वयं कह रहा है:—

अल्यौमा अक्मल्तो लकुम दीनाकुम वा अत्मम्तो अलैकुम नेमती व रज़ीतो लकुमल्इस्लामा दीनन ।

कुरआन पारा ६ रुकू १/५ (माएदा)

अर्थः- आज मैंने तुम्हारा धर्म तुम्हारे हेतु सम्पूर्ण कर दिया और अपनी नेमत (श्रेष्ठ पदार्थ) को पूर्ण कर दिया और तुम्हारा धर्म इस्लाम होने पर मैं तुमसे प्रसन्न हुआ।

'अत्मम्तो' का अर्थ है, किसी वस्तु का इस सीमा तक पहुँच जाना कि वह अपने अतिरिक्त किसी वस्तु की मुहताज न रहे और वह वस्तु जो अपने से अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु की मुहताज है, वह नाकिस (शक्तिहीन) है।

यदि कुरआन को इन्जील और बाइबिल का मुहताज मान लिया जाए, वह तो कामिल (समर्थ) नही नाकिस (असमर्थ) होगी। बयानुल्कुरआन भाग १ पृष्ठ ५६५

तफसीर मजहरी में है, कि अब मैंने तुम्हारे हेतु तुम्हारा धर्म कामिल कर दिया है अर्थात नियमों और सिद्धान्तों का सम्पूर्ण विवरण बयान कर दिया। .. ..और यह भी हो सकता है, कि धर्म के पूर्ण होने से अभिप्राय हो, कि रसूल्लिल्लाह को (खुदा-के नैकट्य) इस मर्तबे तक पहूँचा दिया हो, समस्त भूत-भविष्य के मनुष्यों हेतु ईर्ष्या सदृश्य हो। यहाँ तक कि आपका मर्तबा (पद) खुदा के मित्रवत् उच्चपद पर पहुँचने के कारण ही खुदा ने आपकी उम्मत के समस्त पाप क्षमा कर दिये। चाहे वह अल्लाह के अधिकार से सम्बन्धित हो। यहां तक, कि हत्याएँ व अत्याचार भी क्षमा कर दिये।

हजरत अब्बास बिन मर्दास का उद्धृण है, की शाम को रसूल्लिल्लाह ने अपनी उम्मत (समुदाय) के पाप क्षमा करने हेतु प्रार्थना की। जो स्वीकार कर ली गई और फरमाया-मैंने पर-

स्पर किये गये अत्याचारों के अतिरिक्त शेष समस्त पाप क्षमा कर दिये । जिस पर अत्याचार किया गया है, उसका बदला (प्रतिकार) अत्याचारी से अवश्य लूँगा । इस पर रसूल ने निवेदन किया-ऐ मेरे रब्ब ! यदि तू चाहे, तो जिस पर अत्याचार किया गया है, तो उस अत्याचार के प्रतिकारस्वरूप स्वर्ग का कोई भाग उसे दे दे और अत्याचारी को क्षमा कर दे । सायँकाल यह प्रार्थना स्वीकृत न हुई । प्रातः मुज़दल्फा में रसूलिल्लाह ने पुनः गत प्रार्थना को दोहराया । उस समय यह प्रार्थना स्वीकृत कर ली गई और हज़रत मुहम्मद मुस्करा दिये । हज़रत अबू बकर और उमर ने निवेदन किया-आज मुस्कराने का क्या कारण है ? फरमाया-अल्लाह के शत्रु शैतान को जब यह ज्ञात हुआ कि अल्लाह ने मेरी प्रार्थना पर मेरी उम्मत क्षमा की जाने वाली स्वीकृति फरमाई, तो वह मस्तक पर धूल डालने और बावेले मचाने लगा । इस कारण मैं मुस्करा दिया ।

इब्ने माजा और बैहकी ने किताबुल्लिवास से उद्धृण किया कि सईद बिन ज़बैर ने उपर्युक्त आयत की व्याख्या इस भाँति की है, कि मैंने अब तुम्हारा धर्म पूर्ण कर दिया । अब किसी मुश्रिक ने तुम्हारे साथ हज्ज़ नहीं किया और समस्त धर्मों पर तुम्हारे धर्म को सर्वश्रेष्ठ (ग़ालिब) कर दिया और अभय बना दिया । स्थान अर्फ़ा ज़म्मा के दिन असर के पश्चात यह आयत उतरी ।.... उस समय हज़रत अपनी अज़नार ऊँटनी पर खड़े थे, कि वही के बोझ से ऊँटनी के बाज़ू टूटने लगे ।

तफसीर मज़हरी पारा ६ पृष्ठ ३६२ से ६४

किस प्रकार लोगों को मूर्ख बनाया और धर्म को खिलवाड़ तथा खुदा को काठ का उल्लू बना कर रख दिया एवँ जो

हज़रत मुहम्मद के मुँह से निकला,व ही ब्रह्मवाक्य हो गया. कि सम्पूर्ण उम्मत के समस्त पाप क्षमा करा दिये। खुदा को तमाशा बना दिया और लोगों को भी अत्यन्त मूर्ख बनाया। अब तनिक तफसीर इब्ने कसीर को भी देख लीजिए:-

(खुदा) अपनी, फिर अपनी दृढ़-उत्तम और उत्कृष्ट ने मत (वरदान) का वर्णन करता है, कि मैंने तुम्हारा धर्म प्रत्येक दृष्टि से और प्रत्येक भांति से सम्पूर्ण कर दिया है। तुम्हें इस धर्म के अतिरिक्त और किसी धर्म की आवश्यकता नहीं। न इस नबी के अतिरिक्त और किसी नबी की आवश्यकता है। खुदा ने तुम्हारे नबी को अन्तिम नबी किया है। उन्हें समस्त जिन्नों और मनुष्यों की ओर भेजा है। हलाल (वैध) वही है, जिसे वह हलाल कहे और हराम (निषेध) वही है, जिसे वह हराम कहे। धर्म वही है, जिसे वह निश्चित करें। उनकी समस्त बातें सत्य और सत्यता दर्शाने वाली है। जिसमें किसी भी भांति का असत्य और उलटा-पन नहीं है। तफसीर इब्ने कसीर, पारा ६ पृष्ठ ४७

अब इस आयत से एक तो यह ज्ञात हो गया, कि इस्लाम सम्पूर्ण धर्म है। अतः इस्लाम को न किसी धर्म और न किसी अन्य पुस्तक की आवश्यकता है। अब इस पर ही समस्त कर्म निर्धारित है। इसके अतिरिक्त और कुछ न स्वीकारना। तत्पश्चात ऐसी स्थिति में जब कि केवल कुरआन ही इस्लाम का पथ-प्रदर्शक है, तो अन्य पुस्तकों हेतु यदि यह कह दिया जाए कि समस्त पुस्तकें सत्य हैं और खुदा की ओर से है, और यदि यह कह दिया जाए

कि समस्त पुस्तकें मिथ्या है और खुदा की ओर से नहीं है, तो दोनों स्थितियों में परिणाम तो एक ही निकलता है, कि कोई भी पुस्तक सत्य या मिथ्या हो उसका कोई भी सम्बन्ध इस्लामिक कर्तव्यों के साथ नहीं,तो उनके सत्य या मिथ्या होनेका कोई प्रभाव नहीं, वह अन्य था प्रमाणित है। यहां तक ही नहीं, अपितु जो लोग उनको स्वीकारते चले आएं हैं, उनके हेतु भी आवश्यक है, कि वह भी कुरआन का अनुसरण करें। यदि कुरआन में दर्शाया गया मार्ग वह नहीं अपनाएंगे, तो उन खुदाई कहलाने वाली पुस्तकों के अनुसार चल कर वह नर्क में जाएँगे। उनको स्वर्ग-प्राप्ति तो मात्र कुरआन पर चलने से ही होगी।

द्वितीय बात यह, कि कर्मों का फल अपने-अपने कर्मानुसार प्राप्त होगा। इन आयतों का निरर्थक और अर्थहीन होना पूर्व में ही सशक्त प्रमाणों से सिद्ध किया जा चुका है, कि इन आयतों का मुसलमानों पर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि जैसा अभी हमने उपर्युक्त लिखा है, कि हज़रत मुहम्मद ने तो अपनी उम्मत के समस्त पाप खुदा से क्षम्य करा लिये हैं तो तदन्तर कर्मफलयुक्त आयतें केवल भरमाने हेतु ही शेष रह जाती है क्यों कि वह तो प्रभाव-हीन है। इस विषय पर हम पूर्व में लिख चुके हैं, कि मुसलमानों को बुरे कर्मों के फल न मिलेंगे। इस स्थिति में कर्मफल का प्रतिपादनकर्ता समस्त आयतें व्यर्थ हो जाती है। हम प्रथम ही लिख चुके हैं कि इस्लाम के अतिरिक्त और समस्त मत-सम्प्रदाय और धर्म नर्क में जाएँगे। इस विषय से सम्बन्धित एक और आयतः-

वा मय्यक्फ़ुर बेही मिनल्ए हज़ाबे फ़न्नारो मौएवह।

कुरआन पारा १२ रुकू २/२

व्याख्या:– और जो मनुष्य दूसरे सम्प्रदायों में से इसका (इस्लाम का) अस्वीकार करेगा। नर्क उसके वादे का स्थान है। 'एहजाब' से तात्पर्य मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य समस्त धर्म वाले हैं।

हजरत अबू हुरैरा का उद्धृण है, कि रसूल्लिल्लाह ने फरमाया –कसम है, उस जात की जिसके हाथ में मुहम्मद के प्राण हैं। इस उम्मत में जो कोई यहूदी और ईसाई इस स्थिति में मृत्यु को प्राप्त होगा, कि जिस हिदायत को मुझे देकर भेजा गया है, वह उस पर ईमान न लाया होगा, तो वह अवश्य नर्कगामियों में से होगा। (साहुल्मुस्लिम)

तफसीर मजहरी भाग ६ पृ. ३४

आगे जो आयतें आ रही है, उनने इस बात का और भी निर्णय कर दिया, कि मुसलमान ही मात्र स्वर्ग को प्राप्त करेंगे और कोई अन्य नहीं। आयतें:–

फ़ इन आमनू बे मिस्ले मा आमन्तुम् बेही फ़ कदेहतदो वा इन तवल्लो फ़ इन्नमा हुम् फ़ीशेक़ाक़ फ़सयकफिक । हुमुल्लाहो वा हुवस्समी उलअलीम् । सिब्गतल्लाहे वा मन अहसनो मेनल्लाहे सिब्गतंव्वा नहनो लहू आबेदून् ।

कुरआन पारा १ आयत १३८ से ३९

अर्थ:– सो यदि वह भी इसी भाँति ईमान ले आएँ, जिस भाँति तुम मुसलमान ईमान लाये हो, तो वह भी सन्मार्ग पर लग जाएँगे और यदि वह विमुख हो, तो वह लोग सदैव से ही विरोधी मार्ग पर हैं, तो समझ लो कि तुम्हारी ओर से हम शीघ्र निपट लेंगे।

अल्लाह तआला सुनता है, और ज्ञाता है। हम धर्म की उस स्थिति में है, जिसमें हमको अल्लाह ने रंग दिया है, और दूसरा कौन है, जिसके रंग देने की स्थिति अल्लाह से श्रेष्ठ हो, और इसीलिए हम उसकी दासता धारण किये हुए हैं।

तफसीर इब्ने कसीर पारा १ पृष्ठ ९५

तफसीर मज़हरी में है, कि **'बेमिसल'** में वह अधिक है। और इब्ने अब्बास की कराअत यों होगी **'फ़ इन आमनू बेमा आमन्तुम बेही'** कराअत **'मिसल'** पूर्ण शब्द है।

व्याख्या:-- आदेश होता है–ऐ मुसलमानों ! यदि अहले किताब (यहूदी व ईसाई) और मक्का के मुश्रिक (मूर्तिपूजक) इत्यादि जो अपने–अपने बनावटी धर्म में ही सत्यता का दावा किये बैठे हैं। यदि नेक चलन अपना कर तुम्हारी भाँति खुद को एक और आसमानी कानूनों और उसके समस्त उच्चतम पैग़म्बरों पर बिना किसी भेदभाव के ईमान ले आएँ, तो समझना चाहिए कि वह उचित मार्ग पर आ गए और हिदायत पाने वालों के सदृश्य हैं, और यदि रस्मोरिवाज (परम्परागत प्रथाएं) की दासता और जातिय हठधर्मी व अभिमान के कारण इन बातो को स्वीकार न कर तुम जैसे मुसलमान न हों, तो खूब समझ लो कि उनके धर्म का आधार मात्र द्वेष और हठ पर है। यद्यपि वह प्रत्यक्ष में मूसा तथा ईसा के अनुसरण का दावा करते हैं, किन्तु वास्तव में इन दोनों-बुज़ुर्गों के माननेवाले नहीं है। किसलिए कि मूसा व ईसा ने भी इन्हीं बातों पर ईमान लाने का आदेश दिया था, और ऐ हमारे सखा ! (हज़रत मुहम्मद) आप इनकी शत्रुता और हठ से कुछ भी भय न कीजिए, क्यों कि यह लोग यदि आपसे युद्ध तथा सामना करेंगे, तो शीघ्र ही खुदा इनकी शरारत से

आपको बचा लेगा, क्यों कि वह (खुदा) प्रत्येक की बातों को सुनता और प्रत्येक व्यक्ति की नीयत का हाल जानता है।.....

आयत में "सिब्गा" शब्द आया है। इसका अर्थ यह है कि इस आयत के अवतरण के पश्चात यहूदियों ने हज़रत मुहम्मद के धर्म स्वीकारने से स्पष्ट अस्वीकार कर दिया और ईसाईयों ने भी विरोध कर मुसलमानों पर अपनी प्रतिष्ठा आरोपित करना प्रारम्भ कर दिया और कहा—

हमारे हेतु "सिब्गा" है, और तुम्हारे हेतु नहीं। 'सिब्गा' अर्थात जब उनके यहाँ शिशु उत्पन्न होता, तो ७ दिन पश्चात उसे ज़र्द (रग के पानी में जिसे मामूदिया कहते हैं) इस विश्वास से डुबकियाँ देतेहैं, कि यह जल इस शिशु को ईसाई मत के अतिरिक्त धर्मों से पवित्र करनेवाला है, तथा इसको खतना के स्थानापन्न कहा करते थे, कि 'सबिग्नाहो बे न्नस्रानिय्यते' अर्थात हमने इसको ईसाईय्यत के रग में रंगीन कर दिया। अब यह सचमुच ईसाई बन गया। खुदा उनकी इस थोथी और असभ्य बात को इस भांति निरस्त करता है, कि ऐ मुसलमानों! तुम उनको उत्तर में कह दो—इस बनावटी और प्रदर्शित रगत से क्या होता है? रंग मे रंग, तो खुदा का रग है। जिसके मात्र हमीं लोग मानने वाले और अनुसरणकर्ता हैं। अर्थात हमने अपने आपको खुदा के रंग में जो इस्लाम धर्म है उसमें रगीन कर लिया है।

आजमुत्तफासीर पारा १ पृ० ३९४–९५

इन आयतों में भीं ईसाईयों और यहूदियों को कहा गया है, कि तुम मुसलमान हो जाओ और ईसाईयों की परम्परागत प्रथा, शिशु रगने का प्रत्युत्तर दिया गया है। यह कोई सार्वभौमिक वाणी नहीं है। ऐसी साधारण बातें कदापि ईश्वरीय

ज्ञान नहीं कहला सकती। परम्परागत प्रथाओं की न्यूनता और भूले तो प्रत्येक व्यक्ति कह सकता है, जिसका इन लोगों से परिवारिक सम्बन्ध हो। अब तनिक इस्लाम की शक्ति में वृद्धि हो गई थी। इस कारण उनको किञ्चित धमकी भी दे दी, कि अतिशीघ्र खुदा तुमको इनकी शरारत से बचायेगा। यह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसके पश्चात ही परस्पर युद्धारम्भ हो गए। तत्पश्चात आयते हैं, ऐ मुहम्मद ! आप इनसे कह दीजिए :-

कुल् अतुहाज्जूनना फ़िल्लाहे वा हुवा रब्बुना वा रब्बोकुम् वा लना ऐमालुना वा लकुम आमालूकुम् वा नहनो लहू मुख्लेसून्। अम् तकूलूना इन्ना इब्राहीमा वा इस्माईला वा इस्हाका वा याकूबा वल्अस्बाता कानू हूदन औ नसारा, कुल् आ अन्तुम आलमो अमिल्लाहो, वा मन अज़्लमो मिम्मन् कतमा शहादतन इन्दहू मिनल्लाहे वा मल्लाहो बेग़ाफेलिन अम्मा तामलून्। तिल्का उम्मतुन कद खलत् लहा मा कसबत् वा लकुम्मा कसब्तुम वा ला तुस्अलूना अम्मा कानू यामलून।

कुरआन पारा १ आयत १४० से ४२

अर्थः- (ऐ मुहम्मद) यह कि क्यों झगड़ते हो तुम खुदा के विषय में, वह हमारा भी पालन कर्ता है, और हमारे हेतु हमारे कर्म हैं, और तुम्हारे हेतु तुम्हारे कर्म हैं, और हम उसके हेतु प्रेम करने वाले हैं। क्या कहते हो, कि इब्राहीम, इस्हाक और याकूब तथा उसकी सन्तान को, कि यहूदी या ईसाई थे। कह, कि क्या तुम अधिक जानते हो या अल्लाह ? और कौन है अत्यन्त अत्याचारी उस व्यक्ति से, जो साक्षी को छुपाता है, जो उसके पास

अल्लाह की ओर से है, और अल्लाह उस वस्तु से असूचित नहीं है, जो तुम करते हो। यह एक उम्मत थी गुजर गई। जो उन्होंने कमाया, उनके हेतु था, और तुम्हारी कमाई तुम्हारे हेतु है, और उस वस्तु से न पूछे जाओगे तुम कि जो वह करते थे।

आजमुत्तफासीर पारा १ पृ० २९६

व्याख्या:—क्या तुम खुदा सम्बन्धी विवाद करते हो? अर्थात अल्लाह के धर्म में, और उस विषय में, कि उसने अरब में से ऐसा पैगम्बर उत्पन्न किया और तुम में से पैग़म्बर न बनाया?

किस प्रकार भ्रम उत्पन्न किया गया है, कि वह पैगम्बर होने को तो स्वीकार करते हैं, किन्तु विवाद इसका है, कि पैगम्बर हम में से क्यों नहीं हुआ? इस आयत में इस बात का, कि पैगम्बर हम में से क्यों नहीं हुआ? संकेतमात्र भी नहीं है। इस विषय में विवादोत्पत्ति का तात्पर्य यह है, कि वह लोग हज़रत मुहम्मद को पैगम्बर तो स्वीकारते थे, किन्तु विवाद यह था कि हम में से पैगम्बर क्यों नहीं हुआ? किन्तु वास्तविकता यह थी, कि वह लोग हज़रत मुहम्मद को मूलतः पैगम्बर ही नही स्वीकारते थे, और न कुरआन को ही ईश्वरीय वाणी मानते थे। जैसे:—

कालल्ला ज़ीना कफ़रू लिल्ला जीना आमनू लौ काना ख़ैरम्मा सबकूना इलैहे वा इज़लम् याहतदूवेही फ़सयकूलूना हाज़ा इफ़कुन कदीम्।

कुरआन पारा २६ रकू २/२

अर्थ - और कहा, उन लोगों ने जो काफ़िर थे, बनी अमर और उनके सदृश्य, उन लोगों के हेतु जो ईमान लाए जहानय्या आदि,

और यदि ईमान अच्छा होता तथा सत्यता और उचित मार्ग दिखता तो हमसे आगे न बढ़ जाते? और शीघ्रता न करते उसकी ओर परिवारों के निकृष्ट लोग? अपितु हम ही उनके प्रथम होते। इस कारण कि हमारा पद उनसे अधिक उच्च है और हमारी प्रतिष्ठा प्रसिद्धि अधिक है। यह इब्ने सलाम और उनके मित्रों के इस्लाम लाने के पश्चात यहूद ने कहा–जो कुछ मुहम्मद कहते हैं, कि मैं लाया हूँ। यदि वह श्रेष्ठ होता, तो और लोग हज पर बढ़ोत्री न ले जाते। इस कारण, कि हमें उनसे अधिक ज्ञान हैं, और जब काफ़िरों ने कुरआन की ओर मार्ग न पाया या यहूद ने, तो कहते हैं–यह पुरातन मिथ्या है, अर्थात प्रथम लोगों ने भी ऐसा ही कहा है।

तफसीर कादरी भाग २ पृष्ठ ४२८

इसी सूरत में है:-- 'वा कालल्लज़ीना कफ़रू लिल्हक्के लम्मा जाआहुम हाज़ा सेहरूम्मुबीन् अम् यकूलू नफ्तराहो।

कुरआन पारा २६ रकू २/२

अर्थात:-- काफ़िर सत्य बात को कहते हैं, जब कि उनके पास आया (कुरआन) यह जादू है खुला हुआ, और इस पर ही अन्त नहीं करते, अपितु कहते हैं 'इफ़्तरा' किया है, अर्थात मिथ्या कहा है। हज़रत मुहम्मद ने कुरआन हेतु खुदा पर और अपनी ओर से कहा है।

तफसीर कादरी भाग २ पृष्ठ ४२६

फिर कहा:– कालल्लाज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्लाहफ्कुन निफ़्तराहो वा अआनहू अलैहे कौमुन आखरून।

कुरआन पारा १८ रकू १/१६

अर्थात:– और बोले काफिर, कि नहीं है यह कुरआन जो हमारे पास मुहम्मद लाये हैं, किन्तु मिथ्या, कि स्वयँ बाँध लिया है उसे और उस असत्य को रचने में उसे सहायता दी है, एक और जाति ने जैसे–जबर और यसार या अदास या फ़कह रूमी अर्थात यह लोग पूर्व समाचार हजरत मुहम्मद पर बयान करते हैं, और वह अरबी भाषा में हमको सुनाता है।

इसके आगे है:–

'वा कालू असा तीरूलअव्वलीन्' और बोले काफिर, कि मुहम्मद अरबी का कलाम, तो कहानियाँ है, जो प्राचीन पुस्तकों में लिखी है, लिखवाता है उन्हें,.... ... और वह लिख लिये जाते हैं दोनों समय, या प्रातः सायं, या दिन–रात.....यहाँ तक, कि उनको स्मरण कर लेता है, और हमारे सन्मुख पढ़कर कहता है, कि वही है। तफसीर कादरी भाग २ पृष्ठ १३४

कुरआन में ऐसी और भी अधिक आयतें हैं। जिनमें अरब के लोगों ने कुरआन और हजरत मुहम्मद साहिब के पैग़म्बर होने का निषेध किया है। अब जो आयत उपरोक्त अंकित है उसकी व्याख्या लिखते हैं:–

वास्तव में हमारा और तुम्हारा रब्ब (प्रभू) वही है। उसे किसी जाति विशेष से सम्बन्ध नहीं और हमारे हेतु हमारे कर्म और तुम्हारे हेतु तुम्हारे कर्म अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को उसके किये का प्रतिकार मिलेगा (हमने अभी इस बात को प्रमाणित किया है, कि प्रत्येक को कर्मफल प्राप्त न होगा। मुसलमानों के समस्त पाप खुदा ने क्षमा कर दिये) क्या तुम कहते हो, कि इब्राहीन, इस्मा-

ईल, इस्हाक, याकूब और उसकी सन्तान यहूदी या ईसाई थी। ऐ मुहम्मद ! कह दीजिए कि क्या तुम अधिक जानते हो या खुदा अधिक जानता है ? अल्लाह तो यह कहता है, कि इब्राहीम न यहूदी था, न ईसाई था (इसका क्या प्रमाण, क्या मात्र कुरआन ?) कि उससे अत्याचारी कौन व्यक्ति है ? जो साक्षी को छुपाता है, जो उसके पास खुदा की ओर से थी अर्थात तौरात में इस बात की साक्षी उपलब्ध है, कि इब्राहीम खुदा एक को मानते थे, मुश्रिक न थे, और अल्लाह उस बात से अनभिज्ञ नहीं है, कि जो तुम करते हो, और यह एक सम्प्रदाय था, जो गुजर गया। उनका किया उनके कार्य आएगा और तुम्हारा, तुम्हारे तथा उनके किये की पूछताछ न होगी।

तफसीर मजहरी पारा १ पृ. २३२ से ३६

इस आयत में अत्याधिक बातें कुरआन की दूसरी आयतों से विरुद्ध है, यथा:-हमारा और तुम्हारा रब्ब (प्रभू) एक है। यदि दोनों का खुदा एक है, तो फिर विवाद क्यों ? किन्तु कुरआन में ही है, कि ईसाई तीन खुदा मानते हैं, 'ला तकूलू सलासतन' मत कहो खुदा तीन है। तो फिर समान कैसे हो सकते हैं ? फिर अज़ीज और ईसा को खुदा का पुत्र कहना मतभेद का विषय है ? 'अय्यकूना लहू वलदुन' खुदा के हेतु सन्तान कहना यह भी एक अन्तर है। अर्थात खुदा के विषय में ईसाईय्यत और इस्लाम समान नहीं हैं। तत्पश्चात इस आयत में है, कि खुदा को किसी जाति से विशेषता नहीं, किन्तु कुरआन की अत्याधिक आयतों

में विशेषता दर्शाई गई है:--'फ़ इन्नल्लाह उदुव्वुल्लिल्काफ़िरीन्' पस, अल्लाह काफ़िरों का शत्रु है। 'वल्लाहो ला याहदिल्कौमिल्काफ़िरीन्' और अल्लाह काफ़िरों को हिदायत नहीं देता। 'वा काना बिल्मौमेमीना रहीमा' और खुदा मुसलमानों के साथ कृपालु है। 'फ़ मय्युरे दिल्लाहे अय्यहदियाहू यश्रह सदरहू लिल्इस्लामे व मय्युरिद अय्युज़िल्लाहू यजअल सदरहूजंकन' (पारा ८ रकू १५/२) पस, जिसके हेतु अल्लाह हिदायत करने का विचार करता है, उसका वक्ष इस्लाम हेतु खोल देता है, और जिसको पथभ्रष्ट करने का विचार करता है, उसका वक्ष संकीर्ण कर देता है। (और पक्षपात क्या होता है ?) बनी इस्राईल से कहा-'इन्नी फ़ज्जल्तोकुम् अलल्आलमीन' तुमको समस्त ससार पर प्रतिष्ठा दी। और देखिए:--

ओलाए कल्लाज़ीना कफ़रू बेआयाते रब्बे हिम वा लिकाएही फ़हबेतत् एमालोहुम् फ़ ला नुकी मो लहुम यौमल्कयामते वज़्ना। कुरआन पारा १६ रकू १९/३

अर्थात वही है, वह लोग जिन्होने अपने रब्ब (ईश्वर) की आयत से और अल्लाह के मिलने से अस्वीकार कर दिया, अर्थात मरणोपरान्त जीवित होने के मुन्किर हुए.....सो इसलिए उनके समस्त कर्म नष्ट, हुए। कयामत के दिन हम उनके नेक कर्मों का तौल न करेंगे..... .....क्योंकि नेक कर्म स्वीकृत होने का अनुबन्ध ईमान है, और वह काफिर थे, और काफ़िर, जो कि ईमान से निरस्त है। उनकी नेकियाँ खुदा स्वीकृत ही नहीं करेगा इत्यादि। फिर वह कहते हैं--इब्राहीम-इस्माईल और याकूब की सन्तान यहूदी थी।

हम कहते हैं, कि याकूब की सन्तान यहूदी नहीं थी, तो और यहूदी कौन थे ? उनकी सन्तान न थी तो ?

यहाँ कुरआन के ३० पारों में से प्रथम पारा समाप्त हो गया। यह मात्र प्रथम पारा है। आवश्यक था, कि पर्याप्त विश्लेषण द्वारा आयतों को स्पष्ट रूप से पाठकों के सन्मुख प्रस्तुत किया जाए। अतः इस कारण इस ग्रन्थ को २ खण्डों में विभाजित करना पड़ा।

यहां तो कुरआन पारा १ और उसकी १४२ आयतों पर ही चर्चा की गई है। इससे आगे कुरआन में पारा २ प्रारम्भ न करते हुए आपके ज्ञातव्य हेतु मनोरजनात्मक दृष्टि से भी कुरआन में वर्णित कयामत स्वर्ग व नर्क का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आपको यह ज्ञात हो जाए कि कुरआन के लेखक-प्रणेता या प्रस्तोता जो भी रहा हो, उसने अपने सम्प्रदाय इस्लाम, अपने रब्ब अल्लाह और अपने पैगम्बर हज़रत मुहम्मद के प्रचार-प्रसार हेतु और जन साधारण को आतंकित व लालायित करने की दृष्टि से किस भांति कुरआन में स्वर्ग का सुन्दर-आकर्षक और मनमोहक और नर्क का भयावह तथा कयामत का एक पक्षीय वर्णन किया है। जन्नत में मय और मधु की नहरें बहती है, सोने-चाँदी-हीरे-मोती और रत्न-जड़ित शामियाने और भव्य भवन है, स्वर्ग-निवासियों हेतु सुन्दर हूरें (अप्सराएँ) और सेवा व मनोरजन हेतु गिल्मान (सुन्दर लौंडे) हैं, और यह जन्नत (स्वर्ग) उनको ही प्राप्त होता है, जो इस्लाम ग्रहण कर, मुसलमान बन कर एक मात्र अल्लाह, उसके रसूल हज़रत मुहम्मद, और उसकी वाणी कुरआन के प्रति ईमान लाएँ।

जो मनुष्य ईश्वरीय सत्ता को स्वीकारते हैं, उनके हेतु यह अनिवार्य है, कि वह ईश्वर को कर्मफलदाता भी स्वीकारें, क्योंकि कर्मों के फल देने हेतु मनुष्य के अतिरिक्त कोई अन्य चेतन सत्ता

होना चाहिए । मनुष्य स्वयँ प्रेरणा से कभी भी अपने कर्मों के फल भोगने हेतु तत्पर नहीं होता है, और न उसकी शक्ति के अन्तर्गत है, कि वह अपने किये गये कर्मों के फल स्वतः ही भोगे। जो मनुष्य ईश्वर को कर्मफलदाता नहीं स्वीकारते, वह पूर्णरूपेण नास्तिक होते हैं यदि सांसारिक प्राणियों हेतु कर्मों का फलदाता कोई न स्वीकारा जाए तो संसार एक अन्धेरी नगरी सदृश्य स्थान बन कर रह जाएगा। आस्तिक जगत ईश्वर को कर्मफल-दाता स्वीकारता है । इसी भांति इस्लाम भी अल्लाह को कर्म-फल दाता कहता है । अब जिस स्थिति में ईश्वर को कर्मफल-दाता स्वीकारा जाए, तो उसके साथ यह भी स्वीकारना अनि-वार्य है, कि ईश्वर कर्मों के जो भी फल प्रदान करेगा, वह उचित निष्पक्ष और न्यायसंगत होंगे । यदि कोई मत--सम्प्रदाय और धर्म ऐसा न्याय हमारे सन्मुख प्रस्तुत करता है, जो सर्वथा ईश्वर के न्याय--गुण--कर्म और स्वभाव के विरूद्ध है, तो ऐसा न्याय ईश्वर की ओर से कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता ? उसके हेतु यही स्वीकारना होगा कि किसी व्यक्ति विशेष ने ईश्वर के नाम पर अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु कपोलकल्पित प्रस्तुत कर दिया है ।

आगे जिस विषय पर हम लिखने जा रहे हैं, वह कर्मफल और ईश्वरीय न्याय से सम्बन्धित है । इसमें हम इस्लाम के सिद्धांतों और धार्मिक नियमों के अन्तर्गत वर्णन करेंगे, कि जो उसने कर्मों के फल हमारे सम्मुख कुरआन और हदीसों के माध्यम से दर्शाया है, वह कहाँ तक निष्पक्ष--सत्य--न्यायपूर्ण युक्ति संगत और व्यवहारिक है ? इस विषय का प्रतिपादन हम आगे तीन अध्यायों में कर रहे हैं ?

इस्लामी कर्मफल

(प्रथम) कयामत प्रलय (द्वितीय) इस्लामी स्वर्ग (जन्नत)

और (तृतीय) इस्लामी नर्क (दोज़ख) इन तीनों अध्यायों से पाठकों को भलिभाँति यह ज्ञात हो जाएगा, कि जो कुरआन और हदीसों में कर्मफ़ल का वर्णन किया गया है, उसे प्रायः समस्त मुसलमान स्वीकारते हैं, किन्तु वह कहां तक सत्य और युक्ति सगत है ? वैसे, तो कुरआन में कहा गया है, कि कयामत के दिन अल्लाह (ईश्वर) स्वयं सिंहासनरूढ़ हो निर्णय करेगा और मनुष्यों के भले-बुरे कर्मों को तौल-तौल कर कर्मानुसार भला और बुरा फल देगा तथा साक्षियां भी लेगा। तत्पश्चात जो भी परिणाम निकलेगा, उसके अनुसार सम्बन्धित मनुष्यों को स्वर्ग (जन्नत) और नर्क (दोज़ख) में पहुँचा दिया जाऐगा और फिर मृत्यु को काट दिया जाएगा । फलतः तत्पश्चात मृत्यु किसी को न आएगी ।

कुरआन में सृष्टि की उत्पत्ति का प्रयोजन भी कर्मफल देना ही कहा गया है । जैसे:— 'वा ख़लकल्लाहो हूस्समावाते वल्अर्ज़ा बिल्हक्के वलेतुज्जा कुल्लो नफ़्सिन बीमा कसबत व हुन् ला युज़लमून'। (पारा २५ रकू ३/१९)

अर्थात- अल्लाह ने उत्पन्न किये आसमानों और धरती को साथ न्याय के; ताकि प्रत्येक मनुष्य को फल दिया जाए, उसके अनुसार जो उसने कमाया है। रंचमात्र भी अत्याचार न किया जायेगा।

इब्ने कसीर पारा २५ पृष्ठ १४

इस आयत में सृष्टि उत्पत्ति का प्रयोजन मात्र कर्मफल देना ही कहा है यदि इस्लाम इस सिद्धान्त को सही ढग से स्वीकारता होता तो किसी भी आलोचना, समालोचना, आरोप प्रत्यारोप करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता, किन्तु इस्लाम तो इस सिद्धान्त को भी साम्प्रदायिक ढग से स्वीकारता है। इसी बात की चर्चा हम अपने आगामी तीन अध्यायों में कर रहे हैं, यद्यपि हम पूर्व में ही कुरआन परिचय, खंड २ आयत क्र. ४९ में इसकी संक्षिप्त चर्चा कर चुके हैं,

कि इस्लाम अपने हेतु और काफिरों हेतु क्या स्वीकारता है ? इसी आयत की प्रथम पंक्ति 'लत्तकु यौमल्ला तजजी' की व्याख्या करते हुए तफसीर मजहरी ने लिखा है, कि क्यामत के दिन कोई किसी के कार्य न आएगा। इसका अभिप्राय यह है, कि कोई किसी काफ़िर को किञ्चित भी लाभान्वित न कर सकेगा, किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं, कि मुसलमान के कार्य भी नहीं आएगा ? क्योंकि कुरआन की आयतें और हदीसें यह स्पष्ट कह रही है, कि पैगम्बर और नेक बन्दे मुसलमानों की अनुशंसा करेंगे। और इस पर समस्त सत्यान्वेषी (मुसलमानों) का मतैक्य है।

तफसीर मजहरी पारा १ पृष्ठ १११

इसी उक्त आयत की अन्तिम पंक्ति–'व ला हुम् युन्सरून' अर्थात-न उन्हें सहायता पहुँचेगी।

इस आयत से खुदा का अभिप्राय यह है, कि काफिरों से कोई भी व्यक्ति किसी भांति भी संकटों को दूर न कर सकेगा।

तफसीर मजहरी पारा १ पृ. ११२

ऐसा ही तफसीर हक्कानी पारा १ पृष्ठ ११४ और आज-मुत्तफासीर पारा १ पृष्ठ १६१ में भी लिखा है। जिसको हम आगे यथा स्थान सविस्तृत वर्णन करेंगे। मुसलमान अन्धश्रद्धा और मिथ्या विश्वासों के वशीभूत हो क्यामत–स्वर्ग और नर्क के प्रति विश्वास किये आशान्वित हो बैठे हैं। यदि यह स्वयं ही किञ्चित इस अन्धविश्वास की दासता से मुक्त हो कर विचार करेंगे, तो वह स्वयँ ही किसी प्रकार भी इन मिथ्या और मन-घड़न्त बातों को स्वीकार न करेंगे।

हमारा विश्वास है, कि विश्व का कोई भी विवेकशील और विद्वान व्यक्ति कभी भी ऐसी निरर्थक और अर्थ हीन कपोल कल्पित व मनघड़न्त बातों पर विश्वास नहीं करेगा और न इसको सत्य ही स्वीकारेगा, जो कि हम आगे वर्णन कर रहे हैं।

उपसंहार

●

हमने 'कुरआन परिचय' के प्रथम खण्ड में केवल कुरआन के वास्तविक स्वरूप, आन्तरिक भाव और शिक्षा के प्रभाव और उसकी आधारशिला आदि में जो--जो उतार चढ़ाव आये और उसकी पूर्ति हेतु जो साधन प्रयोग किये गये तथा इस 'कुरआन' को संकलित एव एकरूपता लाने में जो बाधाएँ और विवशताएँ बाधक थीं । उनके निवारण एवं समाप्ति हेतु जिन साधनों को माध्यम बनाया गया है । मूलतः कितना कुरआन था और अब कितना शेष रह गया ? इसमें वर्णित 'नासिख् और मन्सूख', मोहकम और मुतशाबेहात, हफत करात, पूर्व और पश्चात के आदेशों में जो संदिग्ध और सरल अर्थों में अन्तर–मतभेद और विरोधाभास उत्पन्न हुआ । उसके कारणों और कुरआन सम्बन्धी जो अन्य बातें थी । उन समस्त का पूर्ण और पर्याप्त वर्णन पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया था ।

'कुरआन परिचय' के द्वितीय खण्ड में हमने कुरआन के प्रथम पारा की आयतें क्रमानुसार आयत क्रमांक १ ते ८३ तक आयतों को प्रस्तुत कर इन आयतों का कुरआन की अन्यान्य आयतों के साथ जो अन्तर–मतभेद और विरोधाभास है, उसको स्पष्ट किया है । यदि कुरआन स्वतः ही व्यवस्थित और शृंखलाबद्ध होता, तो हमारे इस समीक्षात्मक विवरण में रंचमात्र भी अन्तर न होता, किन्तु कुरआन के संकलनकर्ताओं ने जहाँ विभिन्न स्थानों और वस्तुओं से कुरआन को सकलित करवाया है, वहीं इसकी शृंखला को परिवर्तित करने का उनको दुस्साहस न

हुआ । इस द्वितीय खण्ड को पढ़ कर आप आश्चर्यचकित हो जायेंगे कि कुरआन में स्वतः ही इतना अन्तर-मतभेद और विरोधाभास कैसे सम्भव है ? इस हेतु आपको कुरआन की आयतों की रचना-शैली को देखना चाहिए, क्योंकि कुरआन की अधिकांश आयतें ऐसी हैं, जो कि अरबवासी यहूदियों-ईसाईयों और अन्य मूर्तिपूजकों के उत्तर-प्रत्युत्तर में कहीं गई है । जब भी किसी ने कुरआन या हज़रत मुहम्मद के विषय में कोई चर्चा की, कि तत्काल उसका उत्तर या स्पष्टीकरण खुदा की ओर से प्रस्तुत कर दिया गया । इस रचना-शैली के अन्तर्गत कोई भी ग्रन्थ उचित पद्धति व व्यवस्थित ढंग से नहीं रह सकता है ?

यदि कुरआन किसी स्वतन्त्र लेखक द्वारा पुस्तक पद्धति और लेखन शैली के अन्तर्गत लिखित होता, तो उसमें यह ऐसी बेतरतीबी (अश्रृंखला) वाक्य रचना न होती ।

'कुरआन परिचय' के इस तृतीय खण्ड में हमने द्वितीय खण्ड से आगे आयत क्रमांक ८४ से पारा १ की अन्तिम आयत १४२ तक प्रथम पारा सम्पूर्ण कर चर्चा प्रस्तुत की है, और दर्शाया है, कि कुरआन में वर्णित किस्सों और कहानियों में कितना विरोधाभास है ? कहीं पूर्वार्ध को उत्तरार्ध में और कहीं उत्तरार्ध को पूर्वार्ध में गुम्फित कर कथा की मूल वस्तु को ही गड्डमड्ड कर दिया गया है । इसी कारण से कुरआनकार शुद्ध लेखन शैली अपनाने में असमर्थ और असफल रहा है । आप किसी कथा या कहानी के समस्त वाक्य जो विभिन्न स्थानों पर प्रयुक्त हुए हैं, उन समस्त को कुरआन से पृथक कर एक अन्य काग़ज पर लिख लें और फिर पढ़ें, कि उनमें कितना अन्तर है ? उदाहरणार्थ आप हज़रत मूसा व हज़रत इब्राहीम के सम्पूर्ण वृतांत को इसी भाँति लिख लें और फिर देखें तो आपको भारी

अन्तर दृष्टिगोचर होगा । यह इस कारण, कि इस ग्रन्थ की रचना का आधार ही दूसरा है, और वह, यह है कि अवसर और आवश्यकतानुसार स्थिति- परिस्थिति को लक्ष्य कर आयतों को प्रस्तुत किया जाता रहा है । कभी प्रश्नोत्तर में, कभी भ्रम निवारण में और कभी अपनी प्रतिष्ठा स्पष्ट करने हेतु समयानुसार आयतें कही जाती रही हैं । परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति में न तो श्रृंखला ही बन सकी और न वर्णन में एकरूपता या सामंजस्य ही रह सका? इस ग्रन्थ की आयतों में इतनी वैभिन्यता और वैचित्र्यता दृष्टिगोचर होगी, कि आपको आश्चर्य होगा । यदि यह कुरआन नियमानुसार और व्यवस्थित रूप से लिखा जाता या सकलित कर प्रस्तुत किया जाता, तो सम्भव था, कि इसमें उपस्थित इतना अन्तर–मतभेद और विरोधाभास न रहता ।

"कुरआन परिचय" खण्ड २ और ३ में यद्यपि कुरआन के प्रथम पारा का ही वर्णन है, किन्तु इसमें आपको सम्पूर्ण कुरआन की वास्तविकता का दिग्दर्शन हो जायगा । हमारे द्वारा की गई आयतों की व्याख्याओं में कुरआनकी तफसीरें ही हमारा मूलाधार है, हमने जो हदीसें उद्धृत की हैं, वह भी विभिन्न तफसीरों की व्याख्याओं में उद्धृण स्वरूप समाहित और प्रयुक्त की गई है, उन्हीं को हमने उद्धृत किया है ।

हमारा यह दृढ़ मत है, कि विना तफसीरों के कुरआन को सही ढंग से समझना कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव है । हमारा यह विश्वास है, कि कुरआन के विभिन्न व्याख्याकारों ने कुरआन को उचित रूप से समझाने हेतु अत्यन्त प्रयास किया और अनेक तफसीरें लिखी हैं । हम यह नहीं कह सकते हैं, कि उनकी व्याख्याएं कुरआन को भ्रांति पूर्ण बनाती है । जो व्याख्याएं

अहले सुन्नत जमाअत के दृष्टिकोण को लक्ष में रख कर की गई है, उनकी नेकनीयती में कोई शंका नहीं है। इसके अतिरिक्त इस्लाम के जो अन्य सम्प्रदाय हैं, उन्होने अपने मत खींचतान कर लिखे हैं, कि यदि उनके उचित और सत्य अर्थ करते तथा उचित तावील (व्याख्या) करते, तो वह आयतें सृष्टि नियम के प्रतिकूल आभासित होती। इसी लिए उन्होंने अर्थों को गड्डमड्ड कर दिया। जैसे मौतज़ला ने कहा--कर्मों का कर्ता व्यक्ति स्वयं हैं, किन्तु कुरआन की आयतों का सर्व सम्मत सिद्धान्त इसके प्रतिकूल है। ऐसे ही प्रभाव से प्रेरित और प्रभावित कादियां की या लाहोर की अहमदीया जमाअत है और उसके साथ ही माननीय सर सैय्यद हैं। सर सैय्यद साहिब ने तो अपनी तफसीर में कुरआन का ढांचा ही परिवर्तित कर दिया है, किन्तु जो लोग साधारण ही अरबी भाषा का ज्ञान रखते हैं, वह जानते हैं कि इन लोगों ने अपने मन माने ढंग से कुरआन की आयतों का अर्थ और व्याख्याएं कर पग-पग पर किस भांति ठोकरें खाई हैं ? वैसे सर सैय्यद साहिब का मत, तो मूल कुरआन से सर्वथा मेल नहीं रखता है और अहमदी सम्प्रदाय कहीं न कहीं से सीमित एकदेशीय मत ग्रहण कर अपने विचारों को सिद्ध करने का प्रयास करता है, जो कि उचित नहीं कहा जा सकता है ?

सामयिक निवेदन

हम अपनी आयु के ८३ वर्षों तक सर्वथा मौन रहे। केवल कुछ वर्षों तक अरबी-संस्कृत महाविद्यालय अमृतसर में छात्रों को अरबी भाषा की 'मौलवी फ़ाजिल' तक शिक्षा दी और धर्म-शिक्षा भी देते रहे। तत्पचात धर्मरक्षा (शुद्धि) के कार्य में ऐसे रत हुए कि अवकाश और अवसर ही प्राप्त न हुआ, किन्तु सन १९६९ में आकर कुछ अभिन्न और प्रियवर मित्रों ने आग्रह किया, कि मैं

कुरआन की वास्तविकता पर तनिक लिखूं। मैंने उनका आग्रह और आज्ञा शिरोधार्य कर ली, इसीलिए कि विश्व के करोड़ों मनुष्य अन्धश्रद्धा और मिथ्या विश्वास के कुचक्र में इस भांति गुम्फित हैं, कि उन पर सत्यता और यथार्थता का रंचमात्र भी प्रभाव नहीं होता है। अतः इस अन्धश्रद्धा और मिथ्या विश्वास की आधारशिला, जो कि कुरआन है, उसके यथार्थ को प्रकट कर संसार के जन साधारण को सत्य और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करना चाहिए। इसलिए मैंने अभी तक कुरआन विषयक 'कुरआन परिचय' ३ खण्ड लिखे हैं, जो भी सज्जन धार्मिक हठवादिता और संकीर्ण साम्प्रदायिकता तथा पूर्वाग्रहों का परित्याग कर इन्हें पढ़ेगा। मुझे दृढ़ विश्वास है, कि उन्हें अवश्य ही अन्धश्रद्धा और मिथ्या विश्वासों से मुक्ति और सत्य व सन्मार्ग निश्चित प्राप्त होगा।

ऋषि निर्वाणोत्सव
५ नवम्बर १९७२
रतलाम.

देव प्रकाश